



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251109  
CG-DL-E-03012024-251109

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 871]  
No. 871]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

## भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

फा. सं. बीयूएसएस/एमईएस(यूनानी-यू.जी.-रेग्यू.)/2023.—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 के उपधारा (2) के खंड (डी), (इ), (एस), (टी), (यू) (डब्ल्यू), (एक्स) (वाई), (जेड), (जेड ए), (जेड बी) और (जेड सी) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों के एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2019 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने हेतु छोड़े गए विषयों के अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14);

(ख) "अनुलग्नक" का अभिप्राय इन विनियमों से जुड़े एक अनुबंध से है;

(ग) किसी संस्था के "मूल्यांकन" से अभिप्राय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी संस्था और उससे संबद्ध शिक्षण अस्पताल के आधारभूत ढांचे, मानव संसाधनों और कार्यकरण के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक मानकों की उपलब्धता का सत्यापन करने से है;

(घ) "संबद्ध शिक्षण अस्पताल" का अभिप्राय किसी यूनानी अस्पताल से है जो मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता हो, जो यूनानी चिकित्सा पद्धति के विद्यार्थियों को शिक्षण और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्था से संबद्ध हो;

(ङ) "आयोग" से अभिप्राय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) के तहत स्थापित किया गया है;

(च) "विस्तारित अनुमति" का अभिप्राय इन विनियमों में निर्धारित "विस्तारित अनुमति का दर्जा" संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डद्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति का विस्तार करने से है, ताकि वह संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डसे प्रत्येक वर्ष प्रवेश के लिए अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना, विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु परामर्श प्रक्रिया (काउंसलिंग प्रक्रिया) में भाग ले सके, बशर्ते भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डद्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए या निर्दिष्ट न किया जाए;

(छ) "प्रपत्र" (फॉर्म) से अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र (फॉर्म) से है;

(ज) "पूर्णतः स्थापित संस्थान" का अभिप्राय उस महाविद्यालय या संस्थान से है जिसने स्थापना के सभी चार चरणों को पूरा कर लिया हों और जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डद्वारा अनुमति के पहले, दूसरे और तीसरे नवीकरण के लिए अनुमति पत्र जारी किए गए हों;

(झ) "स्थापनाधीन संस्थान" से अभिप्राय उस नए महाविद्यालय या संस्थान से है जो इन विनियमों में उल्लिखित चरणबद्ध स्थापना (यानी स्थापना के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण) से गुजर रहे हैं;

(ञ) "आशय पत्र" का अभिप्राय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डद्वारा किसी नए यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की स्थापना करने, अथवा विद्यमान पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने, अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई स्नातकोत्तर या नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक को, शर्तों और समयसीमा के साथ जारी आरंभिक स्वीकृति से है;

(ट) "अनुमति पत्र" का अभिप्राय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किसी नए यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की स्थापना करने, अथवा विद्यमान पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने, अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई स्नातकोत्तर या नया पाठ्यक्रम शुरू करने, अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक को प्रदान की गई स्वीकृति या अनुमति से है;

(ठ) "न्यूनतम आवश्यक मानक" का अभिप्राय महाविद्यालय या संस्थान के आधारभूत ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता या मानकों के स्तर के संदर्भ में अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं से हैं जिन्हें न्यूनतम के रूप में स्वीकार्य और इससे कम होने पर अस्वीकार्य माना जाता है;

(ड) किसी संस्थान की "रेटिंग" का अभिप्राय उस स्कोर या माप से है कि कोई संस्थान कितना अच्छा है। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या किसी नामित रेटिंग एजेंसी द्वारा यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिंग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों और मापदंडों के आधार पर किसी पूर्णतः स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान की न्यूनतम आवश्यक मानकों से अधिक रेटिंग है;

(ढ) "अनुमति का नवीनीकरण" का अभिप्राय इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डद्वारा अनुमति के नवीनीकरण में यथा विनिर्दिष्ट स्वीकृत विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के पश्चात क्रमिक अकादमिक वर्षों के दौरान किसी स्थापनाधीन (अर्थात् चरण-वार स्थापना के क्रमशः दूसरे तीसरे और चौथे चरण से गुजर रहे) महाविद्यालय या संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डद्वारा प्रदान की गई अनुमति (अर्थात्, पहला, दूसरा और तीसरा नवीनीकरण) के नवीकरण से है।

(ण) "अनुसूची" का अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(त) "शिक्षण दिवसों" का अभिप्राय किसी पूर्णकालिक नियमित शिक्षक द्वारा किसी महाविद्यालय और उससे संबद्ध शिक्षण अस्पताल, जहां उसे नियुक्त किया गया है, में बारह माह की अवधि में, की गई ड्यूटी या उपस्थिति के दिनों की संख्या से है;

(थ) "वार्षिक अनुमति" का अभिप्राय है कि ऐसे संस्थान जो "विस्तारित अनुमति" हेतु मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, वे प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डसे अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे।

(2) ऐसे शब्द अथवा अभिव्यक्तियां जिनका यहां उपयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में क्रमशः दिया गया है।

#### अध्याय- I

#### यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अथवा संस्थान और इससे संबद्ध शिक्षण अस्पताल की सामान्यतः न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताएँ

3. यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के आधारभूत ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में न्यूनतम अनिवार्य मानक निम्नलिखित उप-शीर्षकों के तहत निर्दिष्ट हैं: प्रवेश क्षमता, भूमि की आवश्यकता, महाविद्यालय और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र, महाविद्यालय परिसर और सामान्य आवश्यकताएं, आधिकारिक संपर्क विवरण, बैंक खाते, सूचना प्रौद्योगिकी और आधारभूत ढांचा, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, महाविद्यालय वेबसाइट, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं और संबद्ध शिक्षण अस्पताल हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएँ।

4. प्रवेश क्षमता - यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की वार्षिक विद्यार्थी प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता संस्था साठ, सौ, एक सौ पचास और दो सौ के स्लैब में होगी।

5. भूमि संबंधी आवश्यकता- (1) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अथवा संस्थान और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए, तालिका-1 में यथा निर्दिष्ट, न्यूनतम अनिवार्य आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।

(2) साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः तीन एकड़, पांच एकड़, सात एकड़ और नौ एकड़ से कम नहीं होगी; भूमि दो भूखंडों से अधिक में नहीं होगी और उन दोनों भूखंडों के बीच रेडियल दूरी पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होगी; यदि भूखंड सड़क अथवा नहर अथवा नाले के कारण अलग हैं परंतु पुल के जरिए जुड़े हुए हैं, तो उन्हें एक ही भूखण्ड माना जाएगा;

यद्यपि, टियर I और II शहरों (X और Y श्रेणी के शहरों), उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के मामले में, साठ, सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि क्रमशः ढाई एकड़, साढ़े तीन एकड़, पांच एकड़ और छह एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए और महाविद्यालय या संस्थान के पास भूमि की विशिष्ट श्रेणी (जैसा लागू हो) सिद्ध करने के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा, भूमि दो से अधिक भूखंडों में नहीं होगी और दो भूखंडों के बीच रेडियल दूरी दस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी; यदि भूखंड सड़क अथवा नहर अथवा नाले के कारण अलग हैं परंतु पुल के जरिए जुड़े हुए हैं, तो उन्हें एक ही भूखण्ड माना जाएगा।

#### तालिका-1

#### विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार भूमि की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता

क्रमांक	विद्यार्थी प्रवेश क्षमता	भूमि की न्यूनतम आवश्यकता (एकड़ में)	
		क	ख
		कॉलम 'ख' के अंतर्गत उल्लिखित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्र	टियर I और II शहर (X और Y श्रेणी के शहर), उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र
1	60	3.0	2.5
2	100	5.0	3.5
3	150	7.0	5.0
4	200	9.0	6.0

(3) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान, उससे संबद्ध शिक्षण अस्पताल और छात्रावासों के लिए निर्दिष्ट भूमि स्पष्ट रूप से सीमांकित की जाएगी और इसका उपयोग यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(4) भूमि महाविद्यालय के स्वामित्व में होगी या महाविद्यालय के नाम पर पट्टे पर होगी जिसकी अवधि तीस वर्ष से कम की नहीं होगी या संबंधित राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन के नियमों या विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमेय अवधि तक की होगी, यद्यपि, पट्टे की समाप्ति पर अनुमति का नवीनीकरण आवश्यक होगा।

**6. महाविद्यालय और उससे संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र.-** (1) साठ विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और उससे जुड़े अस्पताल का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र 3165 और 3140 वर्ग मीटर होगा।

(2) सौ विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र क्रमशः 5080 और 4475 वर्ग मीटर होगा।

(3) एक सौ पचास विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र क्रमशः 7045 और 5885 वर्ग मीटर होगा।

(4) दो सौ विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण क्षेत्र क्रमशः 9035 और 7245 वर्ग मीटर होगा, जैसा कि अनुसूची-I, अनुसूची-II और तालिका-2 में उल्लिखित है।

(5) महाविद्यालय और संबद्ध शिक्षण अस्पताल का कुल निर्मित क्षेत्र साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए 6305 वर्ग मीटर, सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए 9555 वर्ग मीटर, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए 12930 वर्ग मीटर और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए 16280 वर्ग मीटर होगा। जैसा कि तालिका-2 में दर्शाया गया है।

(6) महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण अनुसूची-I, अनुसूची-II में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार उसके विभागों या अनुभागों या इकाइयों के साथ अलग-अलग भवनों में किया जाएगा।

(7) महाविद्यालय और अस्पताल के लिए अलग-अलग भवनों की आवश्यकता केवल 19 फरवरी, 2013 के बाद स्थापित होने वाले महाविद्यालयों पर लागू होगी।

### तालिका 2

#### महाविद्यालय और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता

अनुभाग (1)	न्यूनतम निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर में			
	साठ विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (2)	एक सौ विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (3)	एक सौ पचास विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (4)	दो सौ विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (5)
महाविद्यालय	3165	5080	7045	9035
अस्पताल	3140	4475	5885	7245
कुल योग	6305	9555	12930	16280

[नोट:- उप-विनियम (1) से (5) तक में उल्लिखित न्यूनतम निर्मित क्षेत्र और कुल निर्मित क्षेत्र टियर I और टियर II (एक्स और वाई श्रेणी) शहरों में निर्मित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए समान होगा, जैसा कि ऊपर तालिका-2 में दर्शाया गया है।]

**7. महाविद्यालय परिसर और सामान्य आवश्यकताएं-** (1) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के लिए नामित परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:-

(क) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान जिसमें विभाग, सहायक अनुभाग या इकाइयां या सुविधाएं होंगी;

(ख) शिक्षण अस्पताल जिसमें सहायक अनुभाग या इकाइयां या सुविधाएं होंगी;

(ग) छात्रावास (प्रशिक्षुओं सहित छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग) कर्मचारी आवास सहित या उसके बिना;

(घ) दो भूखंडों के मामले में, प्रशिक्षुओं (छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग) के लिए छात्रावास शिक्षण अस्पताल परिसर में होगा।

(2) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए निर्धारित परिसर में पहुंचने हेतु समुचित मार्ग, सुरक्षा की उचित व्यवस्था सहित परिसर की सुनिर्मित दीवारें होगी।

(3) सभी भवनों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से सभी प्रासंगिक अनुमति प्राप्त करनी होंगी।

(4) विद्यमान मानदंडों के अनुसार अग्नि सुरक्षा, अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), मलजल उपचार संयंत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, आपदा प्रबंधन उपाय, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन आदि होंगे।

(5) संस्थान को रैंप और लिफ्ट के अलावा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सुविधा और सुरक्षा के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना होगा।

(6) परिसर में वाहनों की मुक्त आवाजाही और सीमांकित पार्किंग क्षेत्र के लिए उचित लेआउट योजना होगी। उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए पार्किंग क्षेत्र का लेबल या चिह्नित किया जाएगा।

(7) परिसर में पर्याप्त जल आपूर्ति, उचित जल निकासी प्रणाली और पावर बैक-अप सिस्टम सहित बिजली आपूर्ति होगी।

(8) केन्द्रीय कार्यशाला या रखरखाव प्रकोष्ठ - परिसर में एक केन्द्रीय कार्यशाला या रखरखाव प्रकोष्ठ होगा, जो संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार समुचित रूप से सुसज्जित होगा, साथ ही बिजली, प्लंबिंग, कारपेंट्री, स्वच्छता, सिविल कार्य, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, हाउसकीपिंग आदि जैसे क्षेत्रों में रखरखाव संबंधी कार्यों के लिए उपयुक्त तकनीकी कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी होंगे।

(9) महाविद्यालय या संस्थान पूरी तरह कार्यात्मक होगा और एक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करके आयोग द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के अनुसार यूनानी के विद्यार्थियों को शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करेगा और आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक से अधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगा।

(10) महाविद्यालय या संस्थान में एक शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसमें महाविद्यालय या संस्थान के सभी हितधारक, सभी विभाग, और महाविद्यालय या संस्थान की अन्य इकाइयां या अनुभाग विद्यार्थियों को आदर्श शैक्षणिक वातावरण में व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करेंगे।

**8. आधिकारिक संपर्क विवरण-** (1) सभी आधिकारिक संप्रेषण केवल यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के आधिकारिक संपर्क नंबर और आधिकारिक मेल आईडी के माध्यम से होंगे।

(2) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के पास संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) का एक आधिकारिक मोबाइल नंबर होगा।

(3) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के पास नीचे दिखाए गए पैटर्न के अनुसार एक आधिकारिक ई-मेल आईडी बनाई जाएगी: -

[महाविद्यालय की स्थापना का वर्ष, MARBISM द्वारा प्रदान किया गया विशिष्ट महाविद्यालय पहचान दस्तावेज़ @ सेवा प्रदाता या डोमेन (जैसे.2023uni00001@gmail.com)]

(4) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के तहत स्वायत्त बोर्डों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय से केवल आधिकारिक मोबाइल नंबर और आधिकारिक ई-मेल पहचान दस्तावेज़ के माध्यम से ही संप्रेषण करेगा।

(5) आधिकारिक मोबाइल नंबर और आधिकारिक ई-मेल पहचान दस्तावेज़ के अतिरिक्त अन्य मोबाइल नंबर और ई-मेल पहचान दस्तावेज़ के माध्यम से किए गए संप्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा।

(6) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या स्वायत्त बोर्ड यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान से केवल महाविद्यालय या संस्थान के प्रमुख के आधिकारिक मोबाइल नंबर या यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के आधिकारिक ई-मेल पहचान दस्तावेज़ के माध्यम से ही संपर्क करेंगे।

यद्यपि, कुछ विशिष्ट मामलों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग किसी विशेष गतिविधि के लिए यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान को अलग या विशिष्ट मोबाइल नंबर और या ई-मेल पहचान दस्तावेज़ के लिए निर्देश दे सकता है, ऐसे विशिष्ट संपर्कों का उपयोग केवल उस निर्दिष्ट उद्देश्य या अवधि के लिए ही किया जाएगा।

**9. बैंक खाते-** (1) गैर-सरकारी संस्थानों के लिए यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के नाम पर अलग-अलग स्वतंत्र आधिकारिक बैंक खाते होंगे।

(2) यदि कोई दवा निर्माण इकाई (व्यावसायिक उत्पादन) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान से जुड़ी है, तो दवा निर्माण इकाई का अलग बैंक खाता होगा।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में उक्त सभी आधिकारिक खाते या तो राष्ट्रीयकृत बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी वाणिज्यिक बैंक में होंगे।

(4) संबंधित इकाइयों (महाविद्यालय, अस्पताल और दवा निर्माण इकाई, यदि कोई हो) के सभी आधिकारिक लेनदेन (आय और व्यय) केवल निर्दिष्ट आधिकारिक खातों से होंगे।

(5) विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की फीस, जुर्माना (यदि कोई हो) सहित, केवल आधिकारिक बैंक खाते के माध्यम से ली जाएगी।

(6) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान को विद्यार्थियों से प्राप्त जुर्माना (यदि कोई हो) सहित सभी शुल्क भुगतान के लिए रसीदें जारी करनी होंगी।

(7) सभी प्रकार के संस्थागत व्यय, जैसे शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अस्पताल कर्मचारियों का वेतन, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भुगतान, खरीदारी, करों का भुगतान, रखरखाव और स्थापना व्यय, आदि केवल आधिकारिक बैंक खाते के माध्यम से होंगे।

(8) खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा (ऑडिट) किसी पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या लेखा परीक्षा फर्म द्वारा लेखा परीक्षित की जाएगी।

(9) लेन-देन का विवरण और वार्षिक लेखा परीक्षा (ऑडिट) प्रतिवेदन भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट ढंग से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को उपलब्ध करवाया जाएगा।

(10) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड केवल उन लेनदेन पर विचार करेगा, जो मूल्यांकन और रेटिंग उद्देश्यों के लिए संस्थागत आधिकारिक बैंक खातों में परिलक्षित होते हैं।

**10. सूचना प्रौद्योगिकी सेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना-** (1) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन करने और महाविद्यालय या संस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए सुसज्जित होगा।

(2) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के पास ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी वाला इंटरनेट कनेक्शन होगा जिसकी बैंडविड्थ 500 एमबीपीएस से कम नहीं होगी।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की वेबसाइट, अस्पताल प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर (जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या से सुसंगत), शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, आभासी प्रयोगशालाएं, इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी, बायोमेट्रिक या आधार सक्षम बायोमेट्रिक या आईरिस पहचान या चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली, क्लोज-सर्किट टेलीविजन और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य मदों की देखरेख करेगा।

(4) सूचना और प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम), अस्पताल प्रबंधन प्रणाली या अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर) जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इंटरफेस या कनेक्ट करने की स्थिति में होगा। (जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या के साथ संगत हो), बायोमेट्रिक या आधार सक्षम बायोमेट्रिक या आईरिस पहचान या चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली, या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रणाली जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, डेटा का वास्तविक समय पर स्थानांतरण

करने और आभासी बैठकों, वेबिनारों, व्याख्यानो, प्रैक्टिकल या नैदानिक प्रदर्शनों की वीडियो रिकॉर्डिंग, आभासी या हाइब्रिड मोड में दौरे या मूल्यांकन, आदि का समन्वय करने और अन्य सभी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित गतिविधियों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा उनके विनिर्देशों के अनुसार संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के साथ इंटरफेस या कनेक्ट करने की स्थिति में होगा।

(5) सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ महाविद्यालय या संस्थान के सभी अनुभागों को सहायता प्रदान करेगा जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी सहायता की अनिवार्यता: आवश्यकता है। इसमें यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान का मानव संसाधन और विकास प्रकोष्ठ भी शामिल है।

**11. बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली.-** (1) शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अस्पताल के कर्मचारियों, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बायोमेट्रिक या आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली या आईरिस पहचान या चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली संस्थापित की जाएगी।

(2) बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के प्रवेश द्वारों पर संस्थापित किए जाएंगे और क्लोज-सर्किट टेलीविजन की निगरानी में होंगे। ये उपकरण शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अस्पताल कर्मचारियों, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं की उपस्थिति दर्ज करने के प्रयोजनार्थ होंगे।

(3) क्लोज-सर्किट टेलीविजन इस तरह संस्थापित किया जाएगा कि उपस्थिति का अंकन करते हुए कर्मचारी का चेहरा और बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

(4) बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण के साथ-साथ क्लोज-सर्किट टेलीविजन फ्रीड को आयोग के कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर से जोड़ा या संरेखित किया जाएगा। आयोग या उसके स्वायत्त बोर्डों के पास कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और कॉलेजों में संस्थापित उपकरणों में संग्रहीत डेटा की समीक्षा करने और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति होगी।

(5) बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी के माध्यम से पूरे वर्ष वास्तविक समय के आधार पर संबंधित नियामक निकाय या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्नातक विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपकरणों को अपनाया जाएगा।

**12. यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट-** (1) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान को महाविद्यालय या संस्थान के नाम पर एक विशेष वेबसाइट बनानी होगी।

(2) महाविद्यालय की वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों द्वारा निर्दिष्ट विवरण अपलोड किया जाएगा।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विभिन्न स्तरों पर लगातार डेटा संग्रहीत करेगा।

(4) यह सुनिश्चित करना यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा, सूचना और विवरण प्रामाणिक हों और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर अपलोड किए गए हों।

(5) प्रत्येक माह की 10 तारीख या उससे पहले, पिछले माह से संबंधित डेटा अद्यतन या अपलोड किया जाएगा।

(6) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की वेबसाइट पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा: -

(क) संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) और चिकित्सा अधीक्षक का विवरण, जिनमें उनका नाम, जन्म तिथि, फोटो, विशिष्ट शिक्षक कोड, परिषद पंजीकरण संख्या, शैक्षणिक योग्यता, पदनाम, ज्वाइनिंग की तिथि, अनुभव, संपर्क मोबाइल नंबर, ई-मेल पहचान दस्तावेज़, इत्यादि शामिल हैं;

(ख) शिक्षण कर्मचारियों का विवरण, जिनमें उनका विशिष्ट शिक्षक कोड, फोटो, परिषद पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पदनाम, ज्वाइनिंग की तिथि, अनुभव, शिक्षण विभाग, संपर्क मोबाइल नंबर, ई-मेल पहचान दस्तावेज़, इत्यादि शामिल हैं;

(ग) महाविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अस्पताल के कर्मचारियों का विवरण जिसमें शैक्षणिक योग्यता, पदनाम, विभाग या अनुभाग या यूनिट का नाम इत्यादि;

- (घ) छात्रावासों के वार्डन और डिप्टी वार्डन का विवरण;
- (ङ) अस्पताल के विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं, उनके बाह्य रोगी विभाग के दिन, परामर्श समय;
- (च) अनुमति की स्थिति, स्वीकृत विद्यार्थी प्रवेश क्षमता और संबद्धता संबंधी विवरण;
- (छ) वर्तमान और पिछले वर्ष में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की मेरिट-वार और श्रेणी-वार सूची;
- (ज) विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम और पिछले तीन वर्षों का तुलनात्मक ग्राफ;
- (झ) विद्यार्थियों या संकायों द्वारा पिछले वर्ष के शोध प्रकाशनों का विवरण;
- (ञ) सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संकाय विकास कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, व्यावहारिक प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजनाओं, सहयोगात्मक कार्यक्रमों और पिछले एक वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी अन्य शैक्षणिक या नैदानिक कार्यक्रमों का विवरण;
- (ट) संस्थान द्वारा प्राप्त मान्यताएं, पुरस्कार, उपलब्धियां और सराहना, यदि कोई हो;
- (ठ) अस्पताल के मरीजों के आंकड़े और पिछले तीन वर्षों का तुलनात्मक डेटा या ग्राफ;
- (ड) सेमिनार, कार्यशालाएं आदि जैसे आगामी कार्यक्रमों की घोषणाएं।

**13. यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक-** यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में निम्नलिखित विभाग या अनुभाग या इकाइयाँ या प्रकोष्ठ या सुविधाएँ होंगी:-

(1) प्रशासनिक अनुभाग: महाविद्यालय के प्रशासनिक अनुभाग में निम्नलिखित समायोजित होंगे:-

- (क) संस्था प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) का कक्ष;
- (ख) संस्था प्रमुख के निजी सहायक का कक्ष;
- (ग) संस्था प्रमुख के आगंतुकों के लिए आगंतुक कक्ष;
- (घ) कर्मचारी समिति कक्ष या बैठक कक्ष;
- (ङ) कार्यालय अधीक्षक कक्ष;
- (च) स्थापना और लेखा अनुभाग जिसमें कैश काउंटर शामिल है;
- (छ) कार्यालय आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय या लाउंज;
- (ज) रिकॉर्ड कक्ष;
- (झ) केंद्रीय भंडार;
- (ञ) पेंट्री;

(ट) कार्यालय कर्मचारियों के लिए शौचालय (पुरुष, महिला और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए अलग-अलग); और कुल निर्मित क्षेत्र का विवरण **अनुसूची-II** में दर्शाया गया है अर्थात् साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम दो सौ वर्ग मीटर, सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन सौ वर्ग मीटर और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन सौ पचास वर्ग मीटर।

(2) व्याख्यान हॉल या कक्षाकक्ष- (क) पांच व्याख्यान हॉल या कक्षाकक्ष होंगे, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ वर्ग मीटर, एक सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ वर्ग मीटर और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ पचास वर्ग मीटर से कम नहीं होगा और कुल निर्मित क्षेत्र संबंधी आवश्यकताओं का उल्लेख **अनुसूची-II** में किया गया है अर्थात् साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम क्रमशः पांच सौ, सात सौ पचास, एक हजार और एक हजार दो सौ पचास वर्ग मीटर न्यूनतम निर्मित क्षेत्र होगा;

(ख) प्रत्येक व्याख्यान हॉल या कक्षाकक्षों में बैठने की क्षमता विद्यार्थी प्रवेश क्षमता का बीस प्रतिशत से अधिक होगी। अर्थात्, साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले में बैठने की क्षमता पचहत्तर, सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले में



बैठने की क्षमता एक सौ बीस, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले में बैठने की क्षमता एक सौ अस्सी, और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले में बैठने की क्षमता दो सौ चालीस;

(ग) सभी व्याख्यान हॉल या कक्षाकक्ष सूचना संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाकक्ष होंगे जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों जैसे स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो-विजुअल गैजेट, इंटरनेट कनेक्शन या वायरलेस फ़िडेलिटी सुविधा आदि से सुसज्जित होंगे;

(घ) सभी व्याख्यान हॉल या कक्षाकक्ष क्लोज-सर्किट टेलीविजन की निगरानी में होंगे और क्लोज-सर्किट टेलीविजन कवरेज पूरे कक्षाकक्ष के लिए होगा;

(ङ) कक्षा बहुत लंबी या बहुत चौड़ी नहीं होगी;

(च) कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था गैलरी-प्रकार या थिएटर-प्रकार की होनी चाहिए और अधिमानतः अर्ध-गोलाकार होनी चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षक, ब्लैकबोर्ड और स्मार्ट बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हो;

(छ) कक्षा में केंद्रीय डिस्प्ले का आकार कक्षा की क्षमता और आकार के अनुपात में होगा और पीछे के छोर पर बैठे विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त डिस्प्ले की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) सेमिनार या सम्मेलन या परीक्षा या योग और रियाज़त हॉल (बहुउद्देशीय हॉल)- (क) यह एक सौ पचास, तीन सौ, चार सौ पचास और छह सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक बहुउद्देशीय हॉल होगा, जिसमें क्रमशः साठ, सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी। जैसा कि **अनुसूची-II** में दर्शाया गया है;

(ख) बहुउद्देशीय हॉल का उपयोग बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, परीक्षाओं, योग और रियाज़त प्रशिक्षण, महाविद्यालय समारोहों आदि के संचालन के लिए किया जाएगा;

(ग) बहुउद्देशीय हॉल में ऑडियो-विजुअल सुविधाएं, क्लोज-सर्किट टेलीविजन और शौचालय सुविधाएं होंगी।

(4) केंद्रीय पुस्तकालय- (क) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में अच्छा हवादार, उचित प्रकाश व्यवस्था, उचित बैठने की व्यवस्था, सुव्यवस्थित किताबों की अलमारियों वाला एक केंद्रीय पुस्तकालय होना चाहिए, जैसा कि नीचे बताया गया है;

(ख) केंद्रीय पुस्तकालय में साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम एक सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन सौ पचास वर्ग मीटर और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए चार सौ पचास वर्ग मीटर का न्यूनतम क्षेत्र होगा। जैसा कि **अनुसूची- II** में निर्दिष्ट है;

(ग) केंद्रीय पुस्तकालय में बैठने की क्षमता उसकी विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के बीस प्रतिशत से अधिक होगी। अर्थात्, साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले में बैठने की क्षमता पचहत्तर, सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले में बैठने की क्षमता एक सौ बीस, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले में बैठने की क्षमता एक सौ अस्सी, और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले में बैठने की क्षमता दो सौ चालीस; जैसा **तालिका-3** में निर्दिष्ट है;

(घ) केंद्रीय पुस्तकालय साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम आठ हजार किताबें, एक सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दस हजार किताबें, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए बारह हजार किताबें और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए चौदह हजार किताबें बनाए रखेगा;

(ङ) केंद्रीय पुस्तकालय में विद्यार्थी प्रवेश क्षमता भले ही कितनी भी हों, अनुक्रमित वैज्ञानिक पत्रिकाओं की न्यूनतम संख्या दस होगी, जैसा कि **तालिका-3** में दर्शाया गया है और ऐसी पत्रिकाएं पबमेड या वेब ऑफ साइंस या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - अकादमिक और अनुसंधान एथिक्स हेतु कंसोर्टियम या साइंस साइटेशन इंडेक्स या स्कोपस में अनुक्रमित होनी चाहिए;

(च) सभी विद्यार्थियों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाएगी;

(छ) पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर एक कैटलॉग कोडिंग प्रणाली (भौतिक या स्वचालित) उपलब्ध कराई जाएगी;

(ज) नई आने वाली पुस्तकों के लिए पुस्तकालय में उचित स्थान पर प्रदर्शन सुविधा होगी;

- (झ) सभी नई आई पुस्तकों को संस्थागत पुस्तकालय नीति के अनुसार एक विशिष्ट अवधि या न्यूनतम पंद्रह दिनों के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए;
- (ञ) वाचनालय में बैठने की व्यवस्था एक दिशात्मक पैटर्न में होगी, और आमने-सामने बैठने की व्यवस्था से बचा जाएगा, या आमने-सामने बैठने की व्यवस्था के मामले में बीच में आड़ प्रदान की जाएगी। वाचनालय की मेज पर लैपटॉप के लिए पर्याप्त संख्या में चार्जिंग पोर्ट होने चाहिए;
- (ट) विद्यार्थियों को पुस्तकों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए सभी पुस्तकों और पत्रिकाओं को बिना ताला लगाए खुली अलमारियों में रखा जाएगा। दुर्लभ और अप्राप्य पुस्तकें, पुरानी पांडुलिपियाँ और सूचीबद्ध पुस्तकें बंद अलमारियों में रखी जा सकती हैं;
- (ठ) संपूर्ण पुस्तकालय क्लोज-सर्किट टेलीविजन निगरानी में होगा;
- (ड) पुस्तकालय संबंधी शिष्टाचार, पुस्तकालय में अनुशासन बनाए रखने संबंधी संस्थागत नीति और महाविद्यालय परिषद द्वारा स्वीकृत पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं हेतु निर्देश पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे;
- (ढ) सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार) पर पुस्तकालय का न्यूनतम कार्य-समय बिना किसी अवकाश के सुबह 9:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक होगा;
- (ण) रविवार को पुस्तकालय का- समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा;
- (त) खंड (ढ) और (ण) में निर्धारित घंटे न्यूनतम निर्धारित कार्य-घंटे हैं; यद्यपि, महाविद्यालय विस्तारित पुस्तकालय कार्य-घंटे बनाए रख सकते हैं;
- (थ) केंद्रीय पुस्तकालय में एक पुस्तकालय कार्यालय, पुस्तकालयाध्यक्षों और अन्य पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था, नई आने वाली पुस्तकों और रखरखाव या बाइंडिंग की जा रही पुस्तकों के लिए समर्पित स्थान, पुस्तकें जारी करने और वापस जमा करने, पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग शौचालय, पीने के पानी (गर्म और ठंडा) की सुविधा आदि होने चाहिए;
- (द) पुस्तकालय केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय संस्थान (यूनानी, आयुर्वेद सिद्ध), आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (राष्ट्रीय महत्व का संस्थान), द्वारा प्रकाशित सभी पत्रिकाओं को विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय में रखेगा;

### तालिका-3

#### पुस्तकों, पत्रिकाओं और बैठने की क्षमता संबंधी न्यूनतम आवश्यकता

क्रमांक (1)	विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (2)	बैठने की क्षमता (3)	पुस्तकों की न्यूनतम संख्या (4)	अनुक्रमित वैज्ञानिक पत्रिकाओं की न्यूनतम संख्या (5)
1	साठ	75	8000	10
2	एक सौ	120	10000	
3	डेढ़ सौ	180	12000	
4	दो सौ	240	14000	

- (ध) पुस्तकालय सेवाओं में पुस्तकें जारी करना और वापस जमा करना, अनुक्रमणिका बनाना, प्रतिलिपि संबंधी सुविधा, पुस्तक आरक्षण प्रणाली और पुस्तकालय का उपयोग करने में सहायता शामिल है;
- (न) पुस्तकालय गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पत्रिकाएं और समाचार पत्र और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त अध्ययन और पढ़ने की सामग्री, प्रतियोगी परीक्षा की किताबें आदि प्रदान करेगा;
- (प) दिव्यांग विद्यार्थियों सहित सभी लोगों के लिए आसान पहुंच की सुविधा के लिए संपूर्ण पुस्तकालय निर्बाध आवाजाही वाला होगा;

(फ) यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है और विश्वविद्यालय का पुस्तकालय एक अलग भवन में है, तो इन नियमों में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालय में यूनानी के लिए एक विशेष विंग प्रदान की जाएगी।

**(5) डिजिटल लाइब्रेरी-** (क) डिजिटल लाइब्रेरी में साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए चालीस वर्ग मीटर, एक सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए साठ वर्ग मीटर और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए सत्तर वर्ग मीटर का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र होगा, जैसा कि अनुसूची-II में उल्लिखित है;

(ख) डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी प्रभारी के लिए कार्यालय स्थान और बैठने की जगह, ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर सिस्टम स्टेशन, कॉम्पैक्ट डिस्क भंडारण सुविधाएं, हेडफोन सेट आदि शामिल होंगे;

(ग) डिजिटल लाइब्रेरी में 60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता हेतु 15 कंप्यूटर सिस्टम युक्त स्टेशन, 100 विद्यार्थियों के प्रवेश क्षमता के लिए 25 कंप्यूटर सिस्टम युक्त स्टेशन, 150 विद्यार्थियों के प्रवेश क्षमता के लिए 35 कंप्यूटर सिस्टम युक्त स्टेशन और 200 विद्यार्थियों के प्रवेश क्षमता के लिए 45 कंप्यूटर सिस्टम युक्त स्टेशन होंगे;

(घ) तालिका-4 में दिए गए विस्तृत आधारभूत ढांचे वाली डिजिटल लाइब्रेरी विद्यार्थियों को इंटरनेट ब्राउज़ करने और ई-जर्नल्स, ई-सामग्री, ई-पुस्तकें, शैक्षिक कॉम्पैक्ट डिस्क, ई-संसाधन इत्यादि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी;

(ङ) सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार) पर डिजिटल लाइब्रेरी का न्यूनतम कार्य-समय बिना किसी अवकाश के सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक होगा;

(च) रविवार को डिजिटल लाइब्रेरी का कार्य-समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा;

(छ) खंड (ङ) और (च) में उल्लिखित कार्य-घंटे न्यूनतम कार्य-घंटे हैं। यद्यपि, महाविद्यालय या संस्थान विस्तारित पुस्तकालय समय बनाए रख सकते हैं।

#### तालिका-4

##### डिजिटल लाइब्रेरी के लिए न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएँ

क्रम संख्या (1)	विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (2)	कंप्यूटर सिस्टम युक्त स्टेशनों की संख्या (3)
1	साठ	15
2	एक सौ	25
3	डेढ़ सौ	35
4	दो सौ	45

(6) शिक्षण विभाग- (क) चौदह शिक्षण विभाग होंगे;

(ख) प्रत्येक विभाग को शिक्षकों हेतु कमरे या कक्ष, विभागीय पुस्तकालय, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए वर्किंग अकॉमडेशन और प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, विच्छेदन (डिस्सेक्शन) हॉल, संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष, या ट्यूटोरियल कक्ष इन विनियमों (अनुसूची-II) में निर्दिष्ट विभाग विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप उस विभाग की सभी इकाइयों या अनुभागों को पर्याप्त स्थान सहित विभाग में एक साथ रखा जाएगा;

(ग) सभी चौदह विभागों के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता हेतु एक हजार चार सौ पचहत्तर वर्ग मीटर, एक सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता हेतु दो हजार पांच सौ पच्चीस वर्ग मीटर, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता हेतु तीन हजार छह सौ पच्चीस वर्ग मीटर और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता हेतु चार हजार आठ सौ वर्ग मीटर है और प्रत्येक विभाग एवं उनके सहायक अनुभागों या इकाइयों के लिए क्षेत्र का ब्यौरा अनुसूची-II के अनुसार होगा;

(घ) शिक्षकों को उनके संबंधित विभागों में समायोजित किया जाएगा और प्रत्येक विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर को उनके संबंधित विभागों में अलग कमरा या कक्ष में निजता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम क्षेत्र क्रमशः पंद्रह, तेरह और दस वर्ग मीटर होगा। सामान्य हॉल, कमरे या विभाग में शिक्षकों को खुले में बैठने की व्यवस्था को अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ड) प्रत्येक विभाग को कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(च) प्रभावी शिक्षण के लिए प्रत्येक विभाग हेतु यथा उपयुक्त विडियो, चित्र, पोस्टर, चार्ट्स, विषय संबंधी सूचना, मोडल्स, उपचार के तरीके, सर्जिकल प्रक्रियाएं, पैथोलॉजिकल स्लाइड, उपकरण, दवा तैयार करने की प्रक्रिया, औषधीय पौधों के चित्र, हर्बेरियम, एक्स-रे, नैदानिक उपकरण इत्यादि जैसी ई-सामग्री के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक विभाग को ई-डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड डिस्प्ले और इसी तरह) की सुविधा प्रदान की जाएगी;

(छ) प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरण, रसायन, रीएजेंट, कांच के बने पदार्थ आदि **अनुसूची-VII से XIV** के अनुसार होंगे;

(ज) विभागीय संग्रहालय के लिए आवश्यक न्यूनतम मॉडल, नमूने आदि **अनुसूची-VII, VIII, X, XI, XII और XIII** के अनुसार होंगे;

(झ) प्रैक्टिकल प्रशिक्षण आयोजित करने वाले विभाग, पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध सभी प्रैक्टिकल आयोजित करने के लिए विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार सभी सुविधाएं बनाए रखेंगे;

(ञ) कुल्लियात विभाग (यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धांत) के तहत भाषा प्रयोगशाला को अरबी, उर्दू, फ़ारसी या अंग्रेजी में, यथास्थिति, भाषा कौशल, संप्रेषण कौशल और ध्वन्यात्मकता आदि में कौशल को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट सुविधाओं, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो-विजुअल सुविधाओं, माइक्रोफोन, हेडसेट इत्यादि सहित कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा;

(ट) विच्छेदन (डिस्सेक्शन) हॉल: (i) तशरीहुल बदन (ह्यूमन अनॉटमी) विभाग के तहत डिस्सेक्शन हॉल में उचित वेंटिलेशन, वायु निकासी की सुविधा, हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा और दो से चार शवों को परिरक्षित करने के लिए भंडारण टैंक या फ्रीजर होना चाहिए;

(ii) प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विच्छेदन (डिस्सेक्शन) हॉल में एक आभासी डिस्सेक्शन या ई-डिस्सेक्शन सुविधा भी प्रदान की जा सकती है;

(iii) विच्छेदन (डिस्सेक्शन) हॉल में एक प्रदर्शन स्टेशन और दस विद्यार्थियों के लिए एक डिस्सेक्शन स्टेशन होगा, अर्थात् साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए क्रमशः छह, दस, पंद्रह और बीस डिस्सेक्शन स्टेशन होंगे;

(iv) प्रदर्शन और डिस्सेक्शन स्टेशन: प्रदर्शन स्टेशन में छाया रहित ऑपरेशन थिएटर लाइट और एक इनबिल्ट हाई-रिज़ॉल्यूशन क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा होगा, और डिस्सेक्शन हॉल में एक डिस्प्ले यूनिट (स्मार्ट टेलीविजन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड आदि) होगी, जो क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरे से जुड़ी होगी;

(v) यदि आवश्यक हो, तो शव के संलेपन की सुविधा भी प्रदान की जाए;

(vi) इस विभाग के पास मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट निपटान सुविधाएं होनी चाहिए।

(ठ) टीचिंग फार्मसी (इल्मुल सैदला प्रैक्टिकल लेबोरेटरी): (i) यह विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए होगी न कि दवाओं के व्यावसायिक उत्पादन के लिए।

(ii) फार्मसी शिक्षण में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में तैयार की गई दवाएं मरीजों को नहीं दी जाएंगी;

(iii) जब संस्थान व्यावसायिक उत्पादन करने वाली किसी फार्मसी से जुड़ा हुआ हों तो उस स्थिति में उस फार्मसी को शिक्षण फार्मसी के रूप में नहीं माना जाएगा;

(iv) शिक्षण फार्मसी अधिमानतः महाविद्यालय भवन के अंत में भूतल पर या परिसर में एक अलग भवन में अवस्थित होनी चाहिए और यह उचित वायु निकासी प्रणाली और आग संबंधी सुरक्षा उपायों से सुसज्जित होनी चाहिए;

(v) पाठ्यक्रम के अनुसार इल्मुल सैदला प्रैक्टिकल आयोजित करने के लिए शिक्षण फार्मसी में **अनुसूची-XI** में उल्लिखित पर्याप्त अवसंरचना और सुविधाएं होनी चाहिए।

(ड) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला : (i) इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) विभाग के तहत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) और इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) दोनों विभागों के लिए एक सामान्य सुविधा है;

(ii) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण और प्रदर्शनात्मक शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए **अनुसूची-XI** में उल्लिखित उपकरण, रसायन और रीएजेंट्स सहित सभी सुविधाएं बनाए रखेगी।

(ढ) तहफफुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के तहत तिबुल कानून वा इल्मुल समूम (फोरेसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में विभिन्न जहरों या विषाक्त पदार्थों या खाद्य संदूषकों का अध्ययन करने के लिए जहर या विष का पता लगाने या विश्लेषण करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

(ण) महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग: (i) विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें इस हेतु महाविद्यालय या संस्थान के पास **अनुसूची-XII** में उल्लिखित पर्याप्त सुविधाओं सहित एक स्वतंत्र प्रैक्टिकल प्रयोगशाला होगी;

(ii) संबद्ध शिक्षण अस्पताल की क्लिनिकल या पैथोलॉजी प्रयोगशाला को महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला नहीं माना जाएगा।

(त) पोषण प्रयोगशाला: पाठ्यक्रम के आधार पर विभाग द्वारा तैयार की गई प्रैक्टिकल की सूची के अनुसार आहार, पाक चिकित्सा और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य का विश्लेषण करने के लिए **अनुसूची-XIII** में निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यकताओं सहित तहफफुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के तहत पोषण प्रयोगशाला है;

(थ) जराहत (सर्जरी) विभाग शिक्षण प्रयोजनार्थ संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष में पित्ताशय की पथरी, गुर्दे की पथरी, ट्यूमर आदि के नमूने बनाए रखेगा;

(द) ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक गला और दंत चिकित्सा) विभाग शिक्षण प्रयोजनार्थ संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष में नमूने बनाए रखेगा;

(ध) शिक्षण विभागों की सभी प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं की कार्यभेजें, यथा प्रयोज्य, कठोर पत्थर या स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए और उचित अलमारियों एवं वाँश बेसिन में बहते पानी के नल की व्यवस्था होनी चाहिए;

(न) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग समय-समय पर पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकता है, और तदनुसार, उपकरण और अन्य सुविधाओं संबंधी आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसी सुविधाएं प्रदान करना संस्थान या संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी।

**(7) नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला.-** (क) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के पास **अनुसूची- II** में निर्दिष्टानुसार साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम निर्मित क्षेत्र क्रमशः एक सौ पच्चीस वर्ग मीटर, दो सौ वर्ग मीटर, दो सौ पचहत्तर वर्ग मीटर और तीन सौ पचास वर्ग मीटर होगा और **अनुसूची-XIV** में निर्दिष्ट पुतलों या सिमुलेटर से सुसज्जित होगा;

(ख) प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए आभासी या संबर्धित वास्तविकता सुविधा भी प्रदान की जा सकती है;

(ग) नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला में पुतलों, सिमुलेटर और अन्य प्रशिक्षण सामग्री या उपकरण के लिए उचित भंडारण सुविधा होगी;

(घ) नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला में समन्वयक, पर्याप्त स्थान सहित कार्यालय सहायक और परिचारक होंगे;

(ङ) कर्मचारियों के लिए कार्यालय और बैठने की व्यवस्था होगी, प्रदर्शन सह अभ्यास कक्ष (तालिका-5 में यथा उल्लिखित) और सभी प्रदर्शन सह अभ्यास कक्ष स्मार्ट बोर्ड और अन्य उपयुक्त ऑडियो-विजुअल उपकरणों या गैजेट से सुसज्जित होंगे;

(च) प्रवेश द्वार पर स्वागत कक्ष, रिकॉर्ड रखने की सुविधा और पर्याप्त स्लॉट वाली जूतों की रैक होगी।

## तालिका-5

## नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएँ

क्रम संख्या (1)	विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (2)	प्रदर्शन सह अभ्यास कक्ष	
		संख्या (3)	क्षमता (4)
1	साठ	1	प्रत्येक प्रदर्शन सह अभ्यास कक्ष में कम से कम तीस विद्यार्थी रह सकेंगे
2	एक सौ	2	
3	एक सौ पचास	3	
4	दो सौ	4	

(8) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ- (क) मानव संसाधन और विकास प्रकोष्ठ साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए क्रमशः एक सौ तीस वर्ग मीटर, एक सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ सत्तर वर्ग मीटर और एक सौ नब्बे वर्ग मीटर के न्यूनतम स्थान के साथ होगा और कार्यशाला क्षेत्र, कार्यालय, स्टोर, प्रसार क्षेत्र और शौचालयों के लिए न्यूनतम स्थान का ब्यौरा अनुसूची-11 में यथा उल्लिखित है;

(ख) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ संस्थान के शिक्षकों के लिए एक चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण इकाई या गुणवत्ता इनपुट कार्यक्रम इकाई के रूप में और चिकित्सा, पैराचिकित्सा, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों के लिए एक अभिविन्यास सह प्रशिक्षण इकाई के रूप में कार्य करेगा;

(ग) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के पास समन्वयक, कार्यालय सहायक और परिचारक को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान वाला एक कार्यालय होगा;

(घ) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ हॉल या कक्ष न्यूनतम तीस प्रतिभागियों की बैठने की क्षमता के साथ कार्यशालाओं के संचालन के लिए उपयुक्त होगा और पर्याप्त फर्नीचर से सुसज्जित होगा;

(ङ) हॉल ऑडियो-विजुअल सिस्टम, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाई-फाई कनेक्टिविटी, प्रतिभागियों के लिए लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, प्रिंटर, कॉपियर, फोटोग्राफी की सुविधा और ई-शिक्षण सामग्री तैयार करने हेतु वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से सुसज्जित होगा;

(च) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान, अध्यक्ष (संस्था प्रमुख-निदेशक या डीन या प्रिंसिपल), समन्वयक (प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर), और सदस्यों (प्रत्येक व्यावसायिक से एक शिक्षण संकाय सदस्य, चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक, और प्रशासन या मानव संसाधन विकास से एक व्यक्ति) वाली मानव संसाधन विकास समिति का गठन करेगी, जो मानव संसाधन और विकास प्रकोष्ठ की योजना बनाएगी, उनका कार्यान्वयन करेगी और इसकी गतिविधियों की निगरानी करेगी। समिति आवश्यकतानुसार किसी विशेषज्ञ या किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है;

(छ) समिति का कार्यकाल दो वर्ष या संस्थागत नीतियों के अनुसार होगा;

(ज) समिति प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित या उन्मुख किए जाने वाले कौशल, तकनीकों या ज्ञान की पहचान करेगी, अनुसूची तैयार करेगी, और तदनुसार घोषणा और क्रियान्वित करेगी;

(झ) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के कर्मचारियों की श्रेणी इस प्रकार होगी:

(i) शिक्षण कर्मचारी, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, और पुस्तकालय कर्मचारी;

(ii) प्रशासनिक कर्मचारी;

(iii) नर्सिंग स्टाफ और लैब तकनीशियन;

(iv) इलाज बित तदाबीर थेरेपी अनुभागों में थेरेपिस्ट्स;

(v) तकनीकी कर्मचारी (सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रीकल, प्लंबिंग, आदि);

(vi) तत्काल दवा तैयार करने संबंधी अनुभाग सहित गिज्ञा मखसूसा (विशिष्ट आहार) के लिए अस्पताल की रसोई में रसोईया;

(vii) सहायक कर्मचारी (माली, ड्राइवर, सुरक्षा कर्मी, आदि);

(viii) छोटे कर्मचारी, गुप डी, हाउसकीपिंग, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, अटेंडेंट आदि।

(ज) आवश्यकताओं की आयोजना, भर्ती पद्धति और मानदंड, प्रेरण, प्रशिक्षण और विकास सहित मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के सुचारू कामकाज के लिए मानव संसाधन और विकास प्रकोष्ठ को अनुसूची-VI में यथा निर्दिष्ट कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे;

(ट) मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए तकनीकी सहायता संस्था के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ से प्राप्त की जाएगी;

(ठ) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ क्षमता निर्माण अभिविन्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाकर संस्थान के 360-डिग्री दृष्टिकोण और समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है।

(9) अनुसंधान एवं नवाचार प्रकोष्ठ- (क) पर्याप्त फर्नीचर और दस्तावेज़ भंडारण सुविधा के साथ अनुसूची-II में यथा उल्लिखित न्यूनतम तीस वर्ग मीटर का एक कक्ष प्रदान किया जाएगा;

(ख) यह प्रकोष्ठ नवाचार, इन्क्यूबेशन, अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है;

(ग) महाविद्यालय समन्वयक और सदस्यों [अनुसंधान, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए समन्वयक, तीन संकाय सदस्य, प्रत्येक व्यावसायिक से एक और प्रत्येक बैच से दो विद्यार्थी (एक छात्र और एक छात्रा)] को मिलाकर संस्था की अनुसंधान और नवाचार समिति का गठन करेगा। संस्था प्रमुख समिति के अध्यक्ष होंगे;

(घ) अनुसंधान और नवाचार प्रकोष्ठ के समन्वयक [दूरदर्शी और रचनात्मक गतिविधि के लिए प्रसिद्ध वरिष्ठ संकाय सदस्य], संस्था की अनुसंधान और नवाचार समिति के समन्वयक होंगे;

(ङ) संस्था की अनुसंधान और नवाचार समिति महाविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों से नवीन विचारों की पहचान करेगी या आमंत्रित करेगी और विचारों को आगे बढ़ाने या पोषित करने और उन्हें उपयोगी उत्पादों या परिणामों में परिणत करने हेतु सुविधा प्रदान करेगी;

(च) शिक्षण, प्रशिक्षण, निदान, थेरेपी संबंधी उपकरण, सर्जिकल उपकरण, खुराक का रूप, प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, ऐप्स, मूल्यांकन स्केल इत्यादि में नवाचार में हो सकते हैं;

(छ) अनुसंधान और नवाचार प्रकोष्ठ के समन्वयक को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित या आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। यदि नहीं हैं तो उसे समन्वयक के रूप में नियुक्ति के छह माह की अवधि के भीतर यह प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा;

(ज) अनुसंधान, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए समन्वयक: अनुसंधान, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के पहलुओं से परिचित या जिन्होंने इन पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हों, महाविद्यालय के ऐसे किसी संकाय सदस्य को समन्वयक के रूप में नामित किया जाएगा;

(झ) प्रत्येक संस्थान नवाचार, इन्क्यूबेशन, अनुसंधान, प्रकाशन, बौद्धिक संपदा अधिकार, अनुसंधान अनुदान के संवितरण, अनुसंधान प्रोत्साहन, प्रकाशन प्रोत्साहन आदि से संबंधित गतिविधियों में सहायता करने के लिए संस्थागत नीति विकसित करेगा;

(ञ) नीति सभी हितधारकों के लिए अनुकूल होनी चाहिए और इस हेतु कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र विकसित होना चाहिए।

(10) सह-शैक्षणिक या पाठ्येतर गतिविधियाँ - सह-शैक्षणिक या पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन के लिए संस्थान द्वारा पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं,-

(क) शारीरिक शिक्षा सुविधा;

(ख) मनोरंजन सुविधा;

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई;

(घ) महाविद्यालय में विभिन्न विद्यार्थी क्लब हो सकते हैं जैसे विज्ञान क्लब, पर्यावरण क्लब, ललित कला क्लब, खेल क्लब, साहित्यिक क्लब, भाषा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, एडवेंचर्स क्लब, पशु प्रेमी क्लब, आदि;

(ङ) सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम;

(च) चिकित्सा शिविर या गांव गोद लेना या स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम;

(छ) क्षेत्र का दौरा या सर्वेक्षण;

(ज) सेमिनार, कार्यशाला, विचार-मंथन, संगोष्ठी आदि का आयोजन करना।

(11) विद्यार्थियों के लिए कॉमन रूम - दो कॉमन रूम (छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग), जिसमें अनुसूची-II में यथा उल्लिखित, साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम कुल क्षेत्रफल क्रमशः एक सौ वर्ग मीटर, दो सौ वर्ग मीटर, तीन सौ वर्ग मीटर और चार सौ वर्ग मीटर होना चाहिए और इसमें स्वीकृत प्रवेश क्षमता के न्यूनतम बीस प्रतिशत विद्यार्थियों को समायोजित करने और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और संलग्न शौचालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(12) कर्मचारी सुविधा- (क) शिक्षण स्टाफ के लिए दो कॉमन रूम (पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग) जिसमें अनुसूची-II में यथा उल्लिखित, साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम कुल क्षेत्रफल क्रमशः पचास वर्ग मीटर, साठ वर्ग मीटर, सत्तर वर्ग मीटर और अस्सी वर्ग मीटर होना चाहिए और पर्याप्त फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, संलग्न शौचालय, पीने का पानी और जलपान की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए;

(ख) प्रत्येक मंजिल पर शिक्षण कर्मचारियों (पुरुष और महिला) गैर-शिक्षण कर्मचारियों (पुरुष और महिला) के लिए अलग-अलग समुचित एवं सुगम पहुँच वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए;

(ग) महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनरेटर (भस्मक) उपलब्ध कराया जाएगा।

(13) विद्यार्थी सुविधाएं- (क) परिवहन, बैंक या स्वचालित टेलर मशीन, खेल का मैदान (इनडोर और आउटडोर खेल), स्टेशनरी दुकान, कैफेटेरिया आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए;

(ख) प्रत्येक मंजिल पर पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग समुचित एवं सुगम पहुँच वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए;

(ग) महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनरेटर (भस्मक) उपलब्ध कराया जाएगा।

(14) छात्रावास- (क) परिसर में छात्रों एवं छात्राओं और प्रशिक्षु-छात्रों एवं प्रशिक्षु-छात्राओं के लिए पर्याप्त आवास, फर्नीचर, वाचनालय, मनोरंजन सुविधा, संलग्न स्नानघर और शौचालय की सुविधा और सुरक्षा वाले अलग-अलग छात्रावास होंगे;

(ख) उप-विनियम (15) में उल्लिखित महाविद्यालय कैंटीन के अलावा, यथा आवश्यक, छात्रावास अलग मेस भी बनाए रख सकता है;

(ग) प्रशिक्षुओं को सौंपे गए नैदानिक कर्तव्यों को सुविधाजनक ढंग से पूरा करने के लिए, अधिमानतः अस्पताल के पास, अलग छात्रावास प्रदान किया जाएगा;

(घ) इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित महाविद्यालय, परिसर में या परिसर के बाहर या आउटसोर्स भवन में छात्रावास जारी रख सकते हैं।

(15) जलपान गृह- (क) साठ और सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए लगभग एक सौ व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था और एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था के साथ जलपान गृह की सुविधा उपलब्ध होगी और जलपान गृह के लिए आवश्यक स्थान, अनुसूची- II में यथा निर्दिष्ट, अर्थात् साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए सौ वर्ग मीटर, सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ वर्ग मीटर और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ पचास वर्ग मीटर होगा;

(ख) यदि महाविद्यालय और अस्पताल एक ही परिसर में हों तो दोनों हेतु कॉमन जलपान गृह होगा अथवा अस्पताल के अलग परिसर में होने की स्थिति में अस्पताल परिसर में अलग जलपान गृह उपलब्ध कराया जाएगा;



(ग) जलपान गृह में अस्पताल के परामर्शदाताओं सहित शिक्षण कर्मचारियों के लिए अलग अनुभाग होगा।

(16) हर्बल गार्डन- (क) महाविद्यालय में इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) विभाग के तहत अनुसूची-III में यथा उल्लिखित प्रदर्शन कक्ष सहित साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम दो हजार पांच सौ वर्ग मीटर और सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की क्षमता के लिए चार हजार वर्ग मीटर में औषधीय पौधों का सुविकसित बगीचा होना चाहिए और इसमें सामान्य और दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों सहित औषधीय पौधों की न्यूनतम दो सौ प्रजातियां होंगी;

(ख) बगीचे में औषधीय पौधों के स्थानीय नाम, देशी भाषा में नाम, वनस्पति नाम, परिवार का नाम, पहचान बिंदु, औषधीय गुण आदि सहित औषधीय पौधों का विवरण प्रदान करने वाले त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्यूआरकोड) लगे होने चाहिए।

(17) क्लोज-सर्किट टेलीविजन- (क) क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरे बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली संस्थापित क्षेत्र, कक्षाओं, पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं, नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला, गलियारों, परीक्षा हॉल, महाविद्यालय और अस्पताल के प्रवेश और निकास द्वारों पर, स्वागत और पंजीकरण क्षेत्र, बाह्य रोगी क्षेत्र और अस्पताल की फार्मसी पर संस्थापित किए जाएंगे। संस्थान की आवश्यकता के अनुसार इन्हें अन्य क्षेत्रों में भी संस्थापित किया जा सकता है;

(ख) कैमरे उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले होंगे और दिन एवं रात के समय में रिकॉर्डिंग करने में सक्षम होंगे;

(ग) डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर में न्यूनतम तीन महीने तक डेटा संग्रहीत करने की क्षमता होगी।

(18) महाविद्यालय परिषद- (क) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में महाविद्यालय परिषद होगी जिसमें विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक सदस्य के रूप में होंगे और संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) इसके अध्यक्ष होंगे;

(ख) महाविद्यालय परिषद पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यान्वयन रणनीति तैयार करने, अनुशासन लागू करने और अन्य शैक्षणिक मामलों के संबंध में एक वर्ष में चार बार बैठक करेगी और उसका रिकॉर्ड रखेगी;

(ग) महाविद्यालय परिषद संस्थान में नियमित अंतरविभागीय बैठकें जैसे ग्रैंड राउंड, सांख्यिकीय समीक्षा बैठकें, नैदानिक बैठकें और आवधिक अनुसंधान समीक्षा आयोजित करेगी;

(घ) महाविद्यालय परिषद संस्थान की शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और सह-शैक्षणिक अथवा पाठ्येतर गतिविधियों, रणनीतिक आयोजना एवं कार्यान्वयनों, विद्यार्थियों के प्रदर्शन और सुधारों की योजना बनाएगी, उनकी समीक्षा करेगी और उनका उन्नयन करेगी;

(ङ) महाविद्यालय परिषद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की वार्षिक (जनवरी से दिसंबर) शैक्षणिक कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थान का अकादमिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगी और संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट ढंग से और निर्धारित प्रारूप में अकादमिक प्रतिवेदन को निर्धारित समय सीमा के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करेगा;

(च) महाविद्यालय परिषद कक्ष के लिए अनुसूची-II में यथानिर्दिष्ट आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए पचास वर्ग मीटर, सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए सौ वर्ग मीटर और एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पचास वर्ग मीटर से कम नहीं होगा;

(छ) अकादमिक समिति- (i) महाविद्यालय परिषद एक शैक्षणिक समिति का गठन करेगी जिसमें एक उपाध्यक्ष, उप निदेशक, उप-डीन (यदि कोई हो), या अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ संकाय सदस्य और सदस्य के रूप में प्रत्येक विभाग से एक संकाय सदस्य शामिल होंगे;

(ii) शिक्षण कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी अकादमिक समिति की जिम्मेदारी होगी;

(iii) शिक्षण कार्यक्रम प्रकृति में एकीकृत होगा और इसकी घोषणा एक माह पहले कर दी जाएगी;

(iv) शिक्षण कार्यक्रम को संस्था की वेबसाइट के साथ-साथ अधिगम प्रबंधन प्रणाली (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर भी रखा जाएगा।

(19) विद्यार्थी परिषद- (क) विद्यार्थी परिषद के पास अनुसूची-II में दर्शाए अनुसार न्यूनतम बीस वर्ग मीटर का एक कक्ष होगा जिसमें पर्याप्त बैठने की क्षमता होगी, फाइलों के रखरखाव हेतु भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;

(ख) विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय या संस्थान के विद्यार्थी समुदाय का प्रतिनिधि निकाय है और यह महत्वाकांक्षी, मेहनती और समर्पित विद्यार्थियों का एक समूह है, जो नेतृत्व में विद्यार्थी अनुभवों को अवसर प्रदान करेगा और विद्यार्थी या संकाय या सामुदायिक संबंधों को प्रोत्साहित करेगा, विभिन्न कार्यक्रम या संस्था के उत्सव या गतिविधियों का आयोजन करेगा, महाविद्यालय के मामलों में अभिव्यक्ति के साधन और सहायता प्रदान करने के लिए संकाय परामर्शदाता के साथ मिलकर कार्य करेगा;

(ग) विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के कल्याण, अनुशासन, छात्रावास प्रबंधन, कला और खेल, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सामाजिक गतिविधियों, पुस्तकालय के कामकाज, सह-शैक्षणिक या पाठ्येतर गतिविधियों इत्यादि के संबंध में संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल)को सुझाव देती है;

(घ) विद्यार्थी परिषद 'विद्यार्थी कल्याण अधिकारी' (संस्था द्वारा नामित संकाय सदस्य) के माध्यम से विद्यार्थियों से संबंधित मामलों के संबंध में संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल)को अपने विचार, टिप्पणियां और सिफारिशें संप्रेषित करेगी;

(ङ) महाविद्यालय चयन प्रक्रिया द्वारा या संबद्ध विश्वविद्यालय के निर्दिष्टानुसार विद्यार्थी परिषद का गठन करेगा;

(च) संस्थान को विद्यार्थी परिषद के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के लिए नीति विकसित करनी होगी;

(छ) यदि इस संबंध में विश्वविद्यालय के कोई दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो विद्यार्थी परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी:

(i) अध्यक्ष;

(ii) सचिव;

(iii) सदस्य (सभी बैचों के कक्षा प्रतिनिधि, साहित्यिक क्लब सचिव, ललित कला क्लब सचिव, खेल क्लब सचिव, विज्ञान क्लब सचिव, किसी अन्य क्लब के सचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रतिनिधि और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सदस्य)।

(20) कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार सहित विद्यार्थी सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ - (क) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार सहित विद्यार्थी सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ होगा, जिसका उद्देश्य अकादमिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांवेगिक, वैयक्तिक, कैरियर विकास और रोजगार में विद्यार्थियों को सहायता, मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करना है; इसके पास अनुसूची-II में दर्शाए अनुसार न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए;

(ख) विद्यार्थियों के नए बैच को आत्मविश्वासी व्यावसायिक बनने और अपने स्नातक कार्यक्रम के आरंभिक चरण में आने वाली अकादमिक अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष देखभाल प्रदान की जाएगी;

(ग) कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार सहित विद्यार्थी सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए विभिन्न अवसरों की पहचान करेगा और तदनुसार विद्यार्थियों को सलाह देगा;

(घ) यह प्रकोष्ठ विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और साक्षात्कार का सामना करने के लिए प्रवृत्त करेगा;

(ङ) संबद्ध विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार सहित विद्यार्थी सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ का गठन करेगा;

(च) यदि ऐसे दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो निम्नानुसार इसका गठन किया जाएगा;

(i) संयोजक: वरिष्ठ संकाय सदस्य;

(ii) सदस्य;

(क) तीन संकाय सदस्य (प्रत्येक व्यवसायिकसे एक संकाय सदस्य, जिसमें कम से कम एक महिला हों);

(ख) प्रत्येक बैच से दो विद्यार्थी प्रतिनिधि (1 छात्र और 1 छात्रा);

(ग) अभिभावक-शिक्षक संघ के दो प्रतिनिधि;

(छ) संस्थान के पास कैरियर मार्गदर्शन एवं रोजगार सहित विद्यार्थी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ और इसकी कार्यात्मकता के गठन की नीति होगी।

(21) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ- (क) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा और शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा;

(ख) समुचित लेबल लगी हुई शिकायत या सुझाव पेटियां होगी जिस पर इसे खोलने की आगामी तिथि अंकित होगी और संस्थान में समुचित स्थान पर रखी जाएगी;

(ग) शिकायत या सुझाव पेटियां समय-समय पर शिकायत निवारण कक्ष समिति द्वारा खोली जाएंगी। शिकायतों या सुझावों, की गई कार्रवाई रिपोर्ट और परिणामों का रिकॉर्ड रखा जाएगा;

(घ) संस्था के पास शिकायत निवारण समिति के गठन और उसकी कार्यप्रणाली की नीति होगी;

(ङ) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की बैठकों के लिए एक सामान्य सुविधा के रूप में कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार सहित विद्यार्थी सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ का उपयोग कर सकता है और संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को अलग से रखने के लिए अलग अलमारी रख सकता है।

(22) फार्माकोविजिलेंस प्रकोष्ठ- (क) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में अनुसूची-II में यथा उल्लिखित न्यूनतम बीस वर्ग मीटर क्षेत्र वाला स्थापित फार्माकोविजिलेंस प्रकोष्ठ होगा। यह प्रकोष्ठ क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या केंद्रीय फार्माकोविजिलेंस प्रकोष्ठ के सहयोग से कार्य करेगा;

(ख) फार्माकोविजिलेंस सेल की संरचना निम्नानुसार होगी:

(i) समन्वयक के रूप में इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) या इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) या तिब्बुल कानून वा इल्मुल समूम (फोरेसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) से एक वरिष्ठ संकाय सदस्य;

(ii) सदस्य के रूप में मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अखान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा), अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत के प्रत्येक विभाग से एक संकाय सदस्य (त्वचा विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), क़बालत वा निस्वान (प्रसूति और स्त्री रोग), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) प्रत्येक विभाग से एक संकाय सदस्य;

(ग) समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार होगी, यह प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं और अन्य संबंधित मुद्दों की पहचान करेगी और उनका विश्लेषण करेगी और प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या केंद्रीय फार्माकोविजिलेंस को रिपोर्ट करेगी।

(23) यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति- (क) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी परिसर वातावरण के निर्माण के लिए "यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति" होगी;

(ख) समिति परिसर में विद्यार्थियों, संकायों, कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों एवं आगंतुकों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार और यौन हमलों से संबंधित शिकायतों या फ़रियादों से निपटेगी और यौन उत्पीड़न के संबंध में जागरूकता पैदा करेगी;

(ग) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतों को प्राप्त करने और संभालने में गोपनीय प्रक्रिया का पालन किया जाए;

(घ) प्रत्येक संस्था की समिति के गठन और उसके कार्य में अपनी संस्थागत नीति होगी;

(ङ) यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति की बैठकों के लिए एक सामान्य सुविधा के रूप में कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार सहित विद्यार्थी सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ का उपयोग कर सकती है और संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को अलग रखने के लिए अलग अलमारी रख सकती है।

(24) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ- (क) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में संस्थान की गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी गतिविधियों की आयोजना, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ होगा;

(ख) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

- (i) संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल)- अध्यक्ष;
- (ii) चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक - सदस्य;
- (iii) तीन वरिष्ठ संकाय सदस्य (प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम से एक) - सदस्य;
- (iv) वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी (एक महाविद्यालय से और एक अस्पताल से) - सदस्य;
- (v) गुणवत्ता प्रबंधन में एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य;
- (vi) एक वरिष्ठ संकाय सदस्य- सदस्य सचिव;

(ग) उप-खंड (iii) और (vi) में उल्लिखित सदस्यों और सदस्य सचिव को संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) द्वारा नामित किया जाएगा;

(घ) मनोनीत सदस्यों की सदस्यता गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी;

(ङ) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी;

(च) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के मुख्य कार्य हैं:-

- (i) संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक, नैदानिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास और अनुप्रयोग;
- (ii) शिक्षार्थी-केंद्रित वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना;
- (iii) गुणवत्ता संबंधी संस्थागत प्रक्रिया पर 360 डिग्री प्रतिपुष्टि की व्यवस्था;
- (iv) गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में हितधारकों को संवेदनशील बनाना;
- (v) विभिन्न गुणवत्ता इनपुट कार्यक्रमों का संगठन;
- (vi) गुणवत्ता में सुधार लाने वाली महाविद्यालय की सभी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण;
- (vii) गुणवत्ता संबंधी गतिविधियों का समन्वय करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना; और
- (viii) डाटा-बेस का विकास।

(छ) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ महाविद्यालय या संस्थान में गुणवत्ता परिवर्तन के लिए एक गतिशील प्रणाली होगी।

(25) मानव संसाधन (महाविद्यालय के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम अनिवार्यता): (क) अनुसूची-V में यथा निर्दिष्ट साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों तक की विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए नियमित आधार पर कम से कम बत्तीस, सैंतालीस, सत्तर और बानवे पूर्णकालिक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, साथ ही अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी के शिक्षण के लिए एक अंशकालिक बायोस्टैटिस्टिशियन, पूर्णकालिक योग प्रशिक्षक (साठ, एक सौ और एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए एक योग प्रशिक्षक और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दो योग प्रशिक्षक अर्थात् एक पुरुष और एक महिला), और एक पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक या निर्देशक नियुक्त किया जाएगा;

(ख) बायोस्टैटिस्टिशियन भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता प्राप्त होगा और तहफफुज़ी व समाजी तिब विभाग में कार्य करेगा;

(ग) शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक न्यूनतम शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए;

(घ) योग प्रशिक्षक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता प्राप्त होना चाहिए;

(ङ) योग प्रशिक्षक तहफफुज़ी व समाजी तिब विभाग में कार्य करेगा और महाविद्यालय एवं अस्पताल दोनों में कार्य करेगा;

(च) प्रत्येक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान के संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) को आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित शैक्षिक प्रशासन संबंधी ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल होना होगा। संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) का पद धारण करने के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसा न करने पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्था प्रमुख पद के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा;

(छ) महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों या अनुभाग या विभागों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों (तकनीकी और अन्य कर्मचारियों) की न्यूनतम संख्या और उनकी शैक्षणिक योग्यता अनुसूची-VI में दिए गए विवरण के अनुसार होगी;

(ज) साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ तक की विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए नियमित आधार पर न्यूनतम चालीस, इकतालीस, चौसठ और अड़सठ गैर-शिक्षण कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।

(26) अध्यापन के दिन - (क) शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति का मूल्यांकन शिक्षण दिवसों के संदर्भ में किया जाएगा;

(ख) अध्यापन के दिनों की गणना प्रत्येक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत रूप से और संस्थान के सभी शिक्षकों के लिए संचयी रूप से की जाएगी;

(ग) अध्यापन के दिनों की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

(i) 'गणना की अवधि' दौरे या मूल्यांकन के महीने से पहले के बारह महीनों के रूप में मानी जाएगी;

(ii) किसी भी शिक्षक के कार्य दिवसों को केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध उपस्थिति (बायोमेट्रिक या आधार सक्षम बायोमेट्रिक या आईरिस पहचान या चेहरे की पहचान या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके) के आधार पर माना जाएगा;

(iii) किसी संस्थान के कार्य दिवसों को उस मूल्यांकन विशेष अवधि में दिनों की कुल संख्या में से आधिकारिक छुट्टियों को घटाकर प्राप्त दिनों को माना जाएगा;

(iv) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छुट्टियां और जिला कलेक्टर द्वारा घोषित छुट्टियां ही छुट्टियां मानी जाएंगी;

(v) महाविद्यालय को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से छुट्टी की घोषणा के दस दिनों के भीतर किसी भी स्थानीय आधिकारिक छुट्टियों आदि को उचित दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा;

(vi) दस दिनों के बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा;

(vii) संस्थान के व्यक्तिगत अध्यापन के दिनों के साथ-साथ संचयी शिक्षक दिनों की गणना के लिए केवल केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध डेटा को ही माना जाएगा;

(viii) "व्यक्तिगत अध्यापन के दिनों की गणना" गणना की अवधि के दौरान किसी भी शिक्षक द्वारा पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में महाविद्यालय में झूठी पर उपस्थिति वाले दिनों की संख्या और गणना की अवधि के दौरान उस शिक्षक के संस्थान से संबद्ध कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर "व्यक्तिगत अध्यापन के दिनों" की गणना की जाएगी;

(ix) व्यक्तिगत अध्यापन के दिनों की गणना नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार की जाएगी:

पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में महाविद्यालय में उपस्थिति वाले दिवसों की संख्या	X 100
शिक्षक के संस्था से संबद्ध रहने वाली अवधि में कार्य दिवसों की संख्या	

(x) प्रत्येक शिक्षक को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट कार्य दिवसों की संख्या का न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति रखनी होगी और शेष पच्चीस प्रतिशत हेतु मातृत्व अवकाश और लंबी बीमारी के लिए चिकित्सा अवकाश को छोड़कर शिक्षण से निरंतर अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(xi) यदि आवश्यक हो, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग लंबे समय तक चिकित्सा अवकाश की जांच और सत्यापन करने के लिए "चिकित्सा बोर्ड" का गठन कर सकता है;

(xii) संस्था के संचयी अध्यापन के दिनों की गणना नीचे उल्लिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी;

मूल्यांकन अवधि के दौरान सभी शिक्षकों द्वारा उपस्थित कुल कार्य दिवसों की संख्या*	X 100
मूल्यांकन अवधि के दौरान संस्था के सभी शिक्षकों के कार्य दिवसों की कुल संख्या#	

स्पष्टीकरण:

\*मूल्यांकन अवधि के दौरान सभी शिक्षकों द्वारा उपस्थित कुल कार्य दिवसों की गणना सभी शिक्षकों की व्यक्तिगत उपस्थिति को जोड़कर की जाएगी;

#मूल्यांकन अवधि के दौरान संस्थान के सभी शिक्षकों के कार्य दिवसों की कुल संख्या की गणना उस मूल्यांकन अवधि में कार्य दिवसों की संख्या को विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के आधार पर निर्दिष्ट शिक्षकों की न्यूनतम संख्या से गुणा करके की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि मूल्यांकन की पूरी अवधि के लिए महाविद्यालय में तीस शिक्षक उपस्थित थे और बारह महीने की मूल्यांकन अवधि के लिए कार्य दिवस तीन सौ दिन थे, तो कुल कार्य दिवस होंगे:  $30 \times 300 = 9000$ ;

**(27) शिक्षण स्टाफ को कार्यमुक्त करना एवं प्रतिस्थापन करना-** (क) शिक्षण स्टाफ को त्याग पत्र दिए जाने पर नियुक्ति आदेश में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार या अधिकतम तीस दिनों की नोटिस अवधि के भीतर, जो भी कम हो, विलंबित कानूनी मुद्दों वाले शिक्षकों के मामले को छोड़कर, कार्यमुक्त किया जाएगा;

(ख) कर्मचारियों को निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक रोकने और कार्यमुक्ति आदेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने वाले यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों या संस्थानों को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दंडित किया जाएगा;

(ग) यदि किसी शिक्षक को सरकारी नियुक्ति मिलती है, तो उसे उसके अनुरोध के अनुसार कार्यमुक्त कर दिया जाएगा;

(घ) संस्थान से कार्यमुक्त किए गए शिक्षण कर्मचारियों के मामले में, संस्थान शिक्षक को कार्यमुक्त करने की तिथि से तीन माह के भीतर रिक्त पद को किसी योग्य शिक्षक से भरेगी। नियुक्ति में देरी की स्थिति में, महाविद्यालय को प्रति माह न्यूनतम वेतन का तीन गुना या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रत्येक माह की विलंबित अवधि के लिए निर्दिष्टानुसार दंडित किया जाएगा।

(ङ) विलंबित अवधि तीन माह से अधिक की नहीं होगी;

(च) तीन माह से अधिक विलंब को गैर-नियुक्ति माना जाएगा;

(छ) शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के लिए तीन माह के समय का प्रावधान किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों के मामलों में लागू नहीं होगा;

(ज) अनुमति पत्र जारी होने से पहले की अवधि के लिए परामर्शदाताओं और शिक्षण स्टाफ का अनुभव:

(i) शिक्षण संकाय के अनुभव की गणना: (क) यदि किसी शिक्षक ने आशय पत्र प्राप्त करने के बाद ज्वाँइन किया है तो उसका शिक्षण अनुभव ज्वाँइनिंग की तिथि से गिना जाएगा;

(ख) यदि किसी शिक्षक ने आशय पत्र प्राप्त करने से पहले ज्वाँइन किया है तो उसका शिक्षण अनुभव आशय पत्र जारी होने की तिथि से गिना जाएगा;

(ii) परामर्शदाताओं के अनुभव की गणना: (क) आशय पत्र प्राप्त करने से पहले की अवधि के लिए, शिक्षण अनुभव वास्तविक कार्य की अवधि, अधिकतम दो वर्ष तक, के लिए गिना जाएगा;

(ख) यदि आशय पत्र प्राप्त करने के बाद ज्वाँइन किया है तो अनुभव की गणना नियुक्ति की तिथि से की जाएगी;

(झ) जुर्माना आदि - शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में किसी भी कदाचार में शामिल महाविद्यालयों को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों के अनुसार दंडित किया जाएगा या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

**(28) शैक्षणिक स्टाफ की प्रतिनियुक्ति -** (क) महाविद्यालय या संस्थान कर्मचारियों को निम्नलिखित स्थितियों में आधिकारिक ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त करेगा, नामतः:

- (i) आयोग या उसके स्वायत्त बोर्डों द्वारा आधिकारिक असाइनमेंट के मामलों में;
- (ii) ऐसी स्थिति में जब आयोग किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम या क्षमता निर्माण कार्यक्रम या ऐसे किसी अन्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हों और यदि ऐसे कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को सौंपने का संकेत दिया गया है;
- (ख) ऐसे मामलों में, आयोग के आधिकारिक संचार में निर्दिष्ट झूटी दिनों, यात्रा के दिनों सहित, के लिए ऑन-झूटी छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।

**14. सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक.-** (1) सामान्यतः शिक्षण अस्पताल - (क) यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान से सम्बद्ध एक पूर्ण कार्यात्मक शिक्षण अस्पताल, इन विनियमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करते हुए, चिकित्सा छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और परामर्श, निदान (नैदानिक और जांच), उपचार (चिकित्सा, प्रक्रियात्मक और शल्य चिकित्सा), निवारक स्वास्थ्य देखभाल, दवा वितरण, चिकित्सा सलाह, परामर्श, नर्सिंग देखभाल, आपातकालीन उपचार, सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियां, उचित दस्तावेज सहित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा और अस्पताल पद्धतियों को प्रबंधित करेगा। सभी संबंधित व्यय, अस्पताल के आधिकारिक बैंक खाते में परिलक्षित होंगे और अस्पताल अपनी जनशक्ति और बुनियादी ढांचे के साथ किसी भी समय किसी भी प्रकार के रोगी का इलाज या देखभाल करने के लिए तैयार रहेगा;

(ख) शिक्षण अस्पताल अस्पताल स्थापित करने और संचालित करने के लिए संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण की सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति/अनुमतियों या मंजूरी की अद्यतन प्रतियां भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करेगा;

(ग) संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसी अनुमति (यों) या मंजूरी (यों) की उपलब्धता की पुष्टि करने के बाद ऐसे आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करेंगे;

(घ) सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल रोगियों के लिए आसानी से सुलभ होगा और एम्बुलेंस सहित वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए प्रावधान होगा;

(ङ) अस्पताल की सभी प्रवेशों और निकासों को स्पष्ट रूप से सीमांकित और समुचित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा;

(च) उचित और पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं होंगी;

(छ) सभी प्रवेश द्वार और निकास सहित पूरा अस्पताल, गैर-एम्बुलेंट (व्हीलचेयर, स्ट्रेचर), अर्ध-एम्बुलेंट, दृष्टिबाधित और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सुगम आवागमन के लिए पर्याप्त चौड़ा और बाधा मुक्त होगा;

(ज) अस्पताल के सभी गलियारों में कम से कम आठ फीट की चौड़ाई होनी चाहिए ताकि स्ट्रेचर की सुगम आवाजाही और मोड़ सुनिश्चित हो सके;

(झ) सीढ़ियों, एस्केलेटर या लिफ्टों की उपलब्धता के निरपेक्ष, सभी तलों (फ्लोर) को जोड़ने वाला एक रैंप अनिवार्य है।

(ञ) स्ट्रेचर के मुक्त आवागमन की सुविधा के लिए रैंप भी उचित घुमावदार मोड़ बिंदुओं के साथ कम से कम आठ फीट चौड़ा होना चाहिए;

(ट) अलग-अलग विकलांग-अनुकूल शौचालय; पुरुषों और महिलाओं के लिए;

(ठ) आपात स्थिति में रोगियों को बचाने के लिए शौचालयों और स्नानघरों के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने योग्य होने चाहिए;

(ड) आपातकालीन उद्घोषणाओं और अलर्ट के लिए पूरे अस्पताल से जुड़ी एक केंद्रीकृत उद्घोषणा प्रणाली होगी;

(ढ) पूरे अस्पताल को टेलीफोन से जुड़ा होगा और प्रत्येक इकाई में एक इंटरकॉम सुविधा होगी;

(ण) पूरे अस्पताल में समुचित अग्नि-रोधी एवं अग्नि-शमन प्रणाली होगी;

(त) आपदा रोकथाम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के उपाय भी होने चाहिए;

(थ) पेयजल (गर्म और ठंडा) सुविधाएं; पुरुष और महिला के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय (रोगियों, अस्पताल के कर्मचारियों, चिकित्सा छात्रों, इंटरन, डॉक्टरों और सलाहकारों के लिए अलग-अलग) अस्पताल में उचित स्थानों पर उपलब्ध कराए जाएंगे;

(द) पूरे अस्पताल में कम से कम दो भाषाओं में स्पष्ट साइनेज होना चाहिए, जिसमें एक स्थानीय भाषा शामिल है, के साथ उपयुक्त चित्रात्मक प्रदर्शन होना चाहिए;

(ध) आवश्यक घंटों के लिए उपयुक्त स्थानों पर प्रशिक्षित सुरक्षा तैनात की जानी चाहिए। रोगी के अधिकारों, जिम्मेदारियों और झूठी पर चिकित्सा पेशेवरों पर हमला करने के कानूनी पहलुओं के बारे में विवरण प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित किया जाएगा;

(न) प्रशासनिक उद्देश्य के लिए अस्पताल को सात क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और उनके न्यूनतम आवश्यक मानक निम्नानुसार हैं:

(i)स्वागत और पंजीकरण क्षेत्र;

(ii)बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र;

(iii)नैदानिक क्षेत्र;

(iv)अन्तः-रोगी विभाग क्षेत्र;

(v)प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र;

(vi)प्रशासनिक क्षेत्र; और

(vii)सेवा क्षेत्र।

(2) स्वागत एवं पंजीकरण क्षेत्र.- (क) अनुसूची- I के अनुसार, रिसेप्शन और पंजीकरण के लिए रिसेप्शन और पंजीकरण क्षेत्र में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र, यथा-, साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ वर्ग मीटर, सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ वर्ग मीटर और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ पचास वर्ग मीटर होगा;

(ख) रिसेप्शन और पूछताछ काउंटर: (i) रिसेप्शन और पूछताछ काउंटर अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख स्थान पर उपलब्ध होगा;

(ii) रिसेप्शनिस्ट को अधिमानतः बहुभाषी होना चाहिए और वह अस्पताल की सभी सेवाओं, विभाग या विशेषज्ञ-वार परामर्श और उनके बाह्य-रोगी विभागों के दिन, अस्पताल सेवाओं की उपलब्धता के दिन और समय आदि से सुपरिचित होना चाहिए;

(iii) काउंटर पर अस्पताल सेवाओं पर अद्यतन जानकारी वाला एक कंप्यूटर सिस्टम और कॉल अंतरण सुविधा के साथ एक टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए;

(iv) यह काउंटर जनसंपर्क अधिकारी, यदि कोई हो, के लिए स्थान प्रदान करता है; और

(v) इस क्षेत्र में एक सुझाव बॉक्स, शिकायत बॉक्स या फीडबैक बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) पंजीकरण और बिलिंग काउंटर: (i) नए रोगियों या ग्राहकों के लिए केंद्रीय बाह्य रोगी विभाग पंजीकरण, पुराने रोगियों या ग्राहकों के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण, केंद्रीय अन्तः-रोगी विभाग पंजीकरण और प्रवेश और बिलिंग और भुगतान के लिए प्रतीक्षा क्षेत्रों के साथ पर्याप्त संख्या में पंजीकरण काउंटर होंगे;

(ii) एक कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली होगी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा वास्तविक समय-डेटा की निगरानी हेतु सुविधा प्रदान करेगी;

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग किसी भी अस्पताल प्रबंधन प्रणाली या अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली की सिफारिश करता है, अतः अनुशंसित सॉफ्टवेयर में बदलाव करना अनिवार्य है;

(iv) अस्पताल प्रबंधन प्रणाली या आयुष-अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित राष्ट्रीय आयुष रणनीति और मानकीकृत शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।



(घ) मेडिकल रिकॉर्ड रूम और रिकॉर्ड का रखरखाव: (i) बाह्य रोगी विभाग और अन्तः-रोगी विभाग के रोगियों से संबंधित सभी चिकित्सा रिकॉर्ड अस्पताल द्वारा चिकित्सा कक्ष में प्रबंधित किए जाएंगे;

(ii) अस्पताल जो पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं, वे सभी चिकित्सा रिकॉर्ड को भौतिक रूप में प्रबंधित करेंगे, और चिकित्सा रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एक मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन होगा;

(iii) पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत अस्पतालों में, भौतिक रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता नहीं है;

(iv) अस्पताल बाह्य रोगी विभाग के रोगियों, अन्तः-रोगी विभाग के रोगियों, प्रयोगशाला, रेडियोलॉजिकल या सोनोग्राफिक जांच रिपोर्ट, दवा वितरण रजिस्टर, अन्तः-रोगी विभाग के रोगियों के लिए आहार रजिस्टर, इलाज बित तदावीर थेरेपी खण्ड रजिस्टर, लेबर रूम रजिस्टर, ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर, फार्मैसी स्टॉक रजिस्टर, मेडिसिन इंडेंट रजिस्टर, अस्पताल के कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर व जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सम्बंधित विभागवार केस रिकॉर्ड बनाए रखेगा ताकि विनियमन 14 के उप-विनियमन (3) विनियमन खंड (ज), और विनियमन 14 के उप-विनियमन (5) के खंड (थ), में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करने वाले वास्तविक कार्यात्मक यूनानी अस्पताल के दावे की पुष्टि की जा सके;

(v) तहफफुज़ी व समाजी तिब विभाग, महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण से अस्पताल के आंकड़ों का उपयोग और विश्लेषण कर सकता है।

(ङ) प्रवेश लांबी और परिसंचरण क्षेत्र: (i) चिकित्सा, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों, रोगियों, छात्रों, इंटर्न, आगंतुकों आदि के मुक्त आवागमन के लिए एक पर्याप्त परिसंचरण क्षेत्र;

(ii) प्रवेश लांबी में, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर रखने का प्रावधान प्रदान किया जाएगा।

(3) बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र.- (क) बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र में अनुसूची-1 के अनुसार-यथा, साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए चार सौ चालीस वर्ग मीटर, एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए छह सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए आठ सौ साठ वर्ग मीटर, और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक हजार सत्तर वर्ग मीटर न्यूनतम विनिर्मित क्षेत्र होगा;

(ख) बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र में स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग, विभागवार बाह्य रोगी विभाग और उनसे संबद्ध इकाइयां, विशेष बाह्य रोगी विभाग, एक ऑनलाइन परामर्श सुविधा, बाह्य रोगी विभाग जोन प्रभारी का कार्यालय, एक दवा की दुकान या फार्मैसी या डिस्पेंसरी, एक रोगी प्रतीक्षालय, स्तनपान हेतु एक क्षेत्र, एक स्टोर, एक पेयजल सुविधा, रोगियों और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय आदि अनुसूची-1 के दिखाए गए न्यूनतम क्षेत्र के साथ शामिल होंगे।

(ग) संस्थान के प्रमुख द्वारा अधिकृत, बाह्य रोगी विभाग पक्ष से कोई भी वरिष्ठ संकाय सदस्य बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र का प्रभारी होगा;

(घ) अनुसूची XXIII में यथा-निर्दिष्ट, बाह्य रोगी विभाग परामर्श कक्ष: प्रत्येक बाह्य रोगी विभाग परामर्श कक्ष में इंटर्न द्वारा प्रारंभिक परामर्श और सलाहकारों द्वारा परामर्श के लिए पर्याप्त स्थान और बैठने की व्यवस्था होगी और फुटस्टेप स्टूल, चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर के साथ एक परीक्षण टेबल से सुसज्जित होगा।

(ङ) एक आदर्श बाह्य रोगी विभाग परामर्श कक्ष में पर्याप्त स्थान और फर्नीचर होगा, अधिमानतः दो परस्पर जुड़े कक्ष - एक इंटर्न द्वारा प्रारंभिक परामर्श के लिए (इतिहास लेने, महत्वपूर्ण डेटा रिकॉर्ड करने और परीक्षण हेतु) और दूसरा सलाहकारों द्वारा परामर्श के लिए, होंगे;

(च) अस्पताल में कम से कम ग्यारह बाह्य रोगी विभाग होंगे, नामतः- स्क्रीनिंग बाह्य-रोगी विभाग, मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदावीर (रेजिमेनल थेरेपी), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज्ज, अनफ, हलक वा अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा), अमराजे ज़िल्द व तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), कबालत व निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग), इल्मुल अतफ़ाल (बाल चिकित्सा), तहफफुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा), तहफफुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) और इसाबात (आपातकालीन चिकित्सा या हताहत) विभाग के अंतर्गत इल्मुल समूम (नैदानिक विष विज्ञान)।

(i) स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग: (क) सभी नए पंजीकृत रोगियों (आपातकालीन रोगियों को छोड़कर) को संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार स्क्रीनिंग आउट-पेशेंट विभाग में जांच की जाएगी और परामर्श के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग को निर्देशित किया जाएगा;

(ख) स्क्रीनिंग सिस्टम उपयुक्त विभाग के साथ रोगी परामर्श की सुविधा प्रदान करता है;

(ग) स्क्रीनिंग, स्थापना कॉलेजों के मामले में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा और पूर्णतः स्थापित कॉलेजों के मामले में इंटरन द्वारा की जाएगी;

(घ) प्रत्येक यूनानी संस्थान द्वारा विभागीय बाह्य रोगी विभागों और विशेष बाह्य रोगी विभागों की उपलब्धता के अनुसार स्क्रीनिंग मानदंड विकसित किए जाएंगे और संबंधित के लिए उचित अभिविन्यास और प्रशिक्षण के बाद लागू किया जाएगा;

(ङ) स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग में, मुख्य शिकायत, ऊंचाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स, रक्तचाप, तापमान, नब्ज (नाड़ी), मिजाज (स्वभाव) और अन्य बुनियादी मापदंडों को दर्ज किया जाएगा; पल्स रीडिंग के लिए, कोई भी उपलब्ध विश्वसनीय उपकरण या संयंत्र का उपयोग किया जा सकता है;

(च) रोगी संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्क्रीनिंग काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। (यथा- साठ और सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम दो काउंटर, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए चार काउंटर);

(छ) प्रत्येक काउंटर के लिए, अनुसूची -XXIII के अनुसार अस्पताल प्रबंधन सॉफ्टवेयर और उपकरणों से जुड़ा एक कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा।;

(ज) बाह्य रोगी विभाग परामर्श के लिए एक टोकन प्रणाली होगी, और रोगियों या ग्राहकों को बाह्य रोगी विभाग संख्या का उल्लेख करके संबंधित बाह्य रोगी विभाग में निर्देशित किया जाना चाहिए;

(झ) स्क्रीनिंग बाह्य -रोगी विभाग पहले और दूसरे व्यावसायिक बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी छात्रों को प्रारंभिक नैदानिक विवरण के लिए अवसर प्रदान करेगा; तदनुसार, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था प्रदान की जाएगी;

(ञ) नैदानिक एक्सपोज़ और नैदानिक प्रशिक्षण अलग-अलग हैं; नैदानिक वातावरण से परिचित होने और महत्वपूर्ण संकेतों, शारीरिक वृत्तियों आदि के परीक्षणों में प्रशिक्षित होने के लिए छात्रों को नैदानिक प्रदर्शन; छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण उन्हें नैदानिक निदान, नैदानिक जांच और रोग और रोग के उपचार के बीच सहसंबंध में प्रशिक्षित किया जाना है; और

(ट) स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, उप चिकित्सा अधीक्षक या नामित बाह्य रोगी विभाग जोन प्रभारी के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

(ii) मोआलाजात (चिकित्सा) : बाह्य रोगी विभाग मोआलाजात (चिकित्सा) विभाग के तहत कार्य करेगा, संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार सामान्य शिकायतों या स्वास्थ्य-दशाओं वाले रोगी इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करेंगे;

(iii) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी): (क) यह बाह्य रोगी विभाग इलाज बित तदाबीर (रेजिनेल थेरेपी) विभाग के तहत कार्य करेगा;

(ख) जिन रोगियों को विशेष रूप से इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) प्रक्रियाओं जैसे हिजामा (कपिंग), फसद (वेनेसेक्शन), इरसाले अलक (लीच एप्लिकेशन), दलक (मसाज), रियाजत (व्यायाम) और अन्य आहार-विधि की आवश्यकता होती है, वे इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करेंगे;

(ग) अन्य बाह्य रोगी विभाग और विशिष्ट बाह्य रोगी विभाग ऐसे उपचारों की आवश्यकता के आधार पर रोगियों को इस बाह्य रोगी विभाग में भेज सकते हैं;

(घ) रेफरल के मामले में, इस विभाग के सलाहकार उन सलाहकारों के साथ समन्वय में काम करेंगे जिन्होंने मामले को इस विभाग को भेजा है; और

- (ड) इस बाह्य रोगी विभाग को चिकित्सा या प्रक्रियात्मक कक्ष से जोड़ा जाएगा, जिसमें बाह्य रोगी विभाग आधारित हिजामा (कपिंग), फसद (वेनेसेक्शन), इरसाले अलक (लीच एप्लिकेशन), दलक (मसाज़), रियाजत (व्यायाम) और अन्य आहार-विधि प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी;
- (iv) जराहत (सर्जरी): (क) यह बाह्य रोगी विभाग जराहत (सर्जरी) विभाग के तहत कार्य करेगा;
- (ख) संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार जराहत (सर्जरी) से संबंधित विशिष्ट स्वास्थ्य-स्थितियों वाले रोगियों को इस बाह्य रोगी विभाग में भेजा जाएगा; और
- (ग) इस बाह्य रोगी विभाग को बाह्य रोगी विभाग आधारित लघु शल्य चिकित्सा और पैरा शल्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए लघु प्रक्रिया कक्ष से सम्बद्ध किया जाएगा;
- (v) ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ वा अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा): (क) यह बाह्य रोगी विभाग ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ वा अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) विभाग के तहत कार्य करेगा;
- (ख) संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ वा अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) से संबंधित विशिष्ट स्थितियों वाले रोगियों को इस बाह्य रोगी विभाग में भेजा जाएगा; और
- (ग) इस बाह्य रोगी विभाग को बाह्य रोगी विभाग आधारित माइनर ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ वा अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) से संबंधित शल्य चिकित्सा और पैरा सर्जिकल प्रक्रियाओं हेतु लघु प्रक्रिया कक्ष से जोड़ा जाएगा।
- (vi) अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचा विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी): (क) यह बाह्य रोगी विभाग, अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) विभाग के तहत कार्य करेगा;
- (ख) संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार, अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) से संबंधित विशिष्ट स्वास्थ्य-स्थितियों वाले रोगियों को इस बाह्य रोगी विभाग में भेजा जाएगा; और
- (ग) इस बाह्य रोगी विभाग को अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचा विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) से संबंधित बाह्य रोगी विभाग आधारित लघु प्रक्रियाओं हेतु लघु प्रक्रिया कक्ष के साथ जोड़ा जाएगा; और प्रक्रिया कक्ष के लिए उपकरण अनुसूची-XVII (त्वचा विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) में उल्लिखित होंगे।
- (vii) कबालत वा निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग): (क) यह बाह्य रोगी विभाग, कबालत वा निस्वान(प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग के तहत कार्य करेगा;
- (ख) संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर, प्रसवोत्तर और स्त्री रोग संबंधी समस्याओं की स्थिति में इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श किया जाएगा; और
- (ग) इस बाह्य रोगी विभाग में सम्बद्ध परीक्षण-सह-लघु प्रक्रिया कक्ष और शौचालय सुविधा होगी;
- (viii) इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग): (क) यह बाह्य रोगी विभाग इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) विभाग के तहत कार्य करेगा;
- (ख) संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार, सामान्य शिकायतों वाले बाल चिकित्सा रोगी (18 वर्ष की आयु तक) इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करेंगे; और
- (ग) प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाएं और प्रतिरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधा होगी।
- (ix) तहफ़ुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा): (क) यह बाह्य रोगी विभाग तहफ़ुज़ी व समाजी तिब विभाग के तहत कार्य करेगा और यह बाह्य रोगी विभाग निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में लोगों की आवश्यकता को पूरा करेगा;
- (ख) यूनानी आधारित तहफ़ुज़ी-स्वास्थ्य कार्ड जिसके माध्यम से यूनानी आहार विज्ञान, निवारक देखभाल, जीवन-शैली प्रबंधन और मिज़ाज आधारित व्यक्तिगत या अनुकूलित निवारक उपाय जिनमें रियाज़त

(व्यायाम) या योग, गिज्ञा (आहार), व्यावसायिक स्वास्थ्य परामर्श, टीकाकरण आदि शामिल हैं, को लिखा जाना और बढ़ावा दिया जाएगा;

(ग) यह बाह्य रोगी विभाग इल्मुल समूम (विष विज्ञान) के मामलों को छोड़कर किसी भी मरीज़ को दवाएँ और उपचार प्रक्रियाएँ लिखने के लिए स्वीकार नहीं करेगा। हालाँकि, किसी अन्य विभाग से संबंधित रोगियों को निवारक उपायों और जीवनशैली और आहार नियमों, व्यायाम, योग आदि पर सलाह के लिए इस बाह्य रोगी विभाग में भेजा जा सकता है;

(घ) यह बाह्य रोगी विभाग मौसमी या महामारी फैलने की स्थिति में यूनानी निवारक या प्रोत्साहक या रोगनिरोधी दवाओं और उपायों की सलाह देता है;

(ङ) यदि आवश्यक हो, तो आहार और जीवन शैली प्रबंधन, निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल उपायों के परिप्रेक्ष्य में सलाह प्रदान करने के लिए इस बाह्य रोगी विभाग के सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग अन्तः रोगी विभाग में किया जा सकता है;

(च) इल्मुल अतफ़ाल विभाग के समन्वय से विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली टीकाकरण सुविधाएं; और

(छ) इस बाह्य रोगी विभाग में परामर्श उद्देश्यों के लिए कक्ष होंगे (क्रमशः साठ, सौ, एक सौ पचास और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम एक, दो, तीन और चार कक्ष)।

(x) तहफ़ुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के तहत इल्मुल समूम (नैदानिक विष विज्ञान): (क) यह बाह्य रोगी विभाग तहफ़ुज़ी व समाजी तिब विभाग के तहत कार्य करेगा;

(ख) विषाक्तता की दशाओं जैसे विषाक्त दंश या डंक, अज्ञात मूल का नशा, असंगत भोजन के कारण विषाक्त अभिव्यक्तियों, विषाक्त लक्षणों या दवाओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव आदि वाले रोगी, संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार, इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करेंगे।

(xi) इसाबात (आपातकालीन चिकित्सा या हताहत) : (क) यह मोआलाजात (चिकित्सा) विभाग के तहत कार्य करेगा; अस्पताल के अन्य विभागों के सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा;

(ख) आपातकालीन चिकित्सा या आकस्मिक इकाई चौबीस घंटे काम करेगी और आपातकालीन दवा या आकस्मिक चिकित्सा के लिए कोई अवकाश नहीं होगा;

(ग) पर्यवेक्षण बेड होंगे, और ऐसे बेड को अन्तः-रोगीबेड के रूप में नहीं गिना जाएगा। पर्यवेक्षण बेड साठ और एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम दो होंगे, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन, और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए चार होंगे;

(घ) रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर और आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी आपातकालीन मामलों को देखने के लिए चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे;

(ङ) संस्थान नैदानिक कार्यों से संबंधित राज्य के नियमों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) योग्य डॉक्टर नियुक्त कर सकता है

(च) यह इकाई अनुसूची-XXIII में यथा निर्धारित उपकरणों और यंत्रों से सुसज्जित होगी; और

(छ) आधुनिक चिकित्सा स्टाफ (अनुसूची-IV) के अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवा का उपयोग किया जाएगा।

(छ) प्रत्येक यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लीनिक हो सकते हैं: (i) विभागों से कोई भी संकाय सदस्य यथा- मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), जराहत (शल्य), ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ वा अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा), अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), कबालत वा निस्वान (प्रसूति और स्त्री रोग), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग), तहफ़ुज़ी वा समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा), यदि रुचि रखते हैं और विशेषज्ञता या अनुरूपता वाले हैं, तो उन्हें संबंधित बीमारी या चिकित्सीय प्रक्रिया के नाम पर एक विशेष बाह्य रोगी विभाग प्रदान किया जा सकता है;

(ii) कुल्लियात (यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धांत), तशरीहुल बदन (अनॉटमी), मनाफेउल आज़ा (ह्युमन फिज़ियोलॉजी), इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी), इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी), और महियातुल अमराज (पैथोलॉजी) विभागों से संबंधित कोई भी यूनानी संकाय सदस्य, यदि नैदानिक सेवाएं प्रदान करने में रुचि रखते हैं, तो उन्हें विशेष प्रशिक्षण या विशेष अस्पतालों आदि में भाग लेने के माध्यम से प्राप्त उनकी विशेषज्ञता के अनुसार विशिष्ट बाह्य रोगी विभाग प्रदान किया जा सकता है और ऐसी विशेषता बाह्य रोगी विभाग संबंधित रोग या चिकित्सीय प्रक्रिया के नाम पर होगा;

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) विशेषता बाह्य रोगी विभाग निम्नलिखित विभागों में से किसी एक के तहत कार्य करेंगे जैसे कि मोआलाजत (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), जराहत (शल्य), ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ वा अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा), अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), कबालत वा निस्वान (प्रसूति और स्त्री रोग), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) और तहफ़फ़ुज़ी व समाज़ी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) नैदानिक प्रासंगिकता के अनुसार विभाग के संबंधित प्रमुख उस बाह्य रोगी विभाग विशेषता के लिए प्रशासनिक प्रमुख होंगे और संबंधित विभाग सभी रिकॉर्ड प्रबंधित करेगा; और

(iv) विशेष क्लीनिक या बाह्य रोगी विभाग न्यूनतम आवश्यकता से अधिक हैं और इस प्रकार अस्पताल के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र के तहत गणना नहीं की जाएगी।

(ज) ऑनलाइन परामर्श सुविधा: (i) संस्थान टेलीकंसल्टेशन प्लेटफार्मों के माध्यम से एक ऑनलाइन परामर्श सुविधा प्रदान करेगा;

(ii) यह बाह्य रोगी विभाग खण्ड प्रभारी बाह्य रोगी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा; और

(iii) टेलीकंसल्टेशन के समय सहित विशेषज्ञ परामर्शदाताओं की उपलब्धता को टेलीकंसल्टेशन प्लेटफार्मों और संस्थागत वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(झ) प्रत्येक यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में दवा की दुकान या डिस्पेंसरी या फार्मेसी होगी: (i) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) या इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) विभाग का एक नामित संकाय सदस्य या विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति (यूनानी चिकित्सा और सर्जरी स्नातक योग्यता और यूनानी फार्मेसी या डिस्पेंसरी या दवा की दुकान में पांच वर्ष का अनुभव) दवा की दुकान या डिस्पेंसरी या फार्मेसी का प्रभारी होगा;

(ii) औषधि खरीद या खरीद समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित अस्पताल फार्मूलरी होगी;

(iii) औषधि खरीद या खरीद समिति में मोआलाजत (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), जराहत (शल्य), ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ वा अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा), अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), कबालत वा निस्वान (प्रसूति और स्त्री रोग), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) और तहफ़फ़ुज़ी व समाज़ी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) और दवा की दुकान या औषधालय या फार्मेसी के प्रभारी; शामिल हैं।

(iv) समिति हर तीन महीने में एक बार बैठक करेगी और आवश्यकतानुसार फॉर्मूलरी को नवीन या अद्यतित करेगी;

(v) दवाओं की खरीद केवल गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस-प्रमाणित फार्मेशियों से की जाएगी; शिक्षण फार्मेसी या व्यावहारिक प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में प्रदर्शन उद्देश्यों या छात्रों द्वारा तैयार की गई दवाएं रोगियों को वितरित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ऐसी दवाएं विनिर्माण सु-अभ्यास के तहत तैयार नहीं की जाती हैं और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के अधीन नहीं होती हैं;

(vi) दवाओं के वजन, कंपाउंडिंग, पैकिंग और वितरण की सुविधाएं होंगी;

(vii) योग्य और प्रशिक्षित फार्मासिस्ट, जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट है, दवाओं का वितरण करेंगे;

(viii) समय-अवधि समाप्त हो चुकी दवाओं को हटाने का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा;

(ix) दवा भंडार प्रभारी, इंटर्न और छात्रों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी;

(x) फार्मेसी चिकित्सा छात्रों को दवा, दवा के पर्चे, दवा की खुराक, बदरका या सहायक, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, शेल्फ-लाइफ आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेगी;

(xi) दवा की दुकान और डिस्पेंसरी को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

(ज) बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति: (i) बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति वाले छात्रों का अनुपात 1:2 होगा, और संस्थान की छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम प्रति दिन औसत संख्या तालिका-6 में उल्लिखित होगी;

(ii) पिछले एक कैलेंडर वर्ष के लिए बाह्य रोगी विभाग रोगी उपस्थिति डेटा की गणना तीन सौ दिनों के बाह्य रोगी विभाग के रोगियों की औसत संख्या के आधार पर की जाएगी।

#### तालिका-6

#### बाह्य रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता

प्रति वर्ष छात्रों की प्रवेश क्षमता (1)	पिछले एक कैलेंडर वर्ष (तीन सौ दिन) के दौरान बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम प्रति दिन औसत संख्या (1: 2 छात्र-रोगी अनुपात) (2)
साठ	एक सौ बीस
सौ	दो सौ
एक सौ पचास	तीन सौ
दो सौ	चार सौ

(4) नैदानिक जोन- (क) नैदानिक क्षेत्र में अनुसूची-1 के अनुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र अर्थात् साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ वर्ग मीटर और छात्रों की दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ पच्चीस वर्ग मीटर होगा;

(ख) नैदानिक क्षेत्र महियातुल अमरज (पैथोलॉजी) विभाग के तहत कार्य करेगा;

(ग) महियातुल अमराज (पैथोलॉजी) विभाग का प्रमुख या संस्था के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) द्वारा अधिकृत महियातुल अमराज का संकाय सदस्य नैदानिक क्षेत्र का प्रशासनिक प्रमुख होगा और यूनानी सिद्धांतों के संदर्भ में व्याख्या करके जांच रिपोर्टों को प्रमाणित करेगा;

(घ) नैदानिक क्षेत्र में एक नैदानिक प्रयोगशाला, एक इमेजिंग खण्ड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जैसे अन्य डायग्नोस्टिक्स और अनुसूची-XXI और XXII में उल्लिखित उपकरण शामिल होंगे;

(ङ) डायग्नोस्टिक जोन में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था के साथ एक रोगी प्रतीक्षालय, नमूना संग्रह और प्रसंस्करण क्षेत्र, भुगतान और रिपोर्ट जारी करने के लिए एक काउंटर, डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र-प्रभारी के लिए एक कार्यालय, एक स्टोर और पुरुष और महिला रोगियों के लिए अलग-अलग शौचालय होंगे;

(च) मानकों के अनुसार एक बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली होगी;

(छ) नैदानिक प्रयोगशाला को हेमेटोलॉजी, जैव-रसायन, सूक्ष्म-जीवविज्ञान, पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से संबंधित परीक्षणों के संचालन के लिए अलग-अलग सेक्शन से सुसज्जित होना चाहिए;

(ज) इमेजिंग खण्ड में एक्स-रे (अधिमानत: डिजिटल) और अल्ट्रासोनोग्राफी शामिल होगी जैसा कि अनुसूची -XXII में दर्शाया गया है;

(झ) रेडियोलॉजी खण्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार होगा;

(ञ) इमेजिंग सेक्शन में ट्रेस चेंजिंग रूम होगा। रेडियोलॉजी स्टाफ के बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी;

(ट) गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) आदि जैसी अनिवार्य सूचना को उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करना होगा;

(ठ) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आदि जैसे अन्य निदान के लिए एक अलग सेक्शन होगा;

(ड) नाड़ी परीक्षण या अनुमान के लिए यूनानी नैदानिक उपकरण या यंत्र, कलाई परिधि को मापकर यूनानी एंथ्रोपोमेट्री, शारीरिक संरचना या वृत्ति आकलन आदि का भी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए।

(5) अंतः रोगी विभाग क्षेत्र.- (क) अंतः रोगी विभाग क्षेत्र में अनुसूची-1 के अनुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र अर्थात् साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक हजार तीन सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो हजार एक सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो हजार नौ सौ पचास वर्ग मीटर और छात्रों की दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन हजार सात सौ पचास वर्ग मीटर होगा साथ ही इन विनियमों में उल्लिखित रोगी विभाग वार्डों, संबंधित प्रक्रिया कक्षों, नर्सिंग स्टेशन, नैदानिक कक्षा आदि को समायोजित किया जाएगा;

(ख) विभाग-वार वार्ड होंगे जिनमें अन्तः-रोगीबेड होंगे जो इन विनियमों (तालिका -7) में निर्दिष्ट संबंधित विभागों के लिए बेड की निर्दिष्ट संख्या से कम नहीं होंगे;

(ग) पुरुष और महिला बेड के बीच एक स्पष्ट सीमांकन होगा; पुरुष और महिला रोगियों और उनके परिचारकों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी और स्नान के लिए गर्म पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी;

(घ) पीने के लिए गर्म और ठंडा जल, सभी रोगी विभाग वार्डों में उपलब्ध कराया जाएगा;

(ङ) प्रत्येक बीस बिस्तरों में एक नर्सिंग काउंटर या स्टेशन होगा, जिसमें नर्सों और इंटर्न के बैठने की व्यवस्था, एक इंटरकॉम सुविधा, एक औषधि-भंडारण सुविधा, एक दवा कंपाउंडिंग सुविधा, दवा ट्रॉली, एक वॉश बेसिन, एक रिकॉर्ड प्रबंधन सुविधा आदि होगी;

(च) प्रत्येक वार्ड में ट्रॉलियों के लिए निर्दिष्ट स्थान और एक बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा होगी;

(छ) नाइट ज्यूटी स्टाफ, अर्थात्, नर्सिंग स्टाफ, इंटर्न और डॉक्टरों या सलाहकारों के लिए आवास प्रदान किया जाएगा;

(ज) सामान्य वार्ड (पुरुष और महिला) में और प्रत्येक विशेष, सेमी-डीलक्स, डीलक्स वार्डों में प्रत्येक बेड, यदि कोई हो, के लिए उचित स्थानों पर एक आपातकालीन नर्स कॉल-बेल व्यवस्था प्रदान की जाएगी;

(झ) रोगी विभाग के रोगियों के लिए कपड़े धोने और सुखाने की सुविधा या कपड़े धोने की सुविधा होगी;

(ञ) प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, विभागीय रोगी विभाग के वार्डों को समूहीकृत या प्रबंधित किया जा सकता है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

(i) चिकित्सा अंतःरोगी विभाग खण्ड: मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) और इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) के रोगी विभाग वार्डों को तालिका -7 में दिखाए गए मेडिकल अन्तः-रोगीडिपार्टमेंट सेक्शन के तहत समूहीकृत और प्रबंधित किया जाना है। चिकित्सा रोगी विभाग खण्ड के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र सात सौ पचास वर्ग मीटर (साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता), एक हजार दो सौ पचास वर्ग मीटर (एक सौ छात्र प्रवेश क्षमता), एक हजार सात सौ पचास वर्ग मीटर (एक सौ पचास छात्र प्रवेश क्षमता) और दो हजार दो सौ पचास वर्ग मीटर (दो सौ छात्र प्रवेश क्षमता) होगा जैसा कि अनुसूची-1 में दर्शाया गया है।

(ii) सर्जिकल रोगी विभाग खण्ड: जराहत विभाग (सर्जरी), ऐन उज्ज अनफ हलक़ व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा), कवालत वा निस्वान(प्रसूति और स्त्री रोग) विभाग से संबंधित अन्तः-रोगीविभाग के वार्डों को तालिका -7 में दिखाए गए सर्जिकल अन्तः-रोगीविभाग खण्ड के तहत वर्गीकृत और प्रबंधित किया जाना है। सर्जिकल अन्तः-रोगीसेक्शन के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र छह सौ वर्ग मीटर (साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता), नौ सौ वर्ग मीटर (एक सौ छात्र प्रवेश क्षमता), एक हजार दो सौ वर्ग मीटर (एक सौ पचास छात्र प्रवेश क्षमता) और एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर (दो सौ छात्र प्रवेश क्षमता) होगा जैसा कि अनुसूची-1 में उल्लिखित है।

(ट) इन विनियमों में भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट बेड की न्यूनतम संख्या वाले विभागीय रोगी विभाग वार्डों को संबंधित वार्ड प्रक्रिया कक्षों के साथ चिकित्सा अंतःरोगी विभाग खण्ड और सर्जिकल अंतःरोगी विभाग खण्ड के अंतर्गत अलग से समूहीकृत और अनुरक्षित किया जाना है।

(ठ) (i) प्रत्येक रोगी विभाग वार्ड में लघु वार्ड प्रक्रियाओं को करने के लिए एक सम्बद्ध संबंधित वार्ड प्रक्रिया कक्ष और दवा तैयार करने के लिए संलग्न किचन होगी अर्थात् चिकित्सा अंतःरोगी विभाग खण्ड के तहत चार विभागवार वार्ड प्रक्रिया कक्ष और सर्जिकल अंतःरोगी विभाग खण्ड के तहत तीन प्रक्रिया कक्ष; प्रमुख उपचार प्रक्रियाओं को प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र में निष्पादित किया जाएगा; और

(ii) प्रत्येक प्रक्रिया कक्ष नैदानिक परीक्षण के लिए बुनियादी उपकरणों और यंत्रों के साथ संबंधित विभाग की आवश्यकता के अनुसार इन-वार्ड प्रक्रियाओं को उपलब्ध करने के लिए उपकरणों, यंत्रों, संयंत्रों, उपभोग्य सामग्रियों और दवाओं से सुसज्जित होगा;

(ड) संबंधित प्रक्रिया कक्ष के साथ उस विशेष नैदानिक विभाग के सभी रोगी विभाग के बेड एक ही स्थान पर होने की आवश्यकता है ताकि वार्ड प्रक्रियाओं को सुविधाजनक और कुशल तरीके से रोगियों को प्रदान किया जा सके;

(ढ) यदि अस्पताल विभिन्न श्रेणियों के रोगियों या विषयों को समायोजित करने के लिए बेड की विभिन्न श्रेणियों जैसे सामान्य वार्ड (पुरुष और महिला), विशेष वार्ड, सेमी-डीलक्स, डीलक्स आदि को प्रबंधित कर रहा है, तो बेडों की ऐसी सभी श्रेणियों को समूहीकृत किया जाना है और चिकित्सा अंतःरोगी विभाग खण्ड और सर्जिकल अंतःरोगी विभाग खण्ड के तहत संबंधित अन्तः-रोगी डिपार्टमेंट वार्ड प्रक्रिया कक्षों के साथ एक स्थान पर रखा जाना है;

(ण) चिकित्सा अंतःरोगी विभाग खण्ड और सर्जिकल अंतःरोगी विभाग खण्ड के तहत वार्डों का ऐसा समूहन, उपकरण और मानव संसाधनों के दोहराव को कम करता है और विभागों को मरीजों को सुविधाजनक, कुशलतापूर्वक, प्रभावी और आर्थिक रूप से विशेषज्ञता-वार सेवाएं प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है;

(त) अंतःरोगी विभाग के बेडों का विभागवार वितरण - अस्पताल के अंतःरोगी विभाग में बेडों का वितरण तालिका-7 में दर्शाए अनुसार होगा:

### तालिका-7

#### अंतःरोगी विभाग बेड की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता (विभागवार)

विभाग (1)	वितरण (2)	छात्रों की प्रवेश क्षमता और अंतःरोगी विभाग के बेडों की संख्या (3)				
		60	100	150	200	
<b>चिकित्सा अंतःरोगी खण्ड</b>						
मोआलाजात	20%	55 %	33	55	82	110
इलाज बित तदाबीर	20%					
अमराजे ज़िल्द व तज़ीनियत	10%					
इल्मुल अतफ़ाल	05%					
<b>सर्जिकल अंतः रोगी खण्ड</b>						
जराहत	20%	45%	27	45	68	90
ऐन उज्ज अनफ हलक़ व अस्नान	05%					
क्रबालत वा निस्वान	20%					
बेड की कुल संख्या			60	100	150	200
नोट: इल्मुल समूम के मरीजों को केवल मोआलाजात अन्तः-रोगी विभाग में भर्ती किया जाना है						

(थ) बिस्तरों की संख्या के साथ और अंतःरोगी विभाग के बेड अधिभोग के साथ छात्रों का अनुपात 1: 1, और चालीस प्रतिशत होगा। क्रमशः, जैसा कि तालिका-8 में दिया गया है और सामान्य वार्ड में दो बेड के बीच की दूरी डेढ़ मीटर से कम नहीं होगी;

### तालिका-8

#### बेड और बेड अधिभोग की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता

प्रति वर्ष छात्र प्रवेश क्षमता (1)	1:1 छात्र-बेड अनुपात पर अन्तः-रोगी विभाग में बिस्तरों की न्यूनतम संख्या (2)	पिछले एक कैलेंडर वर्ष (365 दिन) के दौरान अन्तः-रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम प्रतिदिन औसत संख्या (40% बेड अधिभोग) (3)
साठ	60 बेड	24
सौ	100 बेड	40



एक सौ पचास	150 बेड	60
दो सौ	200 बेड	80

(द) भरे हुए बेड की संख्या की गणना करने के लिए, कॉलेज प्रत्येक रोगी के प्रवेश और छुट्टी की तारीख और समय प्रबंधित करेगा;

(ध) मध्य रात्रि में रोगी द्वारा गृहीत बेड को एक दिन के रूप में गिना जाएगा और यदि किसी रोगी को मध्य रात्रि से पहले छुट्टी दे दी जाती है तो इसे 0.5 बेड-दिवस के रूप में गिना जाएगा। बेड अधिभोग की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र लागू होगा-

बेड- अधिभोग दिवसों की संख्या x 100

-----

विस्तरों की संख्या x दिनों की संख्या

(न) अंतः रोगी विभाग (आईपीडी) वार्ड:-

(i) मोआलाजात (चिकित्सा) अन्तः-रोगी विभाग वार्ड: (क) यह मोआलाजात (चिकित्सा) विभाग के अधीन होगा;

(ख) मोआलाजात और संबंधित विशेष बाह्य रोगी विभागों या क्लीनिकों के सलाहकार, यदि कोई हों, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(ग) मोआलाजात (चिकित्सा) विभाग के प्रमुख मोआलाजात अन्तः-रोगी डिपार्टमेंट वार्ड और गहन चिकित्सा इकाई सेक्शन के प्रशासनिक प्रमुख होंगे;

(घ) आपातकालीन या आकस्मिकता बाह्य रोगी विभाग के रोगियों को, यदि आवश्यक हो, आगे के जांच और उपचार के लिए इसाबात (आपातकालीन या आकस्मिकता) इकाई द्वारा मोआलाजात (चिकित्सा) अन्तः-रोगीवार्ड में भर्ती कराया जा सकता है। संबंधित विभाग के सलाहकार नैदानिक स्थिति की प्रकृति के अनुसार रोगी को देखेंगे और उसकी देखभाल करेंगे;

(ङ) मोआलाजात (मेडिसिन) अन्तः-रोगी डिपार्टमेंट वार्ड में एक अलग गहन चिकित्सा इकाई खण्ड होगा, वातानुकूलित और ऐसे मामलों में भर्ती करने के लिए आवश्यकता के अनुसार दो से चार बेड उपलब्ध होंगे, जिसमें प्रत्येक गहन चिकित्सा इकाई बेड पर ऑक्सीजन या वैक्यूम या संपीडित एयर आउटलेट और पर्याप्त इलेक्ट्रिक पाइंट होंगे;

(च) मोआलाजात (चिकित्सा) अन्तः-रोगी विभाग में गहन देखभाल इकाई खण्ड में आकस्मिकता मामलों की वही सुविधाएं होंगी जो अनुसूची-XXIII में निर्दिष्ट हैं।

(ii) इलाज बित तदाबीर अन्तः-रोगी डिपार्टमेंट वार्ड: (क) यह इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) विभाग के अधीन होगा;

(ख) इलाज बित तदाबीर के सलाहकार और संबंधित विशेषता बाह्य रोगी विभाग या क्लीनिक, यदि कोई हों, तो इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(ग) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) विभाग के प्रमुख, इलाज बित तदाबीर अन्तः-रोगी वार्ड (रेजिमेनल थेरेपी) के प्रशासनिक प्रमुख होंगे;

(iii) जराहत (सर्जरी) अन्तः-रोगी विभाग वार्ड: (क) यह जराहत (सर्जरी) विभाग के अधीन होगा;

(ख) जराहत (सर्जरी) और संबंधित विशेषता बाह्य रोगी विभागों या क्लीनिकों के सलाहकार यदि कोई हों, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(ग) जराहत (सर्जरी) विभाग के प्रमुख, जराहत अन्तः-रोगी वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।

(iv) ऐन, उज्ज, अनफ, हलक़ वा अस्नान अन्तः-रोगी विभाग वार्ड: (क) यह ऐन, उज्ज, अनफ, हलक़ वा अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) विभाग के अधीन होगा।

(ख) ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ व अस्त्रान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) और संबंधित विशेषता बाह्य रोगी विभाग या क्लीनिक, यदि कोई हों, के सलाहकार इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(ग) ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ वा अस्त्रान के विभाग के प्रमुख ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ वा अस्त्रान अन्तः-रोगी वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।

(v) अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत अन्तः रोगी वार्ड: (क) यह अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचा विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) विभाग के अधीन होगा;

(ख) अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत के सलाहकार और संबंधित विशेषता बाह्य रोगी विभाग या क्लीनिक, यदि कोई हों, तो इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(ग) अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत के विभाग के प्रमुख अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत अन्तः-रोगीवार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।

(vi) कबालत वा निस्वान अन्तः-रोगी डिपार्टमेंट वार्ड: (क) यह कबालत वा निस्वान(प्रसूति और स्त्री रोग) विभाग के अधीन होगा;

(ख) कबालत वा निस्वानके परामर्शदाता और संबंधित विशेषता बाह्य रोगी विभाग या क्लीनिक, यदि कोई हों, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(ग) कबालत वा निस्वानविभाग का प्रमुख कबालत वा निस्वान अन्तः-रोगीवार्ड का प्रशासनिक प्रमुख होगा;

(घ) नवजात शिशुओं की देखभाल इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) परामर्शदाताओं द्वारा की जानी होती है।

(vii) इल्मुल अतफ़ाल अन्तः-रोगी डिपार्टमेंट वार्ड: (क) यह इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) विभाग के अधीन होगा;

(ख) इल्मुल अतफ़ाल के सलाहकार और संबंधित विशेषता बाह्य रोगी विभाग या क्लीनिक, यदि कोई हों, तो इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(ग) इल्मुल अतफ़ाल विभाग के प्रमुख इल्मुल अतफ़ाल अन्तः-रोगी वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।

(viii) (क) तहफ़ुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के तहत इल्मुल समूम (नैदानिक विष विज्ञान) बाह्य रोगी विभाग के सलाहकार और इससे संबंधित विशेषता बाह्य रोगी विभाग या क्लीनिक, यदि कोई हों, मोआलाजात (चिकित्सा) अन्तः-रोगी विभाग वार्ड में इल्मुल समूम (नैदानिक विष विज्ञान) के मामलों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(ख) अन्तः-रोगी विभाग वार्ड, हालांकि बेड अधिभोग की गणना केवल मोआलाजात अन्तः-रोगी विभाग के तहत की जाएगी, इसलिए कोई अलग बेड आवंटित नहीं किया जाता है;

(ग) इल्मुल समूम (नैदानिक विष विज्ञान) बाह्य रोगी विभाग के सलाहकार रोगियों को मोआलाजात (चिकित्सा) विभाग के प्रमुख को सूचित करते हुए मोआलाजात (चिकित्सा) इन-पेशेंट विभाग वार्ड में भर्ती करेंगे, हालांकि रोगियों की जिम्मेदारी इल्मुल समूम (नैदानिक विष विज्ञान) के सलाहकारों के पास निहित है; और

(घ) इसके अलावा, यह भी शामिल किया गया है कि तहफ़ुज़ी व समाजी तिब बाह्य रोगी विभाग और संबंधित विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लिनिक, यदि कोई हो, के सलाहकार, तहफ़ुज़ी व समाजी तिब विभाग के तहत मौसमी सफाई उपचार या निवारक या प्रोत्साहक थेरेपी के लिए सामान्य व्यक्तियों को इलाज वित्त तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) इन-पेशेंट विभाग वार्ड में कायाकल्प उपचार के लिए भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं, और वे अन्तः-रोगी विभाग में किसी भी प्रकार के मरीजों को भर्ती करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

(प) नैदानिक कक्षाएं: (i) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम (इंटरैक्टिव पैनल या स्मार्ट बोर्ड या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर या अन्य उन्नत ऑडियो-विजुअल सिस्टम, डेस्कटॉप या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन आदि) के साथ न्यूनतम चार क्लिनिकल क्लासरूम (चिकित्सा अंतःरोगी विभाग खण्ड के लिए न्यूनतम दो क्लिनिकल क्लासरूम और दो सर्जिकल अन्तः-रोगी खण्ड के लिए) होंगे।;

(ii) नैदानिक कक्षाओं में क्लिनिकल कक्षाओं या बेडसाइड क्लीनिक के संचालन के लिए क्लिनिकल बैच आकार या न्यूनतम तीस छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए;

(iii) प्रत्येक क्लिनिकल कक्षा में परीक्षण टेबल, एक एक्स-रे व्यू बॉक्स और सामान्य डायग्नोस्टिक उपकरण (स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर उपकरण, थर्मामीटर, टॉर्च लाइट, जीभ डिप्रेसर, मापन टेप, स्किन मार्किंग पेंसिल, नी हैमर आदि) होना चाहिए;

(iv) सर्जिकल अन्तः-रोगी सेक्शन के तहत जराहत (सर्जरी), ऐन, उज्ज, अनफ्र, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) और कबालत वा निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग) से जुड़ी नैदानिक कक्षाओं में सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रक्रियाओं के लाइव प्रदर्शन के लिए ऑपरेशन थिएटर से जुड़े इंटरैक्टिव क्लोज-सर्किट टेलीविजन होंगे।

(6) प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र - प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र में इलाज बित तदाबीर प्रक्रियात्मक प्रबंधन खण्ड, मसरा अमलिया (ऑपरेशन थिएटर), गुर्फतुल विलादा (लेबर रूम) और अन्य चिकित्सा खण्ड शामिल होंगे।

(क) इलाज बित तदाबीर थैरेपी या प्रक्रिया खण्ड: (i) विभिन्न प्रक्रियाओं या उपचारों के लिए इस प्रमुख खंड के तहत अलग-अलग प्रक्रिया या चिकित्सा खण्ड होंगे;

(ii) इस ब्लॉक के लिए क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता अनुसूची-I के अनुसार साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ वर्ग मीटर, एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन सौ वर्ग मीटर, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए चार सौ वर्ग मीटर और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए पांच सौ वर्ग मीटर होगी। इलाज बित तदाबीर की सामान्य विधियों के लिए अलग आवंटित कक्ष होना चाहिए जैसे हिजामा (कपिंग), फस्द (ब्लडलेटिंग) और इरसाले अलक (लीच एप्लीकेशन), दलक (मसाज़) और तकमीद बुखारी (स्टीम सेक्शन), हम्माम (स्टीम बाथ), नुतूल (इरिगेशन), नुशूक, सऊत, शुमूम, और बुखूर, हुकना (एनीमा), आब्ज़न (सिट्ज बाथ) और कै (एमिसिस), या अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के अनुसार सुसज्जा और अन्य सुविधाएं **अनुसूची-XVIII** के अनुसार होंगी और कार्यबल **अनुसूची-IV** के अनुसार होगा;

(iii) यह खंड उपचार या प्रक्रियात्मक प्रबंधन प्रदान करेगा जैसे हिजामा (कपिंग), फस्द (वेनेसेक्शन), इरसाले अलक (लीच एप्लीकेशन), दलक (मसाज़), हम्माम (स्टीम बाथ), नुतूल (इरिगेशन), हुकना (एनीमा), आब्ज़न (सिट्ज बाथ), काई (एमिसिस) आदि;

(iv) इस खंड में रिसेप्शन, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था के साथ रोगी प्रतीक्षा कक्ष, परामर्श कक्ष, तैयारी कक्ष, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष, स्टोररूम, रिकॉर्ड रूम, पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय, पेय-जल की सुविधा (गर्म और ठंडा) और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रावधान शामिल होंगे;

(v) यह खंड बाह्य रोगी विभागों और अन्तः-रोगी विभाग के रोगियों दोनों के लिए सामान्य सुविधा है;

(vi) यह इकाई या खण्ड इलाज बित तदाबीर विभाग के अधीन होगा और इलाज बित तदाबीर के विभाग के प्रमुख या विभाग के नामित संकाय के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा या संबंधित कर्ता में स्नातकोत्तर के साथ विशेष रूप से नियुक्त विशेषज्ञ होगा;

(vii) रिसेप्शन काउंटर अधिमानतः अस्पताल प्रबंधन प्रणाली या अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली के साथ कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए और उसे दैनिक उपचारों की समय-सूची और ड्यूटी पर सलाहकार, नर्सों और चिकित्सकों का विवरण रखना चाहिए;

(viii) इस खंड में परामर्श कक्ष में सलाहकार और इंर्न के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जो परीक्षण टेबल, नैदानिक उपकरणों जैसे स्टेथोस्कोप, रक्तचाप उपकरण, थर्मामीटर, वजन मशीन, नी हैमर, टॉर्च लाइट आदि से लैस होगी, प्रत्येक रोगी या ग्राहक या कर्ता को बाह्य-चिकित्सा प्रक्रियाओं से पहले और बाद में फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए परामर्श लेना होगा;

(ix) इलाज बित तदाबीर प्रक्रियात्मक प्रबंधन खण्ड में उचित निकास सुविधा और इलेक्ट्रिक चिमनी और रेफ्रिजरेटर आदि सहित भंडारण सुविधाओं के साथ दवा तैयारी कक्ष होगा, नवीन दवाओं की आपूर्ति के लिए व्यवस्था होगी;

- (x) स्वच्छता प्रसाधन के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र, गर्म जल की सुविधा के साथ वाशिंग एरिया, उपयोग की गई वस्तुओं की सफाई के लिए और जैव चिकित्सा प्रबंधन के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र और तंत्र होगा;
- (xi) सभी प्रक्रिया या चिकित्सा खण्ड, उपचार प्रक्रिया के अनुसार जहां भी आवश्यक हो, पोशाक परिवर्तन और संलग्न शौचालयों के लिए पर्याप्त स्थान और गोपनीयता का प्रबंध करेंगे;
- (xii) चिकित्सकों को समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और क्रॉस संक्रमण से बचने के लिए किसी भी संक्रामक बीमारियों का पता लगाने के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा; चिकित्सकों, पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग जगह होगी, जिसमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, व्यक्तिगत लॉकर और संलग्न स्नान और शौचालय होंगे;
- (xiii) उपकरणों, दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों आदि के भंडारण के लिए इस खण्ड में स्टोर का प्रबंध किया जाएगा;
- (xiv) प्रमुख स्थानों पर एक आपातकालीन किट भी उपलब्ध कराई जाएगी और अनुसूची-XVIII के तहत निर्दिष्ट दवाओं की समाप्ति से बचने के लिए दवाओं को समय-समय पर प्रतिस्थापित किया जाना है; और
- (xv) इलाज बित तदाबीर प्रक्रियात्मक प्रबंधन खण्ड में संलग्न शौचालय और बाथरूम के साथ पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग चिकित्सक कक्ष होंगे।
- (ख) मसरा अमलिया (ऑपरेशन थियेटर या लघु ऑपरेशन थियेटर) (i) मसरा अमलिया (ऑपरेशन थिएटर) खंड जराहत (सर्जरी) विभाग के अंतर्गत आएगा और ;
- (ii) यह खंड सामान्य शल्य चिकित्सा, यूनानी शल्य चिकित्सा और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियात्मक उपचार सुविधाएं प्रदान करता है;
- (iii) जराहत (सर्जरी) विभाग के प्रमुख या विभाग के नामित संकाय इस खंड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे;
- (iv) उपकरण, यंत्र और अन्य सुविधाएं अनुसूची-XVI के अनुसार, साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम कुल निर्मित क्षेत्र एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर, एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ पच्चीस वर्ग मीटर, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ पचहत्तर वर्ग मीटर और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन सौ पच्चीस वर्ग मीटर अनुसूची-I के अनुसार होगा।
- (v) इस खंड में रिसेप्शन, रोगियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, तैयारी कक्ष, सभी उपकरणों या यंत्रों के साथ ऑपरेशन थिएटर, ए-सेप्टिक उपाय, पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम, स्क्रब रूम, एक इंस्ट्रूमेंट रूम, एक सर्जन और एनेस्थेटिस्ट रूम, एक नर्स कक्ष, एक सहायक कक्ष आदि होगा;
- (vi) विसंक्रमण (स्टेराइल) और आटोकलेव सुविधाएं होंगी; और
- (vii) जराहत (सर्जरी) और ऐन, उज्ज, अनफ्र, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा)के लिए अनुसूची-XVI और अनुसूची XVII में विनिर्दिष्ट यूनानी शल्य चिकित्सा और पैरा-सर्जिकल उपचार प्रदान करने के लिए ऑपरेशन थिएटर से जुड़ा एक पर्याप्त रूप से सुसज्जित लघु ऑपरेशन थियेटर (जराहत प्रक्रिया कक्ष) होगा।
- (ग) गुर्फतुल विलादा (प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थियेटर) - (i) प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थियेटर कबालत वा निस्वान(प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग के अधीन आएंगे और इसमें न्यूनतम स्थान अर्थात साठ और एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पचास वर्ग मीटर और एक सौ पचास और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ वर्ग मीटर अनुसूची-I में यथा-निर्दिष्ट और अनुसूची-XV के अनुसार उपकरण या यंत्र और सुविधा उपलब्ध होगी;
- (ii) एक स्वागत-कक्ष, रोगी प्रतीक्षा-कक्ष, रोगी तैयारी कक्ष, प्रसव कक्ष, प्रसूति ऑपरेशन थियेटर, प्रसवोत्तर रिकवरी रूम, नवजात देखभाल कक्ष, प्रक्रिया कक्ष, उपकरण कक्ष, विसंक्रमण (स्टेराइल) सुविधा, स्टोर रूम, शौचालय, पेयजल सुविधा एवं स्नानघर; और
- (iii) कबालत वा निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग के प्रमुख इस अनुभाग के प्रशासनिक प्रमुख होंगे और विभाग के नामित संकाय गुर्फतुल विलादा(प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर) और कबालत वा निस्वान(प्रसूति एवं स्त्री रोग) प्रक्रियात्मक कक्ष के प्रभारी होंगे।

(घ) फिजियोथेरेपी यूनिट- (i) यह इकाई इलाज बित तदावीर विभाग के तहत कार्य करेगी;

(ii) इलाज बित तदावीर विभाग का प्रमुख इस इकाई का प्रशासनिक प्रमुख होगा और फिजियोथेरेपिस्ट इस इकाई का प्रभारी होगा;

(iii) पर्याप्त जगह की व्यवस्था होगी अर्थात् अनुसूची-1 के अनुसार, साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए पचहत्तर वर्ग मीटर, सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए सौ वर्ग मीटर, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पच्चीस वर्ग मीटर और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पचास वर्ग मीटर साथ अनुसूची-XVIII के अनुसार फिजियोथेरेपी देने के लिए उपकरण या यंत्र की व्यवस्था होगी; और

(iv) इस खंड में प्रतीक्षा क्षेत्र, फिजियोथेरेपी कक्ष, प्रभारी कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा आदि होंगे;

(ड.) योग और रियाजत अनुभाग- (i) योग शिक्षक या प्रशिक्षक इस अनुभाग या इकाई के प्रभारी होंगे और तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के प्रमुख या विभाग के नामित संकाय इस अनुभाग या इकाई के प्रशासनिक प्रमुख होंगे;

(ii) यह खंड तहफ्फुज़ी वा समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के तहत कार्य करेगा;

(iii) योग और रियाजत अनुभाग में अनुसूची-1 में यथा-निर्दिष्ट स्थान उपलब्ध होगा अर्थात् साठ और एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए पचहत्तर वर्ग और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ वर्ग मीटर और अनुसूची-XX में निर्दिष्ट उपकरण या यंत्र या सुविधा होगी;

(iv) इस खंड में प्रतीक्षालय, योग चिकित्सा कक्ष, प्रभारी कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा आदि होंगे;

(v) यह खंड रोगियों और स्वस्थ व्यक्तियों को योग और रियाजत प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करेगा;

(vi) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) या किसी अन्य बाह्य रोगी या अन्तः-रोगी विभाग के सलाहकार योग और रियाजत थेरेपी की सलाह देते हैं और योग शिक्षक या प्रशिक्षक, सलाहकारों के सलाह के अनुसार योग चिकित्सा प्रदान करेंगे;

(7) प्रशासनिक जोन- (क) प्रशासनिक जोन में अनुसूची-1 में यथा-विनिर्दिष्ट स्थान होगा अर्थात् साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए चार सौ वर्ग मीटर, सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए चार सौ पचास वर्ग मीटर, एक सौ पचास छात्र प्रवेश क्षमता के लिए पांच सौ वर्ग मीटर, दो सौ छात्र प्रवेश क्षमता के लिए पांच सौ पचास वर्ग मीटर और चिकित्सा निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक के निजी सहायक, उप चिकित्सा अधीक्षक, रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, रेजिडेंट सर्जिकल अधिकारी, आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी, मैट्रन, सहायक मैट्रन, कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार और अन्य कार्यालय कर्मचारी, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, डॉक्टर लाउंज, इंटर्न कक्ष, स्टाफ रूम, प्रतीक्षा लाउंज, मीटिंग हॉल, स्टोर, शौचालय, पेंटी आदि; को समायोजित करेगा।

(ख) पर्याप्त बैठने की व्यवस्था के साथ एक डॉक्टर लाउंज, संलग्न शौचालयों के साथ-साथ मनोरंजन सुविधाएं जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि शौचालयों के समवर्ती प्रदान की जाएंगी;

(ग) महिला परामर्शदाताओं के लिए पर्याप्त गोपनीयता उपलब्ध होगी;

(घ) इंटर्न रूम में व्यक्तिगत सामानों, फर्नीचर, मनोरंजन सुविधाओं जैसे टेलीविजन, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि जैसे कॉफी वेंडिंग मशीन आदि के पर्याप्त भंडारण के साथ संलग्न शौचालय की व्यवस्था की जाएगी;

(ड.) अस्पताल के कर्मचारियों के लिए बैठने की पर्याप्त सुविधा और व्यक्तिगत लॉकर या पिजन अलमीरा कम्पार्टमेंट के साथ एक स्टाफ रूम प्रदान किया जाएगा; कक्ष, शौचालयों से संलग्न होगा;

(च) बैठकों में भाग लेने के लिए कम से कम तीस सदस्यों को समायोजित करने के लिए सुसज्जित ऑडियो-विजुअल सुविधाओं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के साथ एक मीटिंग हॉल अस्पताल से संबंधित बैठकों और अस्पताल सलाहकारों की नियमित नैदानिक बैठकों के संचालन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा;

(छ) अस्पताल से संबंधित वस्तुओं को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के साथ एक स्टोर उपलब्ध कराया जाएगा और स्टोर कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए;

(ज) अस्पताल में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित की जाएगी;

(झ) सभी अस्पताल स्टाफ और इंटर्न को विनिर्दिष्ट बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए।

(8) सेवा क्षेत्र – (क) सेवा क्षेत्र में अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पर्याप्त स्थान होगा अर्थात् साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम पचास वर्ग मीटर, एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए पचहत्तर वर्ग मीटर, एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ वर्ग मीटर और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पच्चीस वर्ग मीटर होगा;

(ख) त्वरित चिकित्सा तैयारी अनुभाग सहित गिज़ा मखसूसा (विशिष्ट आहार): (i) तहफफुजी व समाजी तिब के विभाग के प्रमुख या तहफफुजी व समाजी तिब विभाग के नामित संकाय सदस्य गिज़ा मखसूसा (विशिष्ट आहार) अनुभाग के प्रभारी होंगे;

(ii) प्रशिक्षित रसोइये और मल्टी-टास्किंग कार्यबल होंगे;

(iii) अनुभाग में धोने, सफाई, खाना पकाने, पैकिंग, आपूर्ति आदि के लिए पर्याप्त स्थान और आवश्यक व्यवस्था होगी;

(iv) संबंधित सलाहकारों के सुझाव या नुस्खे पर संबंधित वार्डों द्वारा उठाए गए मा-उल- शईर, मा-उल-अस्ल, जोशांदा, खिसांदा आदि जैसी तत्काल दवाओं सहित गिज़ा मखसूसा (विशिष्ट आहार) के लिए मांग पत्र तैयार किया जाएगा और गिज़ा मखसूसा (विशिष्ट आहार) अनुभाग द्वारा आपूर्ति की जाएगी;

(v) मा- उल- शईर, मा-उल-'अस्ल, जोशांदा, खिसांदा आदि की तैयारी के लिए कच्चे माल और ताजी जड़ी-बूटियों की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी;

(vi) रसोइयों और अन्य कार्यरत कर्मचारियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की जाएगी।

(ग) शवगृह: अस्पताल में कोल्ड स्टोरेज के साथ एक शवगृह हो सकता है या शवगृह सुविधा वाले चिकित्सा प्रतिष्ठानों के साथ समझौता ज्ञापन हो सकता है और शवगृह के लिए कर्मचारियों को आउटसोर्स किया जा सकता है;

(घ) एम्बुलेंस: अस्पताल के पास प्रतिदिन चौबीस घंटे के लिए अपनी स्वयं की एम्बुलेंस सेवा होगी या अधिकृत एम्बुलेंस सेवाओं के साथ समझौता ज्ञापन किया जाएगा;

(ड.) बायोमेट्रिकल अपशिष्ट प्रबंधन: (i) अस्पताल में बायोमेट्रिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार बायोमेट्रिकल अपशिष्ट प्रबंधन की पर्याप्त प्रणाली होनी चाहिए;

(ii) संस्था के पास स्वयं की बायोमेट्रिकल अपशिष्ट निपटान प्रणाली होगी या अधिकृत बायोमेट्रिकल अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा।

(च) लांड्री: अस्पताल में धुलाई, सुखाने और प्रेस करने की सुविधाओं के साथ लांड्री होगी; गंदे और स्वच्छ लिनेन का भंडारण;

(छ) हाउसकीपिंग: कॉलेज, अस्पताल और अन्य इकाइयों के लिए हाउसकीपिंग सेवाएं पर्याप्त हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ प्रदान की जाएंगी। हाउसकीपिंग स्टाफ अनुबंध के आधार पर हो सकता है या पंजीकृत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स किया जा सकता है।

(ज) केंद्रीकृत स्टरलाइजेशन सेवाएँ: (i) एक स्वतंत्र केंद्रीकृत स्टरलाइजेशन इकाई होगी जो ऑपरेशन थिएटरों, इलाज बित तदाबीर , बाह्य-रोगी विभाग लघु प्रक्रिया कक्ष, अन्तः-रोगी विभाग वार्ड प्रक्रिया कक्ष, आकस्मिकता कक्ष, प्रसव कक्ष, लैबोरेटरी आदि कार्य-भार में सक्षम होगी।

(ii) इसमें आवश्यकतानुसार लोडिंग और अनलोडिंग के लिए अलग-अलग शीर्षों वाले पर्याप्त उपकरण, स्टेराइल रैक, पैकेजिंग मशीन, उपकरणों की सफाई करने वाली मशीन, स्टरलाइज़र, आटोक्लेव, पास बॉक्स और ट्रे आदि होंगे।

(झ) सुरक्षा सेवाएँ: (i) परिसर, कॉलेज, अस्पताल और संस्थान की अन्य इकाइयों के लिए सुरक्षा सेवाएं पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रदान की जाएंगी;

(ii) सुरक्षा सेवाओं को पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स किया जा सकता है।

(ज) रखरखाव सेल: (i) यदि कॉलेज और अस्पताल एक ही परिसर में हैं, तो विनियमन 7 के उप-विनियमन (8) में उल्लिखित एक सामान्य रखरखाव सेल पर्याप्त होगा; यदि एक ही परिसर में नहीं, तो अस्पताल के लिए एक अलग रखरखाव सेल की आवश्यकता होती है;

(ii) रखरखाव सेल सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लमिंग, कारपेंट्री, मैकेनिकल, सैनिटरी, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन उपकरण आदि से संबंधित रखरखाव कार्यों की देखभाल करेगा; और

(iii) पर्याप्त स्थान, रखरखाव के लिए उपकरण और उपयुक्त कार्यबल या तो नियुक्त या आउटसोर्स किया जाएगा।

(ट) चिकित्सा गैसों: (i) चिकित्सा गैसों के लिए पाइप गैस की आपूर्ति के साथ-साथ पोर्टेबल सिलेंडरों के लिए निर्धारित सिलेंडर उचित रूप से रखे जाएंगे;

(ii) सभी गैस पाइपलाइनों का समय-समय पर उचित रिकॉर्ड के साथ रखरखाव किया जाएगा; सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक उचित रिफिलिंग और प्रतिस्थापन प्रणाली होगी।

(ठ) फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अनुभाग: (i) नैदानिक प्रस्तुतियों और नैदानिक सफलता की कहानियों को दस्तावेज करने के लिए फोटोग्राफी और ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग सुविधाएं अकादमिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी;

(ii) यह खंड एक हरे रंग की पृष्ठभूमि, एक उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, एक कैमरा, एक वीडियो कैमरा, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली और एक ऑडियो-वीडियो संपादन सुविधा से लैस होगा; और

(iii) इस अनुभाग के लिए स्टाफ को आउटसोर्स किया जा सकता है।

(9) अस्पताल के लिए मानव संसाधन - (क) अनुसूची-IV के अनुसार साठ, सौ, एक सौ पचास और दो सौ की छात्र प्रवेश क्षमता के लिए अस्पताल के कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः पैसठ, अठहत्तर, एक सौ सात और एक सौ सत्ताईस होगी और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए योग्यता निम्नानुसार होगी-

(ख) कॉलेज या संस्थान का सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल चिकित्सा निदेशक के रूप में डीन या प्रिंसिपल या निदेशक के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होगा;

(ग) (i) चिकित्सा अधीक्षक निम्नलिखित में से किसी भी विषय में प्रोफेसर से कम योग्यता के साथ, स्नातकोत्तर होना चाहिए यथा- मोआलाजात, इलाज बित तदाबीर, अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत इल्मुल अतफ़ाल, क़बालत वा निस्वान ज़राहत, ऐन, उज़्ज, अनफ़, हलक व अस्नान, तहफ़फ़ुज़ी वा समाजी तिब जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है के प्रमुख के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है; या

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातकोत्तर, यथा- मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचा विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग), क़बालत वा निस्वान (प्रसूति और स्त्री रोग), ज़राहत, ऐन, उज़्ज, अनफ़, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) तहफ़फ़ुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा दस वर्षों के अनुभव के साथ यूनानी अस्पताल में उप चिकित्सा अधीक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है (या) यूनानी चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक के साथ मास्टर डिग्री या अस्पताल प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री के साथ यूनानी अस्पतालों में उप चिकित्सा अधीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव (या) अस्पतालों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में अस्पताल प्रशासक या मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में;

(ii) चिकित्सा अधीक्षक एक पूर्णकालिक नियमित पदधारी होगा और समवर्ती रूप से किसी भी विभाग का शिक्षण कर्मचारी नहीं होगा;

(iii) मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), मराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग), क़बालत वा निस्वान(प्रसूति एवं स्त्री रोग), ज़राहत, ऐन उज़्ज अनफ हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) तहफ़फ़ुज़ी व

समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ चिकित्सा अधीक्षक चिकित्सा निदेशक के तहत रिपोर्ट करेंगे और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(घ) (i) उप चिकित्सा अधीक्षक निम्नलिखित विषयों में से किसी में स्नातकोत्तर होना चाहिए यथा- मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराजे जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग), कबालत वा निस्वान (प्रसूति और स्त्री रोग), जराहत (सर्जरी), ऐन उज़्न अनफ हलक़ व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा), तहफ़फ़ुज़ी वा समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा); जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा

यूनानी चिकित्सा और सर्जरी स्नातक के साथ अस्पताल प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल और हेल्थकेयर प्रबंधन में मास्टर डिग्री या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दस वर्ष के नैदानिक या पेशेवर अनुभव के साथ उप चिकित्सा अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा;

(ii) उप चिकित्सा अधीक्षक एक पूर्णकालिक नियमित पदधारी होगा और किसी भी विभाग के शिक्षण स्टाफ में समवर्ती रूप से नहीं होगा, अर्थात्, एक शिक्षण कर्मचारी के अतिरिक्त होगा।

(iii) मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराजे जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचा विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग), कबालत वा निस्वान (प्रसूति और स्त्री रोग), जराहत (सर्जरी), ऐन उज़्न अनफ हलक़ व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा), तहफ़फ़ुज़ी वा समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं से नियुक्त या तैनात चिकित्सा अधीक्षक को रिपोर्ट करेंगे।

(ड.) मानव संसाधन प्रबंधन या संचालन प्रबंधन या स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले उम्मीदवार को अस्पताल के सामान्य प्रशासन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और प्रशासक चिकित्सा अधीक्षक के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(च) पांच वर्ष के नैदानिक या पेशेवर अनुभव के साथ एक यूनानी स्नातक (यूनानी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा स्नातक) को रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या रेजिडेंट शल्य-चिकित्सा अधिकारी या आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा;

(छ) फिजियोथेरेपिस्ट के पास फिजियोथेरेपी में स्नातक डिग्री की योग्यता होनी चाहिए;

(ज) मेट्रन के पास दस साल के अनुभव के साथ नर्सिंग में विज्ञान स्नातक या बारह साल के अनुभव के साथ सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी होगी, जो नर्सिंग परिषद में पंजीकृत होगी। या आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या यूनानी में नर्सिंग होना चाहिए, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा कम से कम तीन वर्ष की अवधि का हो और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या यूनानी अस्पताल में दस वर्ष का अनुभव हो।

(झ) सहायक मेट्रन के पास पांच दस साल के अनुभव के साथ नर्सिंग में विज्ञान स्नातक या सात साल के अनुभव के साथ सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी होगी, जो नर्सिंग परिषद में पंजीकृत होगी। या आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या यूनानी नर्सिंग में नर्सिंग होनी चाहिए, जिसकी अवधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा कम से कम तीन वर्ष की हो और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या यूनानी अस्पताल में पांच वर्ष का अनुभव हो।

(ञ) नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में विज्ञान स्नातक या आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या यूनानी नर्सिंग में नर्सिंग के साथ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदत्त तीन वर्ष अवधि की डिग्री धारक उम्मीदवार को नर्सिंग स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा;

(ट) मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन में डिप्लोमा या डिग्री धारक उम्मीदवार को लैब तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया जाएगा;



- (ठ) फार्मासिस्ट: मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनानी फार्मेसी में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र. यूनानी फार्मेसी में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के साथ उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, योग्य पंजीकृत यूनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर के तहत यूनानी फार्मेसी में न्यूनतम पांच साल का अनुभव रखने वाले 12 वीं कक्षा के उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है;
- (ड) स्नातकोत्तर डिग्री या संबंधित विशेषज्ञता या विषय में विशेषज्ञों के साथ आधुनिक चिकित्सा कर्मचारियों को अनुसूची-4 में यथानिर्दिष्ट अस्पताल के संबंधित क्षेत्र या अनुभाग या इकाई में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा;
- (ढ) एक्स-रे तकनीशियन: किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्स-रे तकनीशियन पाठ्यक्रम में न्यूनतम डिप्लोमा के साथ;
- (ण) चिकित्सक: कम से कम 10 वीं कक्षा के साथ इलाज बित तदावीर प्रक्रियाओं में 2 साल का अनुभव. इलाज बित तदावीर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी;
- (त) ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन- ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन में स्नातक या डिप्लोमा कोर्स।
- (थ) ऑपरेशन थिएटर सहायक- ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स।
- (द) उपर्युक्त सूची के अलावा अस्पताल के कर्मचारियों की योग्यता अनुसूची-IV के अनुसार होगी।

### अध्याय-II

**इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले स्थापित यूनानी मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा इस विनियमन में निर्दिष्ट अतिरिक्त न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूरा करने की समय सीमा।**

15. (1) इस विनियमन के प्रारंभ होने से पहले स्थापित यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान बुनियादी ढांचे के निर्माण को छोड़कर, विशिष्ट समय-सीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से आवश्यक कर्मचारियों के साथ इन विनियमों में उल्लिखित अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करेंगे; ऐसे सभी अतिरिक्त मानकों को मौजूदा भवन में ही समायोजित किया जा सकता है।
- (2) अतिरिक्त मानकों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तालिका-9 में उल्लिखित समय-सीमा अधिकतम है, और उसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- (3) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम निर्माण क्षेत्र के अनुसार ऐसी अतिरिक्त इकाइयों या वर्गों या सुविधाओं या मानकों को समायोजित करने के लिए नया निर्माण अनिवार्य होगा यदि संस्थान किसी मौजूदा पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन कर रहा हो या आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई स्नातकोत्तर या नया पाठ्यक्रम शुरू कर रहा हो।

### तालिका-9

**यूनानी मेडिकल कॉलेजों या इन विनियमों के शुरू होने से पहले स्थापित संस्थानों द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन करने के लिए समय-सीमा।**

क्र.सं.	मानक या इकाई या अनुभाग या सुविधा	न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा (इस विनियमन की आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से)
सामान्य तौर पर कैम्पस		
1	केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव कक्ष	18 महीने
2	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन	06 महीने
कॉलेज		
3	सूचना प्रौद्योगिकी सेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	06 महीने
4	डिजिटल लाइब्रेरी	18 महीने
5	क्लिनिकल स्किल या सिमुलेशन लैब	24 महीने

6	मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ	18 महीने
7	अनुसंधान और नवाचार प्रकोष्ठ	18 महीने
8	कॉलेज परिषद कक्ष	18 महीने
9	विद्यार्थी परिषद कक्ष	18 महीने
10	कैरियर गाइडन्स और प्लेसमेंट सेल सहित छात्र सहायता और मार्गदर्शन	18 महीने
11	फार्माकोविजिलेंस सेल	18 महीने
12	कुल्लियात उमूरे तबिया प्रैक्टिकल लैब कम ट्यूटोरियल रूम और भाषा प्रयोगशाला	18 महीने
13	नूट्रिशन लैबोरेटरी, तहफफुज़ी वा समाजी तिव प्रैक्टिकल लैब और म्यूजियम कम ट्यूटोरियल रूम और तिब्बुल कानून वा इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) प्रैक्टिकल लैब और म्यूजियम कम ट्यूटोरियल रूम	18 महीने
14	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के लिए औजार और उपकरण	18 महीने
हास्पिटल		
15	स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग	तत्काल
16	मेडिकल रिकॉर्ड रूम	18 महीने
17	तिब्बुल कानून वा इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग	तत्काल
18	माइनर प्रोसीजर रूम (इलाज बित तदाबीर बाह्य रोगी विभाग)	06 महीने
19	माइनर प्रोसीजर रूम (जराहत बाह्य रोगी विभाग)	06 महीने
20	लघु प्रक्रिया कक्ष (कबालत वा अमराजे निस्वान बाह्य रोगी विभाग)	06 महीने
21	लघु प्रक्रिया कक्ष (अमराजे जिल्द वा तज़ीनियत विभाग)	06 महीने
22.	लघु प्रक्रिया कक्ष(ऐन उज़्ज अनफ हलक़ व अस्नान)	06 महीने
23	नैदानिक कक्षाएं।	24 महीने
24	इन-पेशेंट डिपार्टमेंट वार्ड संलग्न मेडिकल इन-पेशेंट डिपार्टमेंट सेक्शन और सर्जिकल इन-पेशेंट डिपार्टमेंट सेक्शन के तहत प्रक्रियात्मक कमरे।	24 महीने
25	इलाज बित तदाबीर प्रक्रिया विभाग, फिजियोथेरेपी यूनिट	24 महीने
26	योग और रियाज़त थेरेपी विभाग	24 महीने
27	ग़िज़ा मखसूसा (विशिष्ट आहार) केंद्र	18 महीने
28	प्रसूति ऑपरेशन थिएटर	24 महीने
29	यूनानी शल्य चिकित्सा और पैरासर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए लघु ओटी	24 महीने
30	डॉक्टर्स लाउंज	24 महीने
31	प्रशिक्षु कक्ष	24 महीने
32	अस्पताल स्टाफ कक्ष	24 महीने
33	अस्पताल मीटिंग हॉल	24 महीने

### अध्याय-III

#### पूरी तरह से स्थापित मौजूदा यूनानी मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों का जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन

**16. जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन-** इस विनियमन के शुरू होने के बाद, अधिनियम की धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित यूनानी चिकित्सा संस्थान को निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा: अर्थात्, 'विस्तारित अनुमति' श्रेणी के तहत कॉलेज या संस्थान और जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन, अनुमति एवं प्रवेश उद्देश्यों हेतु 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी के तहत कॉलेज या संस्थान।

(1) (क) धारा 28 के अधीन कोई पूर्ण स्थापित संस्थान जिसके लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पहले पिछले तीन वर्षों से लगातार अनुमति दी गई है, उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विस्तारित अनुमति श्रेणी के तहत कॉलेज या संस्थान माना जाएगा;

(ख) विस्तारित अनुमति का प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू नहीं होगा:

(i) यदि कॉलेज या संस्थान ने भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 28 उपधारा (1) खंड (एफ) में उल्लिखित प्रावधानों के भीतर कार्रवाई की है;

(ii) यदि कॉलेज या संस्थान के खिलाफ कोई लंबित कानूनी मुद्दे या अनुशासनात्मक कार्रवाई की है;

(iii) यदि कॉलेज या संस्थान ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग हेतु राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी परामर्श और प्रवेश दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट छात्रों के प्रवेश पर विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

(iv) यदि वह कॉलेज या संस्थान जिसने स्नातक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या या छात्रों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को आवेदन किया है; और

(v) यदि किसी संस्थान ने भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से विस्तारित अनुमति के वर्ष के लिए डिजिटलीकरण शुल्क सहित वार्षिक निरीक्षण शुल्क राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के बैंक खाते में जमा नहीं किया है;

(ग) विस्तारित अनुमति की श्रेणी के तहत चिकित्सा संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति मांगे बिना या प्राप्त किए बिना ही स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार हर साल छात्रों को प्रवेश देने के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के तब तक हकदार हैं, जब तक कि अन्यथा इनकार या निर्दिष्ट न किया जाए, जब तक कि वार्षिक जाँच या निरीक्षण एवं मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा मना या विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(2) (क) धारा 28 के अधीन पूर्ण रूप से स्थापित चिकित्सा संस्थान जो विनियम 16 के उप-विनियमन (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा;

(ख) वार्षिक अनुमति श्रेणी के अंतर्गत चिकित्सा संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त करने के बाद ही प्रतिवर्ष छात्रों को प्रवेश देने के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

(3) (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा हर साल किया जाने वाला स्वतः (suo-moto) जाँच या निरीक्षण एवं मूल्यांकन विस्तारित अनुमति जारी रखने या छात्रों को प्रवेश देने के लिए वार्षिक अनुमति देने या अधिनियम की धारा 28 उप-धारा (1) के खंड (एफ), में उल्लिखित प्रावधानों के तहत ऐसे उपाय करने के लिए होगा।

(ख) सभी चिकित्सा संस्थान, विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति श्रेणी की परवाह किए बिना, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और समय-सीमा में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर (स्व-प्रकटीकरण) डेटा (वास्तविक समय या आवधिक) या जानकारी या दस्तावेज़ अपलोड करते रहेंगे;

(ग) सभी चिकित्सा संस्थान, चाहे वे किसी भी श्रेणी (विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति) के हों, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि और विधि के भीतर नीचे दिए गए अनुसार वार्षिक निरीक्षण या जांच शुल्क (जांच शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क) जमा करेंगे;

(i) जाँच शुल्क 60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए 2 लाख रुपये; 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 3 लाख रुपये; 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 4 लाख रुपये और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 5 लाख रुपये होगा;

(ii) डिजिटलीकरण शुल्क: 50,000 रुपये होगा,

(iii) लागू करों के साथ 60, 100, 150 और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए कुल मिलाकर वार्षिक जाँच शुल्क (जाँच शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क) क्रमश 2,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये और 5,50,000 रुपये होगा;

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विस्तारित अनुमति श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत चिकित्सा संस्थान इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों का पूर्ण अनुपालन करते हुए एक शपथ पत्र (समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और प्रस्तुत करने की अवधि के अनुसार) प्रस्तुत करेगा;

(ङ.) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड कॉलेज या संस्थान द्वारा इन विनियमों में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति का आकलन करने के लिए शैक्षिक वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष किसी भी समय वार्षिक जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन (भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर विकसित मैनुअल में विनिर्दिष्ट तरीके और मोड में) आयोजित करेगा;

(च) मूल्यांकन की अवधि जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन के महीने से बारह महीने पहले होगी;

(छ) स्पष्टीकरण: यदि किसी संस्थान का मूल्यांकन या निरीक्षण किया जा रहा है या अगस्त 2024 के महीने में दौरा किया जा रहा है, तो मूल्यांकन की अवधि 1 अगस्त, 2023 से 31 जुलाई, 2024 तक होगी;

(ज) मूल्यांकन के पश्चात्, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड प्रत्येक वर्ष प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुष केन्द्रीय परामर्श समिति द्वारा केन्द्रीय परामर्श प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से साठ दिन पहले सामान्यतया वार्षिक अनुमति श्रेणी के अंतर्गत संस्थान को जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन के निर्णय की सूचना देगा;

(झ) यदि विस्तारित अनुमति श्रेणी के तहत किसी कॉलेज को हर साल प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुष केन्द्रीय परामर्श समिति द्वारा केन्द्रीय परामर्श से सामान्य रूप से साठ दिन पहले कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाता है कि कॉलेज को विस्तारित अनुमति का दर्जा प्राप्त है और उसे संबंधित विनियमों के प्रावधान के अनुसार परामर्श और प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

(ञ) मूल्यांकन या निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, दस्तावेजों में, आंकड़ों में, या न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करने में या विस्तारित अनुमति श्रेणी के तहत संस्थान या कॉलेज की कार्यक्षमता में कोई कमी पाई जाती है, और इसके आधार पर, यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 28, उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अनुसार न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा न करने के कारण कोई कार्रवाई शुरू करता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020, ऐसे मामले में, ऐसे संस्थानों के लिए विस्तारित अनुमति की स्थिति वापस ले ली जाएगी, और इसे 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा और वार्षिक अनुमति श्रेणी से संबंधित सभी नियम और विनियम लागू होंगे; ऐसे संस्थान इन विनियमों में विनियम 16 के उप-विनियमन (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद ही 'विस्तारित अनुमति' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं;

(ट) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को किसी भी समय और वर्ष में कितनी भी बार जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन के लिए संस्थानों का पुनः दौरा करने की शक्ति होगी;

(ठ) जो कॉलेज छात्रों को प्रवेश न देने की अनुमति मांग रहे हैं या जिस कॉलेज या संस्थान ने भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा लगातार पांच शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, उसे बंद माना जाएगा; यदि ऐसा कॉलेज फिर से शुरू करना चाहता है, तो उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 29 के तहत नई स्थापना की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

(ड) नए चिकित्सा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 29 के तहत विनिर्दिष्ट 'दोषों को सुधारने' का प्रावधान धारा 28 के तहत मौजूदा पूरी तरह से स्थापित संस्थानों पर लागू नहीं होगा; चूंकि ये आवश्यक न्यूनतम मानक हैं, इसलिए धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित मौजूदा चिकित्सा संस्थानों को "दोषों

को सुधारने" का कोई मौका नहीं दिया जाएगा; हालांकि, अनुमति से इनकार करने या सीटों की कमी आदि का आदेश जारी करने से पहले, ऐसे चिकित्सा संस्थान को अपील और सुनवाई को प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा;

(ड) (i) यदि कोई कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड के निर्णय से व्यथित है, तो वह अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) के अनुसार ऐसे निर्णय के खिलाफ भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड के ऐसे निर्णय की सूचना के चौबीस (24) दिनों के भीतर आयोग में अपील (पहली अपील) कर सकता है।

(ii) यदि कोई संस्थान आयोग के किसी निर्णय से व्यथित है, तो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (6) के अनुसार आयोग द्वारा ऐसे निर्णय की सूचना के पंद्रह (15) दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के खिलाफ केन्द्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।

#### अध्याय-IV

#### पूरी तरह से स्थापित यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान की योग्यता का निर्धारण (रेटिंग)

17. (1) इस विनियम के लागू होने के बाद, विस्तारित अनुमति दर्जा रखने वाले पूर्ण रूप से स्थापित मौजूदा प्रत्येक यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान की योग्यता का निर्धारण (रेटिंग) हर साल किया जाएगा।

(2) योग्यता के निर्धारण करने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 28 के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नामित किसी भी एजेंसी द्वारा यूनानी, सिद्ध और सोव-रिग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्रों और मानकों पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से की जाएगी।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों की पहचान करेगा और रेटिंग एजेंसियों की सूची बनाएगा।

(4) समिति द्वारा पहचान की गई स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों की सूची को समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के समक्ष रखा जाएगा ताकि सूची को अंतिम रूप दिया जा सके और " भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड - एम्पैनल रेटिंग एजेंसीज" को तैयार किया जा सके और संबंधित वित्तीय निहितार्थों के लिए भी आयोग का अनुमोदन किया जा सके।

(5) उप-विनियमन (1) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार योग्यता के निर्धारण (रेटिंग) हेतु पात्र ऐसे चिकित्सा संस्थानों पर ऐसी रेटिंग एजेंसी तक पहुंच प्रदान करना अनिवार्य होगा।

(6) यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान को न्यूनतम आवश्यक मानकों के अलावा मानदंड या मानकों के आधार पर योग्यता का निर्धारण (रेट) किया जाएगा।

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ऑनलाइन मंच पर संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों पर रेटिंग उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा।

(8) संस्था द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन डेटा और रेटिंग के लिए भौतिक सत्यापन या मूल्यांकन के बीच वेटेज का अनुपात 70:30 होगा (सत्तर प्रतिशत. ऑनलाइन डेटा सत्यापन और तीस प्रतिशत. भौतिक सत्यापन)।

(9) (क) योग्यता का निर्धारण (रेटिंग) के लिए मूल्यांकन के बाद, विस्तारित अनुमति श्रेणी के तहत यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान को कॉलेज या संस्थान द्वारा प्राप्त मूल्यांकन स्कोर के आधार पर ग्रेड 'ए', ग्रेड 'बी', ग्रेड 'सी' या ग्रेड 'डी' में वर्गीकृत किया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, आयोग की वेबसाइट या सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा, अखिल भारतीय आयुष केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू होने से पहले मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग; भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर मूल्यांकन और रेटिंग के ऐसे डेटा अपलोड करने के लिए प्रारूप और प्रक्रिया तैयार करेगा।

(ख) ऐसे यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान जो रेटिंग के लिए पात्र नहीं हैं, वे हैं -

(i) अधिनियम की धारा 29 के उपबंधों के अधीन ऐसे यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान जो स्थापना के दौर से गुजर रहे हैं;

- (ii) ऐसे यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान जो वार्षिक अनुमति श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत हैं;
- (iii) ऐसे यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान, जिन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है;
- (iv) अधिनियम की धारा 28 के उपधारा (1), खंड (एफ), में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किए गए उपाय।
- (10) ग्रेड 'ए', से सम्मानित संस्थान, जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से संबंधित शुल्क निर्धारण प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, के द्वारा ग्रेड 'A' धारण करने के वर्षों के दौरान भर्ती किए गए विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त पांच प्रतिशत विकास शुल्क वसूलने के हकदार है।
- (11) ऐसी स्थिति में जब किसी डीम्ड विश्वविद्यालय या स्वायत्त संस्थान को ग्रेड 'ए', से सम्मानित किया जाता है, तो ऐसे चिकित्सा संस्थान पाठ्यचर्या की स्वतंत्रता के लिए पात्र हैं, यानी, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा पाठ्यक्रम और सिलेबस में उल्लिखित "नाइस टू नो" श्रेणी में संशोधन किया गया है।
- (12) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या ग्रेड 'ए', ग्रेड 'बी', श्रेणीबद्ध संस्थान केवल मौजूदा कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि लागू करने या अधिनियम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई नया या स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए पात्र होंगे।
- (13) यूनानी मेडिकल कॉलेज या किसी भी ग्रेड के संस्थान, यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 28 के खंड (एफ), उपधारा (1) के प्रावधानों के लिए कार्रवाई की जाती है, तो ग्रेड को वापस ले लिया गया माना जाएगा, और ग्रेड की वापसी के लिए कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। यदि ऐसा कोई कॉलेज या संस्थान ग्रेड का उपयोग करना जारी रखता है, तो ऐसे संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन माना जाएगा।
- (14) चिकित्सा संस्थानों को संस्थान द्वारा प्राप्त रेटिंग स्कोर के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि निम्नलिखित तालिका -10 में उल्लिखित है।

#### तालिका-10

#### रेटिंग स्कोर और ग्रेड

रेटिंग स्कोर	ग्रेड
75 और उससे अधिक	'ए'
50-74	'बी'
25-49	'सी'
24 तक	'डी'

(15) वार्षिक रेटिंग शुल्क का भुगतान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि में ऑनलाइन (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से लागू करों के साथ किया जाएगा और शुल्क विवरण निम्नानुसार हैं।

- (i) साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले स्नातक महाविद्यालय- दो लाख पचास हजार रुपये;
- (ii) एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता: तीन लाख रुपये;
- (iii) एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता तीन लाख पचास हजार रुपये;
- (iv) दो सौ छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता: चार लाख रुपये।

#### अध्याय-V

#### नए यूनानी स्नातक चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की स्थापना

18. नए यूनानी स्नातक कॉलेज या संस्थान की स्थापना भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एक्ट, 2020 की धारा 29 के अनुसार होगी।

(1) सामान्य अनुदेश - (क) नई योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी;

(ख) एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन (एक विश्वविद्यालय, सोसायटी, ट्रस्ट, या कोई अन्य निकाय, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है) इस विनियमन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में होगा, साथ ही लागू गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क जैसा कि विनियमन 18 के उप-विनियमन (5) में उल्लिखित है।

(ग) अपूर्ण आवेदन पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा;

(घ) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है और अंतिम तिथि से पहले आवेदन वापस लेने की ऐसी स्थिति में, प्रसंस्करण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा;

(ङ.) स्थानीय भाषा में कोई भी दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;

(च) कोई भी व्यक्ति भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना एक नए यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की स्थापना नहीं करेगा।

(छ) यह समझा जाता है कि आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 और संबंधित विनियमों का अध्ययन और समझ होनी चाहिए।

(2) पूर्व-अपेक्षित - (क) नए यूनानी स्नातक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन प्रति वर्ष साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ सीटों की छात्र प्रवेश क्षमता के लिए होगा;

(ख) आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करते समय, कार्यात्मक यूनानी चिकित्सा अस्पताल उचित पंजीकरण के साथ स्थापना के बाद न्यूनतम चौबीस महीने (यानी, दो साल से कम नहीं) के लिए पूरा किया जाना चाहिए;

(ग) अस्पताल के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से उपयुक्त पंजीकरण कराना अनिवार्य है;

(घ) अस्पताल की कार्यक्षमता के दो वर्षों के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा;

(i) अस्पताल के नाम पर एक स्वतंत्र खाते में राष्ट्रीयकृत बैंक में परामर्शदाताओं और अन्य अस्पताल कर्मचारियों के वेतन को दर्शाने वाले बैंक लेनदेन पर;

(ii) अस्पताल की कार्यक्षमता को दर्शाने वाले बैंक लेनदेन, जैसे दवाओं और अस्पताल के उपभोग्य सामग्रियों की आवधिक खरीद, प्रासंगिक करों का भुगतान, अस्पताल की आय आदि पर;

(iii) अस्पताल के अच्छी तरह से प्रलेखित (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) रिकॉर्ड, जिसमें बाह्य रोगी विभाग या रोगी विभाग में रोगी की उपस्थिति, अस्पताल के रखरखाव को दर्शाने वाले दस्तावेज और स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों का नवीकरण पर;

(iv) अस्पताल के पास आवेदन के समय कम से कम प्रवेश स्तर का राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन होगा।

(v) अनुसूची-I और अनुसूची-II के अनुसार अपेक्षित निर्माण क्षेत्र वाले प्रस्तावित भवनों की निर्माण योजना को प्रमाणित या अनुमोदित करने वाला स्थानीय प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र जो विनिर्दिष्ट भूमि में समायोजित किया जाएगा, आवेदन के समय प्रदान किया जाना चाहिए।

(ङ) एक ही न्यास या सोसायटी या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किन्हीं दो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों के बीच की दूरी पच्चीस किलोमीटर से कम नहीं होगी।

(3) कम से कम दो वर्ष की कार्यक्षमता वाले अस्पताल की आवश्यकताएं: यूनानी मेडिकल स्नातक महाविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से समाज या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या कोई अन्य निकाय चरणबद्ध तरीके से अस्पताल शुरू कर सकता है:

(क) अस्पताल मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदावीर (रेजिमेनल थेरेपी), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज्ज, अनफ्र, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा), अमराज़े ज़िल्द व तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), कबालत वा निस्वान (प्रसूति और स्त्री रोग), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग), तहफ़फ़ुज़ी और सामाजिक चिकित्सा के बाह्य रोगी विभाग से शुरू होगा; तहफ़फ़ुज़ी वा समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के तहत इल्मुल समूम (नैदानिक विष विज्ञान); और इसाबात (आपातकाल या हताहत) होंगे।

(ख) चालीस प्रतिशत बेड अधिभोग वाले अंत रोगी विभाग, न्यूनतम तीस बिस्तरों के साथ एक ऑपरेशन थिएटर, एक मामूली ऑपरेशन थिएटर, एक लेबर रूम, एक नैदानिक प्रयोगशाला, एक इमेजिंग सेक्शन, एक दवा की दुकान, एक इलाज वित्त तदाबीर प्रक्रिया अनुभाग, एक फिजियोथेरेपी यूनिट और एक योग और रियाजत अनुभाग से जुड़ा होंगे।

(ग) अस्पताल की स्थापना के दूसरे वर्ष के दौरान, अस्पताल रोगी विभाग की क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाएगा ताकि आवेदन के समय, अस्पताल में साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए साठ बिस्तर, एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ बिस्तर, एक सौ पचास क्षमता के लिए एक सौ पचास बिस्तर होंगे, और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ बिस्तर होंगे;

(घ) अवसंरचना और मानव संसाधनों में क्रमिक वृद्धि चार चरणों से अधिक नहीं होगी, जिसे उपयुक्त दस्तावेजों जैसे भूमि, निर्माण, उपकरणों की खरीद, मानव संसाधन की नियुक्ति, वेतन और अस्पताल का खर्च अन्य द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(ड.) आवेदन या प्रस्ताव या योजना जमा करने के समय, अस्पताल सभी बाह्य-रोगी विभागों, अंत:रोगी विभागों और अन्य इकाइयों या अनुभागों के साथ अस्पताल के लिए उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक विनियम मानकों के साथ पूरी तरह कार्यात्मक होगा।

(च) बाह्य-रोगी विभाग की उपस्थिति, अंत:रोगी विभाग के बिस्तरों की संख्या और बिस्तर अधिभोग: आवेदन के समय अस्पताल में खंड (ज) उप-विनियम (3) विनियम 14 के अनुसार प्रत्येक प्रवेश क्षमता के लिए प्रति दिन विनिर्दिष्ट औसत बाह्य-रोगी विभाग की उपस्थिति होगी। (अर्थात्, साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए प्रति दिन एक सौ बीस मरीज़, एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ मरीज़; एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन सौ मरीज़ और दो के लिए चार सौ मरीज़ सौ छात्र प्रवेश क्षमता), न्यूनतम संख्या में अंत:रोगी विभाग के बिस्तरों के साथ यानी साठ प्रवेश क्षमता के लिए साठ बिस्तर, एक सौ छात्र प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ बिस्तर; एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए एक सौ पचास बिस्तर दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ बिस्तर, इन विनियमों में खंड (त), उप-विनियम (5) विनियम 14 के अनुसार और इन विनियमों के विनियम 14 के तहत उप-विनियम (5), खंड (थ), के अनुसार और न्यूनतम औसत बिस्तर अधिभोग चालीस प्रतिशत है।

(छ) आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करने के महीने से पूर्ववर्ती चौबीस महीनों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दो साल की कार्यक्षमता पर विचार किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण:** यदि आवेदन अक्टूबर 2024 के महीने में जमा करना है, तो अस्पताल के अस्तित्व और इसकी कार्यक्षमता के दो वर्षों की गणना 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2024 तक की जाएगी।

**(4) आवेदन करने की पात्रता.-** इन विनियमों के तहत नए यूनानी चिकित्सा स्नातक महाविद्यालय या संस्थान की स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए, एक व्यक्ति या आवेदक (समाज या ट्रस्ट या विश्वविद्यालय या कोई अन्य निकाय) पात्र होगा यदि,

(क) आवेदक का एक उद्देश्य भारतीय चिकित्सा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करना होगा;

(ख) आवेदक के पास अध्याय-1 के तहत विनियम-5 के अनुसार छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता वाली भूमि होनी चाहिए;

(ग) आवेदक के पास या तो आवेदक निकाय के नाम पर कम से कम तीस साल के लिए पट्टे पर भूमि होगी, और पट्टे की समाप्ति से पहले इसे नवीनीकृत किया जाएगा;

(घ) भूमि के लिए पट्टा समझौते वाले संस्थान के मामले में, संस्थान को पट्टे की अवधि के अंतिम पांच वर्षों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि संस्थान हर साल एक नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि पट्टा समाप्ति से पहले नवीनीकृत किया जाएगा। पट्टे का और बाद में पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले नवीनीकृत पट्टा समझौते को प्रस्तुत करता है;

(ड.) एक ही ट्रस्ट या सोसायटी या विश्वविद्यालय या किसी अन्य निकाय द्वारा संचालित किन्हीं दो यूनानी मेडिकल कॉलेजों के बीच की दूरी पच्चीस किलोमीटर से कम नहीं होगी;

(च) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से फॉर्म-सी (अनुलग्नक-III) में "अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र" प्राप्त किया, जिसे आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाएगा;



(छ) नए यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संविधि के तहत स्थापित संबंधित विश्वविद्यालय से फॉर्म-ई (अनुलग्नक-V) में संबद्धता की सहमति प्राप्त की, जिसमें संबद्धता के लिए शैक्षणिक वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो, जिसे आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाएगा; यदि विश्वविद्यालय स्वयं एक आवेदक है, तो संबद्धता की सहमति की आवश्यकता नहीं हो सकती है;

(ज) आवेदन के समय संस्थागत स्थापना के पहले चरण के लिए विनियमन 18 के उप-विनियमन (11) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवसंरचना, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करना; इसके अलावा, संस्थान में विनियमन 18 के उप-विनियमन (11) के खंड (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट समय में दूसरे तीसरे और चौथे चरणों के लिए बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और मानव शक्ति स्थापित करना

(झ) एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है कि छात्रों का प्रवेश भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन परामर्श के माध्यम से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए योग्यता के आधार पर सख्ती से किया जाएगा;

(ञ) आवेदक संस्थान, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है कि यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए नामित भूमि और भवन केवल यूनानी मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों को छोड़कर कोई अन्य पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या कॉलेज संचालित नहीं किए जाएंगे;

(ट) आवेदक संस्थान, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है कि पाठ्यक्रमों का नामकरण और शिक्षक-छात्र अनुपात संबंधित विनियमों में निर्धारित अनुसार रखा जाएगा;

(ठ) आवेदक संस्थान यह वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि उसने प्रस्तावित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की किसी भी कक्षा, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या प्रशिक्षण में छात्रों को पहले ही प्रवेश नहीं दिया है;

(ड) आवेदक तालिका-11 में दर्शाए अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि के पक्ष में पांच वर्षों के लिए वैध प्रतिभूति जमा करने की स्थिति में होगा;

### तालिका-11

#### छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार सुरक्षा जमा राशि का विवरण

क्र.सं. (1)	छात्र प्रवेश क्षमता (2)	सुरक्षा जमा राशि (रुपये में) (3)	भुगतान का प्रकार (4)
1	60	1.0 crore	" भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि" के पक्ष में ऑनलाइन स्थानांतरण (एनईएफटी/आरटीजीएस)
2	100	2.0 crore	
3	150	3.0 crore	
4	200	4.0 crore	

(ढ) आवेदक समझता है कि कॉलेज की स्थापना के बाद से पांच साल पूरे होने के बाद ही संस्थान को सुरक्षा राशि वापस की जाएगी।

(ण) जमानत राशि पांच साल के बाद ब्याज के बिना कॉलेज खाते में वापस कर दी जाएगी; बशर्ते, कॉलेज के खिलाफ कोई वित्तीय शिकायत लंबित नहीं होगी या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण लंबित जुर्माना राशि नहीं होगी।

बशर्ते कि केंद्र या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शासित कॉलेजों पर सुरक्षा जमा लागू नहीं होगी, यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करने का वचन देते हैं जब तक कि उनके द्वारा इंगित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाती हैं।

**(5) आवेदन की विधि और शुल्क विवरण:** (क) नया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों और गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क (दो लाख रुपये) और प्रसंस्करण शुल्क (साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए क्रमशः दस लाख, पंद्रह लाख, बीस लाख और पच्चीस लाख रुपये) के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फॉर्म-ए (अनुलग्नक-1) ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों में आवेदन जमा करेगा। लागू करों के साथ "भारतीय चिकित्सा पद्धति

राष्ट्रीय आयोग निधि" के पक्ष में ऑनलाइन (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर -एनईएफटी या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट-आरटीजीएस) किया जाएगा।

(ख) आवेदक एक आधिकारिक ई-मेल पहचान दस्तावेज और संपर्क नंबर प्रदान करेगा, जिसका उपयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा सभी आधिकारिक सूचना के लिए किया जाएगा। ये सूचना-विवरण तब तक मान्य होते हैं जब तक कि आवेदन या प्रस्ताव या योजना को अनुमोदित या अस्वीकृत नहीं किया जाता है;

(ग) एक बार योजना अनुमोदित हो जाने के बाद, कॉलेज अध्याय-1 के विनियम 13 में विनिर्दिष्ट एक आधिकारिक मेल पहचान दस्तावेज तैयार करेगा और इसे एक आधिकारिक मोबाइल नंबर के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग को सूचित करेगा, जिसका उपयोग सभी सरकारी सूचनाओं के लिए किया जाएगा।

**(6) आवेदन का प्रसंस्करण.-** (क) सभी प्राप्त आवेदनों को एक अस्थायी पहचान दस्तावेज ("टी" (अस्थायी), "यू" (यूनानी) के बाद आवेदन का वर्ष प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद उस विशेष वर्ष में प्राप्त आवेदनों की क्रम संख्या होगी।

**व्याख्या:** यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 2023 में प्राप्त पहले आवेदन को 2023 टीयू001 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा; 2023 टीयू002 के रूप में दूसरा आवेदन क्रमांकित किया जाएगा; इत्यादि।

(ख) आवेदक द्वारा सभी सरकारी पत्राचारों में एक ही अस्थायी पहचान दस्तावेज उद्धृत किया जाएगा और यह अस्थायी पहचान दस्तावेज भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन की अनुमति पत्र जारी करने या अस्वीकार करने तक मान्य होगा;

(ग) निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी:

- (i) आवेदक पात्रता;
- (ii) पूर्व-अपेक्षित;
- (iii) स्थापना के पहले चरण के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति;
- (iv) आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क;
- (v) सहायक दस्तावेज़;
- (vi) अस्पताल के आंकड़े;
- (vii) आधिकारिक बैंक खातों में लेनदेन (अस्पताल और कॉलेज के लिए अलग खाता);
- (viii) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य।

### **(7) आशय पत्र जारी करना-**

(क) जांच के बाद, आवेदनों को दो श्रेणियों के तहत संसाधित किया जाएगा यानी प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदन और कमियों वाले आवेदन:

**(i) प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदन:** (क) इस विनियमन में निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक संस्थान का निरीक्षण किया जाएगा या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दौरा किया जाएगा;

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड आवेदक संस्थान द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए डेटा एवं दस्तावेजों और निरीक्षण एवं जाँच के दौरान आगंतुकों द्वारा की गई टिप्पणियों का सत्यापन करेगा, और यदि आवेदन पूरा पाया गया तो आवेदक संस्थान को अधिनियम की धारा 29 के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा एक आशय पत्र जारी किया जाएगा;

(ग) यदि आगंतुकों द्वारा निरीक्षण या यात्रा के दौरान कोई कमी देखी जाती है तो उसे आवेदक संस्थान को सूचित किया जाएगा और विनियम 18, उप.विनियमन (7), खंड (क) उपखंड (ii) मद (घ) में उल्लिखित कमियों को छोड़कर दोषों को सुधारने का अवसर दिया जाएगा।

(घ) संस्था द्वारा प्रस्तुत आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट, जिसे दोषों के सुधार का अवसर दिया गया है, निर्दिष्ट कमियों के लिए जांच के अधीन होगी, और यदि पूरा पाया जाता है, तो आवेदन स्वीकृत किया जाता है और एक पत्र दिया जाता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आशय पत्र जारी किया जाएगा; यदि आवेदन पूरा नहीं पाया जाता है या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन अस्वीकृत और खारिज कर दिया जाएगा।

**(ii) कमियों वाले आवेदन:** (क) कमियां पाए जाने वाले आवेदनों को सुधार और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदक संस्थान को सूचित किया जाएगा;

(ख) विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदक संस्थान द्वारा कमियों के सुधार के बाद प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट, आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा फिर से जांच की जाएगी; यदि आवेदन और संलग्न दस्तावेजों को पूरा पाया जाता है तो आवेदक संस्थान का निरीक्षण एवं जाँच या दौरा किया जाएगा;

(ग) निरीक्षण एवं जाँच के बाद, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षण या जाँच के दौरान आगंतुकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा; यदि अनुपालन रिपोर्ट और टिप्पणियों को पूरा पाया जाता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदक संस्थान को आशय पत्र जारी किया जाएगा; यदि पूरा नहीं पाया गया, तो आवेदन अस्वीकृत और अस्वीकार कर दिया जाएगा;

(घ) गंभीर प्रकृति की कमियाँ, जैसे इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों में कमियाँ, जैसे अस्पताल की गैर-कार्यशीलता, भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता या भूमि विवाद, कार्यशील अस्पताल के अस्तित्व की अपर्याप्त अवधि, की अनुपलब्धता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति की अनुपलब्धता, कॉलेज या अस्पताल के निर्मित क्षेत्र में कमी आदि दोषों को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा और ऐसे आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

(ख) नए आवेदन के लिए कोई छूट नीति लागू नहीं होगी;

(ग) आशय पत्र केवल उस विशेष वर्ष के लिए वैध होगा; यदि आवेदक अनुमति पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है, तो जारी किया गया आशय पत्र लगातार वर्षों तक लागू नहीं होगा, और ऐसे मामले में, आवेदक को एक नए कॉलेज की स्थापना के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा; और

(घ) निरीक्षण एवं जाँच के लिए और आशय पत्र जारी करने के लिए जाँच शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क विनियम 16 के उप-विनियम (3) के खंड (ग) के अनुसार होगा।

**(8) अनुमति पत्र जारी करना:** (क) जिस संस्थान को आशय पत्र प्राप्त हुआ है, वह संस्थान की स्थापना के पहले चरण के लिए विनिर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों, शिक्षण, गैर-शिक्षण और अस्पताल कर्मचारियों के विवरण को पूरा करके अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और आशय पत्र के संचार के साठ दिनों के भीतर आयोग को विनियम 18 के उप-विनियम (4)खंड (ड) में उल्लिखित सुरक्षा जमा (जैसा कि तालिका -11 में विस्तृत है) आयोग को पत्र की सूचना के साठ दिनों के भीतर जमा करना होगा;

(ख) सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड एक निरीक्षण या जाँच करेगा;

(ग) निरीक्षण या जाँच के बाद, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षण या जाँच के दौरान आगंतुकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा, और यदि यह पाया जाता है कि आवेदक संस्थान सभी अपेक्षित न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा कर रहा है, संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि के विशिष्ट संस्थागत पहचान दस्तावेज (जारी करने का वर्ष जिसके बाद 'यूएनआई' और उसके बाद 5 अंकों का क्रमांक होगा; उदाहरण के लिए, पहले के लिए पहचान दस्तावेज) के साथ अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। वर्ष 2024 के दौरान प्राप्त कॉलेज की अनुमति 2024UNI00001 होगी; दूसरा कॉलेज 2024UNI00002 और इसी तरह) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के लिए संस्थागत लॉगिन क्रेडेंशियल सहित; यदि न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा नहीं पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृत और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(घ) आवेदक को आवेदन या प्रस्ताव या योजना जमा करने की अंतिम तिथि से छह महीने के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन या प्रस्ताव या योजना की मंजूरी या अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा;

(ड.) अनुमति पत्र प्राप्त संस्थान आधिकारिक मोबाइल नंबर के साथ-साथ अध्याय-1 के इस विनियमन 8 में निर्दिष्ट आधिकारिक ई-मेल पहचान दस्तावेज को दस कार्य दिवसों के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड (president.marbism@ncismindia.org) को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अद्वितीय संस्थागत पहचान दस्तावेज का हवाला देते हुए सूचित करेगा, और उसके बाद सभी आधिकारिक पत्राचार इन कार्यालयों के माध्यम से होंगे; और

(च) अनुमति पत्र जारी करने के लिए निरीक्षण या जाँच शुल्क और निरीक्षण या जाँच के लिए डिजिटलीकरण शुल्क विनियम 16 के उप-विनियम (3) के खंड (ग) के अनुसार होगा।

**(9) अपील:-** भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अनुसार, पीड़ित आवेदक निम्नलिखित स्थितियों में नीचे विनिर्दिष्ट तरीके से अपील कर सकता है:

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा योजना या आवेदन या प्रस्ताव की अस्वीकृति के मामले में, या योजना प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है। या नए यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए आवेदन या प्रस्ताव, असंतुष्ट आवेदक अस्वीकृति या अस्वीकृति के ऐसे संचार के पंद्रह दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकता है; या योजना प्रस्तुत करने की अवधि से छह महीने की अवधि बीत जाने के बाद अपील कर सकता है।

(ख) अपील ऑनलाइन, ऑफलाइन या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है;

(ग) अपील प्राप्त होने पर, आयोग अपील की जांच करेगा, और पीड़ित आवेदक को पंद्रह दिनों के भीतर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा; यदि आयोग को पता चलता है कि आवेदक सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा कर रहा है, तो आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को आवेदन पर विचार करने का निर्देश देगा। यदि आवेदक न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, तो आयोग आवेदन को अस्वीकार कर देगा; किसी भी मामले में, आयोग अपील प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को ऐसे निर्णय के बारे में सूचित करेगा;

(घ) आयोग द्वारा अस्वीकृति या इनकार के मामले में या आयोग द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, अपील की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, पीड़ित आवेदक केंद्र सरकार (आयुष मंत्रालय) को दूसरी अपील कर सकता है। ऐसी अस्वीकृति के सात दिनों के भीतर या अपील दायर करने की तारीख से पंद्रह दिनों की समाप्ति अवधि के भीतर अपील कर सकता है।

**(10) अनुमति के नवीनीकरण का मुद्दा:-** (क) एक बार एक नया यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करने और छात्रों के पहले बैच को प्रवेश देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाता है, वह अनुमति पत्र केवल एक वर्ष के लिए वैध होगा और छात्रों को प्रवेश देने के लिए अधिनियम की धारा 29 के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति वार्षिक आधार पर नवीनीकृत की जाएगी जब तक कि संस्थान धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता। जैसा कि तालिका-12 में दिखाया गया है;

(ख) संस्थान द्वारा जारी अनुमति पत्र संस्था की स्थापना के दूसरे चरण के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति पर अनुपालन प्रस्तुत करेगा।

(ग) अनुपालन रिपोर्ट अनुमति पत्र की समाप्ति से छह महीने पहले संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी;

(घ) अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड निरीक्षण एवं जाँच करेगा।

(ड.) निरीक्षण एवं जाँच के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और आगंतुकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा, और न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने के लिए अनुमति का पहला नवीनीकरण जारी करेगा जैसा कि तालिका-12 में दिखाया गया है;

(च) छात्रों के तीसरे और चौथे बैच को प्रवेश देने की अनुमति के दूसरे और तीसरे नवीनीकरण के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(छ) संस्थान को तीसरे नवीनीकरण के बाद के वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 28 के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा पूरी तरह से स्थापित संस्थान माना और माना जाएगा। जैसा कि तालिका-12 में दिखाया गया है, जब तक अन्यथा भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति नहीं दी जाती;

### तालिका -12

आशय पत्र, अनुमति पत्र और नए यूनानी मेडिकल कॉलेजों की अनुमति का नवीनीकरण

चरणवार स्थापना

क्र.सं. (1)	धारा 28 और धारा 29 (2)	अनुमति या नवीनीकरण (3)	वर्ग (4)	बैच (5)
1	29	आशय का पत्र	विचाराधीन संस्थान	कोई प्रवेश नहीं
2		अनुमति पत्र	स्थापना के तहत संस्थान	पहला बैच
3		पहला नवीनीकरण		दूसरा बैच
4		दूसरा नवीनीकरण		तीसरा बैच
5		तीसरा नवीनीकरण		चौथा बैच
6	28	पूरी तरह से स्थापित संस्थान- रेटिंग के हकदार		पांचवां बैच के बाद

(ज) संस्थान की स्थापना के किसी भी चरण में न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा न करने और वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त न करने की स्थिति में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड बोर्ड अगले शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करेगा।

(11) नए यूनानी स्नातक महाविद्यालयों या प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों की चरण-वार आवश्यकताएँ - स्थापना श्रेणी के तहत संस्थान के तहत एक नए कॉलेज या संस्थान को पूरी तरह से स्थापित संस्थान बनने के लिए इन नियमों में उल्लिखित सभी चार चरण-वार आवश्यकताओं को पूरा करना होगा या स्थापित करना होगा यानी चरण- I, चरण- II, चरण- III और चरण- IV की पूर्ति। पहले बैच, दूसरे बैच, तीसरे बैच और चौथे बैच के छात्रों को प्रवेश देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से क्रमशः अनुमति पत्र प्राप्त करने, पहली बार अनुमति का नवीनीकरण, दूसरी बार अनुमति का नवीनीकरण और तीसरी बार अनुमति का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है और पूरी तरह से स्थापित संस्थान बनने के लिए; ब्यौरा निम्नानुसार है:

(क) चरण- I: छात्रों के पहले बैच के प्रवेश से पहले, कॉलेज या संस्थान को यह करना होगा -

(i) इन विनियमों (विनियम 14, अनुसूची-I, XV से XXIII) में अस्पताल के लिए उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों के साथ एक पूरी तरह से स्थापित अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता-मान्यता प्राप्त (कम से कम प्रवेश स्तर) अस्पताल के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड स्थापित करना होगा;

(ii) अनुसूची-IV में निर्दिष्ट अस्पताल कर्मचारी; जहां तक सलाहकारों का सवाल है, प्रत्येक मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान में कम से कम एक योग्य सलाहकार या विशेषज्ञ डॉक्टर या नैदानिक शिक्षक उपलब्ध होंगे। नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला और दंत चिकित्सा), अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचा विज्ञान और सौंदर्य विज्ञान), क़वालत वा निस्वान (प्रसूति और स्त्री रोग), इल्मुल अतफ़ाल (बाल चिकित्सा), और तहफ़फ़ुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) और इल्मुल समूम (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) तहफ़फ़ुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) बाह्य रोगी विभाग के अंतर्गत व्यवस्था करना होगा;

(iii) प्रथम व्यवसायिकबैचलर ऑफ़ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी विभाग अर्थात्, कुल्लियात (यूनानी चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांत) जिसमें भाषा प्रयोगशाला, प्रैक्टिकल लैब और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष, तशरीहुल बदन (ह्युमन अनाटमी) जिसमें विच्छेदन हॉल, प्रैक्टिकल लैब और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष, मनाफउल अज़ा (फिजियोलॉजी) जिसमें प्रैक्टिकल लैब और ट्यूटोरियल कक्ष शामिल हैं और अनुसूची-II में निर्दिष्ट अनुसार संलग्न

सुविधाएं या अनुभाग और अनुसूची VII, VIII और IX में निर्दिष्ट उपकरण या औजार एवं उपस्कर उपलब्ध करना होगा;

(iv) पहले व्यवसायिकविभागों के लिए आवश्यक अनुसूची-V में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता वाले शिक्षण स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा;

(v) अनुसूची-VI में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता वाले सभी गैर-शिक्षण कर्मचारियों (दूसरे और तीसरे व्यवसायिकविभागों के लिए आवश्यक कर्मचारियों को छोड़कर) को नियुक्त किया जाएगा;

(vi) विनियम 13 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ न्यूनतम दो व्याख्यान कक्ष को स्थापित करना होगा;

(vii) एक अच्छी तरह से विकसित हर्बल उद्यान स्थापित करना होगा, जिसमें अनुसूची-III के अनुसार सामान्य औषधीय पौधों और लुप्तप्राय प्रजातियों की न्यूनतम 200 प्रजातियाँ हों;

(viii) विनियम 12 के अनुसार एक अद्यतन गतिशील संस्थागत वेबसाइट की व्यवस्था करनी होगी;

(ix) विनियम 11 में निर्दिष्ट उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था करनी होगी;

(x) योग्य मानव संसाधनों के साथ तालिका-13 में निर्दिष्ट अन्य अनुभाग या इकाइयाँ या सेल या सुविधाएं और इन विनियमों में निर्दिष्ट अन्य संबंधित न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करना होगा।

### तालिका-13

#### चरण-I स्थापना में अनुभागों या इकाइयों या कक्षों की अनिवार्य आवश्यकताएँ

क्र.सं. (1)	अनुभाग या इकाइयाँ या प्रकोष्ठ (2)
1	प्रशासनिक अनुभाग
2	छात्रों के लिए न्यूनतम चार हजार, पांच हजार, छह हजार और सात हजार पुस्तकों और पत्रिकाओं वाला केंद्रीय पुस्तकालय, जो क्रमशः साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ की क्षमता वाला होगा
3	डिजिटल लाइब्रेरी
4	नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला (पच्चीस प्रतिशत सिमुलेटर/मैनकिन)
5	मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ
6	सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना
7	अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन प्रकोष्ठ
8	सह-पाठ्यचर्या या पाठ्येतर सुविधाएं
9	छात्र सुविधाएं
10	स्टाफ सुख-सुविधाएं
11	लड़कों और लड़कियों के लिए कॉमन रूम
12	शिक्षण संकाय के लिए कॉमन रूम
13	परीक्षा या बहुउद्देशीय या योग और रियाजत या सम्मेलन कक्ष
14	कॉलेज परिषद कक्ष
15	विद्यार्थी परिषद कक्ष
16	कैरियर गाइडेन्स सहित सहित छात्र सपोर्ट एवं गाइडेन्स और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ
17	फार्माकोविजिलेंस प्रकोष्ठ
18	केंद्रीय कार्यशाला
19	क्लोड्ड सर्किट टेलीविज़न
20	हॉस्टल
21	जलपान गृह

(ख) चरण-II: छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश से पहले, कॉलेज या संस्थान को यह करना होगा -

(i) दूसरे व्यवसायिकबैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के विभाग- इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) जिसमें इल्मुल अदविया प्रैक्टिकल लैब, वसफुल अकाकिर (फार्माकोग्रांसी) प्रैक्टिकल लैब, हर्बेरियम और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष, इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) जिसमें शिक्षण फार्मेसी (इल्मुल सैदला फार्मास्युटिकल प्रैक्टिकल लैब), गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, संग्रहालय सह ट्यूटोरियल शामिल हैं। कक्ष, तहफफुज़ी व समाजी तिब (निवारक चिकित्सा और सामाजिक चिकित्सा) जिसमें तहफफुज़ी व समाजी तिब पोषण प्रयोगशाला, प्रैक्टिकल लैब, संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष और तिब्वुल कानून वा इल्मुल समूम (फोरेंसिक चिकित्सा और नैदानिक विष विज्ञान) प्रैक्टिकल लैब और संग्रहालय, महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) शामिल हैं। महियातुल अमराज़ प्रैक्टिकल लैब और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष, मोआलाजात (चिकित्सा) कक्ष के साथ संग्रहालय सह ट्यूटोरियल और अनुसूची- II में निर्दिष्ट अन्य सुविधाएं या अनुभाग और अनुसूची X, XI, XII और XIII में निर्दिष्ट उपकरण या उपकरण शामिल हैं;

(ii) दूसरे व्यवसायिकविभागों के लिए आवश्यक अनुसूची-V में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता वाले शिक्षण स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा;

(iii) दूसरे व्यवसायिकविभागों के लिए आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अनुसूची-VI में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता के साथ नियुक्त किया जाएगा;

(iv) न्यूनतम तीन व्याख्यान कक्ष (विनियम 13 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सुविधाओं के साथ न्यूनतम एक व्याख्यान कक्ष का अतिरिक्त) की व्यवस्था करनी होगी;

(v) साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ की छात्र प्रवेश क्षमता के लिए केंद्रीय पुस्तकालय की पुस्तकों में क्रमशः छह हजार, सात हजार पांच सौ, नौ हजार और दस हजार पांच सौ तक की वृद्धि की व्यवस्था करनी होगी;

(vi) क्लिनिकल कौशल प्रयोगशाला का विस्तार कम से कम पचास प्रतिशत के साथ किया जाएगा। अनुसूची-XIV में निर्दिष्ट पुतलों या सिमुलेटरों या उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।

(ग) चरण-III: छात्रों के तीसरे बैच के प्रवेश से पहले, कॉलेज या संस्थान को यह करना होगा -

(i) साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ की छात्र प्रवेश क्षमता के लिए केंद्रीय पुस्तकालय की पुस्तकों में क्रमशः सात हजार, आठ हजार पांच सौ, दस हजार पांच सौ और बारह हजार तक की वृद्धि की व्यवस्था करनी होगी;

(ii) नैदानिक कौशल प्रयोगशाला को अनुसूची-XIV में निर्दिष्ट कम से कम पचहत्तर प्रतिशत मैनकिन या सिमुलेटरों या उपकरणों के साथ विस्तारित किया जाएगा।

(घ) चरण-IV: छात्रों के चौथे बैच के प्रवेश से पहले, कॉलेज या संस्थान को यह करना होगा -

(i) तीसरे व्यवसायिकबैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के विभाग, अर्थात्, मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचा विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला और दंत चिकित्सा) क़बालत वा निस्वान (प्रसूति विज्ञान) और स्त्री रोग), इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष और अनुसूची- II में निर्दिष्ट अन्य सुविधाओं या अनुभागों के साथ व्यवस्था करनी होगी;;

(ii) तीसरे व्यवसायिक विभागों के लिए आवश्यक अनुसूची-V में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता वाले शिक्षण स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा;

(iii) इस विनियमन की अनुसूची-VI में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता वाले तीसरे व्यवसायिक विभागों के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा;

(iv) विनियम 13 के निर्दिष्ट उप-विनियम (2) के अनुसार सुविधाओं के साथ न्यूनतम पांच व्याख्यान कक्ष (मौजूदा तीन में न्यूनतम दो व्याख्यान कक्षों का अतिरिक्त) की व्यवस्था करनी होगी;;

(v) साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ की छात्र प्रवेश क्षमता के लिए केंद्रीय पुस्तकालय की पुस्तकों में क्रमशः आठ हजार, दस हजार, बारह हजार और चौदह हजार की न्यूनतम वृद्धि की व्यवस्था करनी होगी;

(vi) अनुसूची-XIV में निर्दिष्ट सभी मैनकिन या सिमुलेटर या विशेष उपकरणों के साथ एक पूरी तरह से स्थापित नैदानिक कौशल प्रयोगशाला की व्यवस्था करनी होगी।

(12) शर्त.- अनुमति पत्र प्राप्त संस्था को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा, अर्थात्:-

(क) यदि कॉलेज की स्थापना करने वाली मूल सोसायटी या ट्रस्ट या निकाय कॉलेज को किसी अन्य सोसायटी या ट्रस्ट या निकाय को स्थानांतरित करना चाहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा;

(ख) यदि कॉलेज संबद्ध विश्वविद्यालय को बदलना चाहता है या डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे आवेदन करने से पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

#### अध्याय-VI

पूर्णतः स्थापित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों या संस्थानों में मौजूदा स्नातक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों में सीटों या प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की संख्या या प्रवेश क्षमता में वृद्धि

19. विद्यार्थी प्रवेश क्षमता में वृद्धि - अधिनियम की धारा 28 के तहत पूर्णतः स्थापित संस्थान, जो साठ, एक सौ और एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ स्नातक कार्यक्रम (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी) का संचालन कर रहे हैं, अधिनियम की धारा 29 के तहत मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे और उसकी शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(क) यह भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 28 के तहत पूर्णतः स्थापित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय होगा, जिसमें साठ, एक सौ या एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता होगी;

(ख) महाविद्यालय या संस्थान ने स्नातक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के कम से कम चार वर्ष और छह माह पूरे कर लिए हों; यद्यपि, केंद्र या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सरकार के स्वामित्व या प्रबंधन वाले महाविद्यालयों को स्नातक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के चार वर्ष और छह माह पूर्ण करने के इस पूर्वशर्त को पूरा करने से छूट प्रदान की गई है;

(ग) महाविद्यालय 'विस्तारित अनुमति' की श्रेणी के अंतर्गत होना चाहिए और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन के वर्ष सहित, पिछले पांच वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 28 के उप-धारा (1) खंड (एफ), के तहत प्रावधानों के अधीन नहीं हों या उन्हें प्रवेश के लिए अनुमति से इनकार नहीं किया गया हों;

(घ) महाविद्यालय को आवेदन के वर्ष के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा "ए" या "बी" ग्रेड दर्जा प्राप्त होना चाहिए;

(ङ) इस विनियमन के अध्याय-2 और तालिका-9 में उल्लिखित अतिरिक्त मानकों के लिए महाविद्यालय का भवन संबंधी आधारभूत ढांचा और सुविधाएं होनी चाहिए; और

(च) कोई भी व्यक्ति भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा।

(2) पात्रता: अधिनियम की धारा 29 के तहत महाविद्यालय आवेदन करने के लिए तभी पात्र होगा यदि:-

(क) उसने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार से विद्यार्थी प्रवेश क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि के लिए फॉर्म-डी (अनुलग्नक-IV) में अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हों;

(ख) आवेदक संस्थान ने संबद्ध विश्वविद्यालय से फॉर्म-ई (अनुलग्नक-V) में "संबद्धता सहमति" प्राप्त कर ली हों (डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं);

(ग) आवेदक संस्थान ने प्रस्तावित विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या सहित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा कर लिया हों (यह पूर्ति इन विनियमनों में यथाविनिर्दिष्ट चरणों में हो सकती है);

(घ) स्नातक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में यथा निर्दिष्ट केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मेरिट के आधार पर केवल काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा;

(ङ) प्रवेश की अधिकतम संख्या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट स्वीकृत विद्यार्थी प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं होगी;



(3) आवेदन की विधि: (क) महाविद्यालय सीटों की संख्या या प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की संख्या या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए **फॉर्म-बी (अनुलग्नक-II)** में निर्धारित अवधि के भीतर, गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क (लागू करों सहित), एक सुरक्षा जमा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) अपूर्ण आवेदन और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा;

(ग) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है और अंतिम तिथि से पहले आवेदन वापस लेने संबंधी मामले में, प्रसंस्करण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा;

(घ) यह समझा जाता है कि आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, आवेदक ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 और संबंधित नियमों को पढ़ एवं समझ लिया है;

(ङ) आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा विवरण इस प्रकार हैं (तालिका-14) :

तालिका-14

सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क और प्रक्रिया शुल्क

विद्यमान विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (1)	आवेदन शुल्क (2)	प्रस्तावित विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के लिए प्रसंस्करण शुल्क			
		60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (3)	100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (4)	150 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (5)	200 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (6)
60	2 लाख	-	5 लाख	10 लाख	15 लाख
100		-	-	5 लाख	10 लाख
150		-	-	-	5 लाख
200		-	-	-	-

तालिका-15

सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए सुरक्षा जमा

विद्यमान विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (1)	प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के लिए सुरक्षा जमा (रुपये में)			
	60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (2)	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता (3)	150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता (4)	200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता (5)
60	-	1 करोड़	2 करोड़	3 करोड़
100	-	-	1 करोड़	2 करोड़
150	-	-	-	1 करोड़
200	-	-	-	-

(च) सुरक्षा जमा राशि पांच वर्ष के बाद संस्थागत आधिकारिक बैंक खाते में बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी; बशर्ते महाविद्यालय के विरुद्ध कोई भी वित्तीय शिकायत लंबित न हों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण जुर्माना राशि लंबित हों;

बशर्ते कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा शासित कॉलेज यदि इस बात का वचन दें कि अपने द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार जब तक अपेक्षित सुविधाएं पूरी प्रदान नहीं कर ली जाती तब तक वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करेंगे, उन पर सुरक्षा जमा संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।

(छ) गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और जमानत राशि "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि" के खाते में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर – एनईएफटी, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट-आरटीजीएस के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के खाते में जमा की जाएगी।

(ज) आवेदन की प्रक्रिया के साथ-साथ आशय पत्र, अनुमति पत्र, पहला नवीनीकरण, दूसरा नवीनीकरण और तीसरा नवीनीकरण इन विनियमों के अध्याय-V के अनुसार जारी किए जाएंगे;

(झ) विद्यार्थी प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आशय पत्र और अनुमति पत्र जारी करने हेतु निरीक्षण शुल्क और निरीक्षण हेतु डिजिटाइजेशन शुल्क विनियम 16 के उप-विनियम (3) के खंड (ग) के अनुसार होगा।

### अध्याय-VII

#### दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाई

20. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी नियमों, दिशानिर्देशों, निर्देशों और समय-सीमा का अनुपालन करना संस्थानों की जिम्मेदारी होगी।

(2) गैर-अनुपालन कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है, अर्थात्-

(क) नियमों का पालन न करना;

(ख) संस्थानों की ऐसी कोई भी गतिविधि, जो स्नातक युनानी चिकित्सा शिक्षा और प्रथाओं के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हों, फीस के संबंध में विद्यार्थियों का शोषण, उपस्थिति संबंधी कदाचार आदि;

(ग) इन विनियमों के अनुसार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, नैदानिक सामग्री, व्यावहारिक सामग्री, अनुसंधान सुविधाओं और अन्य संस्थागत कार्यक्षमता आदि के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता;

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या किसी अन्य गतिविधियों के लिए निरीक्षण या दौरे की प्रक्रिया में सहयोग न करना या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करना;

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या स्वायत्त बोर्डों को झूठी जानकारी या मनगढ़ंत डेटा या जानकारी या साक्ष्य प्रदान करना;

(च) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मूल्यांकनकर्ताओं या अधिकारियों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित अधिकारियों को प्रभावित करने, दबाव डालने, रिश्वत देने या धमकी देने का कोई भी प्रयास;

(3) जैसा कि (2) में उल्लिखित किसी भी गैर-अनुपालना या चिकित्सा संस्थान द्वारा जानबूझकर गैर-अनुपालना कार्य या चूक के प्रयास के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या तो चिकित्सा संस्थान को दंडित करेगा या अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित ऐसे उपाय करेगा और/या ऐसी घटनाओं की आगे जांच करेगा, अर्थात्:-

(क) आर्थिक जुर्माना जो एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं हों;

(ख) चेतावनी जारी करना;

(ग) उस शैक्षणिक वर्ष या कुछ वर्षों के लिए किसी नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को रोकना;

(घ) अगले शैक्षणिक वर्ष में चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश दी जाने वाली सीटों की संख्या में कमी करना;

(ङ) अगले या बाद के शैक्षणिक वर्ष में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश रोकना;

(च) मान्यता वापस लेने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को सिफारिश करना;

(छ) पांच शैक्षणिक वर्षों तक की अवधि के लिए चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग रोकना या वापस लेना;

(ज) यदि संस्था की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग पर दबाव डालने का कोई प्रयास किया जाता है तो चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए आवेदन या अनुरोध पर प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाएगी, या अनुमति वापस ले ली जाएगी, विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में कमी कर दी जाएगी या आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

**अनुसूची-1**  
(विनियम 6, 14 और 18 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध शिक्षण अस्पताल संबंधी अनिवार्यता

क्रमांक (1)	विवरण (2)	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)			
		60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (3)	100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (4)	150 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (5)	200 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (6)
<b>स्वागत कक्ष एवं पंजीकरण क्षेत्र</b>					
प्रवेश लॉबी और प्रसार क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं					
1	स्वागतकक्ष एवं पूछताछ काउंटर/ज.सं.अ. सहित	100	150	200	250
2	पंजीकरण एवं बिलिंग काउंटर				
3	प्रतीक्षा हेतु क्षेत्र				
4	मेडिकल रिकॉर्ड कक्ष और मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन के लिए स्थान				
<b>बाह्य रोगी क्षेत्र</b>		<b>440</b>	<b>650</b>	<b>860</b>	<b>1070</b>
5	स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग	15	20	30	40
6	मोआलाजात बाह्य रोगी विभाग	25	40	50	60
7	इलाज बित तदबीर बाह्य रोगी विभाग (संबद्ध लघु थैरेपी या प्रक्रिया कक्ष सहित)	40	50	60	70
8	अमराजे जिल्द व तज़ीनियत बाह्य रोगी विभाग (संबद्ध लघु थैरेपी या प्रक्रिया कक्ष सहित)	25	40	50	60
9	इल्मुल अत्फाल बाह्य रोगी विभाग	25	40	50	60
10	जराहात बाह्य रोगी विभाग (शल्य और पैरा-शल्य प्रक्रियाओं हेतु संबद्ध प्रक्रिया कक्ष सहित)	40	50	60	70
11	ऐन उज़्न अनफ हलक वा अस्नान बाह्य रोगी विभाग (शल्य और पैरा-शल्य प्रक्रियाओं हेतु संबद्ध प्रक्रिया कक्ष सहित)	40	50	60	70
12	कबालत वा निस्वान बाह्य बाह्य रोगी विभाग (संबद्ध लघु प्रक्रिया कक्ष सहित)	40	50	60	70
13	तहफ़्फ़ुज़ी वा समाजी तिब बाह्य रोगी विभाग	25	40	50	60
14	इसाबात (आपात स्थिति या हताहत)	25	25	30	35
15	दवा की दुकान या औषधालय या फार्मैसी	40	50	60	80

16	ऑनलाइन परामर्श सुविधा	100	195	300	395
17	बाह्य रोगी विभाग जोन प्रभारी कार्यालय				
18	पीने के पानी की सुविधा सहित मरीजों के लिए प्रतीक्षालय और स्तनपान हेतु क्षेत्र।				
19	व्हीलचेयर और स्ट्रेचर हेतु क्षेत्र, चौकीदार कक्ष				
20	मरीजों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों या प्रशिक्षुओं हेतु अलग-अलग पुरुष एवं महिला शौचालय				
21	स्टोर				
22	विशेषज्ञ बाह्य रोगी विभाग	प्रति विशेष बाह्य रोगी विभाग हेतु बीस वर्ग मीटर (विशेष बाह्य रोगी विभाग के लिए उल्लिखित स्थान न्यूनतम आवश्यक स्थान से इतर है, इसलिए इसे न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं गिना जाए)			
<b>नैदानिक क्षेत्र</b>					
23	नैदानिक प्रयोगशाला	150	175	200	225
24	रेडियोलॉजी या इमेजिंग अनुभाग				
25	अन्य निदान जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आदि				
26	मरीजों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र				
27	नैदानिक क्षेत्र प्रभारी कार्यालय				
28	रिपोर्ट जारी करने के लिए काउंटर				
29	महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय				
<b>अंतःरोगी क्षेत्र</b>		<b>1350</b>	<b>2150</b>	<b>2950</b>	<b>3750</b>
<b>क. चिकित्सा अन्तः रोगी अनुभाग</b>					
30	मोआलाजात, इलाज वित्त तदवीर, अमराज्जे जिल्द वा तज़ीनियत, इल्मुल अतफाल के तहत आवंटित अन्तः रोगी विभाग के विस्तारों को समायोजित करने के लिए आवश्यक क्षेत्र	750	1250	1750	2250
31	रसोईघर सहित वार्ड प्रक्रिया कक्ष (चार)।				
32	नर्सिंग काउंटर और स्टोर				
33	प्रशिक्षुओं के बैठने का क्षेत्र				
34	रात्रिड्यूटी चिकित्सकों या परामर्शदाताओं हेतु कक्ष				
35	रात्रि ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ हेतु कक्ष				
36	रात्रि ड्यूटी प्रशिक्षुओं के लिए कमरा				
37	नैदानिक कक्षाकक्ष (दो)				
38	प्रसार क्षेत्र और गलियारे				
39	वार्डों से संबद्ध शौचालय (पुरुष, महिला और				

	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए अलग-अलग)				
40	पेयजल सुविधा, ट्रॉली या स्ट्रेचर, स्वच्छ एवं अस्वच्छ सुविधाएं, हाउसकीपिंग सामग्री या चौकीदार कक्ष, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, कपड़े धोने आदि के लिए क्षेत्र।				
<b>ख. शल्य चिकित्सा अन्तः रोगी अनुभाग</b>					
41	जराहत, ऐन उज़न अनफ हलक व अस्नान और कबालत वा निस्वान के अंतर्गत आवंटित अन्तः रोगी विभाग के बिस्तरों को समायोजित करने के लिए आवश्यक क्षेत्र	600	900	1200	1500
42	रसोईघर सहित वार्ड प्रक्रिया कक्ष (तीन)।				
43	नर्सिंग काउंटर और स्टोर				
44	प्रशिक्षुओं के बैठने का क्षेत्र				
45	रात्रि ड्यूटी चिकित्सकों या परामर्शदाताओं हेतु कक्ष				
46	रात्रि ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ हेतु कक्ष				
47	रात्रि ड्यूटी प्रशिक्षुओं हेतु कक्ष				
48	नैदानिक कक्षाकक्ष (दो)				
49	प्रसार क्षेत्र और गलियारे				
50	वार्डों से जुड़े शौचालय (पुरुष, महिला और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए अलग-अलग)				
51	पेयजल सुविधा, ट्रॉली या स्ट्रेचर, स्वच्छ एवं अस्वच्छ सुविधाएं, हाउसकीपिंग सामग्री या चौकीदार कक्ष, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, कपड़े धोने आदि के लिए क्षेत्र।				
<b>प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र</b>					
52	मसरा अमलिया (ऑपरेशन थिएटर): माइनर ऑपरेशन थिएटर से जुड़ा हुआ, शल्य एवं पैरा शल्य उपचार हेतु	175	225	275	325
53	गुर्फतुल विलादा (प्रसूति ऑपरेशन थियेटर सहित प्रसव कक्ष)	150	150	200	200
54	इलाज वित तदवीर प्रक्रिया अनुभाग	200	300	400	500
55	फिजियोथेरेपी अनुभाग	75	100	125	150
56	योग और रियाज़त अनुभाग	50	50	75	100
<b>प्रशासनिक क्षेत्र</b>					
57	चिकित्सा निदेशक कक्ष	400	450	500	550
58	चिकित्सा अधीक्षक कक्ष				
59	चिकित्सा निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक कक्ष हेतु				

	निजी सहायक				
60	उप चिकित्सा अधीक्षक कक्ष				
61	स्थानिक चिकित्सा अधिकारी या स्थानिक सर्जिकल अधिकारी कक्ष				
62	मैट्रन कक्ष				
63	सहायक मैट्रन कक्ष				
64	अधीक्षक के लिए कार्यालय स्थान				
65	लेखाकार और अन्य कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान				
66	आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय				
67	चिकित्सकों हेतु लाउंज				
68	प्रशिक्षुओं हेतु कक्ष				
69	कर्मचारी कक्ष				
70	बैठक हॉल				
71	पेंट्री				
72	स्टोर				
73	शौचालय				
<b>सेवा क्षेत्र</b>					
74	गिज़ा मखसूसा (विशिष्ट आहार) जिसमें तत्काल दवा तैयार करने हेतु अनुभाग भी शामिल है।	50	75	100	125
75	सेवा क्षेत्र में अन्य प्रावधान				
	<b>कुल</b>	<b>3140</b>	<b>4475</b>	<b>5885</b>	<b>7245</b>

### अनुसूची-II

(विनियम 6,13 और 18 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु अनिवार्यता

क्रमांक	अनुभाग या इकाइयाँ	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र (वर्ग मीटर)			
		60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (3)	100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (4)	150 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (5)	200 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (6)
1	प्रशासनिक अनुभाग				
	संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) कक्ष जिसमें प्रवेश कक्ष और संलग्न शौचालय शामिल है	200	250	300	350
	संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) के निजी सहायक का कक्ष				
	संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या				

	प्रिंसिपल) के आगंतुकों के लिए आगंतुक लाउंज				
	कर्मचारी समिति कक्ष				
	उप प्राचार्य या उप डीन या उप निदेशक (यदि कोई हो)				
	कार्यालय अधीक्षक				
	कार्यालय- स्थापना एवं प्रशासन, लेखा अनुभाग एवं कैश काउंटर				
	कार्यालय आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र				
	रिकार्ड रूम				
	केंद्रीय भण्डार				
	कार्यालय कर्मचारियों के लिए शौचालय				
	पेंटी				
2	व्याख्यान हॉल या कक्षा कक्ष				
	पाँच व्याख्यान हॉल या कक्षा कक्ष	500 (5×100)	750 (5×150)	1000 (5×200)	1250 (5×250)
3	सेमिनार या सम्मेलन या परीक्षा या योग और रियाज़त (बहुउद्देशीय हॉल)	150	300	450	600
4	पुस्तकालय				
	केंद्रीय पुस्तकालय	150	250	350	450
	डिजिटल लाइब्रेरी	40	50	60	70
5	शिक्षण विभाग	1475	2525	3625	4800
	(1) कुल्लियात (यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धांत) विभाग, जिसमें:- (क) कुल्लियात उमूरे तबिया प्रैक्टिकल प्रयोगशाला सह ट्यूटोरियल कक्ष (ख) तारीख-ए-तिब हेतु संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष (ग) भाषा प्रयोगशाला	100	125	150	175
	(2) तश्रीहुल बदन (एनाटॉमी) विभाग, जिसमें:- (क) डिस्सेक्शन कक्ष (ख) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (ग) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	150	300	450	600
	(3) मनाफेउल आज़ा (फिजियोलॉजी) विभाग, जिसमें:- (क) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (ख) ट्यूटोरियल कक्ष	100	200	300	400
	(4) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) विभाग, जिसमें:- (क) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) प्रैक्टिकल लैब (ख) वसफुल अकाकिर (फार्माकोग्रांसी) प्रैक्टिकल लैब (ग) हर्बेरियम और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	175	275	400	550
	(5) इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) विभाग, जिसमें:- (क) इल्मुल सैदला प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (शिक्षण फार्मेसी) (ख) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	175	275	400	550

	(ग) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष				
	(6) महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग, जिसमें:- (क) महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल लैब (ख) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	100	200	300	400
	(7) तहफफुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग, जिसमें:- 1. तहफफुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) (क) पोषण प्रयोगशाला (ख) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (ग) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष 2. तिब्वुल क्रानून वा इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) (क) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (ख) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	150	275	400	550
	(8) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष सहित मोआलाजात (चिकित्सा) विभाग।	75	125	175	225
	(9) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष सहित इलाज बित तदबीर (रेजिमेनल थेरेपी) विभाग	75	125	175	225
	(10) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष सहित अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) विभाग	75	125	175	225
	(11) इल्मुल अत्फाल (बाल रोग) विभाग जिसमें संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	75	125	175	225
	(12) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष सहित जराहत (सर्जरी,) विभाग	75	125	175	225
	(13) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष सहित ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा)विभाग	75	125	175	225
	(14) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष सहित क़बालत वा निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग	75	125	175	225
6	नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला (सामान्य क्षेत्र + डेमो या अभ्यास कक्ष)	125 (75+50X1)	200 (100+50X)	275 (125+50X)	350 (150+50X)
7	मानव संसाधन एवं विकास प्रकोष्ठ (कार्यशाला क्षेत्र + कार्यालय, स्टोर, प्रसार क्षेत्र, शौचालय)	130 (80+50)	150 (100+50)	170 (120+50)	190 (140+50)
8	अनुसंधान एवं नवाचार कक्ष	30	30	30	30
9	महाविद्यालय परिषद कक्ष	50	100	150	150
10	विद्यार्थी परिषद कक्ष	20	20	20	20
11	कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार सहित विद्यार्थी सहायता और मार्गदर्शन कक्ष	25	25	25	25
12	फार्माकोविजिलेंस प्रकोष्ठ- कक्ष	20	20	20	20
13	विद्यार्थियों के लिए कॉमन रूम (छात्र एवं छात्राओं लिए अलग-अलग के)	100 (50+50)	200 (100+100)	300 (150+150)	400 (200+200)
14	शिक्षण संकाय के लिए कॉमन रूम	50	60	70	80



	(पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग)	(25+25)	(30+30)	(35+35)	(40+40)
15	महाविद्यालय जलपान गृह	100	150	200	250
	<b>कुल</b>	<b>3165</b>	<b>5080</b>	<b>7045</b>	<b>9035</b>

**नोट:** 1. केंद्रीय कार्यशाला (देखें विनियम 7), सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (देखें विनियम 10) और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (देखें विनियम 13) के लिए, महाविद्यालय या संस्थान द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक के लिए अलग से पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।  
2. शिकायत निवारण कक्ष (देखें विनियम 13) और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति (देखें विनियम 13) हेतु उनकी बैठकों और संबंधित रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को रखने के लिए कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार सहित विद्यार्थी सहायता और मार्गदर्शन कक्ष का सामान्य सुविधा के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

### अनुसूची-III

(विनियम 13 और 18 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: हर्बल गार्डन संबंधी अनिवार्यता

क्रमांक (1)	विवरण (2)	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र (वर्ग मीटर)			
		60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (3)	100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (4)	150 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (5)	200 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (6)
1	हर्बल गार्डन (औषधीय पौधों की न्यूनतम 200 प्रजातियों वाला सुविकसित हर्बल गार्डन जिसमें 25 से 50 वर्ग मीटर का प्रदर्शन कक्ष हों)	2500	4000	4000	4000

### अनुसूची-IV

(विनियम 14 और 18 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: संबद्ध शिक्षण अस्पताल में अस्पताल के कर्मचारियों संबंधी अनिवार्यता

क्रमांक (1)	विभाग /अनुभाग/ इकाई (2)	अस्पताल कर्मचारियों की न्यूनतम अनिवार्यता (प्रवेश क्षमता के अनुसार)			
		60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (3)	100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (4)	150 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (5)	200 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता (6)
<b>प्रशासनिक क्षेत्र</b>					
1	चिकित्सा निदेशक	विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ख) के अनुसार प्रिंसिपल या डीन या निदेशक।			
2	चिकित्सा अधीक्षक	1	1	1	1
		शिक्षण स्टाफ के अलावा पूर्णकालिक नियमित पदाधिकारी। विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ग) के अनुसार योग्यता।			
3	उप चिकित्सा अधीक्षक	1	1	1	2
		शिक्षण स्टाफ के अलावा पूर्णकालिक नियमित पदाधिकारी। विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (घ) के अनुसार योग्यता।			
4	प्रशासक	1	1	1	2
		विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ड.) के अनुसार योग्यता।			
5	परामर्शदाता	मोआलाजात, इलाज बित तदबीर, अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत, इल्मुल अतफाल, जराहत, ऐन उज़्न अनफ हलक व अस्नान, क़बालत वा निस्वान और तहफ्फुज़ी वा समाजी तिब विभागों के शिक्षक			

6	स्थानिक चिकित्सा अधिकारी-प्रशासन	स्थानिक चिकित्सा अधिकारी-प्रशासन अस्पताल में स्थानिक चिकित्सा अधिकारी या स्थानिक शल्यचिकित्सा अधिकारी में से एक होगा।			
7	मैट्रन या नर्सिंग अधीक्षक	1	1	1	1
		विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ज)के अनुसार योग्यता।			
8	सहायक मैट्रन	1	1	2	3
		विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (झ), के अनुसार योग्यता।			
9	कार्यालय अधीक्षक (स्नातक के साथ पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव)	1	1	1	1
10	लिपिक कर्मचारी (स्नातक के साथ कंप्यूटर ज्ञान)/ लेखा कर्मचारी (बी. कॉम / एम. कॉम एवं कंप्यूटर ज्ञान)	1	2	3	4
11	स्टोरकीपर (न्यूनतम 12 <sup>वीं</sup> कक्षा)	1	1	1	1
<b>आधुनिक चिकित्सा कर्मचारी (निरीक्षण या दौरे के लिए आधुनिक चिकित्सा कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है)</b>					
12	चिकित्सा विशेषज्ञ	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
13	शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
14	प्रसूति रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
15	पैथोलॉजिस्ट	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
16	रेडियोलॉजिस्ट	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
17	एनेस्थिसियोलॉजिस्ट	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
18	नेत्र-विशेषज्ञ	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
19	ईएनटी विशेषज्ञ	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
<b>स्वागत कक्ष एवं पंजीकरण क्षेत्र</b>					
20	रिसेप्शनिस्ट सह टेलीफोन ऑपरेटर (स्नातक एवं कंप्यूटर ज्ञान और संप्रेषण कौशल)	1	2	3	4
21	पंजीकरण सह बिलिंग क्लर्क (स्नातक एवं कंप्यूटर ज्ञान और संप्रेषण कौशल)	1	2	3	4
22	मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन (स्नातक) (अस्पताल पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत होने की स्थिति में मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन की कोई आवश्यकता नहीं है)	1	1	1	1
<b>बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र</b>					
23	आपात चिकित्सा अधिकारी	2	2	2	2
		विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (च) के अनुसार योग्यता।			
24	स्थानिक चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1
		विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (च) के अनुसार योग्यता।			
25	नर्सिंग स्टाफ (01 कबालत वा निस्वान बाह्य रोगी विभाग के लिए और 01 इसाबात के लिए)	2	2	2	2
		विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ज), के अनुसार योग्यता।			
26	फार्मासिस्ट (डिस्पेंसरी या फार्मसी या ड्रग स्टोर)	2	2	3	4
		विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ठ) के अनुसार योग्यता।			
27	बाह्य रोगी विभाग परिचर	1	1	2	2

(न्यूनतम 10 <sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण)					
<b>नैदानिक क्षेत्र</b>					
28	प्रयोगशाला तकनीशियन	2	2	3	4
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ट), के अनुसार योग्यता।					
29	लैब अटेंडेंट (न्यूनतम 10 <sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण)	1	1	2	2
30	एक्स - रे तकनीशियन	1	1	1	1
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ड), के अनुसार योग्यता।					
31	डार्क रूम सहायक (न्यूनतम 12 <sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण। डार्क रूम असिस्टेंट पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए) (गैर-डिजिटल एक्स-रे इकाई के मामले में)	1	1	1	1
32	अल्ट्रा सोनोग्राम (यूएसजी) और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) के लिए नर्सिंग स्टाफ	1	1	1	1
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ज) के अनुसार योग्यता।					
<b>अंतःरोगी विभाग क्षेत्र</b>					
<b>चिकित्सा अन्तः रोगी विभाग अनुभाग</b>					
33	स्थानिक चिकित्सा अधिकारी (आरएमओ)	2	2	2	2
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (च) के अनुसार योग्यता।					
34	नर्सिंग स्टाफ (प्रत्येक दस बिस्तर हेतु एक)	4	6	9	12
विनियम 14 के, उप विनियम (9) खंड (ज) के अनुसार योग्यता।					
35	वार्ड बॉय या आया (प्रत्येक 20 बिस्तर हेतु एक)	2	3	4	6
<b>शल्य चिकित्सा अंतःरोगी विभाग अनुभाग</b>					
36	स्थानिक शल्य चिकित्सा अधिकारी (आरएसओ)	2	2	2	2
विनियम 10 के, उप विनियम (9) खंड (च) के अनुसार योग्यता।					
37	नर्सिंग स्टाफ (प्रत्येक दस बिस्तरों हेतु एक)	2	4	6	8
विनियम 14 के, उप विनियम (9) खंड (ज) के अनुसार योग्यता।					
38	वार्ड बॉय/आया (प्रत्येक 20 बिस्तरों हेतु एक)	1	2	3	4
<b>प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र</b>					
<b>इलाज बित तदबीर प्रक्रिया अनुभाग</b>					
39	आईबीटी विशेषज्ञ	इलाज बित तदबीर विभाग के शिक्षक			
40	नर्सिंग स्टाफ	1 (महिला)	1 (महिला)	2 (1 पुरुष + 1 महिला)	2 (1 पुरुष + 1 महिला)
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड ((ज)) के अनुसार योग्यता।					
41	थैरेपिस्ट	4 (2 पुरुष+ 2 महिला)	8 (4 पुरुष + 4 महिला)	12 (6 पुरुष + 6 महिला)	16 (8 पुरुष + 8 महिला)
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ण) के अनुसार योग्यता।					
42	परिचारक (न्यूनतम 10 <sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण)	1	1	2	2
43	रिसेप्शनिस्ट सह क्लर्क	1	1	1	1

44	हाउस ऑफिसर या नैदानिक रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्रीधारक)	1	1	1	1
<b>मसरा अमलिया (ऑपरेशन थिएटर और लघु ऑपरेशन थिएटर)</b>					
45	जराहत और ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान विशेषज्ञ	जराहत और ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान विभागों के शिक्षक			
46	नर्सिंग स्टाफ (महिला)	1	1	2	2
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ज) के अनुसार योग्यता।					
47	ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन	1	1	2	2
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (त) के अनुसार योग्यता।					
48	ऑपरेशन थियेटर सहायक	1	1	2	2
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (थ) के अनुसार योग्यता।					
49	ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट (न्यूनतम 10 <sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षण प्राप्त)	1	1	2	2
50	ट्रेसर (न्यूनतम 10 <sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षण प्राप्त)	1	1	2	2
<b>गुफ्तुल विलादा (प्रसूति कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थियेटर)</b>					
51	कबालत वा निस्वान विशेषज्ञ	कबालत वा निस्वान विभाग के शिक्षक			
52	नर्सिंग स्टाफ	1	1	2	2
विनियम 14 के उप विनियम (9) खंड (ज) के अनुसार योग्यता।					
53	आया	1	1	2	2
<b>फिजियोथेरेपी यूनिट</b>					
54	फिजियोथेरेपिस्ट (न्यूनतम बीपीटी)	1	1	1	1
विनियम 14 के, उप विनियम (9) खंड (छ) के अनुसार योग्यता।					
55	अटेंडेंट (न्यूनतम 10 <sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षण प्राप्त)	1	1	1	1
<b>सेवा क्षेत्र</b>					
56	गिज़ा मखसूसा (विशिष्ट आहार)-रसोईया	1	1	2	3
57	मल्टीटास्किंग वर्कर (न्यूनतम 10 <sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण)	1	1	1	1
<b>कुल</b>		<b>65</b>	<b>78</b>	<b>107</b>	<b>127</b>
<b>नोट :</b> सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सफाई कर्मचारी, धोबी, माली, वाहन चालक, हाउसकीपिंग स्टाफ, अटेंडेंट/चपरासी, रसोइया, माली, रखरखाव कर्मचारी, सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज विभाग तकनीशियन, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीशियन इत्यादि आउटसोर्सिंग द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।					

## अनुसूची-V

(देखें: विनियम 13 और 18)

न्यूनतम आवश्यक मानक: एक यूनानी मेडिकल कॉलेज में शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता

शिक्षण विभाग  (1)	शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता											
	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता  (2)			एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता  (3)			एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता  (4)			दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता  (5)		
	प्रोफे.	एसो. प्रोफे.	असिस्टेंट प्रोफे.	प्रोफे.	एसो. प्रोफे.	असिस्टेंट प्रोफे.	प्रोफे.	एसो. प्रोफे.	असिस्टेंट प्रोफे.	प्रोफे.	एसो. प्रोफे.	असिस्टेंट प्रोफे.
1. कुल्लियात (यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धांत)	1 or 1		1 कुल्लियात + 1 अरबी या उर्दू या मंतिक	1	1	1 कुल्लियात + 1 अरबी या उर्दू या मंतिक	1	1	2 कुल्लियात + 2 अरबी या उर्दू या मंतिक	1	2	2 कुल्लियात + 2 अरबी या उर्दू या मंतिक
2. तशरीहुल बदन (एनाटॉमी)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
3. मनाफेउल आज़ा (फिजियोलॉजी)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
4. इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
5. इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मसी)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
6. महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
7. तहफुज़ी व समाजी तिव (निवारक और सामाजिक चिकित्सा)	1 or 1		2	1	1	2	1	2	3	2	2	4
8. मोआलाजात	1 or 1		3	1	1	3	1	2	4	2	2	5

(चिकित्सा)											
9. इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
10. अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
11. जराहत (सर्जरी)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
12. ऐन, उज़्ज, अनफ, हलक़ व अख़ान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
13. क़वालत वा निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	1 or 1	1	1	1	2	1	2	3	2	2	4
14. इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
उप योग	14	18	14	14	19	14	22	34	22	28	42
योग	32		47			70			92		

**टिप्पणी:**

1. उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक आधार पर एक योग शिक्षक या प्रशिक्षक (साठ, एक सौ, एक सौ पचास छात्र प्रवेश क्षमता के लिए एक और दो यानी दो सौ छात्र प्रवेश क्षमता के लिए एक पुरुष और एक महिला), अनुसंधान सहित एक बायोस्टैटिस्टिशियन तहफुज़ी वा समाजी तिव विभाग में अंशकालिक आधार पर अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी सहित एक जैव सांख्यिकीविद्, और पूर्णकालिक आधार पर एक शारीरिक शिक्षा निदेशक को कॉलेज में नियुक्त किया जाएगा;

2. जहां कहीं भी विभाग में अतिरिक्त प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर उपलब्ध हैं, वहां एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता के विरुद्ध अतिरिक्त प्रोफेसर पर विचार किया जा सकता है और सहायक प्रोफेसर की आवश्यकता के विरुद्ध अतिरिक्त एसोसिएट प्रोफेसर पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- इकसठ से सौ छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज के मनफेउल अज़ा विभाग में, यदि मनफेउल अज़ा विभाग में एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक सहायक प्रोफेसर की आवश्यकता के मुकाबले तीन प्रोफेसर या एक प्रोफेसर और दो एसोसिएट प्रोफेसर या एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक सहायक प्रोफेसर हैं, तो कॉलेज इस विभाग में संकाय की आवश्यकता को पूरा कर रहा है और इस विभाग में संकाय की कोई कमी नहीं है।

3. किसी अन्य विभाग में मौजूद अतिरिक्त प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) या सहायक प्रोफेसर (ब्याख्याता) की गणना उस विभाग में नहीं की जाएगी जहां संकाय की कोई कमी नहीं है।

## अनुसूची-VI

(देखें नियम 13 और 18)

न्यूनतम आवश्यक मानक: यूनानी मेडिकल कॉलेज में गैर-शिक्षण कर्मचारियों (तकनीकी और अन्य कर्मचारियों) की आवश्यकता

क्र.सं.. (1)	विभाग या अनुभाग या इकाई (2)	गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता (छात्रों की प्रवेश क्षमता के अनुसार)			
		साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (4)	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
प्रशासनिक अनुभाग					
1	प्रिंसिपल या डीन या निदेशक के व्यक्तिगत सहायक या व्यक्तिगत सचिव (सचिवीय प्रशिक्षण के साथ स्नातक)	1	1	1	1
2	कार्यालय अधीक्षक (पांच साल के प्रशासनिक अनुभव के साथ स्नातक))	1	1	1	1
3	प्रशासनिक और लेखा सेवाओं के लिए लिपिक कर्मचारी (लिपिक स्टाफ- कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक और लेखा स्टाफ- कंप्यूटर ज्ञान के साथ बी.कॉम. या एम.कॉम.)	3	4	6	9
केंद्रीय पुस्तकालय					
4	लाइब्रेरियन (बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, साइंस के साथ या मास्टरर्स ऑफ लाइब्रेरी, साइंस के साथ पांच साल का लाइब्रेरी अनुभव)	1	1	1	1
5	सहायक लाइब्रेरियन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के साथ या मास्टरर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के साथ	1	1	2	2
6	लाइब्रेरी अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा)	1	1	2	2
शिक्षण विभाग					
(1) कुल्लियात (यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धांत)					
7	अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	1	1	1	1
(2) तशरीहुल बदन (एनाटॉमी)					
8	कडैवर(शव) लिफ्टर	1	1	1	1
9	प्रयोगशाला सहायक (न्यूनतम 12 वीं कक्षा के साथ)	1	1	2	2

10	अटेंडेंट सह संग्रहालय कीपर (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	1	1	2	2
<b>(3) मनाफेउल आज़ा (फिजियोलॉजी)</b>					
11	लैब तकनीशियन (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री के साथ)	1	1	2	2
12	मल्टीटास्किंग कर्मचारी (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	1	1	2	2
<b>(4) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)</b>					
13	लैब तकनीशियन या फार्माकोग्नोसिस्ट इल्मुल एडविया (फार्माकोलॉजी) प्रैक्टिकल लैब और वसफुल अकाकिर (फार्माकोग्नोसी) प्रैक्टिकल लैब (एम एस सी बॉटनी के साथ); और लैब सहायक (रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ न्यूनतम 12 वीं कक्षा)	1+1	1+1	2+2	2+2
14	अटेंडेंट सह संग्रहालय कीपर (हर्बेरियम और संग्रहालय-सह- ट्यूटोरियल रूम) (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	1	1	4	4
<b>(5) इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी)</b>					
15	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के लिए लैब तकनीशियन (बी फार्मा या एम फार्मा)	1	1	1	1
16	अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर (शिक्षण फार्मेसी और संग्रहालय या गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला) (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	1	1	4	4
<b>(6) महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)</b>					
17	लैब तकनीशियन (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री के साथ)	1	1	2	2
18	अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	1	1	2	2
<b>(7) तहफ़ुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा)</b>					
19	नूट्रिशनलिस्ट या लैब तकनीशियन (पोषण प्रयोगशाला) (बीएससी या पोषण और आहार विज्ञान के साथ)	1	1	2	2
20	अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	1	1	2	2



	(8) मोआलाजात (चिकित्सा), (9) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेंटल थेरेपी) (10) अमराजे ज़िल्द व तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) (11) इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) (12) जराहत (सर्जरी) (13) ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व असान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गले और दंत चिकित्सा) (14) कबालत वा निस्वान(प्रसूति और स्त्री रोग)।				
21	अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर या मल्टीटास्किंग वर्कर (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	7	7	7	7
<b>क्लीनिक स्किल या सिमुलेशन लेबोलेटरी</b>					
22	कोऑर्डिनेटर (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी स्नातक प्राथमिकता के साथ मैनकिन और सिमुलेटरो की हैंडलिंग पर ट्रेनिंग या ओरीएन्टेशन के साथ)	1	1	1	1
23	कार्यालय सहायक (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
<b>मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ</b>					
24	कोऑर्डिनेटर (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के साथ स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रबंधन को प्राथमिकता)	1	1	1	1
25	कार्यालय सहायक (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
<b>डिजिटल लाइब्रेरी सहित आईटी सेल</b>					
26	आईटी ऑफिस (बी.ई. या बी.टेक कंप्यूटर साइंस या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन)	1	1	1	1
27	आईटी सहायक (बी.एससी कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन)	1	1	2	3
28	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	1	1
<b>केंद्रीय कार्यशाला/रखरखाव कक्ष</b>					
29	साइट इंजीनियर (बी.ई./बी.टेक सहित प्राथमिकता के साथ सिविल)	1	1	1	1
<b>हर्बल गार्डन</b>					
30	माली	1	1	2	2
31	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी	1	1	2	2
	योग	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>68</b>
<b>नोट:</b> अतिरिक्त कर्मचारी जैसे स्वीपर, अटेंडेंट, लिफ्टर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बहई, ड्राइवर, बहुउद्देश्यीय कर्मचारी आदि आउटसोर्सिंग द्वारा भर्ती किए जा सकते हैं।					

## अनुसूची-VII

(देखें नियम 13 और 18)

न्यूनतम आवश्यक मानक: न्यूनतम आवश्यक मानक: कुल्लियात उमूरे तबिया प्रैक्टिकल लेबोरेटरी -कम-ट्यूटोरियल रूम, के लिए के लिए मॉडल, उपकरण आदि की आवश्यकता तारीख-ए-तिब्ब के लिए संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष और कुल्लियात विभाग के तहत भाषा प्रयोगशाला

क्र.सं. (1)	उपकरण एवं उपस्कर (2)	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (4)	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
<b>I. कुल्लियात उमूरे तबिया प्रैक्टिकल लैब-कम-ट्यूटोरियल रूम</b>					
<b>ए. प्रदर्शन के लिए चार्ट</b>					
1	'इल्मे तिब्ब' का फ्लो चार्ट और इसके वर्गीकरण			मिश्रित	
2	तबियत का फ्लो चार्ट			मिश्रित	
3	कैफियत-ए-अरबा का ग्राफिकल रेप्रीजेन्टेशन			मिश्रित	
4	कैफियत-ए-अरबा के संदर्भ में अरकान-ए-अर्बा का टेबुलर रेप्रीजेन्टेशन			मिश्रित	
5	आवर्त तालिका में अनासिर इंसानिया का प्रदर्शन			मिश्रित	
6	मिज़ाज का फ्लो चार्ट			मिश्रित	
7	मानव स्वभाव की पहचान करने के लिए अजनास-ए-अशरा का तालिकाबद्ध विवरण			मिश्रित	
8	अखलात-ए अरबा के लिए फ्लो चार्ट			मिश्रित	
9	आज़ा के लिए फ्लो चार्ट			मिश्रित	
10	कुवा के लिए फ्लो चार्ट			मिश्रित	
11	अरवाह के लिए फ्लो चार्ट			मिश्रित	
12	अफ़ाल के लिए फ्लो चार्ट			मिश्रित	
<b>बी. प्रदर्शन और स्पॉटिंग के लिए मॉडल</b>					
13	आज़ा-ए-रईसा के लिए मॉडल			मिश्रित	
14	आज़ा-ए-अदना के लिए मॉडल			मिश्रित	
15	आज़ा-ए-मुहैय्या के लिए मॉडल			मिश्रित	
16	आज़ा-ए-मुअदिया के लिए मॉडल			मिश्रित	
17	कुव्वत-ए नफ़सानिया के लिए मॉडल			मिश्रित	
18	कुव्वत-ए हैवानियाह के लिए मॉडल			मिश्रित	
19	कुव्वत-ए तबियाह के लिए मॉडल			मिश्रित	
20	कुव्वत-ए तनासुलिया के लिए मॉडल			मिश्रित	
21	आज़ा-ए-हराह के लिए मॉडल			मिश्रित	
22	आज़ा-ए-बरीदा के लिए मॉडल			मिश्रित	
23	आज़ा-ए-रताबा के लिए मॉडल			मिश्रित	
24	आज़ा-ए-याबीसा के लिए मॉडल			मिश्रित	
25	आलात-ए- ह्वास -ए खम्सा जाहिरा के लिए मॉडल			मिश्रित	

26	आज़ा-ए-मुराक्का के लिए मॉडल				मिश्रित
27	आज़ा-ए-मुफ़रदाह के लिए मॉडल				मिश्रित
28	आज़ा-ए मनविया के लिए मॉडल				मिश्रित
29	आज़ा-ए दमविया के लिए मॉडल				मिश्रित
	<b>सी. प्रैक्टिकल लैब उपकरण</b>				
30	रक्तचाप उपकरण	एक	दो	तीन	चार
31	ऑयल इमर्शन के साथ माइक्रोस्कोप	दो	चार	छह	आठ
32	स्टेथस्कोप	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
33	वैडिंग स्केल	एक	एक	एक	एक
34	हाइट स्केल	एक	एक	एक	एक
35	स्टॉपवाँच	एक	एक	एक	एक
36	थर्मामीटर	एक	एक	एक	एक
37	बैरोमीटर	एक	एक	एक	एक
38	ग्लूकोमीटर	एक	एक	एक	एक
39	पल्स ऑक्सीमीटर	एक	एक	एक	एक
40	ग्लोब	तीन	चार	पाँच	छह
41	विश्व मानचित्र बड़े	दो	दो	दो	दो
42	ग्लैस्वर (कांच के बर्तन)	एक	एक	एक	एक
43	शल्य चिकित्सा के दस्ताने	आवश्यकता अनुसार			
44	दस्ताने पाउडर	आवश्यकता अनुसार			
45	सर्जिकल ब्लेड	मिश्रित			
46	साबुन	आवश्यकता अनुसार			
47	डिस्पोजेबल सिरिंज और सुई	मिश्रित			
48	वाँश बेसिन	आवश्यकता अनुसार			
49	कांच का जार	मिश्रित			
50	रेफ्रिजरेटर	एक			
51	ऊतकों की तैयार स्लाइड	मिश्रित			
52	स्पिरिट लैम्प	आवश्यकता अनुसार			
53	ड्रॉपर	मिश्रित			
54	परखनली	मिश्रित			
55	टेस्ट ट्यूब स्टैंड	मिश्रित			
56	टेस्ट ट्यूब होल्डर	मिश्रित			
57	येलो टॉप ट्यूब या एसएसटी	मिश्रित			
58	सेन्ट्रिफ्यूज मशीन	आवश्यकता अनुसार			
59	प्रयोगशाला थर्मामीटर	आवश्यकता अनुसार			
60	हेमोसाइटोमीटर	आवश्यकता अनुसार			
61	काँटन बोल	मिश्रित			
62	एयर क्वालिटी मॉनिटर	आवश्यकता अनुसार			
63	विंट्रोब ट्यूब	आवश्यकता अनुसार			
64	हाइड्रोजन की क्षमता (पीएच) पेन	आवश्यकता अनुसार			
65	वायर लूप	आवश्यकता अनुसार			
66	इन्सिनरैट डिश (बर्तन)	आवश्यकता अनुसार			
67	मफल फर्नेस	एक			
68	थर्मोकपल	आवश्यकता अनुसार			
69	न्यूटन कलरडिस्क	आवश्यकता अनुसार			
70	रिस्ट आर्म स्ट्रेंथ ग्लिपर	आवश्यकता अनुसार			

71	कलरिमीटर	आवश्यकता अनुसार
72	सूइयाँ	आवश्यकता अनुसार
73	टैम्परेचर ह्यूमिडिटी एयर प्रेशर मीटर	आवश्यकता अनुसार
74	सिरिंज	मिश्रित
75	एथिलीनडायमिनेटेड्राएसिटिक एसिड (ईडीटीए) ट्यूब	मिश्रित
76	फ्लोराइड ट्यूब	मिश्रित
77	कैंची	मिश्रित
78	ट्रेडिजल	एक
79	पोल क्लाइम्बिंग ऐपरैटस	आवश्यकता अनुसार
<b>II. तारीख-ए-तिब्ब (चिकित्सा का इतिहास) के लिए संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष</b>		
<b>ए. निम्नलिखित के चित्र या पाठ या ऐतिहासिक विवरण:</b>		
1	बेबीलोनियाई चिकित्सा: हम्मुराबी	मिश्रित
2	मिस्र की चिकित्सा: इम्होटेप, मेडिकल पपायरी	मिश्रित
3	चीनी चिकित्सा: फू हसी, शेन नोंग, हुआंगदी	मिश्रित
4	आयुर्वेद: चरक, सुश्रुत	मिश्रित
5	यूनानी चिकित्सा: एस्क्लेपियस I, हाइजीया, पैनेशिया, टेलीस्फोरस	मिश्रित
6	बुकरात (हिप्पोक्रेट्स): चिकित्सा के जनक	मिश्रित
7	सिद्ध चिकित्सा: अठारह सिद्ध और सिद्ध के पिता अगस्थियर	मिश्रित
8	सोवा-रिंगपा चिकित्सा प्रणाली	मिश्रित
9	ग्रीको-रोमन: गैलेन (जैलिनूज़), डायोस्कोराइड्स	मिश्रित
10	ग्रीको-अरब: रब्बन तवरी, अबू सहल मसीही, एविसिना (इब्न-ए-सिना), अबुलकैसिस (अबुल कासिम जहरावी), हज़ेन (इब्न-ए-हैथम), अबू रेहान अल बरूनी, एवेंज़ोर (इब्न-ए-जुहर), एवररोस (इब्न-ए-रुशद), मैमोनाइड्स (मूसा बिन मैमोन), इस्माइल जुरजानी, इब्न-ए-बैतर, नजीबुद्दीन समरकंदी, ईब्ने नफीस, नफ़ीस बिन ईवाद किरमानी	मिश्रित
11	भारतीय यूनानी चिकित्सक: जिया मोहम्मद मसूद राशिद जांगी, शहाब अब्दुल करीम नागौरी, अली गिलानी, अकबर अरजानी, अल्वी खान, शरीफ खान, अहमद गिलानी, आजम खान, अजमल खान, सैयद गुलाम हुसैन कंतौरी, मोहम्मद कबीरुद्दीन।	मिश्रित
12	प्रतिष्ठित यूनानी संस्थान: मदरसा इस्कंद्रिया, मदरसा जुंदीशाहपुर, बैतुल हिकमत	मिश्रित

13	चिकित्सा आचार संहिता: हिप्पोक्रेटिक शपथ, हुम्मुराबी की चिकित्सा आचार संहिता, चीनी चिकित्सा की आचार संहिता, आयुर्वेद की आचार संहिता, तिब्ब-ए-नबवी की आचार संहिता, चिकित्सकों के लिए नैतिक संहिता जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित किया गया है	मिश्रित
14	यूनानी मेडिकल टेक्स्ट: किताब अल-तबियातुल इन्सां, फुसूल-ए बुकरातिया (हिप्पोक्रेटिक कॉर्पस), मुएदाह-ए बुकरातिया, जवामे अल-इस्कंद्रेनीन (अलेक्जेंड्रिन संग्रह), किताब अल-मसैल, 'अशर मकलात फिल-ऐन, फिरदौस-उल हिकमत, किताब अल-हवी, किताब अल-मंसूरी, किताब अल-सनात, किताब अल-मियात, अल-कानून-फ़िल-तिब, किताब अल तसरीफ, किताब अल कुल्लियात, ज़खीरा ख्वारज़म शाही, किताब अल असबाब व अल अलामात, मौअज्जुल कानून, शराह असबाब व अल अलामात, शराह-ए-नफीसी, मजमुआ-ए जियाई तिब्ब-ए शहाबी, शराह-ए-कानून, तिब्ब-ए अकबर, कराबदीन कादरी, तलखीस तिब्ब-ए नबवी, मुफरेह-उल कुलूब, जमे-उल जवामे अहमद शाही, इलाज़ -उल अमराज'	मिश्रित
<b>बी. मॉडल</b>		
15	पत्थर की प्लेटें (खिश्ती तख्तियान)	मिश्रित
16	बेबीलोन चिकित्सा के यकृत और खोपड़ी मॉडल	मिश्रित
17	चीनी चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले शास्त्रीय मॉडल और उपकरण	मिश्रित
18	आयुर्वेद, सिद्ध और सोवा-रिग्पा में उपयोग किए जाने वाले शास्त्रीय मॉडल और उपकरण	मिश्रित
19	यूनानी चिकित्सा में प्रयुक्त शास्त्रीय मॉडल और उपकरण	मिश्रित
<b>III. भाषा प्रयोगशाला</b>		
नोट: तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक के अपेक्षित हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध व्यावहारिक संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए उपकरण, उपस्कर, नमूने आदि सहित सभी सुविधाओं को अभिरक्षित और प्रदान।		

## अनुसूची-VIII

(देखें: नियम 13 और 18)

न्यूनतम आवश्यक मानक: तशरीहुल बदन (शरीर रचना विज्ञान)

विभाग के तहत डाइसेक्शन हॉल, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी और संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपकरण और उपस्करों की आवश्यकताएं

क्र.सं. (1)	उपकरण एवं उपस्कर (2)	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (4)	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
<b>ए. डाइसेक्शन हॉल</b>					
1	2-4 शवों को संरक्षित करने की क्षमता वाला टैंक	अनिवार्य			
2	डाइसेक्शन सेट	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
3	डाइसेक्विंग टेबल				
	फुल साइज स्टेनलेस स्टील टॉप या मार्बल टॉप	तीन	पाँच	आठ	दस
	हॉफ साइज स्टेनलेस स्टील टॉप या मार्बल टॉप	तीन	पाँच	सात	दस
4	एक्स-रे देखने का बॉक्स	तीन	चार	पाँच	छः
5	3/4, 1/2, 1/4, 1/8 नंबर का बोन कटर - बारीक नुकीली छेनी बोन डाइसेक्टर	आवश्यकता अनुसार			
6	सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकता अनुसार			
7	सर्जिकल ब्लेड	आवश्यकता अनुसार			
8	डिस्पोजेबल सिरिंज और सुई	आवश्यकता अनुसार			
9	वाँश बेसिन	आवश्यकता अनुसार			
10	परिरक्षक रसायन	आवश्यकता अनुसार			
11	ग्लास जार	मिश्रित			
12	एम्बामिंग मशीन (वैकल्पिक)	एक			
13	बैंड साँ (वैकल्पिक)	एक			
14	हैण्ड शॉ	एक			
15	हिस्टोलॉजी स्लाइड्स	मिश्रित			
16	दूरबीन माइक्रोस्कोप	चार	छः	आठ	दस
17	छात्रों के लिए उपकरण (प्राथमिकता के साथ घूमने वाले)	मिश्रित			
18	फर्नीचर और अन्य उपकरण	मिश्रित			
<b>नोट:</b> तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक के अपेक्षित हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध व्यावहारिक संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए उपकरण, उपस्कर, नमूने आदि सहित सभी सुविधाओं को अभिरक्षित और प्रदान कर सकता है।					
<b>बी. संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष</b>					
1	कंकाल, हड्डियों, जोड़ों, संरक्षित अंगों आदि जैसे नमूने,	आवश्यकता अनुसार			
2	मॉडल या चार्ट				

## अनुसूची-IX

(देखें: नियम 13 और 18)

न्यूनतम आवश्यक मानक: मनाफेउल आज़ा (फिजियोलॉजी) विभाग के तहत प्रैक्टिकल लेबोरेटरी और ट्यूटोरियल रूम में उपकरण और उपस्करों की आवश्यकताएं मनाफेउल आज़ा (फिजियोलॉजी) विभाग के तहत

क्र.सं. (1)	उपकरण एवं उपस्कर (2)	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (4)	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
1	ऑयल इमर्शन के साथ माइक्रोस्कोप	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
2	एरिथ्रोसाइट सेडमन्टेशन रेट के लिए वेस्टरग्रेन पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
3	वेस्टरग्रेन स्टेण्ड	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
4	हेमेटोक्रिट ट्यूब	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
5	पैकड सेल वॉल्यूम (पीसीवी) पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
6	साहली का हीमोग्लोबिनोमीटर	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
7	हीमेटोक्रिट ट्यूब	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
8	स्टेथस्कोप	दस	बीस	तीस	चालीस
9	क्लिनिकल थर्मामीटर	दस	बीस	तीस	चालीस
10	नी हैमर	दस	बीस	तीस	चालीस
11	बीपी ऐपरैटस	दस	बीस	तीस	चालीस
12	ट्यूनिंग फोर्क्स	दस	बीस	तीस	चालीस
13	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़ मशीन	एक	एक	दो	दो
14	स्टॉप वाच	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
15	वाटर डिस्टिलेशन यूनिट	एक	एक	एक	एक
16	वैडिंग मशीन	एक	दो	तीन	चार
17	ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक	दो	तीन	चार
18	वैलेंस-इलेक्ट्रॉनिक	एक	दो	तीन	चार
19	खेलन चार्ट	दो	दो	चार	चार
20	गति नियंत्रण के साथ सेन्ट्रीफ्यूज	एक	दो	तीन	चार
21	कलरमीटर (फोटोइलेक्ट्रिक)	एक	दो	तीन	चार
22	पीएच मीटर (इलेक्ट्रिक)	एक	दो	तीन	चार
23	डिस्क के साथ पीएच तुलनित्र	एक	दो	तीन	चार
24	न्यूटन कलर व्हील	एक	दो	तीन	चार
25	स्टर्लाइज़र	एक	एक	दो	दो
26	पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर	एक	दो	तीन	चार
27	स्पाइरोमीटर	एक	दो	तीन	चार
28	यूरिनोमीटर	एक	दो	तीन	चार
29	कम्पास एनेस्थेसियोमीटर	एक	एक	दो	दो
30	थर्मल एनेस्थेसियोमीटर	एक	एक	दो	दो
31	हैंड ग्लिप डायनेमोमीटर	एक	एक	दो	दो
32	हार्वर्ड स्टेप	एक	एक	दो	दो
33	लैसेट पेन	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस

34	डिस्पोजेबल सिरिंज और सुई	आवश्यकता अनुसार			
35	सुई विनाशक	आवश्यकता अनुसार			
36	फ्रिज	एक	एक	एक	एक
37	बन्सेन-बर्नर	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
38	स्पिरिट लैंप	छः	छः	दस	दस
39	तिपाई स्टैंड	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
40	कवर पर्ची	आवश्यकता अनुसार			
41	कांच (ग्लासवेयर)	आवश्यकता अनुसार			
42	माइक्रोस्लाइड	आवश्यकता अनुसार			
43	रीजेन्ट्स	आवश्यकता अनुसार			
44	टॉर्च	आवश्यकता अनुसार			
45	मेजरिंग टेप (मापने वाला टेप)	आवश्यकता अनुसार			
46	सोखता कागज़ (ब्लॉटिंग पेपर)	आवश्यकता अनुसार			
47	छात्रों के लिए उपकरण (प्राथमिकता के साथ घूमने वाले)	आवश्यकता अनुसार			

नोट: तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक के अपेक्षित हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर, रसायन / रीजेन्ट्स, चार्ट, मॉडल आदि सहित सभी सुविधाओं को अभिरक्षित और प्रदान करेगा।

### अनुसूची-X

(देखें: नियम 13 और 18)

न्यूनतम आवश्यक मानक: इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) विभाग के तहत प्रैक्टिकल लेबोरेटरी, वसफुल अकाकिर (फार्माकोप्रोसी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, हर्बेरियम और इल्मुल अदविया संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपकरण और उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	उपकरण एवं उपस्कर	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता	एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>ए. इल्मुल अदविया प्रैक्टिकल लेबोरेटरी</b>					
1	सिलबट्टा				
	क. छोटा	दो	चार	आठ	दस
	ख. मध्यम	दो	चार	आठ	दस
	ग. बड़ा	दो	चार	आठ	दस
2	खरल (मूसल और ओखली)				
	क. संगेमरमर	दो	चार	आठ	दस
	ख. संगेसियाह	दो	चार	आठ	दस
	ग. संगेसुमाक	दो	चार	आठ	दस
3	डिस्टिलेशन ऐपरैटस	एक	एक	एक	एक
4	हीटिंग यूनिट के साथ सॉक्सलेट ऐपरैटस	एक	एक	दो	दो
5	हवन दस्ता (कूटने के लिए)	दो	चार	आठ	दस
6	सेन्ट्रीफ्यूज यंत्र	दो	चार	छः	आठ
7	क्लेवेंजर ऐपरैटस	दो	दो	चार	चार
8	सेन्ट्रीफ्यूज ट्यूब	आवश्यकता अनुसार			



9	परखनली	मिश्रित			
10	टेस्ट ट्यूब हॉल्डर	मिश्रित			
11	टेस्ट - ट्यूब रैक	मिश्रित			
12	कोनिकल फ्लास्क	मिश्रित			
13	ग्लास रॉड साइज 8 (कांच की छड़)	आवश्यकता अनुसार			
14	ड्रॉपर	आवश्यकता अनुसार			
15	बीकर (100 मिली, 250 मिली, 500 मिली, 1000 मिली)	आवश्यकता अनुसार			
16	मापने वाले जार (ग्लास) (10 मिली, 25 मिली, 100 मिली, 500 मिली)	आवश्यकता अनुसार			
17	मापने वाले जार (प्लास्टिक या फाइबर) (10 मिली, 25 मिली, 100 मिली, 500 मिली)	आवश्यकता अनुसार			
18	हीटिंग डिवाइस				
	क. गैस - चूल्हा	आवश्यकता अनुसार			
	ख. लेम्प बर्नर	आवश्यकता अनुसार			
	ग. इंडक्शन चूल्हा	आवश्यकता अनुसार			
19	बैलेंस				
	क. भौतिक	एक	एक	दो	दो
	ख. इलेक्ट्रॉनिक	एक	दो	तीन	चार
20	फ्रिज	एक	एक	एक	एक
21	पात्र (वेसल)				
	क. तांबा	मिश्रित			
	ख. इस्पात	मिश्रित			
	ग. आयरन	मिश्रित			
	घ. मिट्टी	मिश्रित			
22	चमचा/कलछी, स्पैटुला, चम्मच आदि,	मिश्रित			
23	जूस निकालने वाला	आवश्यकता अनुसार			
24	ग्लास जार	आवश्यकता अनुसार			
25	पाश्चर पिपेट 1 मिलीलीटर	आवश्यकता अनुसार			
26	पिपेट	आवश्यकता अनुसार			
27	कीप	आवश्यकता अनुसार			
28	लोहे की जाली वाला गोल तली का फ्लास्क	आवश्यकता अनुसार			
29	वाच ग्लास 80 मिमी	आवश्यकता अनुसार			
30	प्लैटिनम तार	आवश्यकता अनुसार			
31	ब्रश	आवश्यकता अनुसार			
32	ब्लोटिंग या फिल्टर पेपर	आवश्यकता अनुसार			
33	पीएच इंडिकेटर पेपर	आवश्यकता अनुसार			
34	चाकू	मिश्रित			
35	स्टील की प्लेटें	मिश्रित			
36	तामचीनी ट्रे	मिश्रित			
37	सुपारी कटर	आवश्यकता अनुसार			

38	चॉपिंग पैड	मिश्रित			
39	सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकता अनुसार			
40	वाटर बाथ	एक	एक	दो	दो
41	स्पिरिट लैंप	आवश्यकता अनुसार			
42	रसायन और रीजेंट्स	आवश्यकता अनुसार			
43	भंडार करने के लिए अलमारी और रैक	आवश्यकता अनुसार			
44	टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब रैक	आवश्यकता अनुसार			
45	आग बुझाने वाला (फायर इक्विस्टग्विशर)	एक			
46	मफल भट्टी	एक			
<p><b>नोट:</b> 1. तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक के अपेक्षित हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर, रसायन या अभिकर्मक (रीजेंट्स) आदि सहित सभी सुविधाओं को अभिरक्षित और प्रदान करेगा।</p> <p>2. अग्नि सुरक्षा उपाय उपलब्ध होने चाहिए।</p>					
<b>बी. वसफुल अकाकिर (फार्माकोग्रांसी) प्रैक्टिकल लेबोरेटरी</b>					
<b>प्लांट एनाटॉमी</b>					
1	फील्ड मैग्निफायर	छह	दस	पंद्रह	बीस
2	डिजिटल कैमरा के साथ ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप	एक	एक	दो	दो
3	यौगिक सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप)	पंद्रह	बीस	पच्चीस	तीस
4	वाच ग्लास	पंद्रह	बीस	चालीस	पचास
5	माइक्रोस्लाइड्स (बक्से)	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
6	कवर ग्लास (बक्से)	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
7	वाश बोटल्स	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
8	स्थायी स्लाइड के साथ स्लाइड बॉक्स	पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक			
9	प्लास्टिक ड्रॉपर बोतल - 10 मिलीलीटर	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
10	पेट्री डिश-सेट	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
11	रसायन और अभिकर्मक (रीजेंट्स)	आवश्यकता अनुसार			
<b>प्लांट टैक्सानमी</b>					
12	डिसेक्ट माइक्रोस्कोप	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
13	तामचीनी ट्रे	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
14	हैण्ड मैग्निफायर	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
15	नमूना बोतलें (500 मिली)	आवश्यकता अनुसार			
16	ब्रश, सुई और रेजर/ब्लेड के साथ डिसेक्ट बॉक्स	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
17	फॉर्मलिडहाइड (प्रेज़र्वेशन)	आवश्यकता अनुसार			
<b>क्रोमटाग्राफी</b>					
18	थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कक्ष	पंद्रह	बीस	पच्चीस	पचास
19	थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्री-कोटेड प्लेट (बक्से)	एक	दो	तीन	चार
20	थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ग्लास प्लेट्स	पंद्रह	बीस	पच्चीस	पचास

21	खरल (मूसल और ओखली)	पांच	दस	पंद्रह	बीस
22	रीजेंट्स की बोतल	दस	बीस	तीस	चालीस
23	बीकर - 250 मिलीलीटर	दस	बीस	तीस	चालीस
24	बीकर - 100 मिलीलीटर	दस	बीस	तीस	चालीस
25	कोनिकल फ्लास्क	पांच	दस	पंद्रह	बीस
26	ग्लास फ्रनल	दस	बीस	तीस	चालीस
27	माइक्रो पिपेट	पंद्रह	बीस	पच्चीस	पचास
28	सिलेंडर माप - 10 मिलीलीटर	दस	बीस	तीस	चालीस
29	मापने वाला (मेजरिंग) सिलेंडर-25 मिली	दस	बीस	तीस	चालीस
30	मापने वाला (मेजरिंग) सिलेंडर-100 मि.ली	दस	बीस	तीस	चालीस
31	व्हाट्समैन फिल्टर पेपर रोल	एक	दो	तीन	चार
32	फिल्टर पेपर राउंड-बॉक्स	पांच	दस	पंद्रह	बीस
33	कैपलेरी ट्यूब (बॉक्स)	एक	दो	तीन	चार
34	रसायन और अभिकर्मक (रीजेंट्स)	आवश्यकता अनुसार			
<b>विविध</b>					
35	इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस	एक	दो	तीन	चार
36	रासायनिक संतुलन	एक	एक	एक	एक
37	आई माइक्रोमीटर	एक	दो	तीन	चार
38	स्टेज माइक्रोमीटर	एक	दो	तीन	चार
39	कैमरा ल्यूसिडा प्रिज्म टाइप और मिरर टाइप (वैकल्पिक)	एक	दो	तीन	चार
40	तवा (हॉट प्लेट)	एक	दो	तीन	चार
41	बर्नर के साथ द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर	आवश्यकता अनुसार			
42	छात्रों के लिए उपकरण (प्राथमिकता के साथ घूमने वाले)	आवश्यकता अनुसार			
43	रेफ्रिजरेटर	एक			
<b>वनस्पति संग्रहालय</b>					
44	प्लांट प्रेस	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
45	वुडन फील्ड प्रेस	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
46	वास्कुलम/बटैनिकल बॉक्स	पांच	दस	पंद्रह	बीस
47	हर्बेरियम कैबिनेट	एक	एक	एक	एक
48	हर्बल गार्डन के लिए बागवानी उपकरण (कुदाल, हाथ की कुदाल, रेक, क्रॉवर, बगीचे की कैंची, सेकेटर, पानी की नली, हाथ स्प्रेकलर, रेत बांड आदि,	आवश्यकता अनुसार			
<p><b>नोट:</b> तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक अपेक्षित हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर, रसायन / रीजेंट्स, चार्ट, मॉडल आदि सहित सभी सुविधाओं को अभिरक्षित और प्रदान करेगा।</p>					

सी. संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष					
1	अदविया नवातिया (जड़ी बूटी)	संबंधित श्रेणियों के नमूने (जहरीले पदार्थों को लॉक डिस्प्ले शेल्फ कैबिनेट में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए)			
2	अदविया मादनिया (धातु और खनिज)				
3	अदविया हेवानिया (पशु डेरिवेटिव)				
4	हर्वेरियम कैबिनेट के साथ उर्दू वर्णमाला	एक सौ नमूने	एक सौ पचास नमूने	दो सौ नमूने	दो सौ पचास नमूने
5	स्थायी माइक्रोस्लाइड नमूने	बीस			

### अनुसूची-XI

(देखें: नियम 13 और 18)

न्यूनतम आवश्यक मानक: इलमुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) विभाग के तहत

इलमुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) शिक्षण फार्मेसी या प्रैक्टिकल लेबोरेटरी, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला और संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपस्कर और उपकरणों आदि की आवश्यकता

क्र.सं. (1)	उपकरण एवं उपस्कर (2)	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (4)	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
<b>ए. इलमुल सैदला प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (शिक्षण फार्मेसी)</b>					
1	सिलबट्टा				
	क. छोटा	दस	बीस	तीस	चालीस
	ख. मध्यम	दस	बीस	तीस	चालीस
	ग. बड़ा	दस	बीस	तीस	चालीस
2	खरल (मूसल और ओखली)				
	क. संगेमरमर	दो	तीन	चार	पांच
	ख. संगेसियाह	दो	तीन	चार	पांच
	ग. संगेसुमाक	दो	तीन	चार	पांच
	घ. पोर्सलिन	दस	बीस	तीस	चालीस
	ड.. आयरन	दो	चार	छः	आठ
3	पारंपरिक उपकरणों जैसे कराह अंबिक, नल भबका, पाताल जंतर, जल जंतर, डमरू जंतर, तारीके लोलाबी, तरीके हबली, हम्मामे मइया आदि सहित डिस्टिलेशन ऐपरैटस	प्रत्येक एक	प्रत्येक दो	प्रत्येक तीन	प्रत्येक चार
4	हवन दस्ता (कूटने के लिए)	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
5	बूटा (कूसिबल)	दस	बीस	तीस	चालीस
6	पुट (भट्टी) (विभिन्न प्रकार)	दस	दस	दस	दस
7	फुंकनी (ब्लोअर)	दो	चार	छः	आठ
8	हीटिंग डिवाइस				
	क. गैस स्टोव	पंद्रह	बीस	पच्चीस	तीस
	ख. इंडक्शन स्टोव	आवश्यकता अनुसार			
	ग. चूल्हा या अंगीठी (लकड़ी का)	आवश्यकता अनुसार			

	कोयला या ब्लॉक वाली)				
	घ. तवा (हॉट प्लेट)	आवश्यकता अनुसार			
9	विभिन्न क्षमता संतुलन				
	क. भौतिक	एक	दो	तीन	चार
	ख. इलेक्ट्रॉनिक	एक	दो	तीन	चार
	ग. रासायनिक	एक	एक	दो	दो
10	वर्तन, जार, प्लेट, ट्रे आदि				
	क. पीतल के वर्तन और कंटेनर	मिश्रित			
	ख. तांबे के वर्तन और कंटेनर	मिश्रित			
	ग. स्टील के वर्तन और कंटेनर	मिश्रित			
	घ. लोहे के वर्तन और कंटेनर	मिश्रित			
	ड. मिट्टी के वर्तन और कंटेनर	मिश्रित			
	च. फ्राइंग पैन	मिश्रित			
	छ. स्पैटुला	मिश्रित			
	ज. लाडले और चम्मच	मिश्रित			
	झ. स्टील प्लेट्स	मिश्रित			
	ञ. तामचीनी ट्रे।	मिश्रित			
	ट. प्लास्टिक ट्रे	मिश्रित			
	ठ. जार और कंटेनर	मिश्रित			
11	पीसने की मशीनें				
	क. मिक्सर ग्राइंडर	एक	दो	तीन	चार
	ख. वेट ग्राइंडर	एक	एक	दो	दो
12	पायरोमीटर	मिश्रित			
13	फ्रिज	एक	एक	एक	एक
14	तापमापी	आवश्यकता अनुसार			
15	चाकू	मिश्रित			
16	स्क्रेपर्स	मिश्रित			
17	चॉपिंग पैड	मिश्रित			
18	विभिन्न आकारों वाले मापने के उपकरण (कांच)	मिश्रित			
19	फर्मेंटेशन उद्देश्य के लिए चीनी मिट्टी के बरतन जार	मिश्रित			
20	छलनी (विभिन्न आकार और संख्याएं)	मिश्रित			
21	जूस निकालने वाला	मिश्रित			
22	प्रेसर-कुकर	मिश्रित			
23	आग बुझाने वाला	एक			
24	स्पिरिट लैंप	मिश्रित			
25	भंडार करने के लिए अलमारी और रैक	मिश्रित			
<p>नोट: 1. विभिन्न प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए पुट (भट्टी) को कॉलेज परिसर में उपयुक्त क्षेत्र में बनाए रखा जाएगा।  2. तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक अपेक्षित हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए उपकरण, उपस्कर, आदि सहित सुविधाओं को बनाए रखेगा।  3. अग्नि सुरक्षा उपाय उपलब्ध होने चाहिए।</p>					
<b>बी. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला</b>					
1	टेबलेट डिसिन्टिग्रेशन ऐपरैटस				

2	मफल फर्नेस
3	सॉक्सलेट ऐपरैटस के साथ हीटिंग यूनिट
4	मॅग्नेटिक स्टीरर
5	वाटर बाथ (तापमान नियंत्रित)
6	सेंट्रीफ्यूज
7	सेंट्रीफ्यूज ट्यूब
8	टाइट्रेशन ट्यूब
9	कांच या स्टील डिस्टिलेशन ऐपरैटस
10	डिजिटल पीएच मीटर
11	टेबलेट हार्डनेस टेस्टर
12	टेबलेट फ्राइएबिलिटी टेस्टर
13	टेबलेट डिसिन्टग्रेशन टेस्टर
14	हाइड्रोमीटर
15	एल्कोहल डिटर्मिनेशन ऐपरैटस
16	वर्नियर कैलिपर
17	होट प्लैट
18	हीटिंग मेंटल
19	बल्क डेन्सिटी टेस्टर
20	रोटरी शेकर
21	अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर (वैकल्पिक)
22	रीफ्रेक्टोमीटर
23	हॉट एयर ओवन (तापमान की विभिन्न रेंज)
24	माइक्रोवेव ओवन
25	पाइरामिटर
26	पाइकोनोमीटर या विशिष्ट गुरुत्व बोतल
27	माइक्रोस्कोप (सरल)
28	सॉफ्टवेयर के साथ माइक्रोस्कोप (मोटिक या कार्लज़ेसिस) (वैकल्पिक)
29	कम्पाउंड माइक्रोस्कोप
30	माइक्रोटोम
31	माइक्रोस्लाइड कैबिनेट
32	डिस्सेशन बॉक्स
33	एल्यूमिनियम साइड ट्रे
34	आई (नेत्र) माइक्रोमीटर
35	स्टेज माइक्रोमीटर
36	कैमरा ल्यूसिडा प्रिज्म टाइप और मिरर टाइप (वैकल्पिक)
37	बॉइलिंग प्वाइंट और मेल्टिंग प्वाइंट डिटर्मिनेशन ऐपरैटस
38	वॉलेटाइल ऑयल डिटर्मिनेशन ऐपरैटस (क्लेवेंजर ऐपरैटस)
39	विस्कोमीटर (ओस्टवाल्ड, रेडवुड)
40	कांच के बर्तन (बीकर, फ़नल, टेस्ट ट्यूब, मापने वाले सिलेंडर, कोनिकल फ्लास्क, कांच की छड़, ड्रॉपर आदि)
41	पिपेट्स
42	रसायन और अभिकर्मक (कैमिकल एंड रीजेन्ट्स)
43	इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस
44	छलनी शेकर (छलनी 10 से 120)

45	फ्लास्क शेकर
46	कवर स्लिप के साथ स्लाइड
47	मूसली और खरल
48	लिटमस पेपर (नीला और लाल)
49	हाइड्रियन पीएच पेपर
50	टेस्ट - ट्यूब रैक
51	स्पैटुला, चम्मच आदि,
52	फिल्टर पेपर
53	स्प्रीट लैम्प
54	लोहे की जाली वाला गोल तली वाला कांच
55	प्लैटिनम तार
56	वाच ग्लास
57	लेम्प बर्नर
58	रेफ्रिजरेटर
59	डीह्यूमिडिफायर
60	बर्नर के साथ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर
61	सिलिका कूसिबल
62	मॉडस्चर डिटर्मिनेशन ऐपरैटस
63	कान्डक्टिविटी मीटर (हाथ से संचालित और बेंच टॉप मॉडल)
64	नेफेलोमीटर और टर्बिडीमीटर
65	थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी ऐपरैटस और सभी सहायक उपकरण

**नोट: 1.** विभाग गुणवत्ता मूल्यांकन के पारंपरिक तरीकों को प्रदर्शित करने या अभ्यास करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा, **2.** तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक अपेक्षित हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए उपकरण, उपस्कर, रसायन या अभिकर्मक आदि सहित सुविधाओं को बनाए रखेगा और प्रदान करेगा।

<b>सी. संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष</b>		
1	अदविया नबातिया (जड़ी बूटी)	नमूने (जहरीले पदार्थों को लॉक डिस्प्ले शेल्फ कैबिनेट में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए)
2	अदविया मदनिया (धातु और खनिज)	
3	अदविया हेवानिया (पशु डेरिवेटिव)	
4	कुष्ठजात, खर, रूब, सत्त आदि।	कांच के जार में नमूने
5	कारा अंबिक	प्रत्येक एक
6	नल भाबका	
7	पाताल जंतर;	
8	जल जंतर-पर।	
9	डमरू जंतर	
10	तारीक लोलाबी	
11	तारीक हबली	
12	हम्मामे माया	
13	जार अलाकी	

## अनुसूची-XII

(देखें: नियम 13 और 18)

न्यूनतम आवश्यक मानक: महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग के तहत महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल लेबोरेटरी और संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपकरण और उपकरणों आदि की आवश्यकताएं

क्र.सं. (1)	उपकरण एवं उपस्कर (2)	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (4)	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
<b>ए. महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) व्यावहारिक प्रयोगशाला</b>					
1	ऑयल डिस्सेशन के साथ दूरबीन माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
2	ऑयल डिस्सेशन के साथ माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
3	लेंस 20 (ई) के साथ मोनोकुलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
4	एक्स-रे दृश्य बॉक्स	एक	एक	दो	दो
5	सहली स्क्वायर ट्यूब (हीमोग्लोबिनोमीटर)	तीस	पचास	पचास	पचास
6	एचबी पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
7	व्हाइट ब्लड सेल पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
8	ड्रॉपर	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
9	रेड सेल पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
10	बेहतर न्यूबॉयर काउंटिंग चैंबर	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
11	इन्क्यूबेटर	एक	दो	तीन	चार
12	विंट्रोव ट्यूब	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
13	पाश्चर पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
14	सेंट्रीफ्यूज ग्रेजुएट मशीन	एक	दो	तीन	चार
15	वेस्टरग्रेन पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
16	वेस्टरग्रेन स्टैंड या विंट्रोव स्टैंड	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
17	यूरिनोमीटर	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
18	ऑटोक्लेव	एक	एक	एक	एक
19	सेल काउंटर (हीमो-ऑटो एनालाइजर)	एक	एक	एक	एक
20	रक्तचाप उपकरण	पांच	दस	पंद्रह	बीस
21	स्टेथस्कोप	पांच	दस	पंद्रह	बीस
22	तापमापी	दस	बीस	तीस	चालीस
23	थर्मल स्कैनर	एक	दो	तीन	चार
24	टंग डिप्रेसर	पांच	दस	पंद्रह	बीस
25	स्टॉप वाच	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
26	भौतिक संतुलन	एक	एक	दो	दो
27	इलेक्ट्रॉनिक संतुलन	एक	एक	दो	दो
28	हॉट एयर ओवन	एक	एक	दो	दो
29	बन्सेन-बर्नर	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
30	फ्रिज	एक	एक	एक	एक
31	नमूने एकत्र करने के लिए स्टेराइल वेसल या बोतल	आवश्यकता अनुसार			
32	टॉर्च	आवश्यकता अनुसार			
33	मापने का टेप	आवश्यकता अनुसार			



34	वजन करने की मशीन	एक	एक	एक	एक
35	ट्यूनिंग फोर्क्स	मिश्रित			
36	नाक की स्पेकुलम	आवश्यकता अनुसार			
37	लैरींगोस्कोप	आवश्यकता अनुसार			
38	कैथेटर	आवश्यकता अनुसार			
39	जांच	मिश्रित			
40	किट (एचबीएस एजी किट, एचआईवी किट, सीटी-बीटी किट, रीनल प्रोफाइल किट, लिपिड प्रोफाइल किट, ब्लड शुगर किट आदि,)	मिश्रित			
41	स्टेराइल डिस्पोजेबल लैसेट या सुई	मिश्रित			
42	कांच की छड़	मिश्रित			
43	सिरिंज सुई डेस्ट्रायर	आवश्यकता अनुसार			
44	कवर पर्ची	आवश्यकता अनुसार			
45	साफ़ की गई स्लाइड्स	आवश्यकता अनुसार			
46	लिटमस पेपर	आवश्यकता अनुसार			
47	पीएच संकेतक पेपर स्ट्रिप्स	आवश्यकता अनुसार			
48	टेस्ट-ट्यूब, टेस्ट-ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब रैक	मिश्रित			
49	कीप	आवश्यकता अनुसार			
50	कोनिकल फ्लास्क	मिश्रित			
51	विभिन्न आकारों के ढक्कन वाले कांच के जार	मिश्रित			
52	केशिका ट्यूब	मिश्रित			
53	मैग्रीफाइंग लेंस	आवश्यकता अनुसार			
54	रबर टीट	मिश्रित			
55	मल्टी स्टिक्स	मिश्रित			
56	रंग-रोगन	दो	चार	छः	आठ
57	pH मीटर	दो	चार	छः	आठ
58	वाटर बाथ	एक	दो	तीन	चार
59	एल्ब्यूमिनोमीटर	दस	बीस	तीस	चालीस
60	ड्राइंग रैक	दो	तीन	चार	पांच
61	माइक्रो पिपेट	मिश्रित			
62	नशतर	मिश्रित			
63	सँडसी	मिश्रित			
64	पेट्री डिश	मिश्रित			
65	पारदर्शी मूत्र कंटेनर	मिश्रित			
66	ग्रेजुएट सिलेंडर	मिश्रित			
67	रक्त-बंध	आवश्यकता अनुसार			
68	छात्रों के लिए उपकरण (प्राथमिकता के साथ घूमने वाले)	आवश्यकता अनुसार			
<b>बी. संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष</b>					
1	पैथोलॉजिकल नमूने	मॉडल या फिल्म या तस्वीर या दृश्य या चार्ट या नमूना रोग संबंधी स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं			
2	विशिष्ट एक्स-रे या कंप्यूटेड टोमोग्राफी या मैग्नेटिक रीसोनेन्स इमेजिंग				
3	नैदानिक उपकरण या उपकरण या उपस्कर आदि,				

- नोट:** 1. तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक अपेक्षित हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर, रसायन/ अभिकर्मक आदि सहित सुविधाओं को बनाए रखेगा।
2. माइक्रोबियल संदूषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।

### अनुसूची-XIII

(देखें: नियम 13 और 18)

न्यूनतम आवश्यक मानक: पोषण प्रयोगशाला, तहफफुज़ी व समाजी प्रैक्टिकल लेबोरेटरी और संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपस्कर और उपकरणों आदि की आवश्यकताएं और तिब्बुल क्रनून वा इलमुल समूम (फोरेसिक चिकित्सा और नैदानिक विष विज्ञान) तहफफुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के तहत प्रैक्टिकल लेबोरेटरी और संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष

क्र.सं. (1)	उपकरण एवं उपस्कर (2)	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (4)	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
ए. तहफफुज़ी वा समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा)					
I. पोषण प्रयोगशाला					
1	डिजिटल वजन स्केल	एक	एक	एक	एक
2	कन्वेल्डहल प्रणाली (पाचन इकाई + आसवन इकाई)	एक	एक	एक	एक
3	डिजिटल मफल फर्नस	एक	एक	एक	एक
4	सॉक्सलेट फैट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम	एक	एक	एक	एक
5	अब्बे डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर	एक	एक	एक	एक
6	लौ फोटोमीटर	एक	एक	एक	एक
7	हॉट एयर ओवन	एक	एक	एक	एक
8	फ्रिज	एक	एक	एक	एक
9	वाटर बाथ	दो	दो	चार	चार
10	ग्रिंडर	दो	दो	चार	चार
11	मैग्नेटिक स्टीरर	दो	दो	चार	चार
12	हॉट प्लेट	दो	दो	चार	चार
13	डिजिटल पीएच मीटर	दो	दो	चार	चार
14	वैक्यूम फिल्टर सिस्टम	एक	एक	एक	एक
15	सोनीकेटर	एक	एक	एक	एक
16	फ्यूम हुड	एक	एक	एक	एक
17	डेसकेटर	एक	एक	एक	एक
18	वोरटेक्स मिक्सर	एक	एक	एक	एक
19	विस्कोमीटर	एक	एक	एक	एक
20	रिफ्रिजरेट सेंटीफ्यूज	एक	एक	एक	एक
21	डिजिटल पोलारिमीटर	एक	एक	एक	एक
22	ब्यूरेट	बीस	तीस	चालीस	पचास
23	ग्लास पिपेट	बीस	तीस	चालीस	पचास
24	माइक्रोपिपेट (विभिन्न क्षमताएं वाले)	प्रत्येक -पांच	प्रत्येक -पांच	प्रत्येक -पांच	प्रत्येक -पांच
25	हीटिंग मेंटल (विभिन्न क्षमताएं वाले)	प्रत्येक -पांच	प्रत्येक -पांच	प्रत्येक -पांच	प्रत्येक -पांच
26	टीडीएस मीटर	दो	चार	छः	आठ
27	लैक्टोमीटर	दो	चार	छः	आठ

28	बॉडी फैट एनालाइजर	एक	एक	एक	एक
29	एन्थ्रोपोमेट्रिक मापन उपकरण (सेट)	एक	एक	एक	एक
<p><b>नोट: 1.</b> तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक अपेक्षित हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल के सुचारू संचालन के लिए और व्यावहारिक और प्रदर्शनकारी शिक्षण के संचालन के लिए प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर आदि सहित सुविधाओं को बनाए रखेगा और प्रदान करेगा;</p> <p><b>2.</b> यूनानी तिब "घिजा दवाई" की अवधारणा के अनुसार पाक दवाओं पर व्यावहारिक संचालन के लिए, यदि कोई हो, तो इलमुल अदविया या इलमुल सैदला प्रैक्टिकल लैब की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है, या विभाग स्वयं विभाग में ही ऐसी सुविधाएं स्थापित कर सकता है।</p>					
<b>II. तहफ़ुज़ी वा समाजी तिब प्रैक्टिकल प्रयोगशाला</b>					
1	हॉरॉक उपकरण	छः	दस	पंद्रह	बीस
2	टीडीएस मीटर	छः	दस	पंद्रह	बीस
3	टर्बिडिटी मीटर	एक	दो	तीन	चार
4	साइकोमोटर	छः	दस	पंद्रह	बीस
5	वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण	छः	दस	पंद्रह	बीस
6	पुरुष कंडोम	छः	दस	पंद्रह	बीस
7	महिला कंडोम	छः	दस	पंद्रह	बीस
8	सर्वाइकल कैप	छः	दस	पंद्रह	बीस
9	स्पंज	छः	दस	पंद्रह	बीस
10	गर्भाशय ग्रीवा के छल्ले	छः	दस	पंद्रह	बीस
11	मौखिक गर्भनिरोधक गोली	छः	दस	पंद्रह	बीस
12	प्रोजेस्टेरोन केवल गोली	छः	दस	पंद्रह	बीस
13	डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट (डीएमपीए)	छः	दस	पंद्रह	बीस
14	नेट एन	छः	दस	पंद्रह	बीस
15	गोजीपोला	छः	दस	पंद्रह	बीस
16	यास्मीन	छः	दस	पंद्रह	बीस
17	लिप्पी लूप	छः	दस	पंद्रह	बीस
18	कॉपर टी	छः	दस	पंद्रह	बीस
19	मल्टीलोड	छः	दस	पंद्रह	बीस
20	डाइक्लोरो-डिफेनिल-ट्राइक्लोरोइथेन (डीडीटी)	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित
21	मैलाथियान	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित
22	पाइरेथ्रम	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित
23	टीकों के विभिन्न नमूने	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित
24	मोती या बाजरा (मोटा अनाज) या अनाज के विभिन्न नमूने	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित
25	डिजिटल ग्लूकोमीटर	छः	दस	पंद्रह	बीस
26	क्लोरोस्कोप	छः	दस	पंद्रह	बीस
27	आटोक्लेव (एकल ड्रम)	दो	तीन	पांच	दस
28	साउंड लेवलमीटर	छः	दस	पंद्रह	बीस
29	डिजिटल भार मशीन	छः	दस	पंद्रह	बीस
30	हाइट स्केल	छः	दस	पंद्रह	बीस
31	शाकिर टेप	छः	दस	पंद्रह	बीस
32	हेरेपेंडेन स्किनफोल्ड	छः	दस	पंद्रह	बीस
33	मापने वाला टेप (5 फीट)	छः	दस	पंद्रह	बीस
<b>III. संग्रहालय-कम-स्टूडोरियल कक्ष</b>					

1	असबाब सिता जरूरिया के बारे में जानकारी				
2	यूनानी चिकित्सा की अवधारणाओं के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जानकारी				
3	गिज़ा दवाई पर जानकारी				
4	यूनानी निवारक दवाओं पर जानकारी				
5	रियाज़त, दलक आदि के बारे में जानकारी				
6	यूनानी कायाकल्पकर्ताओं पर जानकारी				
7	मिजाज और अख़लात के अनुसार यूनानी आहार व्यवस्था पर जानकारी				
8	पौष्टिक एवं संतुलित आहार की जानकारी				
9	यूनानी चिकित्सा पद्धति में नुज़्ज ओ तनकिया (जैव-सफाई और विषहरण उपाय) पर जानकारी				
10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर जानकारी				
11	वेक्टर जनित रोगों की जानकारी				
12	संचारी रोगों की जानकारी				
13	गैर संचारी रोगों पर जानकारी				
14	निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल परिप्रेक्ष्य में औषधीय पौधों, उपयोग और महत्व पर जानकारी				
15	नमूने- यूनानी निवारक औषधियाँ				
16	विभिन्न स्वादों और शरीर पर इसके प्रभावों के तहत नमूने				
17	नमूने - शरीर के घटकों को पोषण देने वाली औषधियाँ				
18	नमूने- धूमन औषधियाँ यूनानी				
19	अख़लात ए अरबा को प्रभावित करने वाले अज्ज़ा ए गिज़ाई (खाद्य पदार्थ) के नमूने				
20	नमूने- यूनानी रीज्यूवैनेटर्स (कायाकल्पकर्ता)				
21	नमूने- अक्साम ए गिज़ा				
22	तहफ़ुज़ी वा समाजी तिब (सामुदायिक चिकित्सा) पर मॉडल				
23	तहफ़ुज़ी वा समाजी तिब पर चार्ट				
24	विभिन्न प्रकार के मच्छरों के नमूने				
25	मच्छरों के जीवन चक्र के मॉडल/चार्ट/नमूना				
<b>बी. तिब्बुल कानून वा इलमुल समूम (फोरेंसिक चिकित्सा और नैदानिक विष विज्ञान)</b>					
<b>तिब्बुल कानून वा इलमुल समूम (फोरेंसिक चिकित्सा और नैदानिक विष विज्ञान) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला</b>					
1	टेस्ट ट्यूब	आवश्यकता अनुसार			
2	टेस्ट ट्यूब स्टैंड और धारक	आवश्यकता अनुसार			
3	ग्लास जार 200 मिलीलीटर	आवश्यकता अनुसार			
4	सिल्वर स्टेनलेस स्टील चम्मच	आवश्यकता अनुसार			
5	ग्लास प्लेट (छोटी)	मिश्रित			
6	स्पिरिट लैंप	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
7	कांच का कटोरा	आवश्यकता अनुसार			
8	प्लास्टिक स्पॉटर कंटेनर	पचास	पचास	सौ	सौ
9	पेट धोने की ट्यूब	दो	दो	चार	चार
10	राइल की ट्यूब	दो	दो	चार	चार
11	ग्लास बीकर 200 मिलीलीटर	पांच	पांच	दस	दस
12	नमूना जार (मध्यम)	पांच	पांच	दस	दस
13	एक्स-रे दृश्य बॉक्स	एक	एक	दो	दो
14	आयल इमर्सन लेंस कम्पाउंड माइक्रोस्कोप के साथ मोनोकुलर माइक्रोस्कोप	पांच	आठ	बारह	सोलह
15	ड्रॉपर	आवश्यकता अनुसार			
16	भौतिक संतुलन	एक	एक	एक	एक
17	डिजिटल वेइंग स्केल	एक	एक	एक	एक
18	फ्रिज	एक	एक	एक	एक

19	स्पैचुला	मिश्रित			
20	तामचीनी ट्रे	मिश्रित			
21	भंडार करने के लिए अलमारी और रैक	मिश्रित			
22	आर्टरी फॉर्सिप्स (बड़ा)	चार	चार	चार	चार
23	कोनिकल फ्लास्क	आवश्यकता अनुसार			
24	चुंबक के टुकड़े	आवश्यकता अनुसार			
25	कांच की छड़	आवश्यकता अनुसार			
<b>नोट:</b> तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक अपेक्षित हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर, रसायन या अभिकर्मक (रीजेन्ट्स) आदि सहित सुविधाओं को बनाए रखेगा और प्रदान करेगा।					
<b>II. संग्रहालय-कम-ट्यूटोरियल कक्ष</b>					
1	कंकाल मॉडल	पुरुष-एक, महिला-एक			
2	हथियार (पिस्तौल, रिवाल्वर, राइफल, छोटी बंदूक, हथौड़ा, लोहे की रॉड, चॉपर चाकू, हंसिया, भाला, तलवार, उस्तरा और कुल्हाड़ी आदि)	नमूने और मॉडल (जहरीले पदार्थों या हानिकारक हथियारों को लॉक डिस्प्ले शेल्फ कैबिनेट में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए)			
3	चोट के प्रकार (मॉडल या फोटो)				
4	दम घुटने वाली मौत-मॉडल सेट या पुतले (मैनकिन)				
5	विषाक्त पदार्थ (नमूने: पौधे, धातु, खनिज, जानवर और उसके व्युत्पन्न)				
6	जहरीले साँपों का मॉडल				
7	मानव अंग-नमूने (फेफड़े, हृदय, गुर्दे, यकृत, गर्भाशय आदि)				
8	उंगलियों के निशान देखने के लिए आवर्धक लेंस				
9	उंगलियों के निशान के लिए इंकपैड				
10	एक्स-रे व्यू बॉक्स	एक			
11	यूनानी और आधुनिक तिर्यक का नमूना	मिश्रित			

### अनुसूची-XIV

(विनियम 13 और 18 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: कॉलेज में नैदानिक कौशल प्रयोगशाला के लिए मैनकिन या सिम्युलेटर या विशेष उपकरणों की आवश्यकताएं

क्र.सं. (1)	मैनकिन /सिम्युलेटर का नाम (2)	60 छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	100 छात्रों की प्रवेश क्षमता (4)	150 छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	200 छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
<b>ए. मोआलाजात (चिकित्सा) अनुभाग</b>					
1	चेस्ट प्रशिक्षक	एक	एक	दो	दो
2	उदर परीक्षण प्रशिक्षक	एक	एक	दो	दो
3	इंजेक्शन और IV प्रशिक्षण	दो	चार	छह	आठ
4	IV लगाने और ड्रिप दर की गणना	एक	दो	तीन	चार
5	सीपीआर प्रशिक्षण	दो	तीन	चार	पाँच
6	ऑक्सीजन थेरेपी	एक	एक	दो	दो

7	एयरोसोल थेरेपी / नेबुलाइजेशन	एक	एक	दो	दो
<b>बी. इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) अनुभाग</b>					
1	फुल बांडी मैनकिन- बहुउद्देश्यीय	एक	एक	दो	दो
2	एनिमा ट्रेनर	दो	दो	तीन	चार
<b>सी. जराहत (सर्जरी) और ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) अनुभाग</b>					
1	राइल ट्यूब इन्सर्शन	एक	एक	दो	दो
2	आघात और ट्रामा लाइफ सपोर्ट का त्वरित प्रबंधन	एक	एक	एक	एक
3	प्ल्यूरल एंड एसिटिक फ्ल्यूड एस्पिरेशन	एक	एक	दो	दो
4	यूरीनरी कैथीटेराइजेशन - पुरुष	एक	दो	तीन	चार
5	यूरीनरी कैथीटेराइजेशन - महिला	एक	दो	तीन	चार
6	बेसिक इन्सिसन एंड स्योचर ट्रेनर	दो	तीन	चार	पाँच
7	सामान्य घाव चिकित्सा	एक	एक	दो	दो
8	बेसिक बैंडेजिंग	एक	एक	दो	दो
9	इन्सिसन एवं ड्रेनेज (आई एंड डी) ट्रेनर	दो	तीन	चार	पाँच
10	सामान्य फ्रैक्चर और डिसलोकेशन प्रबंधन प्रशिक्षक।	एक	एक	दो	दो
11	प्रोस्टेट परीक्षण प्रशिक्षक	एक	एक	दो	दो
12	प्रति-रेक्टल परीक्षण प्रशिक्षक	एक	एक	दो	दो
13	विशेष उपकरण				
	क. ओप्टेल्मोस्कोप	एक	दो	तीन	चार
	ख. फंडोस्कोप	एक	दो	तीन	चार
	ग. डर्मो स्कोप	एक	दो	तीन	चार
	घ. ईएनटी परीक्षण सेट	एक	दो	तीन	चार
<b>डी. कबालत वा निस्वान- (प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ) अनुभाग</b>					
1	पर-स्पेकुलम और पर-वेजाइनल परीक्षण प्रशिक्षक	एक	एक	दो	दो
2	गर्भाशय ग्रीवा का दृश्य निरीक्षण	एक	एक	दो	दो
3	अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण प्रत्यारोपण एवं निष्कासन प्रशिक्षक	एक	एक	दो	दो
4	प्रसूति परीक्षा प्रशिक्षक	एक	एक	दो	दो
5	एपिसीओटॉमी ट्रेनर।	दो	तीन	चार	पाँच
6	सामान्य प्रसव	एक	एक	एक	एक
7	अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान प्रशिक्षक	एक	एक	दो	दो
8	स्तन गांठ की जांच	एक	दो	तीन	चार
<b>ई. इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग) अनुभाग</b>					
1	बाल चिकित्सा IV इन्फ्यूजन और ड्रिप दर की गणना	एक	एक	दो	तीन
2	नवजात रिससिटैशन	एक	एक	दो	तीन
<b>एफ. महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) अनुभाग</b>					
1	डेक्यूबितस के लिए नर्सिंग ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
2	रक्त-नमूना	एक	एक	दो	दो
<b>जी. तहफ़ुजी वा समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के तहत तिब्बुल कानून वा इल्मुल समूम</b>					

(फोरेसिक चिकित्सा और नैदानिक विष विज्ञान)					
1	आपात का दस्तावेजीकरण एवं प्रमाणीकरण	दो	तीन	चार	पाँच
2	निदान एवं मृत्यु प्रमाणीकरण	दो	तीन	चार	पाँच
3	आपातकालीन मामलों से संबंधित विधिक दस्तावेजीकरण	दो	तीन	चार	पाँच
4	मेडिको-लीगल मामलों का प्रमाणीकरण	दो	तीन	चार	पाँच
5	पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ चिकित्सा-कानूनी मामलों में संचार स्थापित करना	दो	तीन	चार	पाँच

**नोट:** तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताएँ हैं। हालाँकि, आवश्यकता अनुसार, कॉलेज छात्रों को नैदानिक कौशल प्रदान करने के लिए मेनकिन/सिम्युलेटर की संख्या बढ़ा सकता है।

### अनुसूची-XV

(विनियम 14 एवं 18 देखें)

न्यूनतम अनिवार्य मानक: उपकरणों और यंत्रों की आवश्यकताएँ, सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल में कबलात वा निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग के तहत गुरफतुल विलादा (प्रसूति कक्ष और प्रसूति ओटी) के लिए

क्रमांक सं. (1)	उपकरण और यंत्र (2)	न्यूनतम आवश्यक मात्रा (3)
1	ऑपरेशन थिएटर लाइट सिंगल डॉम, मोबाइल या सीलिंग	एक
2	सक्शन मशीन (नवजात शिशु)	एक
3	ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क	एक
4	फीटल टोको कार्डियोग्राफ	एक
5	रेडियंट वार्मर	एक
6	फोटो थेरेपी यूनिट	एक
7	वजन-माप मशीन (बाल चिकित्सा)	एक
8	पेशेंट ट्रॉली	दो
9	एनेस्थीसिया ट्रॉली	एक
10	इन्फैन्टोमीटर	एक
11	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर	एक
12	फीटल डॉपलर	एक
13	लो कैविटी फोरसेप्स	दो
14	स्टर्लाइजर	दो
15	मैकिंतोश रबर शीट	मिश्रित
16	प्रसूति और एपीसीओटॉमी के लिए उपकरण। (कैंची, फोरसेप्स, निडिल होल्डर आदि)	मिश्रित
17	बेबी ट्रे	दो
18	नेबुलाइजर	एक
19	फीटोस्कोप	पाँच
20	डबल ड्रम ऑटो क्लेव	एक
21	ड्रम्स	मिश्रित

22	इंस्ट्रुमेंटल ट्रॉली	मिश्रित
23	ऑपरेशन थिएटर टेबल और हेड अप और हेड लो सुविधा	एक
24	पल्स ऑक्सीमीटर	एक
25	रिससिटेशन किट	एक
26	बॉयल अपराटस	एक
27	इलेक्ट्रोकोटरी	एक
28	मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी (एमटीपी) सक्शन मशीन	एक
29	एनेस्थीसिया किट	एक
30	ब्लंट एंड शार्प क्यूरेट्स	दस
31	डिलेटर्स सेट (हेगर, हॉकिन्स)	पाँच
32	सिम्स स्पेकुलम	पाँच
33	कुस्को स्पेकुलम	पाँच
34	इंटीरियर वेजाइनल वाल रिट्रैक्टर	पाँच
35	यूटराइन साउंड	पाँच
36	वोल्वेलेम	पाँच
37	मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी सक्शन क्यूरेट	पाँच
38	रिट्रैक्टर्स एब्डॉमिनल (डोयने आदि)	पाँच
39	स्पंज होल्डिंग फोरसेप्स	पाँच
40	ग्रीन आर्मिटेज फोरसेप्स	पाँच
41	यूट्रस होल्डिंग फोरसेप्स	पाँच
42	कोचर्स फोरसेप्स	छह
43	कोचर्स फोरसेप्स (लॉन्ग, शार्ट, मोस्कीटो) प्रत्येक	मिश्रित
44	कैंची- विभिन्न आकार	मिश्रित
45	फोरसेप्स ऑब्स्टेट्रिक्स	पाँच
46	एंडोट्रैचियल ट्यूब	पाँच
47	कॉर्ड कटिंग अप्लायसेज	पाँच
48	अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण हटाने वाला हुक	पाँच
49	ब्लैडर साउंड	पाँच
50	बी.पी. उपकरण	दो
51	आपातकालीन रोगियों के लिए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस किट	मिश्रित
52	प्लेन एंड होल टॉवेल	मिश्रित
53	टॉवेल क्लिप्स	मिश्रित
54	सूचरिंग मैटेरियल (विभिन्न संख्याओं में)	मिश्रित
55	नीडल्स	मिश्रित
56	नीडल्स होल्डर	मिश्रित
57	व्हीलचेयर	एक
58	फॉर्मेलिन चैंबर	एक
59	फॉगिंग मशीन	एक
60	एलिस फोर्सेप्स (9", 12")	प्रत्येक चार
61	ड्रेसिंग ड्रम	तीन

**नोट:** तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताएं हैं। विभाग, प्रसव कार्य और नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपकरण, यंत्र, रसायन, दवाएं आदि सहित सुविधाएं प्रबंधित और प्रदान करेगा।

2. प्रसव कक्ष में एसेप्टिक प्रक्रियाओं/पद्धतियों का पालन किया जाएगा



**अनुसूची-XVI**  
**(विनियम 14 देखें)**

**न्यूनतम आवश्यक मानक: सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल में जराहाट (सर्जरी) विभाग के तहत मसरा अमालिया (ऑपरेशन थिएटर) के लिए उपकरणों और यंत्रों की आवश्यकताएं**

क्रमांक सं. (1)	उपकरण और यंत्र (2)	न्यूनतम आवश्यक मात्रा (3)
1	ऑपरेशन थिएटर लाइट डबल डोम (शैडो लेस सीलिंग फिटेड)	एक
2	परीक्षण लाइट और सिंगल डोम मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लाइट	प्रत्येक -एक
3	निडिल होलिंग फोरसेप्स (बड़ा-मध्यम-छोटा)	प्रत्येक -चार
4	मिश्रित आकार के ट्रेसिंग ड्रम	प्रत्येक -दो
5	ड्रम स्टैंड	प्रत्येक -दो
6	इंट्रा-वेनस इन्फ्यूजन स्टैंड	दो
7	चीटल्स फोरसेप्स	चार
8	मोस्कीटो फोरसेप्स	बीस
9	सीज़र्स स्ट्रेट (टेलर)	चार
10	विभिन्न आकारों के कर्वड सीज़र्स	प्रत्येक पांच
11	स्टिच रिमूवल सीज़र्स	प्रत्येक पांच
12	टिश्यू डिसेक्टिंग फोरसेप्स (टूथ एंड नॉन टूथ)	प्रत्येक चार
13	साइनस फोरसेप्स	चार
14	प्रोक्स- मिश्रित आकार	प्रत्येक पांच
15	पोइंटेड सीज़र्स	चार
16	एब्डॉमिनल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रेक्टर्स	पाँच
17	उपकरणों के साथ लेप्रोस्कोप	एक सेट
18	बाँव काँक फोरसेप्स	पाँच
19	कोचर फोरसेप्स	पाँच
20	मेटालिक यूरेथ्रल डिलेटर्स (क्लटन और लिस्टर बौगी)	प्रत्येक दो
21	स्पंज होलिंग फोरसेप्स	चार
22	राइट एंगल कोलेसिस्टेक्टोमी फोरसेप्स (मिश्रित)	प्रत्येक दो
23	स्टोन होलिंग फोरसेप्स (यूरेथ्रल और कॉमन बाइल डक्ट स्टोन होलिंग फोरसेप्स)	प्रत्येक दो
24	एलिस फोर्सेप्स (6", 9", 12")	प्रत्येक छह
25	इलेक्ट्रो कॉटरी (400 वॉट)	एक
26	आर्टरी फोरसेप्स कर्व्ड (6", 9", 12")	प्रत्येक छह
27	आर्टरी फोरसेप्स स्ट्रेट (6", 9", 12")	प्रत्येक छह
28	फॉर्मेलिन चैंबर (छोटा और बड़ा)	प्रत्येक दो
29	सिग्मायोडोस्कोप कठोर या लचीला (फाइबर-ऑप्टिक)	एक
30	बैरन का बैंडिंग सेट	दो
31	लैरिंजोस्कोप बाल चिकित्सा और वयस्क	प्रत्येक एक
32	बाँयल्स उपकरण या एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन	एक
33	मल्टी-पैरामीटर मॉनिटर (7 पैरामीटर)	एक
34	अंबु बैग (सिलिकॉन)	दो
35	सक्शन मशीन (इलेक्ट्रिकल या मैनुअल)	एक
36	हैंडल वाला स्किन ग्राफिंग नाइफ	मिश्रित
37	विभिन्न आकार के सर्जिकल ब्लेड	मिश्रित

38	रिट्रैक्टर (सिंगल हुक, ज़ेर्नीज़, लैंगेंबेक, डेवर्स, आईलिड)	दो
39	बोन कटर	दो
40	गिगली साँ	दो
41	स्कूप (अस्थि एवं मांसपेशी)	प्रत्येक एक
42	पेरीओस्टेम लिफ्ट	दो
43	मैगल्स फोरसेप्स	मिश्रित
44	बड़े ड्रम के साथ डबल ड्रम हॉरिजॉन्टल आटोक्लेव फिटिड	एक
45	नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर	दो
46	ऑपरेशन टेबल या हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल या मोटराइज्ड ऑपरेशन टेबल	दो
47	उपकरण ट्रॉली	दो
48	इल्यूमिनेशन के साथ या उसके बिना प्रॉक्टोस्कोप या डिजिटल प्रॉक्टोस्कोप	दो
49	रिब सियर	एक
50	ट्रॉली के साथ स्ट्रेचर	दो
51	मायो की ट्रॉली	एक
52	आपातकालीन पावर बैक अप सुविधा (ऑनलाइन यूपीएस)	आवश्यकतानुसार
53	इमरजेंसी लाइट	चार
54	बोन नेब्यूलर	एक
55	स्टैंड के साथ बीपी उपकरण	दो
56	फॉगिंग मशीन	एक
57	रेफ्रिजरेटर	एक
58	एक्स-रे व्यू बॉक्स (डबल)	दो
59	सर्जन हाइड्रोलिक स्टूल	दो
60	फिस्टुला क्यूरेटे और फिस्टुला डायरेक्टर	प्रत्येक एक
61	मिश्रित आकार के रबर कैथेटर	आवश्यकतानुसार
62	कोरुगेटेड रबर ड्रेन	मिश्रित
63	मिश्रित आकार की टांके लगाने की सुई (सीधी या घुमावदार)।	मिश्रित
64	सर्जिकल धागा	मिश्रित
65	व्हीलचेयर	मिश्रित
66	सुई होल्डर (4", 6", 9")	प्रत्येक दो
67	वजन मापी	एक
68	इलेक्ट्रिक स्टरलाइज़र	दो
69	विभिन्न आकार का बीपी हैंडल	प्रत्येक दो
70	नेबुलाइज़र	दो
71	एसएस कंटेनर (ड्रेसिंग ड्रम) मिश्रित आकार	आवश्यकतानुसार
72	सर्जिकल ब्लेड	मिश्रित
73	किडनी ट्रे	मिश्रित
74	एनेस्थीसिया ट्रॉली	एक
75	उपकरण कैबिनेट	दो

**नोट:** 1. तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, विभाग सर्जिकल प्रक्रियाओं के संचालन के लिए और पाठ्यक्रम के अनुसार नैदानिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपकरण, यंत्र, रसायन, दवाएँ आदि सहित सुविधाएँ प्रबंधित और प्रदान करेगा।

2. यूनानी शल्य चिकित्सा और परा-शल्य चिकित्सा उपचार और प्रक्रियाएँ प्रदान करने के लिए जराहृत प्रक्रिया कक्ष (लघु ऑपरेशन थिएटर)

**अनुसूची-XVII**  
**(विनियम 14 देखें)**

न्यूनतम अनिवार्य मानक: सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल में ऐन, उज्ज, अनफ्र, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) विभाग के तहत मसरा अमालिया (ऑपरेशन थिएटर) के लिए उपकरणों और यंत्रों की आवश्यकताएं।

क्रम सं. (1)	उपकरण और यंत्र (2)	आवश्यक मात्रा (3)
<b>I. ऐन (आंख): ऑपरेटिव सर्जरी के लिए नेत्र-विज्ञान उपकरण या यंत्र</b>		
1	हेड रेस्ट के साथ नेत्र ऑपरेशन टेबल (हाइड्रोलिक)	एक
2	मैट के साथ स्टरलाइजिंग बॉक्स या केस	मिश्रित
3	लेंस प्रविष्टि फोरसेप्स	मिश्रित
4	केराटोम	मिश्रित
5	डेसमैरेस लिड रिट्रैक्टर	मिश्रित
6	कैट-पाँ लैक्रिमल रिट्रैक्टर	मिश्रित
7	म्यूएलर लैक्रिमल सैक रिट्रैक्टर	मिश्रित
8	दस्तूर आईरिस रिट्रैक्टर	मिश्रित
9	मेयरहोफ़र चालाज़ियन क्यूरेटे	मिश्रित
10	सिन्स्की लेंस मैनिपुलेटिंग हुक	मिश्रित
11	इंट्रोकुलर लेंस मैनिपुलेटर	मिश्रित
12	फ़ोरेन बाँडी स्पड	मिश्रित
13	लुईस लेंस लूप (वेक्टिस)	मिश्रित
14	सिस्टोटोम एंड स्पून	मिश्रित
15	म्यूल एक्सिरेशन स्पून	मिश्रित
16	आइरिस रिपॉजिटरी (डबल-एंडेड)	मिश्रित
17	जेम्सन मसल हुक	मिश्रित
18	कॉपर बॉल-पाँइंट के साथ विल्स कैट्री	मिश्रित
19	लैंग्स लैक्रिमल सैक डिसेक्टर	मिश्रित
20	केली ग्लूकोमा पंच	मिश्रित
21	एलीवेटर (डबल एंडेड)	मिश्रित
22	नजल स्पेकुलम अडल्ट या चाइल्ड	मिश्रित
23	वाइल्डर पंक्टम डिलेटर	मिश्रित
24	बोमन लैक्रिमल जांच	मिश्रित
25	हार्टमैन मोस्क्युटो फोरसेप्स	मिश्रित
26	कोलिब्री फोरसेप्स 1*2 दांत	मिश्रित
27	टाइंग प्लेटफॉर्म के साथ मैकफर्सन कॉर्नियल फोरसेप्स	मिश्रित
28	ट्रेसिंग फोरसेप्स, सिरेटेड	मिश्रित
29	मूरफील्ड कंजडिक्टवल फोरसेप्स	मिश्रित
30	फिक्सेशन फोरसेप्स	मिश्रित
31	बीयर सिलिया (एपिलेशन) फोरसेप्स	मिश्रित
32	अरुगा कैप्सुलर फोरसेप्स	मिश्रित
33	स्नेलन एंट्रोपियन क्लैप	मिश्रित
34	चालाज़ियन क्लैप	मिश्रित
35	वन्ना स्ट्रेट सीजर	मिश्रित
36	बैराकर निडल होल्डर	मिश्रित

37	एयर इंजेक्शन कैनुला	मिश्रित
38	हीलोन एस्पिरेटिंग कैनुला	मिश्रित
39	एसी वॉशआउट कैनुला	मिश्रित
40	लैक्रिमल कैनुला	मिश्रित
41	हाइड्रोडायलिसिस कैनुला।	मिश्रित
42	जे-लूप कैनुला (सिलिकॉन ट्यूबिंग के साथ दाएं या बाएं)	मिश्रित
43	सिलिकॉन ट्यूबिंग के साथ सिमकोक डिरेक्ट इरिगेशन और एस्पिरेशन कैनुला	मिश्रित
44	इरिगेशन एस्पिरेटिंग हैंडल	मिश्रित
45	लेंस डायलर	मिश्रित
46	सुपीरियर रेक्टस फोर्सप्स	मिश्रित
47	आई वाश ग्लासेस	मिश्रित
48	तैराकी चश्मे	मिश्रित
49	ओपथेलमिक चेरर	एक
<b>II. ईएनटी-सर्जिकल या ऑपरेटिव प्रक्रियात्मक उपकरण</b>		
1	औरल सिरिंज	मिश्रित
2	जॉब्सन यूराल प्रोब	मिश्रित
3	यूस्टेशियन कैथेटर	मिश्रित
4	माइस्टोइड रिट्रैक्टर	दो
5	माइस्टोइड गोग	मिश्रित
6	मैलेट	मिश्रित
7	नजल फ़ोरेन बॉडी हुक	चार
8	नजल पैकिंग फ़ोरसेप्स	मिश्रित
9	नजल स्नेयर	मिश्रित
10	बेयोनेट शेप्ट ग्राज	मिश्रित
11	वाल्शम फोर्सप्स	मिश्रित
12	लारेजियल फॉरसेप्स	मिश्रित
13	टंग प्लेट के साथ थ्राट सक्शन	मिश्रित
14	टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स	मिश्रित
15	टॉन्सिलर सक्शन	मिश्रित
16	एडेनॉइड क्युरेट विथ केज	मिश्रित
17	पेरिटोन्सिलर एब्सेस ड्रेनिंग फ़ोरसेप्स।	मिश्रित
18	फुलर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब	मिश्रित
19	चीटेल फ़ोरसेप्स	मिश्रित
20	नजल एंडोस्कोप।	एक
21	कान, नाक और गला सेट (मैनुअल और डिजिटल)	प्रत्येक में एक
22	दस्ताने, सिरिंज, पट्टियां, सूत्र आदि जैसी अन्य उपभोग्य वस्तुएं।	मिश्रित

**नोट:** तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, विभाग सर्जिकल प्रक्रियाओं के संचालन के लिए और पाठ्यक्रम के अनुसार नैदानिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपकरण, यंत्र, रसायन, दवाएँ आदि सहित सुविधाएं प्रबंधित और प्रदान करेगा।

**अनुसूची-XVIII**  
(विनियम 14 देखें)

न्यूनतम अनिवार्य मानक: संबद्ध शिक्षण अस्पताल में इलाज बित तदबीर विभाग के तहत इलाज बित तदाबीर प्रक्रिया अनुभाग और फिजियोथेरेपी इकाई के लिए उपकरण और उपकरणों की आवश्यकताएं।

क्र.सं. (1)	उपकरण/यंत्र (2)	छात्र प्रवेश क्षमता			
		साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (4)	एक सौ पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
<b>ए. हुकना (एनीमा), अबजान (सिट्ज़ बाथ) और कार्ड (एमिसिस) रूम</b>					
1	प्रोसीजर टेबल (पुरुष + महिला)	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
2	फुटस्टेप स्टूल;	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
3	इसहाल चेरर फॉर एलडर्स	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
4	हुकना (एनीमा), अबजान (सिट्ज़ बाथ) और कै (एमिसिस) के लिए दवाएं	आवश्यकतानुसार			
5	दवा ट्रॉली	आवश्यकतानुसार			
6	एनीमा किट	आवश्यकतानुसार			
7	एनीमा स्टैंड	आवश्यकतानुसार			
8	अंतःशिरा द्रव	आवश्यकतानुसार			
9	अंतःशिरा द्रव स्टैंड	2	2	4	4
10	वर्किंग टेबल	आवश्यकतानुसार			
11	वेसल्स एंड बोवेल्स	आवश्यकतानुसार			
12	आबजान और कै टब	आवश्यकतानुसार			
13	बीपी उपकरण	2	2	2	2
14	स्टेथस्कोप	2	2	2	2
15	तौलिया	आवश्यकतानुसार			
16	जलरोधक रबर शीट (मैकांटोश)	आवश्यकतानुसार			
17	वेस्ट बिन	मिश्रित			
18	अलमारी	आवश्यकतानुसार			
<b>बी. नुशूक, सऊत और शुमूम।</b>					
19	प्रोसीजर टेबल	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
20	नजल एप्लिकेटर	आवश्यकतानुसार			
21	चिकित्सा के लिए दवाएं	आवश्यकतानुसार			
22	अलमारी	आवश्यकतानुसार			
23	वेसल्स एंड बोवेल्स	आवश्यकतानुसार			
24	दवा ट्रॉली	आवश्यकतानुसार			
25	जलरोधक रबर शीट (मैकांटोश)	आवश्यकतानुसार			
26	वेस्ट बिन	मिश्रित			
<b>सी. हिजामा थेरेपी सेक्शन</b>					
27	हिजामा बेड और कुर्सी (पुरुष + महिला)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)	10 (5+5)
28	फुटस्टेप स्टूल	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)	10 (5+5)
29	हिजामा चेरर	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
30	प्रोसीजर स्टूल	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
31	दवा ट्रॉली	आवश्यकतानुसार			

32	हिजामा कप (डिस्पोजेबल)	आवश्यकतानुसार			
33	अलमारी	आवश्यकतानुसार			
34	हिजामा सेट	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)	10 (5+5)
35	लैंसेट या स्केलपेल	आवश्यकतानुसार			
36	वेसल्स एंड बोवेल्स	आवश्यकतानुसार			
37	उपकरण ट्रे	आवश्यकतानुसार			
38	किडनी ट्रे	आवश्यकतानुसार			
39	बीटाडीन लोशन	आवश्यकतानुसार			
40	बीपी उपकरण	2	2	2	2
41	स्टेथस्कोप	2	2	2	2
42	तौलिया	आवश्यकतानुसार			
43	वाटरप्रूफ रबर शीट	आवश्यकतानुसार			
44	नॉर्मल सलाइन	आवश्यकतानुसार			
45	विसंक्रमित रुई	आवश्यकतानुसार			
46	विसंक्रमित गाज़ स्वैब	आवश्यकतानुसार			
47	रुई	आवश्यकतानुसार			
48	चिपकने वाला टेप	आवश्यकतानुसार			
49	डिस्पोजेबल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट या लिनन सर्जिकल ड्रेस	आवश्यकतानुसार			
50	प्रोसीजर के लिए दवाएं (लागू रोगनियात या सफूफ ज़ाज़ अबियाज़)	आवश्यकतानुसार			
51	सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार			
52	पट्टी	आवश्यकतानुसार			
53	वेस्ट बिन	मिश्रित			
डी. हम्माम अनुभाग					
54	स्टीम बाथ चैंबर (लाइंग टाइप)	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
55	फुटस्टेप स्टूल	2	4	6	8
56	स्टीम बाथ चैंबर (सिटिंग टाइप)	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
57	स्टीम जनरेटर या बॉयलर	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
58	दवा ट्राली	आवश्यकतानुसार			
59	वर्किंग टेबल	आवश्यकतानुसार			
60	अलमारी	आवश्यकतानुसार			
61	गैस या इन्डक्शन स्टोव	आवश्यकतानुसार			
62	कुकर	आवश्यकतानुसार			
63	तौलिया	आवश्यकतानुसार			
64	प्रोसीजर के लिए दवाएं और रॉ ड्रग्स	आवश्यकतानुसार			
65	वेस्ट बिन	मिश्रित			
ई. इरसाले अलक (लीच थेरेपी) और फसद (ब्लडलेटिंग) अनुभाग					
66	लीच के भंडारण के लिए एक्वेरियम	2	2	2	2
67	रोलर बेंडेज (चार इंच)	आवश्यकतानुसार			
68	गुनगुना पानी	आवश्यकतानुसार			
69	गौज़ पैड	आवश्यकतानुसार			
70	बीपी उपकरण	1	1	1	1
71	स्टेथस्कोप	1	1	1	1
72	पट्टी काटने वाली कैंची	2	2	2	2
73	किडनी ट्रे	आवश्यकतानुसार			

74	होल टॉवेल	आवश्यकतानुसार			
75	चोब ज़र्ड पाउडर	आवश्यकतानुसार			
76	सांग जराहत पाउडर	आवश्यकतानुसार			
77	ज़ाज अबियाज़ पाउडर	आवश्यकतानुसार			
78	गिले अरमानी पाउडर	आवश्यकतानुसार			
79	माइक्रो पोर प्लास्टर	आवश्यकतानुसार			
80	सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार			
81	23-गेज सुई	आवश्यकतानुसार			
82	18-गेज सुई	आवश्यकतानुसार			
83	पारदर्शी जार	आवश्यकतानुसार			
84	स्परिट	आवश्यकतानुसार			
85	पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन	आवश्यकतानुसार			
86	टर्निकिट	आवश्यकतानुसार			
87	सर्जिकल ब्लेड या स्केलपेल या स्कारिफ़िकेटर	आवश्यकतानुसार			
88	स्पंज होल्डिंग फ़ोरसेप्स	आवश्यकतानुसार			
89	दवा ट्रॉली	आवश्यकतानुसार			
90	मैकिंतोश शीट	आवश्यकतानुसार			
91	फसद टेबल या इरसाले अलक बेड	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
92	वेस्ट बिन	मिश्रित			
एफ. दलक और तकमीद बुखारी अनुभाग					
93	प्रोसीजर टेबल	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
94	फुटस्टेप स्टूल	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
95	प्रोसीजर स्टूल	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
96	स्टीम जनरेटर सेट या पाइप के साथ प्रेशर कुकर	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
97	प्रोसीजर एप्रन	आवश्यकतानुसार			
98	बंडल बनाने के लिए कपड़ा	आवश्यकतानुसार			
99	तौलिया	आवश्यकतानुसार			
100	कैंची	आवश्यकतानुसार			
101	चाकू	आवश्यकतानुसार			
102	शल्य चिकित्सा के दस्ताने	आवश्यकतानुसार			
103	ट्रे	आवश्यकतानुसार			
104	गैस या इंडक्शन चूल्हा	आवश्यकतानुसार			
105	दाक या तकमीद बुखारी के लिए दवाएँ और रॉ ड्रस	आवश्यकतानुसार			
106	औषधि निर्माण टेबल	आवश्यकतानुसार			
107	दवा ट्रॉली	आवश्यकतानुसार			
108	अलमारी	आवश्यकतानुसार			
109	वेस्ट बिन	आवश्यकतानुसार			
जी. नुतल अनुभाग					
110	प्रोसीजर सेट (टेबल और स्टैंड सहित)	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
111	कुर्सी	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
112	स्टूल	2	4	6	8
113	दवा ट्रॉली	आवश्यकतानुसार			
114	अलमारी	आवश्यकतानुसार			
115	एनामिल ट्रे	आवश्यकतानुसार			
116	कंटेनर	आवश्यकतानुसार			

117	तौलिया	आवश्यकतानुसार
118	कपड़ा	आवश्यकतानुसार
119	कैंची	आवश्यकतानुसार
120	आवश्यक औषधियाँ	आवश्यकतानुसार
121	वेस्ट बिन	मिश्रित
एच. फिजियोथेरेपी यूनिट		
122	उपचार टेबल -काष्ठ के तख्त	आवश्यकतानुसार
123	उपचार टेबल – हाई-लो-एडजस्टेबल	आवश्यकतानुसार
124	मैट टेबल	आवश्यकतानुसार
125	उपचार कक्ष की अलमारियाँ और कुर्सियाँ	आवश्यकतानुसार
126	दृश्य फीडबैक के लिए बड़ा दर्पण	आवश्यकतानुसार
127	एडजस्टेबल हाइट्स एक्सरसाइज़ स्टेप्स	आवश्यकतानुसार
128	तौलिये सहित लिनेन	आवश्यकतानुसार
129	स्टेप स्टूल	आवश्यकतानुसार
130	पहियोंदार चिकित्सक स्टूल	आवश्यकतानुसार
131	विभिन्न प्रकार के बोल्स्टर, वेजेज, सपोर्ट	आवश्यकतानुसार
132	बेल्ट और उपकरणों का मोबिलाइजेशन	आवश्यकतानुसार
133	गेट बेल्ट	आवश्यकतानुसार
134	विभिन्न सहायक उपकरण	आवश्यकतानुसार
135	टैपिंग सप्लाय	आवश्यकतानुसार
136	ऑर्थोटिक्स और स्प्लिनिंग सामग्री	आवश्यकतानुसार
137	कार्यालय उपकरण	आवश्यकतानुसार
138	परीक्षण और माप के लिए उपकरण	आवश्यकतानुसार
139	प्राथमिक चिकित्सा	आवश्यकतानुसार
140	बुनियादी कार्यविधि	आवश्यकतानुसार
141	फिटनेस और व्यायाम उपकरण	आवश्यकतानुसार
142	आपातकालीन किट (ट्रॉली और रेगुलेटर फेस मास्क, अंबु बैग के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर)	एक
143	ट्रांसक्यूटेनस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन (TENS)	एक
144	इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन (आईएफटी)	एक
145	विद्युत उत्तेजक	एक
146	क्वाड्रिसेप्स टेबल	एक
147	एन्कल एक्सरसाइजर	आवश्यकतानुसार
148	फिंगर एक्सरसाइजर	आवश्यकतानुसार
149	अल्ट्रासाउंड मशीन	एक
150	इन्फ्रारेड लैंप	दो
151	शोल्डर पुली	आवश्यकतानुसार
152	शोल्डर व्हील	आवश्यकतानुसार
153	पैरेलल बार	एक
154	स्टेयरकेस प्रशिक्षण	एक
155	वाकिंग एड	आवश्यकतानुसार
156	गतिविधियाँ दैनिक जीवन किट	आवश्यकतानुसार
157	वैक्स बाथ	एक
158	स्विस बॉल	आवश्यकतानुसार
159	थेरा बेंड	आवश्यकतानुसार



160	पेग बोर्ड	आवश्यकतानुसार
161	वोबल बोर्ड	आवश्यकतानुसार
162	विभिन्न वजन के डम्बल	मिश्रित
163	स्थैतिक चक्र	एक
164	व्हीलचेयर	एक
165	अलग-अलग वजन के वजन वाले कफ	मिश्रित

## अनुसूची-XIX

(विनियम 14 देखें)

न्यूनतम अनिवार्य मानक: उपकरणों और यंत्रों आदि की आवश्यकताएं संबद्ध शिक्षण अस्पताल में, अमराजे ज़िल्द व तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) लघु प्रक्रिया कक्ष

क्रम सं.	उपकरण और यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता	सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता	डेढ़ सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लकड़ी का लैंप	एक	एक	दो	दो
2	स्पॉट नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी या कंधी	एक	एक	दो	दो
3	वार्ट रिमूवर	एक	एक	दो	दो
4	बाइफ्रिक्टेर (इलेक्ट्रोडेसिकेटर)	एक	एक	दो	दो
5	डर्मेटोस्कोप (डिजिटल माइक्रोस्कोप)	एक	एक	दो	दो
6	डर्मा चेयर	एक	एक	दो	दो
7	डर्मा स्टूल	एक	एक	दो	दो
8	आवर्धक लैंस	दो	दो	चार	चार
9	इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली	एक	एक	दो	दो
10	आटोक्लेव	एक	एक	दो	दो
11	स्केलपेल हैंडल	एक	एक	दो	दो
12	बीपी उपकरण	एक	एक	दो	दो
13	स्टेथोस्कोप	एक	एक	दो	दो
14	पट्टी या रुई या गेज या बीटाडीन या स्प्रिट	आवश्यकतानुसार			
15	टार्च	आवश्यकतानुसार			
16	तौलिया	आवश्यकतानुसार			
17	वाटरप्रूफ रबर शीट	आवश्यकतानुसार			
18	सामान्य सलाइन	आवश्यकतानुसार			

**नोट:** तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताएँ हैं। हालाँकि, विभाग अमराजे जिल्द वा तज़ीनियत के लिए और नैदानिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपकरण, यंत्र सहित सभी सुविधाएँ प्रबंधित और प्रदान करेगा।

## अनुसूची-XX

(विनियम 14 देखें)

न्यूनतम अनिवार्य मानक: संबद्ध शिक्षण अस्पताल में योग और रियाजत के लिए उपकरणों और यंत्रों आदि की आवश्यकताएं तहफफुजी वा समाजी तिब विभाग के तहत

क्रम सं. (1)	उपकरण और यंत्र (2)	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता (3)	सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता (4)	डेढ़ सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (5)	दो सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता (6)
1	योग मैट	पांच	दस	पंद्रह	बीस
2	योग फोल्डेड कम्बल	पांच	दस	पंद्रह	बीस
3	योग फोम रोलर्स	आवश्यकतानुसार			
4	योग व्यायाम बाल	आवश्यकतानुसार			
5	योग व्हील	आवश्यकतानुसार			
6	योग वेज	आवश्यकतानुसार			
7	योग काष्ठ ब्लॉक	आवश्यकतानुसार			
8	योग बोल्स्टर	आवश्यकतानुसार			
9	योगा सैंडबैग	आवश्यकतानुसार			
10	योग बेल्ट या पट्टियाँ	आवश्यकतानुसार			
11	योग-प्रतिरोध बैंड	आवश्यकतानुसार			
12	मेडिटेशन कुशन	आवश्यकतानुसार			
13	मेडिटेशन कुर्सी या बैकलेस कुर्सी	आवश्यकतानुसार			
14	योग एंटी-ग्रेविटी बाल रोप फुल सेट	आवश्यकतानुसार			
15	योग हेड स्टैंड बेंच	एक	एक	दो	दो

**नोट:** तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, विभाग योग और रियाजत के लिए उपकरण, यंत्र सहित सभी सुविधाएं प्रबंधित और प्रदान करेगा और नैदानिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

## अनुसूची-XXI

(विनियम 14 देखें)

न्यूनतम अनिवार्य मानक: शिक्षण अस्पताल में महियातुल अमराज (पैथोलॉजी) विभाग के तहत नैदानिक प्रयोगशाला के लिए आवश्यकताएँ

क्रम सं. (1)	उपकरण एवं यंत्र (2)
हेमेटोलॉजी या पैथोलॉजी अनुभाग	
1	पूर्ण या अर्ध-स्वचालित रुधिर विज्ञान विश्लेषक
2	दूरबीन माइक्रोस्कोप
3	कोलोरीमीटर
4	अन्य आवश्यक उपकरण/यंत्र
जैव रसायन अनुभाग	
1	पूर्ण या अर्ध-स्वचालित जैव रसायन विश्लेषक
2	इलेक्ट्रोलाइट विश्लेषक
3	अपकेंद्रित्र
4	हॉट एयर ओवन
5	केमिलुमिनसेंस या एंजाइम-लिंकड इम्युनोसॉरबेंट एसे (ईएलआईजेडए)

6	ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन (एचबीए1सी) विश्लेषक या कार्ड आधारित
7	अन्य आवश्यक उपकरण या यंत्र
माइक्रोबायोलॉजी अनुभाग	
1	दूरबीन माइक्रोस्कोप
2	इनक्यूबेटर
3	आटोकलेव (वर्टिकल)
4	हॉट एयर ओवन
5	स्वचालित रक्त संवर्धन प्रणाली
6	जैव सुरक्षा कैबिनेट
7	अन्य आवश्यक उपकरण एवं यंत्र
<p><b>नोट:</b> 1. तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, विभाग नियमित हेमेटोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, बायोकैमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक परीक्षणों के संचालन के लिए उपकरण, यंत्र, दवाओं आदि सहित सभी सुविधाएं प्रबंधित करेगा।</p> <p>2. अनुसूची-XXI में नैदानिक प्रयोगशाला के लिए उल्लिखित उपकरणों और यंत्रों की आवश्यकता केवल इस विनियमन की अधिसूचना के बाद स्थापित होने वाले नए कॉलेजों के लिए लागू है; सभी मौजूदा कॉलेजों (अधिसूचना से पहले) को नैदानिक प्रयोगशालाओं में मौजूदा सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति है; हालाँकि, उन्हें भविष्य में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं का उन्नयन करने की अनुमति है।</p> <p>3. उच्च नैदानिक परीक्षणों के लिए, कॉलेज का निकटतम राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड- मान्यता प्राप्त नैदानिक प्रयोगशाला के साथ साझेदारी हो सकती है।</p>	

### अनुसूची-XXII

(विनियम 14 देखें)

न्यूनतम अनिवार्य मानक: शिक्षण अस्पताल में महियातुल अमराज (पैथोलॉजी) विभाग के तहत रेडियोलॉजी अनुभाग/इमेजिंग अनुभाग की आवश्यकताएँ

क्रम संख्या (1)	उपकरण या यंत्र (2)	आवश्यकताएं (3)
1	मशीन और सहायक उपकरणों के साथ एक्स-रे इकाई	अनिवार्य
2	अल्ट्रासाउंड स्कैन	
3	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन	
4	डिजिटल एक्स-रे	वांछनीय
<p><b>नोट:</b> कप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग, पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, डॉपलर आदि जैसे उच्च इमेजिंग अध्ययनों के लिए, कॉलेज निकटतम नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साझेदारी कर सकता है।</p>		

### अनुसूची-XXIII

(विनियम 14 और 18 देखें)

न्यूनतम अनिवार्य मानक: शिक्षण अस्पताल में बाह्य रोगी विभागों के लिए उपकरणों और यंत्रों की आवश्यकताएँ

क्रम संख्या (1)	बाह्य रोगी विभाग (2)	उपकरण और यंत्र (3)	अपेक्षित मात्रा (4)
1	मोआलाजात (मेडिसिन)	स्टेथोस्कोप	चार
		रक्तचाप उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक

		एक्स-रे देखने का बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रेसर	दस
		माप टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वजन मापी	एक
		परीक्षण टेबल	एक
		ट्रूनिंग फोर्क	मिश्रित
		फेस मास्क	आवश्यकता अनुसार
		शल्य चिकित्सा के दस्ताने	आवश्यकता अनुसार
2	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	स्टेथोस्कोप	चार
		रक्तचाप उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे देखने का बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रेसर	दस
		माप टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वजन मापी	एक
		परीक्षण टेबल	एक
		ट्रूनिंग फोर्क	मिश्रित
		शल्य चिकित्सा के दस्ताने	मिश्रित
		फेस मास्क	आवश्यकता अनुसार
		उपचार अनुभाग (पुरुष और महिला) के लिए उपकरण और यंत्र बाह्य-रोगी विभाग से सम्बद्ध होते हैं ताकि इलाज बित तदाबीर बाह्य-रोगी विभाग आधारित प्रक्रियाओं को निष्पादित किया जा सके।	आवश्यकता अनुसार
3	जराहत (सर्जरी)	स्टेथोस्कोप	चार
		रक्तचाप उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे देखने का बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रेसर	दस
		प्रॉक्टोस्कोप (वर्गीकृत आकार)	आवश्यकता अनुसार
		माप टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वजन मापी	एक

		परीक्षण टेबल	एक
		ट्रूनिंग फोर्क	मिश्रित
		शल्य चिकित्सा के दस्ताने	मिश्रित
		चीटल फोरसेप्स	चार
		फेस मास्क	आवश्यकता अनुसार
		बाह्य-रोगी विभाग आधारित शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के लिए बाह्य-रोगी विभाग से सम्बद्ध लघु शल्य चिकित्सा अनुभाग (पुरुष और महिला) के लिए उपकरण और यंत्र ।	मिश्रित
4	अमराजे ज़िल्द व तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी)	स्टेथोस्कोप	चार
		रक्तचाप उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे देखने का बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रेसर	दस
		माप टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वजन मापी	एक
		परीक्षण टेबल	एक
		शल्य चिकित्सा के दस्ताने	मिश्रित
		फेस मास्क	आवश्यकता अनुसार
		आवर्धक लैन्स	एक
5	ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा)	स्टेथोस्कोप	चार
		रक्तचाप उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे देखने का बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रेसर	दस
		ऑटोरेफ्रेक्टोमीटर (रेफ्रेक्टोमेट्री या ऑप्टोमेट्री)	एक
		ऑप्टाल्मोस्कोप या फंडोस्कोप	एक
		स्लिट आई लैम्प	एक
		ओटोस्कोप	एक
		आडियोमेट्री	एक
		बुल्स लैम्प	एक
		माप टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वजन मापी	एक
		परीक्षण टेबल	एक
		ट्रूनिंग फोर्क	मिश्रित

		शल्य चिकित्सा के दस्ताने	मिश्रित
		चेहरे के लिए मास्क	मिश्रित
		चीटल का फोरसेप्स	चार
		ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान के तहत बाह्य-रोगी विभाग आधारित प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के लिए बाह्य-रोगी विभाग से जुड़े लघु सर्जिकल थेरेपी अनुभाग (पुरुष और महिला) के लिए उपकरण और यंत्र	मिश्रित
6	कबालत व निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	स्टेथोस्कोप	चार
		रक्तचाप उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे देखने का बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रेसर	दस
		माप टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वजन मापी	एक
		स्त्री रोग संबंधी परीक्षण टेबल	एक
		लैंप स्टैंड	एक
		शल्य चिकित्सा के दस्ताने	मिश्रित
		सिम्स स्पेकुलम	दो
		चेहरे के लिए मास्क	मिश्रित
		कुस्को स्पेकुलम	दो
7	इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग)	स्टेथोस्कोप	चार
		बाल चिकित्सा स्टेथोस्कोप	चार
		विभिन्न कफ के साथ रक्तचाप उपकरण	दो
		बाल चिकित्सा कफ के साथ रक्तचाप उपकरण	चार
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे देखने का बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रेसर	दस
		माप टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		परीक्षण तालिका	एक
		नवजात शिशुओं का वजन मापी स्केल	एक
		बाल चिकित्सा वजन मापी स्केल	एक
		इन्फैन्टोमीटर	एक
		स्केल (बच्चे का वजन)	एक
		फेस मास्क	मिश्रित
		शल्य चिकित्सा के दस्ताने	मिश्रित

8	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा)	स्टेथोस्कोप	दो		
		रक्तचाप उपकरण	दो		
		टॉर्च	एक		
		एक्स-रे देखने का बॉक्स	एक		
		थर्मामीटर	दो		
		थर्मल स्कैनर	एक		
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक		
		टंग डिप्रेसर	तीन		
		माप टेप	एक		
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक		
		वजन मापी	एक		
		परीक्षण टेबल	एक		
		शल्य चिकित्सा के दस्ताने	आवश्यकता अनुसार		
		शारीरिक अभिवृत्ति मूल्यांकन चार्ट	एक		
		बॉडी मास इंडेक्स मशीन	एक		
		फेस मास्क	मिश्रित		
		सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री	आवश्यकता अनुसार		
		टीएसटी (तहफ्फुज़ी व समाजी तिब) स्वास्थ्य कार्ड	आवश्यकता अनुसार		
		9	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा) विभाग के तहत तिब्बुल कानून वा इल्मुल समूम (फोर्सेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)	स्टेथोस्कोप	दो
रक्तचाप उपकरण	दो				
टॉर्च	एक				
एक्स-रे देखने का बॉक्स	एक				
थर्मामीटर	दो				
थर्मल स्कैनर	एक				
पल्स ऑक्सीमीटर	एक				
टंग डिप्रेसर	तीन				
माप टेप	एक				
ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक				
वजन मापी	एक				
परीक्षण तालिका	एक				
शल्य चिकित्सा के दस्ताने	आवश्यकता अनुसार				
शारीरिक अभिवृत्ति मूल्यांकन चार्ट	एक				
बॉडी मास इंडेक्स मशीन	एक				
चेहरे के लिए मास्क	मिश्रित				
सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री	आवश्यकता अनुसार				
10	इसाबात (आपात)			उपकरण, यंत्र और फर्नीचर	आवश्यकता अनुसार
				गद्दे के साथ मोटराइज्ड 4 खंड	आवश्यकता के अनुसार (देखें -विनियम 14 उप-(3) खंड(xi) (ग)
		फुटस्टेप	बिस्तरों की संख्या के अनुसार		
		स्टेनलेस स्टील रॉड और कैस्टर बेस के साथ अंतःशिरा (IV) स्टैंड	बिस्तरों की संख्या के अनुसार		
		व्हीलचेयर	आवश्यकता अनुसार		
		रोगी स्थानांतरण स्ट्रेचर ट्रॉली	आवश्यकता अनुसार		
		दवा ट्रॉली	आवश्यकता अनुसार		

		पोर्टेबल एक्स-रे मशीन	एक
		टांके लगाने का सेट	आवश्यकता अनुसार
		मल्टी पैरा मॉनिटर	एक
		सक्शन मशीन	एक
		सक्शन कैथेटर	आवश्यकता अनुसार
		रिसक्शन किट	आवश्यकता अनुसार
		नेज़ल हुड/मास्क के साथ ऑक्सीजन यूनिट	आवश्यकता अनुसार
		लरिन्जोस्कोप	एक
		अंतःश्वासनलीय ट्यूब	आवश्यकता अनुसार
		अलग-अलग मास्क के साथ अंबू बैग	आवश्यकता अनुसार
		डिफिब्रिलेटर	एक
		इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मॉनिटर	दो
		रक्तचाप उपकरण	दो
		नवजात/बाल चिकित्सा रक्तचाप कफ	एक
		स्टेथोस्कोप	दो
		टॉर्च	दो
		परीक्षण टेबल	एक
		आईसीयू-थर्मामीटर	दो
		नवजात गहन चिकित्सा इकाई थर्मामीटर	दो
		टंग डिप्रेसर	दो
		वजन और ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		माप टेप	दो
		नी हैमर	दो
		व्हीलचेयर	दो
		डायग्नोस्टिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन बारह चैनल	एक
		स्ट्रेचर सह ट्रॉली	दो
		अंतःशिरा स्टैंड	दो
		आपातकालीन औषधियाँ	आवश्यकता अनुसार
11	स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग	स्टेथोस्कोप	तीन
		रक्तचाप उपकरण	तीन
		क्लिनिकल थर्मामीटर	तीन
		थर्मल स्कैनर	तीन
		ऊंचाई माप स्टैंड	दो
		वजन मापी	दो
		मिज़ाज मूल्यांकन चार्ट	आवश्यकता अनुसार
<p>नोट: तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, विभाग बाह्य-रोगी विभाग की नैदानिक गतिविधियों के संचालन और नैदानिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपकरण, यन्त्र, दवाएँ आदि सहित सुविधाएं प्रबंधित और प्रदान करेगा।</p>			

डॉ. बी. एल. मेहरा, सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./654/2023-24]



## अनुबंध

अनुलग्नक -I

## फार्म-ए

नए यूनानी मेडिकल कॉलेज (स्नातक) की स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन  
(विनियम 18 देखें)

क्र.सं	विवरण	ब्योरा
<b>भाग-I: आवेदकों का विवरण</b>		
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	पिन कोड सहित पूरा पता	
3	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर	
4	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
5	आवेदक की स्थिति चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सोसायटी	
6	ट्रस्ट या सोसायटी की संरचना	
7	आवेदक निकाय के न्यास या सोसायटी का पंजीकरण या निगमन (संख्या और तिथि, यदि कोई हो)	
8	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय)	
9	क्या इसी ट्रस्ट या सोसायटी या विश्वविद्यालय द्वारा कोई अन्य यूनानी मेडिकल कॉलेज चलाया जाता है?	हाँ / नहीं
	यदि हाँ, तो दो महाविद्यालयों के बीच की दूरी बतायें	
	कॉलेज का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लिंक उसी की प्रिंट कॉपी के साथ प्रदान करें।	
10	वित्तीय क्षमता: यदि आवेदक एक ट्रस्ट या सोसायटी है तो पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट प्रदान की जाएगी। प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों का विवरण।	
11	वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)	
12	परियोजना के वित्तपोषण के साधन: आवेदक का योगदान (प्रमाण संलग्न करें) अनुदान (प्रमाण संलग्न करें) दान (प्रमाण संलग्न करें) इक्विटी (प्रमाण संलग्न करें) सावधि ऋण (प्रमाण संलग्न करें) अन्य स्रोत, यदि कोई हो (प्रमाण संलग्न करें)	
<b>भाग- II: शुल्क विवरण</b>		
13	आवेदन शुल्क लेनदेन आईडी प्रोसेसिंग शुल्क लेन-देन आईडी भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड/ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य शुल्क	
<b>भाग-III: अनिवार्य आवश्यकता विवरण</b>		
14	राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की तिथि।	

15	अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता	----- से ----- तक
16	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता	
	योजना के लिए संबद्धता की सहमति की तिथि	
	योजना के लिए संबद्धता की सहमति के वर्ष	----- से ----- तक
<b>भाग-IV: प्रस्तावित कॉलेज का विवरण</b>		
17	प्रस्तावित यूनानी मेडिकल कॉलेज का नाम	
18	पिन कोड सहित पूरा पता	
19	प्रस्तावित महाविद्यालय के प्राचार्य का नाम	
20	प्रस्तावित वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता (60 या 100 या 150 या 200)	
21	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर	
22	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
23	प्रिंट प्रति के साथ कॉलेज और अस्पताल का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लिंक प्रदान करना	
24	भूमि का कुल क्षेत्रफल	
25	जमीन पट्टे पर है या स्वयं की है	
	यदि यह पट्टे पर है, तो पट्टे की अवधि	
	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से दो वर्ष पूर्व, भूमि की कर भुगतान रसीद	
	भारमुक्ति प्रमाण पत्र	
26	भूमि की श्रेणी (टियर I और टियर II) - स्थानीय प्राधिकारी से प्रमाण संलग्न करें	
27	संबंधित प्राधिकारियों से प्रासंगिक भवन निर्माण की अनुमति	
28	स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा प्रस्तावित भवन योजना की वास्तविक प्रति संलग्न करें	
<b>भाग-V: कॉलेज की स्थापना (चरण-I) विवरण</b>		
29	प्रशासनिक अनुभाग	
30	केंद्रीय पुस्तकालय	
31	डिजिटल लाइब्रेरी	
32	शिक्षण विभाग:-	
	कुल्लियात (यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धांत) विभाग के साथ क. कुल्लियात उमूरे तबिया प्रैक्टिकल प्रयोगशाला सह ट्यूटोरियल कक्ष ख. तारीख-ए-तिब के लिए संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष ग. भाषा प्रयोगशाला	
	तशरीहुल बदन (एनाटॉमी) विभाग के साथ क. विच्छेदन कक्ष ख. व्यावहारिक प्रयोगशाला ग. संग्रहालय सह शिक्षण कक्ष	
	मनाफ़ेउल आज़ा (फिजियोलॉजी) विभाग के साथ ए. व्यावहारिक प्रयोगशाला बी. शिक्षण कक्ष	
33	लेक्चर हॉल	
34	हर्बल उद्यान	
35	कॉलेज वेबसाइट	
36	बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (आयोग द्वारा निर्दिष्ट)	
37	छात्रावास (लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग)	
38	जलपान गृह	

	अन्य आवश्यकताएं:	
39	परीक्षण/बहुउद्देशीय/योग/सम्मेलन कक्ष	
40	पच्चीस प्रतिशत सिमुलेटर या मैनकिन के साथ नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला	
41	सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा	
42	मानव संसाधन विकास कक्ष कक्ष	
43	अनुसंधान एवं नवाचार कक्ष	
44	छात्र सुविधाएं	
45	स्टाफ सुविधा	
46	लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम	
47	शिक्षण संकाय सदस्यों के लिए कॉमन रूम	
48	कॉलेज परिषद कक्ष	
49	विद्यार्थी परिषद कक्ष	
50	छात्र सहायता एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ कक्ष	
51	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ कक्ष	
52	फार्माकोविजिलेंस प्रकोष्ठ कक्ष	
53	केंद्रीय कार्यशाला	
54	क्लोज-सर्किट टेलीविजन सुविधा	
55	कॉलेज के मानव संसाधन:-	
	शिक्षण स्टाफ (चरण-I आवश्यकता के अनुसार)	
	गैर-शिक्षण कर्मचारी	
<b>भाग-VI: कॉलेज का बैंकिंग विवरण</b>		
56	खाते का नाम	
	कॉलेज के नाम पर खाता संख्या	
	बैंक का नाम	
	आईएफएससी कोड सहित बैंक की शाखा का नाम	
<b>भाग-VII: अस्पताल का विवरण</b>		
57	प्रस्तावित कॉलेज से संबद्ध अस्पताल का नाम	
58	अस्पताल की स्थापना की तिथि	
59	अस्पताल का पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
60	मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
61	पंचायत लाइसेंस	
62	अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र	
63	अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र	
64	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र	
65	अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र	
66	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन समझौता	
67	स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति का नवीनीकरण और वैधता अवधि (प्रमाण संलग्न करें)	
68	राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएवीएच) प्रमाणपत्र (स्तर, वैधता और तिथि)	
69	एक्स-रे यूनिट के लिए अनुमति	
70	अंतःरोगी विभागों (आईपीडी) में बेडों की संख्या:-	
	मोआलाजात (चिकित्सा) इल्मुल समूम (नैदानिक विष विज्ञान) के विस्तर की ताकत सहित	
	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेंटल थेरेपी)	
	अमराजे ज़िल्द व तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी)	

	इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग)	
	जराहत (सर्जरी)	
	ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा)	
	कबालत वा निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	
71	<b>बाह्य रोगी विभाग:</b>	
	स्क्रीनिंग बाह्य रोगी वि भाग	
	मोआलाजात (मेडिसिन)	
	इलाज बित तदावीर (रेजिमेनल थेरेपी) चिकित्सा या लघु प्रक्रिया कक्ष सहित	
	लघु प्रक्रिया कक्ष के साथ जराहत (सर्जरी)	
	ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा) लघु प्रक्रिया कक्ष सहित	
	कबालत व निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग) प्रक्रिया कक्ष सहित	
	इल्मुल अतफ़ाल (बाल रोग)	
	तहफ़फ़ुज़ी व समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा)	
	इल्मुल समूम (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)	
	अमराज़े ज़िल्द व तज़ीनियत (त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी) लघु प्रक्रिया कक्ष सहित	
	इसाबात (आपातकालीन चिकित्सा)	
	स्पेशलिटी बाह्य रोगी विभाग (यदि कोई हो, निर्दिष्ट करें)	
72	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति की कुल संख्या	
73	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में प्रतिदिन बाह्य रोगी विभाग की औसत संख्या	
74	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में औसत बेड अधिभोग	
75	नैदानिक प्रयोगशाला	
76	रेडियोलॉजी या इमेजिंग अनुभाग	
77	फार्मैसी या ड्रग स्टोर या डिस्पेंसरी	
78	इलाज बित तदावीर (रेजिमेंटल थेरेपी) थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग	
79	जराहत (सर्जरी)	
80	ऐन, उज्ज, अनफ़, हलक व अस्नान (नेत्र विज्ञान, कान, नाक, गला और दंत चिकित्सा)	
81	घुरफ़तुल विलाडा (प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थियेटर)	
82	फिजियोथेरेपी इकाई	
83	योग और रियाज़त अनुभाग	
84	अस्पताल में मानव संसाधन	
	क. आवेदन जमा करने से पहले दो वर्ष के लिए अस्पताल के कर्मचारी (नाम, पदनाम, अनुभाग या इकाई, योग्यता, अनुभव, नियुक्ति आदेश, जॉइनिंग लेटर और तिथि, रिलीविंग लेटर और तिथि, राज्य पंजीकरण प्रमाण पत्र या लागू मामलों में शिक्षक कोड के विवरण के साथ), जोन-वार, -	
	प्रशासन क्षेत्र	
	स्वागत एवं पंजीकरण क्षेत्र	
	बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र	
	अंतःरोगी विभाग क्षेत्र	
	नैदानिक क्षेत्र	
	प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र	

	सेवा क्षेत्र		
	ख. आधुनिक मेडिकल स्टाफ विवरण		
85	अस्पताल रिकॉर्ड (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)	कम्प्यूटरीकृत या मैनुअल	
<b>भाग-VIII: अस्पताल का बैंकिंग विवरण</b>			
86	खाते का नाम		
	अस्पताल का खाता संख्या		
	बैंक का नाम		
	बैंक की शाखा का नाम और आईएफएससी कोड		
	आवेदन जमा करने की तिथि से दो वर्ष या 24 माह पहले तक निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं: -		
	क. अस्पताल के कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन का बैंक विवरण (माह-वार)		
	ख. दवाओं की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)		
	ग. अस्पताल उपभोग्य सामग्रियों की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)		
	घ. प्रासंगिक करों के भुगतान का विवरण (प्रति संलग्न करें)		
	ड. अस्पताल की आय का विवरण (प्रति संलग्न करें)		
	च. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) विवरण		
87	क्या अस्पताल चरणबद्ध रूप से स्थापित या विकसित किया गया है	हां/नहीं	
	यदि हाँ तो चरणवार विवरण उपलब्ध करायें		
	चरण या स्टेज	अवधि से तक	विकास की स्थापना का विवरण
	प्रदर्शन या कार्यक्षमता		
	पहला		
	दूसरा		
तीसरा			
चौथा (अंतिम)			

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

स्थान:

तिथि:

अनुबंधों की सूची:

1. ट्रस्टियों के नाम के साथ उपनियम/ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख/ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति।
2. ट्रस्ट या सोसायटी के पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
3. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।
4. स्वामित्व या पट्टा समझौते के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के स्वामित्व विलेख की प्रमाणित प्रति।
5. उपलब्ध स्थलों के भूमि उपयोग को दर्शाने वाली ज़ोनिंग योजनाओं की प्रमाणित प्रति।
6. अस्पताल पंजीकरण प्रमाणपत्र और इसकी वैधता अवधि के साथ मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण।

7. लागू शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित स्थल पर संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की प्रमाणित प्रति।
8. लागू शैक्षणिक सत्र के लिए नए यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए किसी केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी 'संबद्धता की सहमति' की प्रमाणित प्रति।
9. अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा जारी प्रत्यायन प्रमाण पत्र।
10. आवेदक के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में स्वतंत्र पृष्ठताछ करने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड / भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकों को संबोधित प्राधिकरण पत्र।
11. यह उल्लेख करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना कि नए यूनानी मेडिकल कॉलेज और संलग्न शिक्षण अस्पताल के लिए नामित भूमि और भवन विशेष रूप से यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड/ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त यूनानी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए हैं।
12. यह उल्लेख करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना कि छात्रों को केवल एनईईटी योग्यता के आधार पर और केवल काउंसलिंग (केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं दिया जाएगा।
13. यह उल्लेख करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना कि पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम का नामकरण, बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और छात्र-शिक्षक अनुपात सहित मानव संसाधनों को संबंधित नियमों में निर्दिष्ट आयोग के विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
14. हलफनामा प्रस्तुत करना कि प्रस्तावित यूनानी मेडिकल कॉलेज के किसी भी कक्षा या मानक या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में पहले से ही छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया है।
15. एक वचन पत्र प्रस्तुत करना कि संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में पांच साल की अवधि के लिए वैध निश्चित सुरक्षा जमा राशि जमा करने की स्थिति में है।
16. आवेदन शुल्क और जमा किए गए प्रोसेसिंग शुल्क का प्रमाण।
17. आधिकारिक बैंक खाते के पिछले दो वर्षों के बैंक लेनदेन की प्रतिलिपि: कॉलेज और अस्पताल
18. पिछले दो वर्षों के लिए अस्पताल कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रतिलिपि
19. आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य संलग्नक (कृपया विवरण इंगित करें):-
  - क. सर्वे क्रमांक सहित भूमि का वितरण।
  - ख. भूमि की श्रेणी जैसे टियर I और टियर II शहर (X और Y श्रेणियां), उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रमाण, स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र।
  - ग. भारमुक्ति प्रमाण पत्र।
  - घ. भूमि और अस्पताल भवन के लिए कर भुगतान की रसीद।
  - ङ. बिल्डिंग प्लान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित।
  - च. वास्तुकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाणपत्र।
  - छ. अस्पताल की स्थापना के लिए पंचायत लाइसेंस।
  - ज. अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाणपत्र।
  - झ. अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।
  - ञ. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र।
  - ट. आपदा प्रबंधन प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।

- ठ. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।  
 ड. अस्पताल में रेडियोलॉजी यूनिट की अनुमति  
 ढ. बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।  
 ण. कॉलेज और अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।  
 त. कॉलेज एवं अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।

20. समय-समय पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

(नोट: सभी प्रतियां आवेदक द्वारा स्व-संलग्न/होंगी)

अनुलग्नक - II

फार्म- बी

(विनियमन 19 देखें)

यूनानी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में सीटों या प्रवेश क्षमता या छात्र प्रवेश क्षमता की संख्या बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन।

1	आवेदक का नाम (ब्लॉक अक्षरों में)	
2	पिन कोड के साथ पूरा पता	
	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और आधिकारिक मोबाइल नंबर	
	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
3	आवेदक की स्थिति चाहे राज्य सरकार या केंद्र क्षेत्र या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सोसाइटी	
4	ट्रस्ट या समाज का पंजीकरण या निगमन (संख्या और तिथि आदि)	
5	यूनानी मेडिकल कॉलेज का नाम और पता	
6	अनुमति की स्थिति की श्रेणी: आवेदन या योजना या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति	
7	संस्था ने आवेदन या योजना या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय ग्रेड 'ए' या ग्रेड 'बी' के रूप में मूल्यांकन किया है	
8	राज्य सरकार या केंद्र क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाण पत्र' या 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की तिथि।	
9	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता प्रथम संबद्धता की तारीख नई योजना या प्रस्ताव के लिए पहली संबद्धता की तारीख	
10	स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पहले बैच के प्रवेश का वर्ष	
11	प्रवेशित छात्रों के पहले बैच के पाठ्यक्रम पूरा होने का माह और वर्ष	
12	मौजूदा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड या तत्कालीन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या और मान्यता या अनुमति की तिथि	
13	सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए लागू अध्ययन के पाठ्यक्रम का नाम	
14	सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता (60 या 100 या 150 या 200) में वृद्धि के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या, निर्दिष्ट करें	

15	इनका विवरण: क. अतिरिक्त वित्तीय आवंटन ख. छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त स्थान, उपकरण और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं ग. छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारियों (शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ और अस्पताल के कर्मचारी) की भर्ती	
16	शुल्क विवरण: - आवेदन शुल्क ट्रांजैक्शन आईडी प्रोसेसिंग शुल्क ट्रांजैक्शन आईडी	
17	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

स्थान:

दिनांक:

संलग्नकों की सूची:

1. संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी 'अनिवार्यता प्रमाण पत्र' या 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की सत्यापित प्रति।
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रारूप में 'संबद्धता की सहमति' की सत्यापित प्रति, जिससे कॉलेज या संस्थान संबद्ध है।
3. मेडिकल कॉलेज या संस्थान के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में स्वतंत्र पूछताछ करने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकों को संबोधित प्राधिकरण पत्र।
4. भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से पत्र की सत्यापित प्रति, यदि पहले से ही स्नातक डिग्री कोर्स संचालित करने की अनुमति दी गई है, तो कॉलेज या संस्थान की मान्यता को मंजूरी दी गई है।
5. शपथपत्र में कहा गया है कि छात्रों को स्पष्टतः राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षण और केवल काउंसिलिंग (केन्द्रीय या राज्य या केंद्र राज्य-क्षेत्र, जैसा भी मामला हो) योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा और स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं किया जाएगा जैसा कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
6. शपथपत्र में कहा गया है कि छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार मानव संसाधन को छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में बनाए रखा जाएगा जैसा कि संबंधित विनियमों में उल्लेख किया गया है।
7. आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क का प्रमाण।
8. अन्य अनुबंध-
  - क उप-कानूनों या ज्ञापन की प्रमाणित प्रति और ट्रस्टियों के नाम के साथ एसोसिएशन या ट्रस्ट डीड के लेख और ट्रस्ट या सोसाइटी पंजीकरण या निगमन की नवीनीकृत प्रतिलिपि।
  - ख स्वामित्व या पट्टे के समझौते के प्रमाण के रूप में भूमि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।
  - ग पहला अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र या मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नवीनीकृत किया गया।
  - घ अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र।



- ड. आपदा प्रबंधन प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)।  
 च प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।  
 छ बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।  
 ज कॉलेज और अस्पताल का निर्माण अधिभोग प्रमाण पत्र।  
 झ कॉलेज और अस्पताल का निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र।  
 ञ बिल्डिंग प्लान स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित  
 ट आर्किटेक्ट द्वारा अधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाण पत्र।  
 ठ मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए उपकरण, यंत्र आदि के क्रय का बिल।  
 ड पिछले एक वर्ष के लिए बिलों के साथ तैयार या खरीदी गई दवाओं की सूची।  
 ढ पिछले एक वर्ष के लिए बिलों के साथ खरीदी गई रॉ-ड्रग्स की सूची।  
 ण पिछले एक वर्ष (कॉलेज और अस्पताल) के लिए इंटेन्ट रजिस्टर।  
 त पिछले एक वर्ष (कॉलेज और अस्पताल) के लिए स्टॉक रजिस्टर।  
 थ अस्पताल का समेकित डेटा: पिछले एक वर्ष के लिए रोगी डेटा (बाह्य-रोगी विभाग, अन्तःरोगी विभाग और बेड अधिभोग)  
 द अस्पताल इमारत सहित भूमि, भवन के लिए कर भुगतान रसीद।  
 ध एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें कहा गया हो कि संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में पांच साल की अवधि के लिए वैध सावधि सुरक्षा जमा करने में सक्षम है।  
 न एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें उल्लिखित हो कि संस्थान ने इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया है, जिसमें प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के अनुसार अध्याय-5 के तहत समय-सीमा में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे के साथ नए न्यूनतम अनिवार्य मानक शामिल हैं।
9. भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अन्य अनुबंध।
- नोट:** सभी प्रतियां स्व-सत्यापित होनी चाहिए।

अनुलग्नक -III

फॉर्म- सी

(देखें विनियम 18)

(राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया जाएगा)  
 एक नया स्नातक यूनानी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए  
 अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र  
 सन्दर्भ संख्या.....

दिनांक.....

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम (पता के साथ)	
2	संस्था का प्रकार (सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी या मानित विश्वविद्यालय)	
3	प्रस्तावित यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान का नाम	
	प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का पता	
	प्रस्तावित छात्र प्रवेश क्षमता (60/100/150/200)	
4	क्या आवेदक पहले से ही यूनानी मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहा है	हाँ या नहीं
5	यदि हाँ, तो निकटतम कॉलेज और प्रस्तावित कॉलेज के बीच की दूरी क्या है (यदि दूरी 25 है या 25 किमी से कम अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता	

	प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा)	
<b>अन्य विवरण</b>		
6	राज्य में पहले से मौजूद यूनानी संस्थानों की संख्या	
7	राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में जनसंख्या अनुपात के लिए चिकित्सक (सभी प्रणालियों के पंजीकृत चिकित्सक)	
8	नए यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (रोगियों) की उपलब्धता का दायरा	निम्न या पर्याप्त
9	अस्पताल की पंजीकरण संख्या	
10	राज्य में अधिवासित नहीं होने पर राज्य में प्रवेश प्राप्त करने से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हो, निर्दिष्ट किया जाना है।	

### अनिवार्यता प्रमाणपत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र ----- (आवेदक का नाम) .....(प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का नाम) ..... छात्र प्रवेश क्षमता (60/100/150/200) के साथ .....(प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का पता)..... की स्थापना के लिए जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उपरोक्त विवरण, तथ्यों या निबंधनों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए मान्य है।

**निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:**

- कॉलेज भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश तभी देगा जब भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- कॉलेज के पास कोई अन्य कॉलेज नहीं होगा या उसी परिसर में कोई अन्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।
- कॉलेज छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
- कॉलेज समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार किए गए निर्धारित विनियमन या दिशा-निर्देशों या नीति के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा पात्र छात्रों को प्रवेश देगा।
- संस्थान हमेशा स्वायत्त बोर्डों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारत सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करेगा।
- कॉलेज को किसी अन्य सोसायटी या ट्रस्ट में परिवर्तन के मामले में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं का निर्माण या रखरखाव करने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाते हैं और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय मेडिकल की अनुमति से कॉलेज में पहले से भर्ती छात्रों को प्राप्त करेगा।
- भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के लिए कॉलेज का अनुपालन न करने के कारण कॉलेज को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने की स्थिति में, उन छात्रों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी जिन्हें पहले से ही भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और आंकलन बोर्ड की अनुमति से कॉलेज में प्रवेश दिया गया है।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

दिनांक:

स्थान:

फॉर्म- डी

(विनियम 19 देखें)

(राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया जाएगा)

यूनानी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में सीटों की संख्या या प्रवेश क्षमता या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र

सन्दर्भ. सं.....

दिनांक.....

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम	
2	पता	
3	आवेदन का विषय	छात्र की सेवन क्षमता को---से---- तक बढ़ाने के लिए
4	कॉलेज या संस्थान का नाम और पता जिसमें आवेदक मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है	
5	संस्था की स्थापना का वर्ष	
अन्य विवरण		
6	राज्य में जनसंख्या अनुपात में चिकित्सक (सभी प्रणालियों के पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सक)	
7	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में चिकित्सक (पंजीकृत यूनानी चिकित्सा चिकित्सक)	
8	यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (रोगियों) की उपलब्धता का दायरा	निम्न/पर्याप्त

### अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है..... (आवेदक का नाम) से सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए..... से..... द्वारा संचालित मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में.....(महाविद्यालय या संस्थान का नाम) में..... (महाविद्यालय या संस्थान का पता)। यह प्रमाण पत्र उपरोक्त विवरण या तथ्यों या शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए मान्य है।

**अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर जारी किया जाता है:**

- कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं आंकलन बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को केवल भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं आंकलन बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रवेश देगा।
- कॉलेज में कोई अन्य कॉलेज नहीं होगा या उसी परिसर में कोई अन्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं आंकलन बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।

3. महाविद्यालय छात्र ग्रहण क्षमता के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवसंरचना, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
4. महाविद्यालय समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए विनियमन या दिशानिर्देश या नीति के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।
5. संस्थान हमेशा स्वायत्त बोर्डों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारत सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।
6. यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं का निर्माण या रखरखाव करने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं आंकलन बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाते हैं और विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं आंकलन बोर्ड की अनुमति से पहले से प्रवेश छात्रों की जिम्मेदारी लेगा।
7. यदि आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के लिए कॉलेज का अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं आंकलन बोर्ड द्वारा कॉलेज को अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है या स्थायी अस्वीकृति जारी की जाती है, तो राज्य सरकार उन छात्रों की जिम्मेदारी लेगी जिन्हें पहले से ही भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं आंकलन बोर्ड की अनुमति से कॉलेज में प्रवेश दिया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय मुहर

तिथि:

स्थान:

अनुलग्नक -V

फॉर्म-ई

(देखें विनियम 18)

संबद्धता की सहमति

(संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाना है)

(एक नया यूनानी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने या यूनानी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन जमा करने के लिए पूर्व-आवश्यकता)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय विवरण	
1	विश्वविद्यालय का नाम	
2	पता	
3	विश्वविद्यालय का प्रकार	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या मानित-सरकारी या मानित-निजी या निजी राज्य
4	संपर्क विवरण	
5	संपर्क व्यक्ति (नाम और पदनाम)	
	मोबाइल नंबर	

	ई-मेल आईडी	
6	स्थापना का वर्ष	
7	मौजूदा संकाय	
8	मान्यता यदि कोई हो	
9	विश्वविद्यालय से अब तक संबद्ध आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा महाविद्यालयों की संख्या	

### संबद्धता की सहमति

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय को संबद्धता की सहमति जारी करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है..... (कॉलेज का नाम) ..... की छात्र प्रवेश क्षमता के साथ (60/100/150/200 स्नातक) प्रस्तावित कॉलेज की सीटों या सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि .....से..... तक पहले से मौजूद स्नातक कार्यक्रम में।

संबद्धता की सहमति शैक्षणिक वर्ष के लिए जारी की जाती है.....

**संबद्धता की सहमति निम्नलिखित शर्तों पर जारी की जाती है:**

1. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
2. कॉलेज राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा पात्र छात्रों को केवल परामर्श प्रक्रिया (केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) के माध्यम से प्रवेश देगा, जैसा कि संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
3. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण और प्रशिक्षण के निर्धारित घंटों का संचालन सुनिश्चित करेगा।
4. कॉलेजों को काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम तीन माह पहले प्रत्येक वर्ष जारी-संबद्धता प्राप्त करनी होगी।
5. किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्धता में परिवर्तन या मानित दर्जे के लिए आवेदन करने की स्थिति में वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय से पूर्व 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त किया जाएगा।
6. वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ असंबद्धता के मामले में, मौजूदा बैच वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ तब तक जारी रहेंगे जब तक कि अंतिम छात्र को डिग्री प्रदान नहीं की जाती।

कुल सचिव

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

स्थान:

तिथि:

[नोट: यदि "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023" के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा]

**NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2023

**F. No. BUSS/MES(UNANI-UG-Regl)/2023.**—In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e), (s), (t), (u), (w), (x), (y), (z), (za), (zb) and (zc) of sub-section (2) and sub-section (1) of section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 and the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2019 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the National Commission for Indian System of Medicine hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Unani Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definition.** -(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);
- (b) “annexure” means an annexure appended to these regulations;
- (c) “assessment” of an institution means the act of verification of availability of minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality of an institution and its attached teaching hospital;
- (d) “attached teaching hospital” means an Unani hospital that offers standard healthcare services, attached to an Unani Medical college or institution for the purpose of teaching and training to the students of Unani System of Medicine;
- (e) “Commission” means the National Commission for Indian System of Medicine, established under the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);
- (f) “extended permission” means permission for admitting students extended by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to an institution fulfilling the criteria for “extended permission status” so that the institution can participate in the counselling process for admitting students without waiting for permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for admission every year unless otherwise denied or specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (g) “Form” means form annexed to these regulations;
- (h) “fully established institution” means the college or institution completed all four phases of establishments and issued letter of permission, first, second and third renewal of permission by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (i) “institution under establishment” means the new college or institution undergoing phase wise establishments (i.e first, second, third and fourth phase of establishment);
- (j) “letter of intent” means preliminary approval, along with conditions and timelines, issued by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to the applicant through the procedure mentioned, to establish a new Unani medical college or institution or to increase student intake capacity in existing courses or programmes or to start any postgraduate or new course recognised by the National Commission for Indian System of Medicine;
- (k) “letter of permission” means permission granted to the applicant by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine through the procedure to establish a new Unani Medical college or institution, or to increase student intake capacity in existing courses or programmes, or to start any postgraduate or new course recognised by the National Commission for Indian System of Medicine, and to admit the students as per the student intake capacity sanctioned by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (l) “minimum essential standards” means mandatory minimum requirements in terms of infrastructure, human resources, and functionality as well as a level of quality or standards is thought to be acceptable as a minimum and below the minimum which is unacceptable;

(m) “rating” of an institution means a score or measurement of how good an institution is. Rating of fully established recognised institutions through a rating process carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or any designated rating agency based on the standards and parameters laid down by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa over and above the minimum essential standards;

(n) “renewal of permission” means the renewal of permission (i.e. first, second and third renewal) granted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to a college or institution under establishment (i.e., undergoing second, third and fourth phase-wise establishments respectively) through the procedure mentioned in these regulations during successive academic years after the issuance of letter of permission for admitting students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as specified in the renewal of permission;;

(o) “Schedule” means schedule annexed to these regulations;

(p) “teaching days” means number of days, as a full-time regular teacher attended or performed duty in twelve months period, in the college and its attached teaching hospital wherein he or she has been appointed;

(q) “yearly permission” means those institutes that are not fulfilling the criteria for “extended permission” shall participate in the counselling process for admitting students only after obtaining permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine every year.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

## CHAPTER-I

### MINIMUM ESSENTIAL STANDARD REQUIREMENTS OF AN UNANI MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION AND ITS ATTACHED TEACHING HOSPITAL

**3. Minimum Essential Standards in terms of infrastructure, human resources and functionality of a Unani Medical College or institution** are specified under the following sub-headings: admission capacity, land requirement, minimum constructed area required for the college and attached teaching hospital, the college campus and general considerations, official contact details, bank accounts, Information technology and infrastructure, biomedical attendance system, college website, minimum essential standard requirements for the Unani Medical College or institution and minimum essential standard requirements for attached teaching hospital.

**4. Admission Capacity.-** The annual student intake capacity or admission capacity of the Unani Medical college or institution shall be in the slabs of sixty, hundred, one hundred and fifty and two hundred.

**5. Land Requirement.-** (1) The minimum essential requirement of land as specified in Table-1, for Unani Medical college or institution and attached teaching hospital shall be made available.

(2) The minimum requirement of land for sixty, hundred, one hundred and fifty and two hundred student intake capacity shall not be less than three acres, five acres, seven acres and nine acres respectively; The land shall not be more than two plots and the radial distance between the two plots shall not exceed five kilometres; If the plots are separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge shall be treated as one piece of land;

However, in case of Tier I and II cities (X and Y categories), North-eastern states, hilly areas and notified tribal areas, the minimum requirement of land for sixty, hundred, one hundred and fifty and two hundred student intake capacity shall not be less than two and half acres, three and half acres, five acres and six acres respectively and the college or institution shall have a certificate obtained from the concerned local authorities to establish the specific category of land (as applicable) as a proof. Provided further, the land shall not be in more than two plots and the radial distance between two plots shall not be more than ten kilometres; if the plots are separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge shall be treated as one piece of land.

**Table-1**

**Minimum Essential Requirement of Land as per the Student Intake Capacity**

Serial No.	Student Intake Capacity	Minimum Requirement of Land (in acres)	
		A	B
		Areas other than mentioned under column ‘B’	Tier I and II cities (X and Y categories), North-eastern states, Hilly areas and notified tribal areas
1	60	3.0	2.5
2	100	5.0	3.5

3	150	7.0	5.0
4	200	9.0	6.0

(3) The designated land for an Unani Medical College or institution, its attached teaching hospital and hostels shall be clearly demarcated and should not be used for any other purpose other than activities of Unani Medical College or institution.

(4) The land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory Administration and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease.

**6. Minimum Constructed Area Required for the College and its Attached Teaching Hospital.-** (1) For sixty student intake capacity, the Unani Medical College and attached hospital shall have the minimum constructed area of 3165 and 3140 square meters.

(2) For hundred student intake capacity, the Unani Medical College and hospital shall have the minimum constructed area of 5080 and 4475 square meters, respectively.

(3) For one hundred and fifty student intake capacity, the Unani Medical College and hospital shall have the minimum constructed area of 7045 and 5885 square meters, respectively.

(4) For two hundred student intake capacity, the Unani Medical College and hospital shall have the constructed area of 9035 and 7245 square meters, respectively as mentioned in the Schedule-I, Schedule-II and Table-2.

(5) The total constructed area of the college and attached teaching hospital shall be 6305 square meters for sixty students intake capacity, 9555 square meters for hundred students intake capacity, 12930 square meters for one hundred fifty students intake capacity and 16280 square meters for two hundred students intake capacity as shown in Table-2.

(6) The college and hospital shall be constructed in separate buildings with its departments or sections or units as per the details specified in the Schedule-I and Schedule-II.

(7) The requirement of separate college and hospital buildings shall be applicable only to the colleges established after 19<sup>th</sup> February, 2013.

**Table-2**

**Minimum Essential Requirement of Constructed Area of College and Attached Teaching Hospital**

Section (1)	Minimum Constructed Area in Square Metres			
	Sixty students intake capacity (2)	One hundred students intake capacity (3)	One hundred fifty students intake capacity (4)	Two hundred students intake capacity (5)
College	3165	5080	7045	9035
Hospital	3140	4475	5885	7245
<b>Grand total</b>	<b>6305</b>	<b>9555</b>	<b>12930</b>	<b>16280</b>

[Note:-The minimum constructed area and the total constructed area mentioned from sub-regulations (1) to (5) shall be the same for the Unani Medical College and attached teaching hospital constructed in Tier I and Tier II cities (X and Y categories), as mentioned above in Table-2]

**7. The college campus and general considerations.-** (1) The campus designated for Unani Medical College or institution shall accommodate:-

- Unani Medical College or institution along with departments, ancillary sections or units or facilities;
- teaching hospital along with ancillary sections or units or facilities;
- hostels (separately for boys and girls including interns) with or without staff quarters;
- in case of two plots, hostel for interns (male and female separately) shall be in the teaching hospital campus.



- (2) The campus designated for Unani Medical College and attached teaching hospital shall have proper approach road, well-constructed compound wall with proper arrangements for security.
- (3) All the buildings shall have all relevant permissions from concerned authorities.
- (4) There shall be fire safety, fire No Objection Certificate (if applicable), sewage treatment plant, permission from pollution control board, disaster management measures, bio-medical waste management etc. as per extant norms.
- (5) Institution must provide a barrier-free environment for the independence, convenience, and safety of the physically challenged persons apart from ramp and lift.
- (6) The campus shall have appropriate layout plan for free vehicular movement and demarcated parking area. The parking area shall be labelled or marked for higher officials, employees and students.
- (7) The campus shall have adequate water supply, proper drainage system, and electricity supply including power back-up system.
- (8) Central Workshop or Maintenance Cell.- There shall be a central workshop or maintenance cell in the campus, equipped suitably as per the requirements of the institution, along with appropriate technical staff or outsourced staff for the maintenance related works in the areas such as electrical, plumbing, carpentry, sanitary, civil works, water supply, waste management, drainage, housekeeping, etc.
- (9) The college or institution shall be fully functional and shall provide teaching and training to students of Unani as per the course curriculum and syllabus as specified by the Commission by establishing an educational ecosystem and shall be ready to impart education over and above the minimum essential standards specified by the Commission.
- (10) An educational ecosystem of the college or institution shall be established in which all stakeholders of the college or institution, all the departments, and other units or sections of the college or institution shall function in coordination and collaboration with each other to provide comprehensive education to students in an ideal academic environment.

**8. Official Contact Details.-** (1) All official communication shall be through the official contact number and official mail ID of the Unani Medical College or institution only.

- (2) Each Unani Medical College or institution shall have an official mobile number for the Head of the institution (Director or Dean or Principal).
- (3) Each Unani Medical College or institution shall have an official e-mail ID created in the pattern as shown below: -

[Year of establishment of the college unique college Identity Document provided by MARBISM@service provider or domain (Eg. [2023uni00001@gmail.com](mailto:2023uni00001@gmail.com))]

- (4) Unani Medical College or institution shall communicate to the National Commission for Indian System of Medicine or autonomous boards under the National Commission for Indian System of Medicine or secretariat of the National Commission for Indian System of Medicine through official mobile number and official e-mail Identity Document only.
- (5) Communication through the mobile numbers and e-mail Identity Documents other than official mobile number and official mail Identity Document shall not be entertained.
- (6) The National Commission for Indian System of Medicine or Autonomous Boards shall communicate to the Unani Medical College or institution only through official mobile number of the head of the College or institution and official e-mail Identity Document of the Unani Medical College or institution;

However, in certain specific cases the National Commission for Indian System of Medicine may instruct the Unani Medical College or institution for separate or exclusive mobile number and or e-mail Identity Document for a particular activity; such exclusive contacts shall be used for that specified purpose or period only.

**9. Bank Accounts.-** (1) There shall be independent official bank accounts in the names of the Unani Medical College or institution and the attached teaching hospital separately for non-government institutions.

- (2) In case, a drug manufacturing unit (commercial production) is attached to the Unani Medical College or institution, the drug manufacturing unit shall maintain a separate bank account.
- (3) All the said official accounts in sub-regulations (1) and (2) shall be either in nationalised banks or any commercial banks approved by Reserve Bank of India.
- (4) All official transactions (income and expenditures) of respective units (college, hospital, and drug manufacturing unit, if any) shall be in specified official accounts only.

- (5) All types of fees for students, including penalties (if any), shall be collected through the official bank account only.
- (6) The Unani Medical College or institution shall have to issue receipts for all fee payments, including penalties (if any), received from the students.
- (7) All types of institutional expenditure, such as salaries of teaching, non-teaching staff, hospital staff, payments to outsourcing agencies, purchases, payments of taxes, maintenance, and establishment expenditure, etc., shall be through the official bank account only.
- (8) The annual audit of accounts shall be audited by a registered chartered accountant firm or audit firm.
- (9) Details of transactions and the annual audit report shall be made available to Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine in such manner specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.
- (10) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall consider only those transactions that are reflected in institutional official bank accounts for assessment and rating purposes.

**10. Information Technology Cell and Infrastructure.-** (1) The Unani Medical College or institution shall have an Information Technology cell equipped to manage all Information Technology related activities and attend to Information Technology related issues of the college or institution.

- (2) The Unani Medical College or institution shall have an internet connection with broad band connectivity and bandwidth not less than five hundred megabits per second.
- (3) The Information Technology cell shall maintain the website of the Unani Medical College or institution, Hospital Management System Software (compatible with Ayushman Bharath Health Account, Health Professional Registry, Health Facility Registry and Unique Health Identification Number), Learning Management System, digital library, smart boards and multimedia projectors, virtual laboratories, intranet, local area network connectivity, biometric or Aadhar enabled biometric or iris recognition or face recognition attendance system, closed-circuit television, and other items as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.
- (4) The Information and Technology Cell shall be in a position to interface or connect online platforms such as Learning Management System, Hospital Management System or Hospital Information Management System Software (compatible with Ayushman Bharath Health Account, Health Professional Registry, Health Facility Registry and Unique Health Identification Number), Biometric or Aadhar enabled biometric or iris recognition or face recognition attendance system, or any other systems specified by the National Commission for Indian System of Medicine with online platforms or information technology systems run by the National Commission for Indian System of Medicine as per their specifications for real-time transfer of data and to Coordinate virtual meetings, webinars, video recording of lectures and practical or clinical demonstrations, virtual or hybrid modes of visitation or assessment, etc., and all other Information Technology related activities.
- (5) The Information Technology Cell shall support all sections of the college or institution in which Information Technology support is essentially needed, including the Human Resources and Development Cell of the Unani Medical College or institution.

**11. Biometric Attendance System.-** (1) Biometric or Aadhar enabled biometric attendance system or iris recognition or face recognition attendance system shall be installed as specified by the National Commission for Indian System of Medicine for marking attendance by teaching staff, non-teaching staff, hospital staff, postgraduate students, and interns.

- (2) Biometric attendance devices shall be installed at the entrances of the Unani Medical College and attached teaching hospital and shall be under closed-circuit television surveillance. These devices serve the purpose of recording attendance of teaching staff, non-teaching staff, hospital staff, postgraduate students, and interns.
- (3) The closed-circuit television shall be installed in such a way that the marking of attendance is clearly visible on both the face of the staff and the biometric attendance device.
- (4) The biometric attendance device as well as closed-circuit television feed shall be connected or aligned to command-and-control centre of the Commission. The commission or its autonomous boards shall have the power to review the data stored at command-and-control centre and in the devices installed at colleges and to take necessary actions.
- (5) Biometric attendance data shall be made available to the concerned regulatory body or autonomous boards of the National Commission for Indian System of Medicine on real time basis throughout the year through any agency as assigned by the National Commission for Indian System of Medicine.
- (6) For recording attendance of undergraduate students, devices as specified by the Commission shall be adopted.

**12. Unani Medical College Website.-** (1) Each and every Unani Medical College or institution shall have to maintain an exclusive website in the name of the college or institution.

(2) The college website shall be updated periodically and upload the details as specified by the National Commission for Indian System of Medicine and its autonomous boards.

(3) The National Commission for Indian System of Medicine shall capture the data continuously at different levels.

(4) It shall be the responsibility of the Unani Medical College or institution to ensure that the data, information, and details available on the website are authentic and are uploaded on time as per the requirements of the National Commission for Indian System of Medicine.

(5) Every month, on or before the 10<sup>th</sup>, the data pertaining to the previous month shall be updated or uploaded.

(6) The following details shall be maintained on the Unani Medical College or institution website: -

(a) details of the head of the institution (Director or Dean or Principal) and Medical Superintendent, including their name, date of birth, photograph, unique teacher's code, council registration number, educational qualification, designation, date of joining, experience, contact mobile number, e-mail Identity Document, etc;

(b) details of teaching staff, including their unique teacher's code, photograph, council registration number, date of birth, educational qualification, designation, date of joining, experience, teaching department, contact mobile number, e-mail Identity Document, etc;

(c) details of non-teaching staff of college and hospital staff including educational qualification, name of the post, department or section or unit etc;

(d) details of the warden and deputy warden of hostels;

(e) specialties of the hospital and consultants, their out-patient department days, consultation timings;

(f) details of permission status, sanctioned student intake capacity, and affiliation;

(g) list of students admitted, merit-wise and category-wise, for the current and previous year;

(h) University examination results and a comparative graph with the previous three years;

(i) details of the research publications by the students or faculties in the last year;

(j) details of Continuous Medical Education programmes, seminars, conferences, workshops, faculty development programmes, capacity building programmes, hands-on training, research projects, collaborative programmes, and any other academic or clinical programmes conducted by the institution in the last one year;

(k) accreditations, awards, achievements, and appreciations, if any, received by the institution;

(l) hospital patients' statistics and comparative data or graph with the previous three years;

(m) announcements of forthcoming events like seminars, workshops, etc.

**13. Minimum Essential Standards for the Unani Medical College or Institution.-** The Unani Medical College or institution shall have the following departments or sections or units or cells or facilities,-

(1) Administrative section: The administrative section of the college shall accommodate,-

(a) head of the institution (Director or Dean or Principal) room;

(b) room for personal assistant to head of the institution (Director or Dean or Principal);

(c) visitor's room for visitors to head of the institution (Director or Dean or Principal);

(d) staff committee room or Meeting room;

(e) office superintendent room;

(f) establishment and accounts section with cash counter;

(g) waiting area or lounge for office visitors;

(h) record room;

(i) central store;

(j) pantry;

(k) toilets for office staff (male, female and physically abled separately); and the details of the total constructed area are shown in the Schedule-II i.e minimum two hundred square meters for sixty students intake capacity,

two hundred fifty square meters for hundred students intake capacity, three hundred square meters for one hundred fifty students intake capacity and three hundred fifty square meters for two hundred students intake capacity.

(2) Lecture Hall or Classrooms.- (a) there shall be five lecture halls or classrooms, each of which shall have an area of not less than one hundred square meters for sixty students intake capacity, one hundred fifty square meters for one hundred students intake capacity, two hundred square meters for one hundred fifty students intake capacity and two hundred fifty square meters for two hundred students intake capacity, and the requirements of the total constructed area are mentioned in Schedule-II i.e. minimum five hundred, seven hundred fifty, one thousand and one thousand two hundred fifty square meters for sixty, hundred, one hundred fifty and two hundred students intake capacity respectively;

(b) each lecture hall or classrooms shall have a seating capacity more than twenty per cent of the student intake capacity. i.e., with seating capacities of seventy-five for sixty students intake capacity, one hundred twenty for hundred students intake capacity, one hundred eighty for one hundred fifty students intake capacity, and two hundred forty for two hundred students intake capacity;

(c) all lecture halls or classrooms shall be Information Communication Technology enabled classrooms equipped with Information Communication Technology tools such as smart boards, audio-visual gadgets, internet connection or wireless fidelity facility, etc;

(d) all the lecture halls or classrooms shall be under closed-circuit television surveillance, and the closed-circuit television coverage shall be for the entire class room;

(e) the classroom shall not be too long or too wide;

(f) the seating arrangement in classrooms should be gallery-type or theatre-type and may be preferably semi-circular so that every student has clear visibility of the teacher, the blackboard, and the smart board;

(g) the size of the central display in the classroom shall be in proportion to the classroom capacity and size, and additional displays may be arranged for the students sitting at the rear end.

(3) Seminar or Conference or Examination or Yoga and Riyazat Hall (Multipurpose hall).- (a) there shall be a Multipurpose hall having an area of one hundred fifty, three hundred, four hundred fifty, and six hundred square meters, with appropriate seating arrangements made available for sixty, hundred, one hundred fifty, and two hundred students intake capacity, respectively, as shown in Schedule-II;

(b) the multipurpose hall shall be used for the conduct of meetings, seminars, conferences, workshops, continuing medical education programmes, examinations, yoga and riyazat training, college functions etc;

(c) the multipurpose hall shall have audio-visual facilities, Closed-Circuit Television, and toilet facilities.

(4) Central library.- (a) each Unani Medical College or institution shall have a central library with good ventilation, proper lighting, appropriate seating arrangements, well-arranged bookshelves, etc. as detailed below;

(b) the central library shall have a minimum area of one hundred fifty square meters for sixty students intake capacity, two hundred fifty square meters for one hundred students intake capacity, three hundred fifty square meters for one hundred fifty students intake capacity, and four hundred fifty square meters for two hundred students intake capacity, as specified in Schedule-II;

(c) the central library shall have seating capacity more than twenty per cent of its students intake capacity. i.e., with the seating capacity of seventy-five for sixty students intake capacity, one hundred twenty for hundred students intake capacity, one hundred eighty for one hundred fifty students intake capacity, and two hundred forty for two hundred students intake capacity as specified in Table-3;

(d) the central library shall maintain a minimum of eight thousand books for sixty students intake capacity, ten thousand books for one hundred students intake capacity, twelve thousand books for one hundred fifty students intake capacity, and fourteen thousand books for two hundred students intake capacity;

(e) the minimum number of indexed scientific journals in the central library irrespective of intake capacity shall be ten, as shown in Table-3 and such journals shall be indexed in PubMed or Web of Science or University Grants Commission-Consortium for Academic and Research Ethics or Science Citation Index or Scopus, etc;

(f) biometric attendance for all students and teaching staff shall be made available in the central library;

(g) a catalogue coding system (physical or automated) shall be made available at the library entrance;

(h) there shall be a display facility at an appropriate place in the library for newly arrived books;

(i) all the newly arrived books are to be displayed for a specific duration as per the institutional library policy, or a minimum of fifteen days;

- (j) the seating arrangement in the reading room shall be in a unidirectional pattern, and face-to-face seating arrangements shall be avoided, or partitions shall be provided in case of face-to-face seating arrangements. The reading room table shall have an adequate number of charging ports for laptops;
- (k) all books and journals shall be kept on open shelves without locking to provide students with free access to books. Rare and out-of-print books, old manuscripts, and listed books may be kept on closed shelves;
- (l) the entire library shall be under closed-circuit television surveillance;
- (m) the library etiquette, institutional library discipline maintenance policy and instructions for library users approved by the college council shall be displayed prominently at the entrance of the library;
- (n) the minimum working hours of the library on all working days (Monday to Saturday) shall be from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. without any break;
- (o) on Sundays, the working hours for the library shall be 10 a.m. to 2 p.m.;
- (p) hours prescribed in clauses (n) and (o) are the minimum prescribed working hours; however, colleges can maintain extended library hours;
- (q) the central library shall also include a library office, seating arrangements for librarians and other library staff, dedicated space for new arrivals and books under maintenance or binding, book issue and return, separate toilets for male and female students, a drinking water (hot and cold) facility, etc;
- (r) the library shall keep all journals published by Central Council for Research in Unani Medicine, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Central Council for Research in Siddha, National Institutes (Unani, Ayurveda, Siddha), Institute of Teaching and Research in Ayurveda (the Institute of National Importance), etc. in the library for students and staff.

**Table-3****Minimum Requirement of Books, Journals, and Seating Capacity**

Serial Number	Student Intake Capacity	Seating Capacity	Minimum Number of Books	Minimum Number of Indexed Scientific Journals
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sixty	Seventy-five	8000	ten
2	One hundred	One hundred twenty	10000	
3	One hundred fifty	One hundred eighty	12000	
4	Two hundred	Two hundred forty	14000	

(s) library services include book issue and return, indexing, copying facilities, a book reservation system, and assistance in using the library;

(t) the library shall provide magazines and newspapers for non-teaching staff and suitable study and reading material, competitive examination books, etc., for the students who are attending various competitive examinations;

(u) entire library shall be barrier free movement to facilitate, easy access to all people including differently abled students;

(v) if the college is located on a university campus and the university library is in a separate building, then an exclusive wing for Unani shall be provided in the university library with all the requirements as specified in these regulations.

(5) Digital Library.- (a) the digital library shall have the minimum required area of forty square meters for sixty students intake capacity, fifty square meters for one hundred students intake capacity, sixty square meters for one hundred fifty students intake capacity and seventy square meters for two hundred students intake capacity, as mentioned in Schedule-II;

(b) the digital library shall include office space and seating for the digital library in-charge, stations with computer systems having broad band connectivity, storage facilities for compact discs, headphone sets, etc;

- (c) the digital library shall have fifteen computer systems with stations for sixty students intake capacity, twenty five computer systems with stations for one hundred students intake capacity, thirty five computer systems with stations for one hundred fifty students intake capacity and forty five computer systems with stations for two hundred students intake capacity;
- (d) the digital library with the infrastructure detailed in Table-4 shall be provided for students to browse the internet and access e-journals, e-contents, e-books, educational compact discs, e-resources, etc;
- (e) the minimum working hours of the digital library on all working days (Monday to Saturday) shall be from 9 a.m. to 8 p.m. without any break;
- (f) on Sundays, the working hours for the digital library shall be 10 a.m. to 2 p.m.;
- (g) the working hours mentioned in clauses (e) and (f) are the minimum working hours. However, colleges or institutes can maintain extended library hours.

**Table-4****Minimum Essential Requirements for Digital Library**

<b>Serial Number</b> <b>(1)</b>	<b>Students Intake Capacity</b> <b>(2)</b>	<b>Number of Stations with Computer Systems</b> <b>(3)</b>
1	Sixty	Fifteen
2	One hundred	Twenty-five
3	One hundred fifty	Thirty-five
4	Two hundred	Forty-five

(6) Teaching Departments.- (a) there shall be fourteen teaching Departments;

(b) each Department shall be provided with rooms or cubicles for teachers, a departmental library, working accommodations for non-teaching staff, and a practical laboratory, dissection hall, museum cum tutorial room, or tutorial room as per the requirements of the individual Department as specified in these regulations (Schedule-II), and all units or sections of one Department shall be located together in the Department with adequate space;

(c) the minimum area required for all Fourteen Departments shall be one thousand four hundred seventy-five square meters for sixty students intake capacity, two thousand five hundred twenty-five square meters for one hundred students intake capacity, three thousand six hundred twenty-five square meters for one hundred fifty students intake capacity, four thousand eight hundred square meters for two hundred students intake capacity, and break-up area for each Department and their ancillary sections or units shall be as per Schedule-II;

(d) teachers shall be accommodated in their respective Departments, and each Head of The Department, Professor, Associate Professor, and Assistant Professor shall be provided privacy in a separate room or cubicle in their respective Departments. The minimum area for each Professor, Associate Professor, and Assistant Professor shall be fifteen, thirteen and ten square meters respectively. Open seating arrangements for teachers in the common hall, room, or Department shall not be permitted;

(e) each Department shall be provided with computers, printers, and internet facilities;

(f) each Department shall be provided with an e-display (smart board or smart television or light emitting diodes display and the like) facility to display e-contents such as videos, images, posters, charts, subject related information, models, treatment methods, surgical procedures, pathological slides, instruments, preparation of medicines, medicinal plant images, herbarium, X-rays, diagnostic tools, etc. as applicable to each department for effective teaching;

(g) minimum equipment, instruments, chemicals, reagents, glassware, etc., required for practical laboratories shall be as per Schedule-VII to XIV;

(h) minimum models, specimens, etc. required for the departmental museum shall be as per Schedule-VII, VIII, X, XI, XII, and XIII;

(i) the Departments conducting practical training, shall maintain all facilities as per the student capacity to conduct all practical listed in the syllabus;

(j) Language laboratory under the Department of Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine) shall be provided with computers with internet facilities, compact discs, audio-visual facilities, microphones, headsets,

- etc., to promote language skill, communication skill, and skill in phonetics, etc., in Arabic, Urdu, Persian or English, as the case may be;
- (k) dissection hall: (i) the dissection hall under the Department of Tashreehul Badan (Anatomy) shall have proper ventilation, an exhaust facility, an adequate hand wash facility, and a storage tank or freezer to preserve two to four cadavers;
- (ii) a virtual dissection or e-dissection facility in the dissection hall may also be provided to augment the quality of training;
- (iii) there shall be one demonstration station in the dissection hall and one dissection station for ten students, i.e., six, ten, fifteen, and twenty dissection stations for sixty, one hundred, one hundred fifty and two hundred students intake capacity, respectively;
- (iv) demonstration and Dissection Stations: Demonstration station shall have shadow less operation theatre lights and an inbuilt high-resolution closed-circuit television camera, and the dissection hall shall have a display unit (smart television, light emitting diode screen, smart board, etc.) that is connected to the closed-circuit television camera;
- (v) if it is required, the embalming facility may also be provided;
- (vi) this Department shall have waste disposal facilities as per the norms.
- (l) Teaching Pharmacy (Ilmul Saidla Practical Laboratory): (i) it shall be for teaching, demonstration, and training of students but not for commercial production of medicines.
- (ii) the medicines prepared as a part of practical training in teaching pharmacy shall not be administered to patients;
- (iii) in the event that the institution is attached to a pharmacy of commercial production, that pharmacy shall not be treated as a teaching pharmacy;
- (iv) the teaching pharmacy may preferably be located at the end of the college building on the ground floor or in a separate building on campus and shall be equipped with a proper exhaust system and fire and safety measures;
- (v) the teaching pharmacy shall have adequate infrastructure and facilities as mentioned in Schedule-XI to conduct Ilmul Saidla practical as per the syllabus.
- (m) Quality testing laboratory: (i) the quality testing laboratory under the Department of Ilmul Saidla (Unani Pharmacy) is a common facility for both Ilmul Saidla (Unani Pharmacy) and Ilmul Advia (Pharmacology) departments;
- (ii) the quality testing laboratory shall maintain all facilities, including equipment, instruments, chemicals, and reagents, as mentioned in Schedule-XI for quality testing of drugs and for demonstrative teaching and training.
- (n) Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) practical laboratory under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) a poison or toxin detecting or analysing facility shall also be provided to study various poisons or toxins or food contaminants.
- (o) Mahiyatul Amraz (Pathology) Department: (i) college or institution shall have an independent practical laboratory with adequate facilities as mentioned in Schedule-XII for the students to pursue practical training as per the syllabus;
- (ii) the clinical or pathology laboratory of the attached teaching hospital shall not be considered as a Mahiyatul Amraz (Pathology) practical laboratory.
- (p) Nutrition laboratory: Nutrition laboratory under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine), with all minimum requirements as specified in Schedule-XIII to analyse the nutritional value of diet, culinary medicine, and functional foods as per the list of practicals prepared by the department based on the syllabus;
- (q) Jarahat (Surgery) department shall maintain specimens in the museum cum tutorial room like gall stones, renal stones, tumours, etc. for teaching purposes;
- (r) Ain, Uzn, Anaf halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose Throat and Dentistry) Department shall maintain specimens in the museum cum tutorial room for teaching purposes;
- (s) the working tables of all the practical laboratories of teaching Departments wherever applicable, should be of hard stone or stainless steel, and there should be an arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins;

(t) the National Commission for Indian System of Medicine may revise the syllabus from time to time, and accordingly, the requirements for equipment and other facilities may vary. It is the responsibility of the institution or concerned Department to provide such facilities, specified by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.

(7) Clinical Skill or Simulation Laboratory.-(a) each Unani Medical College or institution shall have a minimum constructed area of one hundred twenty five square meters, two hundred square meters, two hundred seventy five square meters and three hundred fifty square meters for sixty, one hundred, one hundred fifty and two hundred students intake capacity, respectively, as specified in Schedule- II and shall be equipped with manikins or simulators as specified in Schedule-XIV;

(b) the virtual or augmented reality facility may also be provided for effective teaching and training;

(c) the Clinical Skill or Simulation Laboratory shall have a proper storage facility for manikins, simulators, and other training materials or equipment or devices;

(d) the Clinical Skill or Simulation Laboratory shall accommodate the coordinator, office assistant with an adequate space, and attendant;

(e) there shall be an office and seating arrangement for staff, demonstration cum practice rooms (as mentioned in Table-5) and all demonstration cum practice rooms shall be equipped with smart board and other suitable audio-visual equipment or gadgets;

(f) there shall be a reception, a record-keeping facility, and shoe racks at the entrance with enough slots.

**Table-5**

**Minimum Essential Requirements for Clinical Skill or Simulation Laboratory**

Serial Number (1)	Students Intake Capacity (2)	Demonstration cum Practice Rooms	
		Number (3)	Capacity (4)
1	Sixty	1	Each demonstration cum practice room shall accommodate minimum thirty students
2	One hundred	2	
3	One hundred fifty	3	
4	Two hundred	4	

(8) Human Resource Development Cell.- (a) Human resource and development cell shall be with a with a minimum space of one hundred thirty square meters, one hundred fifty square meters, one hundred seventy square meters and one hundred ninety square meters for sixty, one hundred, one hundred fifty, and two hundred students intake capacity, respectively, and the minimum break-up space for workshop area, office, store, circulation area and toilets as mentioned in the Schedule-II;

(b) Human Resource Development Cell shall serve as a Medical Education Technology Training Unit or Quality Input Programme Unit for teachers and an orientation cum training unit for medical, paramedical, technical, administrative, and supportive staff of the institution;

(c) Human Resource Development Cell shall have an office with adequate space to accommodate the coordinator, office assistant, and attendant;

(d) the Human Resource Development Cell Hall or room shall be suitable for conducting workshops with a seating capacity of minimum thirty participants and be equipped with adequate furniture;

(e) the hall shall be equipped with an audio-visual system, multimedia projector or smart interactive board, computer, laptop, Wi-Fi connectivity, laptop charging points for participants, printer, copier, photographing facility, and video recording facility to develop e-teaching contents;

(f) the Human Resource Development Committee, comprising a chairman (the head of the institution-(Director or Dean or Principal), a coordinator (Professor or Associate Professor), and members (one teaching faculty member from each professional, a medical superintendent or deputy medical superintendent, and one person from administration or human resource development), shall be constituted by the institution, which shall plan, execute, and monitor the activities of human resource and development cell. The committee may co-opt any expert or any other member as required;

(g) the term of the committee shall be two years, or as per institutional policies;



- (h) the Committee shall identify the skills, techniques, or knowledge that are to be trained or oriented as per the guidelines issued by the National Commission for Indian System of Medicine for each category of employees, prepare the schedule, and announce and implement it accordingly;
- (i) category of employees of an Unani Medical College and attached teaching hospital shall be as follows:
- (i) teaching staff, physical education instructor, yoga instructor, and library staff;
  - (ii) administrative staff;
  - (iii) nursing staff and lab technicians;
  - (iv) therapists in Ilaj bit Tadabeer therapy sections;
  - (v) technical staff (information technology, electrical, plumbing, etc.);
  - (vi) cook in the hospital kitchen for Ghiza Makhsoosa (Specific diet) including instant medicine preparation section;
  - (vii) supportive staff (gardener, drivers, security personnel, etc.);
  - (viii) menial staff, Group D, housekeeping, multi-tasking staff, attendants etc.
- (j) Human Resource and Development Cell shall be provided with staff as specified in Schedule-VI for the smooth functioning of human resource and development cell, including planning of requirements, recruitment methodology and criteria, induction, training, and development;
- (k) technical support for operating multimedia projector and other information technology related activities, technical support shall be obtained from the institutional Information Technology cell;
- (l) human resource development cell ensures 360-degree approach and inclusive development of the institution by upscaling the skill of the employees through capacity building orientation and training.
- (9) Research and Innovation Cell.- (a) a room with minimum of thirty square metres as mentioned in the Schedule -II with adequate furniture and document storage facility shall be provided;
- (b) this cell facilitates activities such as innovation, incubation, research, documentation, publication and intellectual property rights;
- (c) the college shall constitute Institutional Research and Innovation Committee with Coordinator and members [coordinator for Research, Publication, and intellectual property rights, three faculty members, one from each professional and two students (one boy and one girl) from each batch]. The head of the institution (Director or Dean or Principal) shall be the chairman of the committee;
- (d) the Coordinator of the Research and Innovation Cell [a senior faculty known for visionary and creative activity), shall be the coordinator of the Institutional Research and Innovation Committee;
- (e) the Institutional Research and Innovation Committee shall identify or invite the innovative ideas from students, teachers and other staff of the college and facilitate to incubate or nurture the ideas and to translate to useful products or outcome;
- (f) innovations may be in teaching, training, diagnostics, therapeutic equipment, surgical equipment, dosage forms, technology, software, apps, assessment scales etc.;
- (g) the coordinator of the Research and Innovation Cell shall have been undergone training conducted by the National Commission for Indian System of Medicine or as specified by the commission. If not, he or she shall undergo the same within six months of the appointment as coordinator;
- (h) coordinator for Research, Publication and Intellectual Property Rights: A faculty member of the college familiar with research, publication and Intellectual Property Rights aspects or who have undergone training on these aspects shall be nominated as coordinator;
- (i) every institution shall develop institutional policy to support activities related to innovation, incubation, research, publication, Intellectual Property Rights, disbursement of research grants, research incentives, publication incentives, etc.;
- (j) the policy must be oriented to all stakeholders and have developed implementation and monitoring mechanism.
- (10) Co-Curricular or Extra-Curricular Activities.- Adequate facilities shall be provided by the institution for conduction of Co-Curricular or Extra-Curricular activities and the activities may include,-
- (a) physical education facility;

- (b) recreational facility;
- (c) National Service Scheme unit;
- (d) college may have various student club such as Science club, Environment club, Fine Arts club, Sports club, Literary club, Language club, Photography club, Adventures club, animal lovers club, etc.;
- (e) Community outreach programme;
- (f) medical camps or village adoption or health awareness programme;
- (g) field visit or survey;
- (h) conducting seminar, workshop, brainstorming, symposium etc.

(11) Common rooms for students.- Two common rooms (one for boys and one for girls separately), with a minimum total area of one hundred square meters, two hundred square meters, three hundred square meters and four hundred square meters for sixty, hundred, one hundred fifty, and two hundred student intake capacity, respectively, as mentioned in Schedule-II required to accommodate a minimum of twenty per cent of the sanctioned intake capacity and adequate seating arrangements and attached toilets, shall be made available.

(12) Staff amenities.- (a) two common rooms (one for male and one for female separately) for teaching staff, shall be provided with a minimum total area of fifty square meters, sixty square meters, seventy square meters and eighty square meters for Sixty , hundred , one hundred fifty , and two hundred student intake capacity, respectively, as mentioned in the Schedule-II and adequate furniture, seating arrangements, attached toilets, drinking water and refreshment facilities shall be made available;

(b) adequate number of toilets at appropriate and easily accessible places separately for teaching staff (male and female) for non-teaching staff (male and female) shall be provided in each floor;

(c) sanitary napkin dispenser and incinerator shall be provided in female toilets.

(13) Student amenities.- (a) facilities like transportation, Bank or Automated Teller Machine, playground (indoor and outdoor games), stationery store, cafeteria etc. are to be made available;

(b) adequate numbers of toilets at appropriate and easily accessible places in each floor separately for male and female students shall be provided;

(c) sanitary napkin dispenser and incinerator shall be provided in female toilets.

(14) Hostels.- (a) there shall be separate hostels for boys, girls and intern-boys and intern-girls in the campus with adequate accommodation, furniture, reading room, recreational facility, attached bath and toilet facility and security;

(b) apart from college canteen mentioned in sub-regulation (15), hostel may also maintain a separate mess if required;

(c) interns to be provided separate hostels, preferably near the hospital, to perform assigned clinical duties conveniently;

(d) the colleges established before notification of these regulations, may continue the hostels in the campus or outside campus or in outsourced building.

(15) Canteen.- (a) canteen facility with sitting arrangement for about one hundred persons shall be available for sixty and hundred students intake capacity and sitting arrangement for two hundred persons for one hundred fifty and two hundred students intake capacity and the space required for the canteen shall be as specified in the Schedule-II i.e. hundred square meters for sixty students intake capacity, one hundred fifty square meters for hundred students intake capacity, two hundred square meters for one hundred fifty students intake capacity and two hundred fifty square meters for two hundred students intake capacity;

(b) if the college and hospital are in same campus in such case common canteen or in case if the hospital is on a separate campus, then a separate canteen in hospital premises shall be made available;

(c) the canteen shall have separate sections for teaching staff including consultants of the hospital.

(16) Herbal Garden.- (a) college shall have a well-developed medicinal plant garden with minimum area of two thousand five hundred square meters for sixty students intake capacity and four thousand square meters for hundred, One hundred fifty and two hundred students capacity with demonstration room under the Department of Ilmu Advia (Pharmacology) as mentioned in the Schedule -III and it shall have minimum two hundred species of medicinal plants including common and rare or endangered species;

(b) medicinal plants in the garden are to be labelled with Quick Response Code code to provide the details of medicinal plants including local name, vernacular names, botanical name, family name, identification points, medicinal properties etc.

(17) Closed-Circuit Television.- (a) closed-circuit television cameras shall be installed at biometric attendance systems installed area, classrooms, library, digital library, practical laboratories, clinical skill or simulation laboratory, corridors, examination hall, entrance and exit of college and hospital, reception and registration zone, out-patient zone, and pharmacy of the hospital. Installation may be made in other areas as per the requirement of the institution;

(b) cameras shall be high-resolution and capable of day-time and night-time recording;

(c) the Digital Video Recorder shall have the capacity to store the data for a minimum of three months.

(18) College Council.- (a) every Unani Medical College or Institution shall have a College Council comprising of the Head of the Departments, the Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent as members, and the Head of the Institution (Director or Dean or Principal) as Chairperson;

(b) the College Council shall meet four times in a year to draw up the implementation strategy of the curriculum and training programme, the enforcement of discipline, and other academic matters and shall keep records of the same;

(c) the College Council shall organise regular interdepartmental meetings like grand rounds, statistical review meetings, clinical meetings and periodical research reviews in the institution;

(d) the College Council shall plan, review and upgrade academic, healthcare, research and co-curricular or extra-curricular activities of the institution, strategic planning and implementations, students' performance and improvisation;

(e) the College Council shall review the annual (January to December) academic events of the Unani Medical College or institution and prepare the academic audit report of the institution as per the guidelines of the National Commission for Indian System of Medicine and the institution shall submit the academic audit report in the prescribed format and such manner to the National Commission for Indian System of Medicine within the timeframe, specified by the National Commission for Indian System of Medicine;

(f) the minimum area required for the college council room shall not be less than fifty square meters for sixty students intake capacity, hundred square meters for hundred students intake capacity, and one hundred fifty square meters for one hundred fifty and two hundred students intake capacity, as specified in Schedule -II;

(g) Academic Committee.- (i) the college council shall constitute an academic committee comprising a vice principal, deputy director, deputy dean (if any), or senior faculty member as chairperson and one faculty member from each department as a member;

(ii) the planning, execution, and monitoring of teaching schedules shall be the responsibility of the academic committee;

(iii) the teaching schedule shall be integrative in nature and shall be announced one month before;

(iv) the teaching schedule shall be hosted on the institutional website as well as the Learning Management System portal.

(19) Student Council.- (a) student Council shall have a room having minimum of twenty square meters as shown in the Schedule-II with adequate seating capacity, storage facility to maintain files shall be made available;

(b) student Council is the representative body of the student community of the college or institution and it shall be a group of ambitious, hardworking and dedicated students working together with a faculty advisor to provide a means of expression and assistance in college affairs, conduct various programme or institutional fest or activities, give opportunities for student experience in leadership and encourage student or faculty or community relations;

(c) student Council make suggestions to the head of the institution (Director or Dean or Principal) in respect to welfare of students, discipline, hostel management, arts and sports, student's health, social activities, working of library, Co-Curricular or Extra-Curricular activities etc.;

(d) student Council shall communicate its views, observations and recommendations to head of the institution (Director or Dean or Principal) in respect to student concern matters through 'Student Welfare Officer' (faculty member nominated by the institution);

(e) college shall constitute Student Council by selection process or as specified by the affiliated university;

(f) institution shall have to developed policy for constitution of student council and its functionality;

(g) if such guidelines of university are not available, the composition of student council shall be as under:

(i) Chairman;

(ii) Secretary;

(iii) Members (class representatives of all batches, literary club secretary, fine arts club secretary, sports club secretary, science club secretary, secretary of any other club, National Service Scheme representative, and additional member as per requirement).

(20) Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell.- (a) each Unani Medical College or Institution shall have Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell which is intended to support, guide and encourage students in academic, scholastic, social, emotional, personal, career development, and placements; having minimum area of twenty-five square meters as shown in the Schedule-II;

(b) distinct care shall be given for new batch of students to become as confident professional and to overcome academic learning related difficulties that they face in the initial phase of their undergraduate programme;

(c) student support and guidance including career guidance and placement cell will identify various opportunities for higher education and placements and advice the students accordingly;

(d) the cell orients the students in preparation of various competitive examinations and to face interviews;

(e) college or institution shall constitute Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell as per the guidelines of the affiliated university;

(f) If such guidelines are not available, it shall be constituted as per the following:

(i) convener: a senior faculty;

(ii) members;

(A) three faculty members (one faculty from each professional, at least one female);

(B) two student representatives (1 male and 1 female) from each batch;

(C) two representatives from Parent-Teachers Association;

(g) the institution shall have the policy of constitution of Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell and its functionality.

(21) Grievance Redressal Cell.- (a) the Unani Medical College or institution shall establish Grievance Redressal Cell and constitute Grievance Redressal Committee;

(b) there shall be complaint or suggestion boxes appropriately labelled including the details of next opening and shall be kept at appropriate places of the institution;

(c) the complaints or suggestions boxes are to be periodically opened by the Grievance Redressal Cell committee, a record of complaints or suggestions, action taken report and the outcome shall be maintained;

(d) the institution shall have the policy of constitution of Grievance Redressal committee and its functionality;

(e) Grievance Redressal Cell may use Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell room as a common facility for meetings and have separate almirah to keep related files and documents separately.

(22) Pharmacovigilance Cell.- (a) every Unani Medical College or institution shall have an established Pharmacovigilance Cell with minimum of twenty square meters area as mentioned in the Schedule-II. The cell will function in association with the Regional or National or Central Pharmacovigilance Cell;

(b) the composition of pharmacovigilance cell shall be as under:

(i) one senior faculty member from *Ilmul Advia* (Pharmacology) or *Ilmul Saidla* (Unani Pharmacy) or *Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom* (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) as a coordinator;

(ii) one faculty member from each department of *Moalajat* (Medicine), *Ilaj bit Tadabeer* (Regimenal Therapy), *Jarahat* (Surgery), *Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan* (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), *Amraze Jild wa Tazeeniyat* (Dermatology and cosmetology), *Qabalat wa Niswan* (Obstetrics and Gynaecology), *Ilmul Atfal* (Paediatrics) as members;

(c) the committee shall meet once in two months, identify adverse drug reactions and other related issues analyse and report to the Regional or National or Central Pharmacovigilance as per the procedure.

(23) Committee against sexual harassment.- (a) each Unani Medical College or institution shall have a “Committee Against Sexual Harassment” for the creation of safe, equitable and inclusive campus environment;

(b) the Committee shall deal the complaints or grievances pertaining to sexual harassment, sexual misconduct, and sexual assault committed by students, faculty, staff and other staff and visitors on campus and shall create awareness on sexual harassment;

(c) the Committee shall ensure that there is a confidential procedure are followed in receiving and handling of complaints;

(d) each institution shall have their institutional policy in the constitution of the committee and its function;

(e) Committee Against Sexual Harassment may use Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell room as a common facility for meetings and have separate almira to keep related files and documents separately.

(24) Internal Quality Assurance Cell.- (a) each Unani Medical College or institution shall have internal quality assurance cell for planning, guiding, and monitoring quality assurance and quality enhancement activities of the institution;

(b) the composition of Internal Quality Assurance Committee shall be as per the following:-

(i) the head of the institution ((Director or Dean or Principal) – Chairperson;

(ii) medical superintendent or deputy medical superintendent- Member;

(iii) three senior faculties (one from each professional course)-Members;

(iv) senior administrative staff (one from the college and one from the hospital)- Members;

(v) one external expert on quality management- Member;

(vi) a senior faculty member- Member secretary;

(c) the members and member secretary as mentioned in sub-clause (iii), and (vi) shall be nominated by the head of the institution(Director or Dean or Principal);

(d) the membership of nominated members shall be for a period of two years from the date of constitution;

(e) the Internal Quality Assurance Committee shall meet once in quarter;

(f) main functions of Internal Quality Assurance Cell are: -

(i) development and application of quality parameters for various academic, clinical and administrative activities of the institution;

(ii) facilitating the creation of a learner-centric environment;

(iii) arrangement for 360-degree feedback on quality related institutional process;

(iv) sensitisation of stakeholders regarding quality assurance;

(v) organisation of various quality input programmes;

(vi) documentation of all activities of the college leading to quality improvement;

(vii) coordinating quality related activities and dissemination of best practices; and

(viii) development of data-base.

(g) The Internal Quality Assurance Cell shall be a dynamic system for quality changes in the college or institution.

(25) Human Resource (Minimum Requirement of Staff for the College): (a) there shall be a minimum of thirty two, forty seven, seventy and ninety two full-time teachers appointed on a regular basis for the students intake capacity up to sixty, one hundred, one hundred fifty, and two hundred students, respectively, with the addition of one part-time biostatistician to teach Research Methodology and Medical Statistics, full-time Yoga instructor (one Yoga instructor for the sixty, one hundred, and one hundred fifty students intake capacities and two Yoga instructors, i.e., one male and one female, for the two hundred students intake capacity), and one full-time Physical education instructor or trainer as specified in the Schedule-V;

(b) the Biostatistician shall be with the minimum qualification as mentioned in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022 and shall be working in the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib;

(c) the Physical education instructor shall be minimum a bachelor’s degree holder in physical education;

(d) the Yoga instructor shall be with the minimum qualification as mentioned in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022;

(e) the yoga instructor shall be working in the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib and shall serve in both the college and hospital;

(f) the head of the institution (Director or Dean or Principal) of each Unani Medical College or institution shall undergo the orientation programme on Educational Administration conducted by the National Commission for Indian System of Medicine within the period specified by the Commission and it is a mandatory requirement for holding the post of the head of the institution. Failing which he or she shall not be considered for the post of head of the institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(g) the minimum number of non-teaching staff (technical and other staff) in various units or section or departments of the college and their educational qualifications shall be as per the details given in the Schedule-VI;

(h) there shall be minimum forty, forty-one, sixty-four and sixty-eight non-teaching staff appointed on regular basis for the students intake capacity up to sixty, one hundred, one hundred fifty and two hundred respectively.

(26) Teaching Days.- (a) the attendance of teaching staff shall be assessed in terms of teaching days;

(b) teaching days shall be calculated individually for every teacher and cumulatively for all teachers in the institution;

(c) teaching days shall be calculated as follows:-

(i) 'Period of Calculation' shall be considered as the twelve months preceding the month of visitation or assessment;

(ii) working days of a teacher shall be considered from the attendance (biometric or Aadhar enabled biometric or iris recognition or face recognition or any other as specified by the National Commission for Indian System of Medicine) available at the central server;

(iii) working days of an institution shall be considered as the total number of days in that particular assessment period minus official holidays of that period;

(iv) the holidays notified by the Central and State Governments and the holidays declared by the District Collector shall only be considered holidays;

(v) the college shall have to upload any local official holidays, etc., with a proper document within ten days of the declaration of the holiday in the manner as specified by the National Commission for Indian System of Medicine;

(vi) no request shall be considered beyond ten days;

(vii) data available on the central server shall only be considered for the calculation of individual teaching days as well as cumulative teaching days for the institution;

(viii) "Individual teaching days" are calculated based on the number of days a teacher attended the duties of the college as a full-time teacher during the period of calculation and the number of working days the teacher was attached to the institution during the period of calculation;

(ix) individual teaching days are calculated as per the formula given below:

Number of days attended the college as full-time teacher		
Number of working days in the period the teacher attached to the institution	X	100

(x) each teacher shall have to attend a minimum of seventy-five per cent. of working days as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations 2022, and continuous absence for the rest of twenty-five per cent. from the teaching shall not be permitted except maternity leave and medical leave for prolonged illness;

(xi) the National Commission for Indian System of Medicine may constitute a "Medical Board" to examine and verify prolonged medical leave, if it is necessary;

(xii) the cumulative teaching days of the institution are calculated as per the below mentioned formula:

Total working days attended by all the teachers during the assessment period*	X	100
---	---	-----

Total number of working days of all teachers of the institution during the assessment period#		
---	--	--

Explanation:

\*Total working days attended by all the teachers during the assessment period may be calculated by adding the individual attendance of all teachers;

#Total number of working days of all teachers of the institution during the assessment period may be calculated by multiplying the number of working days in that assessment period by the minimum number of teachers specified for that particular student intake capacity. For example, if thirty teachers were present in the college for the entire period of assessment and the working days were three hundred days for that assessment period of twelve months, then the total working days would be: 30 x 300 = 9000.

(27) Relieving and replacement of teaching staff.- (a) the teaching staff shall be relieved on resignation as per the terms and conditions in the appointment order or within the notice period of a maximum of thirty days, whichever is less, except in the case of teachers with pending legal issues;

(b) the Unani Medical Colleges or institutions withholding the staff beyond the specified period and not issuing a relieving order and experience certificate shall be penalised by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(c) if the teacher gets a Government appointment, he or she shall be relieved as per his or her request;

(d) in the case of teaching staff relieved from the institution, the institution shall replace the vacant post with an eligible teacher within three months from the date of relieving the teacher. In the event of a delay in appointment, the college shall be penalised three times the minimum salary per month or as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine for each month of the delayed period;

(e) the period of delay shall not be more than three months;

(f) the delay beyond three months shall be treated as non-appointment;

(g) the provision of three months' time for the appointment of teaching staff shall not be applicable in cases of vacancies due to the retirement of a teacher;

(h) Experience of consultants and teaching staff for the period before the issue of Letter of Permission:

(i) calculation of experience of the teaching faculty that: (A) if the teacher joined after receiving a Letter of Intent, the teaching experience shall be counted from the date of joining;

(B) if the teacher joined before receiving the Letter of Intent, the teaching experience shall be counted from the date of issue of the Letter of Intent;

(ii) calculation of experience of consultants that: (A) for the period prior to receiving the Letter of Intent, the teaching experience shall be counted for the period of actual work, up to a maximum of two years;

(B) if joined after receiving the Letter of Intent, experience shall be counted from the date of appointment;

(i) Penalty etc.- the colleges involved in any malpractice with the payment of salary to teaching and other staff shall be penalised or initiated/ disciplinary action as per the recommendations of the disciplinary committee of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(28) Deputing teaching staff.- (a) the college or institution shall depute the staff on official duty under the following conditions, namely:

(i) in cases of official assignment by the Commission or its autonomous boards;

(ii) in the event that the Commission is conducting any training programme or capacity building programme or any other such programmes and if indicated to delegate the staff for such programmes;

(b) In such cases, on-duty leave shall be sanctioned for the duty days specified in the official communication of the Commission, along with the days of travel.

**14. Minimum Essential Standards for an Attached Teaching Hospital.-** (1) Teaching hospital in general.- (a) a fully functional teaching hospital attached to the Unani Medical College or institution, fulfilling all the minimum essential standards as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in these regulations, shall offer clinical training to medical students and provide medical services including consultation, diagnosis (clinical and investigational), treatment (medical, procedural, and surgical), preventive health care, medicine dispensing, medical

advice, counselling, nursing care, emergency care, public outreach activities, with proper documentation, and maintain hospital management systems. All related expenses shall be reflected in the official bank account of the hospital, and the hospital shall be ready to treat or attend any type of patient at any point in time with its manpower and infrastructure;

- (b) the teaching hospital shall fulfil all the statutory requirements of the concerned state, union territory, or local authority to establish and run the hospital and submit updated copies of such permission(s) or clearance(s) to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine;
- (c) the concerned state or union territory shall issue the No Objection Certificate or Essentiality Certificate to such applicant colleges after verifying the availability of such permission(s) or clearance(s);
- (d) the attached teaching hospital shall be easily accessible to patients, and there shall be provision for free vehicular movement, including ambulances;
- (e) all entries and exits of the hospital shall be clearly demarcated and displayed appropriately;
- (f) there shall be proper and adequate parking facilities;
- (g) the entire hospital, including all entrances and exits, shall be wide enough and barrier-free for easy movement for non-ambulant (wheelchair, stretcher), semi-ambulant, visually impaired, and elderly persons;
- (h) all the corridors of the hospital should have a minimum width of eight feet to ensure easy movement and turning of stretchers;
- (i) irrespective of the availability of staircases, escalators, or lifts, a ramp connecting all floors is mandatory.
- (j) the ramp also must be at least eight feet wide with properly curved turning points to facilitate the free movement of the stretcher;
- (k) there shall be disabled-friendly toilets for males and females separately;
- (l) all the doors of toilets and bathrooms are to be openable to the outside to rescue the patients in case of emergencies;
- (m) there shall be a centralised announcement system connected to the entire hospital for emergency announcements and alerts;
- (n) the entire hospital shall be connected telephonically, and each and every unit shall have an intercom facility;
- (o) the entire hospital shall have a proper fire safety and fire extinguishing system;
- (p) disaster prevention as well as disaster management measures should be in place;
- (q) drinking water (hot and cold) facilities; an adequate number of toilets for male and female (separately for patients, hospital staff, medical students, interns, doctors, and consultants) shall be made available at appropriate places in the hospital;
- (r) the entire hospital should have clear signage in at least two languages, including one in the local language, with appropriate pictorial displays;
- (s) trained security should be deployed at appropriate places for the hours required. The details about Patient's rights, responsibilities, and legal aspects of attacking medical professionals on duty shall be displayed in prominent places;
- (t) for the administrative purpose the hospital is divided into seven zones, and their minimum essential standards are as follows:

- (i) Reception and Registration Zone;
- (ii) Out-Patient Department Zone;
- (iii) Diagnostic Zone;
- (iv) In-Patient Department Zone;
- (v) Procedural Management Zone;
- (vi) Administrative Zone; and
- (vii) Services Zone.



(2) Reception and Registration Zone.- (a) Reception and Registration zone shall have the minimum constructed area for the reception and registration as per Schedule- I, i.e., one hundred square meters for sixty students intake capacity, one hundred fifty square meters for one hundred students intake capacity, two hundred square meters for one hundred fifty students intake capacity, and two hundred fifty square meters for two hundred students intake capacity of the students;

(b) reception and enquiry counter: (i) the reception and enquiry counter shall be available in a prominent place at the entrance of the hospital;

(ii) the receptionist must be preferably multi-lingual and well versed with all the services of the hospital, department or specialty-wise consultants and their days of Out-patient Departments, days and timings of availability of hospital services, etc;

(iii) the counter shall have a computer system with updated information on hospital services and a telephone connection with a call transfer facility;

(iv) this counter provides a space for the Public Relations Officer, if any; and

(v) a suggestion box, complaint box, or feedback box shall be provided in this area;

(c) Registration and Billing Counter: (i) there shall be an adequate number of registration counters with waiting areas for central Out-patient Department registration for new patients or clients, renewal of registration for old patients or clients, Central In-Patient Department registration and admission, and billing and payments;

(ii) there shall be a computerised central registration system that facilitates the National Commission for Indian System of Medicine monitoring of real-time data;

(iii) the National Commission for Indian System of Medicine recommends any hospital management system or hospital information management system, it is mandatory to shift to the recommended software;

(iv) the Hospital Management system or Ayush-Hospital Management Information System must be aligned with the National Ayush Morbidity and Standardized Terminologies Electronic Portal developed by Central Council for Research in Ayurvedic Sciences.

(d) Medical Record Room and Maintenance of Records: (i) all the medical records belonging to Out-patient Department and In-Patient Department patients shall be maintained in medical room by the hospital;

(ii) the hospitals that are not fully computerised shall maintain all medical records in physical form, and there shall be a medical record technician to maintain medical records;

(iii) in fully computerised hospitals, the maintenance of physical records is not required;

(iv) the hospital shall maintain department-wise case records of Out-Patient Department Patients, In-Patient Department patients, laboratory, radiological or sonographic investigation reports, medicine dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, Ilaj bit Tadabeer therapy section register, labour room register, operation theatre and minor operation theatre register, pharmacy stock register, medicine indent register, duty roaster of hospital staff, birth or death certificate, etc., so as to prove of genuine functional Unani hospital fulfilling the norm as specified in regulation clause (j) , sub-regulation (3) of regulation 14 and clause (q) , sub-regulation (5) of regulation 14;

(v) the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib, may access and analyse the hospital data from an epidemiological perspective.

(e) Entrance Lobby and Circulation Area: (i) an adequate circulation area for free movement of medical, paramedical, and supportive staff, patients, students, interns, visitors, etc.;

(ii) at the entrance lobby, adequate seating shall be provided. Provision for keeping wheelchairs and stretchers shall be provided.

(3) Out-Patient department zone.- (a) the out-patient department zone shall have the minimum constructed area as per Schedule-I i.e., four hundred forty square meters for sixty students intake capacity, six hundred fifty square meters for one hundred students intake capacity, eight hundred sixty square meters for one hundred fifty students intake capacity, and one thousand seventy square meters for two hundred students intake capacity of the students;

(b) the Out-Patient department Zone shall consist of Screening Out-patient Departments, Department wise Out-Patient Departments and their associated units, Specialty Out-Patient Departments, an online consultation facility, the office of the Out-patient Department zone in-charge, a drug store or pharmacy or dispensary, a patient waiting area, an area for breast feeding, a store, a drinking water facility, separate male and female toilets for patients and staff, etc., with minimum space as shown in Schedule-I;

(c) any senior faculty member from the Out-Patient Department side authorised by the head of the institution (Director or Dean or Principal) shall be in charge of the Out-Patient Department Zone;

(d) Out-Patient Department Consultation Room: each Out-patient Department consultation room shall have adequate space and seating arrangement for preliminary consultation by interns and consultation by consultants and shall be equipped with an examination table with footstep stool, medical instruments and equipment, furniture, etc., as specified in Schedule- XXIII;

(e) an Ideal Out-patient Department consultation room shall have adequate space and furniture, preferably two interconnected chambers, one for preliminary consultation by interns (history taking, recording vital data, and examination) and the other for consultation by consultants;

(f) the hospital shall have minimum eleven Out-Patient Departments as under, namely- Screening Out-patient Department, Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and cosmetology), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine), Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) and Isabat (Emergency or Casualty).

(i) Screening Out-patient Department: (A) All newly registered patients (except patients of emergency) shall be screened at the screening out-patient Department as per the institutional screening criteria and directed to the respective Out-patient Department for consultation;

(B) the screening system facilitates patient consultation with the appropriate department;

(C) screening shall be carried out by trained persons in the case of colleges under establishment and by interns in the case of fully established colleges;

(D) screening criteria shall be developed by each Unani institution in accordance with departmental Out-Patient Departments and the availability of specialty Out-Patient Departments and shall be implemented after proper orientation and training for the concerned;

(E) at the screening Out-Patient Department, the chief complaint, height, weight, Body Mass Index, blood pressure, temperature, Nabz (pulse), Mizaj (Temperament) and other basic parameters as required shall be recorded; For pulse reading, any reliable equipment or device is available that can be used;

(F) an adequate number of screening counters in accordance with the patient flow shall be made available (i.e. minimum two counters for sixty and one hundred students intake capacity, three for one hundred fifty students intake capacity and four for two hundred students intake capacity);

(G) for each counter, a computer linked with hospital management software and instruments and equipment as per Schedule-XXIII shall be provided;

(H) there shall be a token system for Out-Patient Department consultation, and patients or clients are to be directed to the respective Out-Patient Department by quoting the Out-patient Department number;

(I) the screening Out-patient Department shall provide opportunity for the first and second professional Bachelor of Unani Medicine and Surgery students for early clinical exposure; accordingly, adequate seating arrangements shall be provided;

(J) the clinical exposure and clinical training are different; the clinical exposure to the students for getting acquainted with the clinical atmosphere and to get trained in examinations of vital signs, body temperament etc; clinical training to the students is to train them in clinical diagnosis, correlation between diagnostic investigations and disease and treatment of the disease; and

(K) the Screening Out-Patient Department shall function independently under the administrative control of the resident medical officer, deputy medical superintendent, or designated Out-Patient department Zone In-Charge.

(ii) Moalajat (Medicine): Out-Patient Department shall function under the Department of Moalajat (Medicine) Patients with general complaints or conditions as per the institutional screening criteria consult this Out-Patient Department.

(iii) Ilaj bit Tadabeer (Regimenal therapy): (A) this Out-Patient Department shall function under the Department of Ilaj bit Tadabeer (Regimenal therapy);

(B) patients who exclusively require Ilaj bit Tadabeer (Regimenal therapy) Procedures like Hijama (Cupping), Fasd (Venesection), Irsale Alaq (Leech application), Dalk (Massage), Riyazat (Exercise) and other regimens will consult this Out-Patient Department;

- (C) other Out-Patient Departments and speciality Out-Patient Departments may refer the patients to this Out-Patient Department based on the need of such treatments;
- (D) in case of referral, the consultants of this Department shall work in coordination with the consultants who referred the case to this department; and
- (E) this Out-Patient Department shall be attached with therapy or minor procedure room with adequate facilities to provide Out-Patient Department based Hijama (Cupping), Fasd (Venesection), Irsale Alaq (Leech application), Dalk (Massage), Riyazat (Exercise) and other regimens.
- (iv) Jarahat (Surgery): (A) this Out-Patient Department shall function under the Department of Jarahat (Surgery);
- (B) patients with specific conditions related to Jarahat (Surgery) as per the institutional screening criteria are to be referred to this Out-Patient Department; and
- (C) this Out-Patient Department shall be attached with minor procedure room to carry out Out-Patient Department based minor surgical and para surgical procedures.
- (v) Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry): (A) This Out-Patient Department shall function under the Department of Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry);
- (B) patients with specific conditions related to Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) as per the institutional screening criteria are to be referred to this Out-Patient Department; and
- (C) this Out-Patient Department shall be attached with minor procedure room to carry out Out-Patient Department based minor Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) related surgical and para surgical procedures.
- (vi) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and cosmetology): (A) This Out-Patient Department shall function under the Department of Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and cosmetology);
- (B) patients with specific conditions related to Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and cosmetology) as per the institutional screening criteria are to be referred to this Out-Patient Department; and
- (C) this Out-Patient Department shall be attached with minor procedure room to carry out Out-Patient Department based minor procedures related to Amraze Jild wa Tazeeniyat and the instrument and equipment for the procedure room shall be as mentioned in Schedule-XVII (Dermatology and cosmetology).
- (vii) Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology): (A) this Out-Patient Department shall function under the Department of Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology);
- (B) ante-natal, natal, post-natal, and gynaecological problems as per institutional screening criteria consult this Out-Patient Department; and
- (C) this Out-Patient Department shall have attached examination cum minor procedure room and toilet facility.
- (viii) Ilmul Atfal (Paediatrics): (A) this Out-Patient Department shall function under the Department of Ilmul Atfal (Paediatrics);
- (B) paediatric patients (up to the age of eighteen years) with general complaints as per institutional screening criteria consult this Out-Patient Department; and
- (C) there shall be adequate facility for providing immune boosting medicines and immunisation.
- (ix) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine): (A) this Out-Patient Department shall function under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib and this Out-Patient Department caters the need of people in terms of preventive and promotive healthcare;
- (B) Unani based Tahaffuzi-Health Card through which Unani Dietetics, Preventive care, Lifestyle management and Mizaj based personalized or customised preventive measures including Yoga and Riyazat, Ghiza (Diet), occupational health counselling, vaccination etc. are to be prescribed and promoted;
- (C) this Out-Patient Department shall not entertain any patients for prescribing medicines and treatment procedures except the cases of Ilmul Samoom (Toxicology). However, patients belonging to any other

departments may get referred to this Out-Patient Department for preventive measures, and advice on lifestyle and diet regulations, exercise, yoga and riyazat etc.;

(D) this Out-Patient Department advice Unani preventive or promotive or prophylactic medicines and measures in case of seasonal or epidemic outbreaks;

(E) if necessary, the services of the consultants of this Out-Patient Department may be utilised in In-Patient Department to provide advice in the perspective of diet and lifestyle management, preventive and promotive healthcare measures;

(F) vaccination facilities to be provided by the department in coordination with the department of Ilmul Atfal; and

(G) this Out-Patient Department shall have cubicles for counselling purposes (minimum one, two, three and four cubicles for sixty, one hundred, one hundred fifty and two hundred students intake capacity respectively).

(x) Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine): (A) this Out-Patient Department shall function under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib;

(B) patients with poisonous conditions such as poisonous bites or stings, intoxication of unknown origin, toxic manifestations due to incompatible food, toxic symptoms or adverse effects due to drugs, etc., as per institutional screening criteria, consult this Out-Patient Department.

(xi) Isabat (Emergency or Casualty Unit): (A) this shall function under the Department of Moalajat (Medicine); services of the consultants from other departments of the hospital shall be utilised as per the need;

(B) the emergency or casualty unit shall function twenty-four hours and there shall not be any holiday for emergency or casualty unit;

(C) there shall be observation beds, and such beds shall not be counted as In-Patient beds. The observation beds shall be minimum two for sixty and one hundred students intake capacity, three for one hundred fifty students intake capacity, and four for two hundred students intake capacity);

(D) Resident Medical Officer, Resident Surgical Officer and Emergency Medical Officer shall be posted round the clock to attend emergency cases;

(E) the institution may appoint Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (M.B.B.S) qualified doctor if required to fulfil the state rules related to clinical practice;

(F) this unit shall be equipped with instruments and equipment as prescribed in Schedule-XXIII; and

(G) the service of medical specialists under modern medical staff (Schedule-IV) to be utilised.

(g) Each Unani Medical College or Institution may have Speciality Out-Patient Departments or Clinics: (i) any faculty member from the Departments viz. Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and cosmetology), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine), if interested and possess expertise or exposure may be provided a speciality Out-Patient Department in the name of the concerned disease or therapeutic procedure;

(ii) any Unani faculty member belonging to the departments of Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine), Tashreehul Badan (Anatomy), Manafeul Aza (Physiology), Ilmul Advia (Pharmacology), Ilmul Saidla (Unani Pharmacy), and Mahiyatul Amraz (Pathology), if interested in offering clinical services, may be provided speciality Out-Patient Department as per their expertise gained through special training or attending speciality hospitals etc. and such speciality Out-Patient Department shall be in the name of the concerned disease or therapeutic procedure;

(iii) these speciality Out-Patient Departments mentioned above (i) and (ii) shall function under any one of the following departments such as Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and cosmetology), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) in accordance to clinical relevance and the respective head of the Department will be the administrative head for that speciality Out-Patient Department and concerned department shall maintain all the records; and

(iv) specialty clinics or Out-Patient Departments are over and above the minimum requirement and hence will not be accounted for under minimum area required for the hospital.

- (h) Online Consultation Facility: (i) the institution shall provide an online consultation facility through teleconsultation platforms;
- (ii) this Out-Patient Department section shall be under the administrative control of the Out-Patient Department in charge; and
- (iii) the availability of specialist consultants, along with timings for teleconsultation, shall be displayed on teleconsultation platforms and institutional websites.
- (i) Each Unani Medical College or Institution shall have drug store or dispensary or pharmacy: (i) a designated faculty member of Ilmul Advia (Pharmacology) or Ilmul Saidla (Unani Pharmacy) department or exclusively appointed person (with Bachelor of Unani Medicine and Surgery qualification and five years of experience in Unani pharmacy or dispensary or drug store) shall be the in-charge of drug store or dispensary or pharmacy;
- (ii) there shall be hospital formulary duly approved by Drug Procurement or Purchase Committee;
- (iii) the Drug Procurement or Purchase Committee comprising of Heads of departments of Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and cosmetology), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) and in-charge of drug store or dispensary or pharmacy;
- (iv) the committee shall meet once every three months and refresh or update the formulary as required;
- (v) medicines shall be procured from Good Manufacturing Practice-certified pharmacies only; Medicines prepared for demonstration purposes or by students as part of a practical training in teaching pharmacy or practical laboratory shall not be dispensed to patients, as such medicines are not prepared under Good Manufacturing Practice and are not subjected to quality control standards;
- (vi) there shall be facilities for weighing, compounding, packing, and dispensing of medicines;
- (vii) qualified and trained pharmacists, as specified in these regulations, shall dispense the medicines;
- (viii) proper record of removal of expired medicines shall be maintained;
- (ix) an adequate seating arrangement for drug store in-charge, interns and students, shall be provided;
- (x) pharmacy shall provide the medical students exposure to medicine, medicine prescription, medicine dosage, badraqa or adjuvant, compounding, dispensing, shelf-life etc.;
- (xi) The drug store and dispensary shall be computerised.
- (j) Out-Patient Department Attendance: (i) the ratio of students with out-patient department attendance shall be 1:2, and the minimum per-day average number of patients in Out-Patient Department as per student intake capacity of the institute shall be as mentioned in Table-6;
- (ii) the Out-Patient Department patient attendance data for the last one calendar year shall be calculated based on the average number of Out-Patient Department patients for three hundred days.

**Table-6****Minimum Essential Requirement of Out-Patient Department Patients Attendance**

<b>Students Intake capacity per year</b>	<b>Minimum per day average number of patients in Out-patient Department during last one calendar year (three hundred days) (1:2 student-patient ratio)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Sixty	One hundred twenty
Hundred	Two hundred
One hundred and fifty	Three hundred
Two hundred	Four hundred

(4) Diagnostic Zone.- (a) Diagnostic zone shall have the minimum constructed area as per Schedule-I i.e., one hundred fifty square meters for sixty students intake capacity, one hundred seventy five square meters for one hundred students intake capacity, two hundred square meters for one hundred fifty students intake capacity, and two hundred twenty five square meters for two hundred students intake capacity of the students;

(b) the Diagnostic zone shall function under the department of Mahiyatul Amraz (Pathology);

- (c) the head of the department of Mahiyatul Amraz (Pathology) or faculty member of Mahiyatul Amraz authorised by the head of the institution (Director or Dean or Principal) shall be the administrative head of the diagnostic zone and authenticate investigatory reports by interpreting in terms of Unani principles;
- (d) the Diagnostic zone shall consist of a clinical laboratory, an imaging section, other diagnostics like Electrocardiogram, and instruments as mentioned in the Schedule-XXI and XXII;
- (e) the Diagnostic zone shall have a patient waiting area with adequate seating arrangements, an area for sample collection and processing, a counter for the issue of reports and payments, an office for the diagnostic zone in-charge, a store, and toilets for male and female patients separately;
- (f) there shall be a biomedical waste management system as per standards;
- (g) the clinical laboratory should be well equipped with separate sections for conducting haematology, biochemistry, microbiology, pathology, and immunology-related tests;
- (h) the imaging section shall comprise X-ray (preferably digital) and ultrasonography as shown in Schedule-XXII;
- (i) the radiology section shall be as per the standards laid down by under Atomic Energy Regulatory Board;
- (j) the imaging section shall have a dress changing room. Seating arrangements for radiology staff shall be made available;
- (k) there shall be a proper display of mandatory information like the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994) etc.;
- (l) a separate section for other diagnostics like Electrocardiogram, etc. shall be provided;
- (m) unani diagnostic equipment or devices for conducting pulse assessment or reading, Unani anthropometry by measuring wrist circumference, assessment of body constitution or temperament etc., also be used as per the need.

(5) In-Patient Department Zone.- (a) In-Patient Department zone shall have the minimum constructed area as per Schedule-I i.e., one thousand three hundred fifty square meters for sixty students intake capacity, two thousand one hundred fifty square meters for one hundred students intake capacity, two thousand nine hundred fifty square meters for one hundred fifty students intake capacity, and three thousand seven hundred fifty square meters for two hundred students intake capacity of the students and accommodate In-Patient Department wards, concerned procedure rooms, nursing station, clinical classroom etc. as mentioned in these regulations;

- (b) there shall be Department-wise wards having in-patient beds not less than the specified number of beds for respective departments as specified by in these regulations (Table-7);
- (c) there shall be a clear demarcation between male and female beds; separate toilets shall be provided for male and female patients and their attendants and hot water facilities for baths shall be provided;
- (d) hot and cold water for drinking purposes shall be made available in all In-Patient Department wards;
- (e) every twenty beds shall have a nursing counter or station, be provided with seating arrangements for nurses and interns, an intercom facility, a medicine storage facility, a medicine compounding facility, medicine trolleys, a wash basin, a record-keeping facility, etc.;
- (f) each ward shall have designated places for trolleys and a biomedical waste management facility;
- (g) accommodation for night duty staff, i.e., nursing staff, interns, and doctors or consultants, shall be provided;
- (h) an emergency nurse call-bell arrangement shall be provided at appropriate places in the general ward (male and female) and every bed in the special, semi-deluxe, deluxe wards, if any;
- (i) there shall be cloth washing and drying facility or laundry facility for In-Patient Department patients;
- (j) for administrative purposes, the departmental In-Patient department wards may be grouped or maintained as detailed below:
  - (i) Medical In-Patient Department Section: In-Patient Department wards of Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) and Ilmul Atfal (Paediatrics) are to be grouped and maintained under Medical In-Patient Department Section as shown in Table-7. The minimum area required for Medical In-Patient Department section shall be seven hundred fifty square meters (sixty students intake capacity), one thousand two hundred fifty square meters (one hundred students intake capacity), one thousand seven hundred fifty square meters (one hundred fifty students intake capacity) and two thousand two hundred fifty square meters (two hundred students intake capacity) as shown in Schedule-I.

(ii) Surgical In-Patient Department Section: In-Patient Department wards belonging to Department of Jarahat (Surgery), Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (ophthalmology, ear, nose, throat and dentistry), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) are to be grouped and maintained under Surgical In-Patient Department Section as shown in Table-7. The minimum area required for Surgical In-Patient section shall be six hundred square meters (sixty students intake capacity), nine hundred square meters (one hundred students intake capacity), one thousand two hundred square meters (one hundred fifty students intake capacity) and one thousand five hundred square meters (two hundred students intake capacity) as mentioned in Schedule-I.

(k) departmental In-Patient department wards with the minimum number of beds as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in these regulations are to be grouped and maintained under the Medical In-Patient Department section and the Surgical In-Patient Department section separately with the concerned ward procedure rooms.

(l) (i) each In-Patient department ward shall have an attached concerned ward procedure room to perform minor ward procedures and attached kitchen for medicine preparation i.e. four Department wise ward procedure rooms under Medical In-Patient Department section and three procedure rooms under Surgical In-Patient Department section; the major treatment procedures shall be performed in the procedural management zone; and

(ii) each procedure room shall be well-equipped with instruments, equipments, devices, consumables, and medicines to provide in-ward procedures as per the need of concerned department along with basic tools and equipment for clinical examination;

(m) all In-Patient Department beds of that particular clinical department with the concerned procedure room need to be in one place so that the ward procedures can be administered to the patients in a convenient and efficient manner;

(n) in case the hospital is maintaining different categories of beds, such as general ward (male and female), special ward, semi-deluxe, deluxe, etc., to accommodate different categories of patients or subjects, all such categories of beds are to be grouped and kept at one place with concerned In-Patient Department ward procedure rooms under Medical In-Patient section and Surgical In-Patient section separately;

(o) such grouping of wards under Medical In-Patient section and Surgical In-Patient section, minimises the duplication of equipment and human resources and facilitates the departments' ability to offer specialty-wise services to patients conveniently, efficiently, effectively, and economically;

(p) department wise distribution of In-Patient department beds.- The in-patient department of the hospital shall have the distribution of beds as shown in the Table-7.

**Table-7**

**Minimum Essential Requirement of In-Patient Department Beds (Department wise)**

Department (1)	Distribution (2)	Students intake capacity and number of In-Patient Department beds (3)				
		60	100	150	200	
<b>Medical In-Patient Section</b>						
Moalajat	20%	55 %	33	55	82	110
Ilaj bit Tadabeer	20%					
Amraze Jild wa Tazeeniyat	10%					
Ilmul Atfal	05%					
<b>Surgical In-Patient section</b>						
Jarahat	20%	45%	27	45	68	90
Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan	05%					
Qabalat wa Niswan	20%					
Total number of beds			60	100	150	200
<b>Note:</b> Ilmul Samoom patients are to be admitted in Moalajat In-patient department only						

(q) the ratio of students with number of beds, and In-Patient Department bed occupancy shall be 1:1, and forty per cent. respectively, as given in Table-8 and the distance between two beds in general ward shall not be less than one and a half meter;

**Table-8**  
**Minimum Essential Requirement of Beds and Bed occupancy**

Students Intake capacity per year  (1)	Minimum number of beds in In-Patient Department on 1:1 student-bed ratio  (2)	Minimum per day average number of patients in In-Patient Department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)  (3)
Sixty	sixty beds	24
Hundred	One hundred beds	40
One hundred and fifty	One hundred fifty beds	60
Two hundred	Two hundred beds	80

(r) to calculate the number of beds occupied, the college shall maintain the date and time of admission and discharge of each patient;

(s) the bed occupied by a patient at mid-night, shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before mid-night that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable-

Number of bed days occupied x 100

-----

Number of beds x Number of days

(t) In-Patient Department (IPD) Wards.-

(i) Moalajat (Medicine) In-Patient Department Ward: (A) It shall be under the Department of Moalajat (Medicine);

(B) the consultants of Moalajat and related speciality Out-Patient Departments or Clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;

(C) the head of the Department of Moalajat (Medicine) shall be the administrative head of the Moalajat In-Patient Department ward and Intensive Care Unit section;

(D) the patients of emergency or casualty out-patient Department, if necessary, may be admitted in Moalajat (Medicine) In-Patient ward by the Isabat (Emergency or Casualty) unit for further observation and treatment. Consultants from relevant Department will attend and care the patient as per the nature of clinical condition;

(E) Moalajat (Medicine) In-Patient Department ward shall have a separate Intensive Care Unit section, air-conditioned and provided with two to four beds as per their requirement for admitting such cases, with oxygen or vacuum or compressed air outlets at each Intensive Care Unit bed and sufficient electric points;

(F) intensive care unit section in Moalajat (Medicine) In-Patient Department shall have similar facilities of casualty as specified in the Schedule- XXIII.

(ii) Ilaj bit Tadabeer In-Patient Department Ward: (A) It shall be under the Department of Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy);

(B) the consultants of Ilaj bit Tadabeer and the related speciality Out-Patient Departments or clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;

(C) the head of the department of Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) shall be the administrative head of the Ilaj bit Tadabeer In-Patient ward (Regimenal Therapy);



- (iii) Jarahat (Surgery) In-Patient Department Ward: (A) it shall be under the Department of Jarahat (Surgery);
- (B) the consultants of Jarahat (Surgery) and the related speciality Out-Patient Departments or clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;
- (C) the head of the department of Jarahat (Surgery) shall be the administrative head of the Jarahat In-Patient ward.
- (iv) Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan IP Department Ward: (A) it shall be under the Department of Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry).
- (B) the consultants of Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) and the related speciality Out-Patient Departments or clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;
- (C) the head of the department of Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan shall be the administrative head of the Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan In-Patient ward.
- (v) Amraze Jild wa Tazeeniyat In-Patient Ward: (A) it shall be under the department of Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology);
- (B) the consultants of Amraze Jild wa Tazeeniyat and the related speciality Out-Patient Departments or clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;
- (C) the head of the department of Amraze Jild wa Tazeeniyat shall be the administrative head of the Amraze Jild wa Tazeeniyat In-Patient ward.
- (vi) Qabalat wa Niswan In-Patient Department Ward: (A) it shall be under the Department of Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology);
- (B) the consultants of Qabalat wa Niswan and the related speciality Out-patient Departments or clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;
- (C) the head of the department of Qabalat wa Niswan shall be the administrative head of the Qabalat wa Niswan In-Patient ward;
- (D) new-born babies are to be taken care of by Ilmul Atfal (Paediatrics) consultants.
- (vii) Ilmul Atfal In-Patient Department Ward: (A) it shall be under the Department of Ilmul Atfal (Paediatrics);
- (B) the consultants of Ilmul Atfal and the related speciality Out-Patient Departments or clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;
- (C) the head of the department of Ilmul Atfal shall be the administrative head of the Ilmul Atfal In-Patient ward.
- (viii) (A) the consultants of Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) Out-Patient Department under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) and its related speciality Out-Patient Departments or clinics if any, are authorised to admit cases of Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) in Moalajat (Medicine) In-patient department ward;
- (B) in-patient department ward, however the bed occupancy shall be calculated under Moalajat In-Patient Department only, hence no separate beds are allocated;
- (C) the consultants of Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) Out-Patient Department shall admit the patients in Moalajat (Medicine) In-patient department ward under intimation to the head of the Department of Moalajat (Medicine), however the responsibility of the patients is vested with the consultants of Ilmul Samoom (Clinical Toxicology); and
- (D) further, it is added that the consultants of Tahaffuzi wa Samaji Tib Out-Patient Department and related speciality Out-Patient Departments or Clinics if any, under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib are authorised to admit the normal individuals for seasonal cleansing therapies or preventive or promotive therapies, rejuvenation therapies in Ilaj bit Tadabeer In-Patient Department ward, and they are not authorised to admit any kind of patients in In-Patient Department.
- (u) Clinical classrooms: (i) There shall be minimum four clinical classrooms (minimum two clinical classrooms for Medical In-Patient section and two for Surgical In-Patient section) with Information and Communications Technology enabled (interactive panel or smart board or multimedia projectors or Liquid Crystal Display projectors or other advance audio-visual systems, desktop or laptop and internet connection etc.);

- (ii) clinical classrooms shall have the capacity to accommodate a clinical batch size or minimum thirty students for the conduct of clinical classes or bedside clinics;
- (iii) each clinical classroom should have examination table, an X-ray view box, and common diagnostic tools (stethoscope, Blood Pressure apparatus, thermometer, torch light, tongue depressor, measuring tape, skin marking pencil, knee hammer etc.);
- (iv) the clinical classrooms attached to Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) and Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) under Surgical In-Patient Section shall have interactive Closed-Circuit Television connected to operation theatre for live demonstration of surgical and parasurgical procedures.

(6) Procedural Management Zone.- The Procedural Management Zone shall be comprising of Ilaj bit Tadabeer Procedural Management Section, Masrah Amaliya (Operation Theatre), Ghurfatul wilada (Labour room) and other therapy sections.

(a) Ilaj bit Tadabeer Therapy or Procedure Section: (i) there shall be different procedure or therapy sections under this major section for different procedures or therapies;

(ii) the minimum requirement of area for this block shall be two hundred square meters for sixty students intake capacity, three hundred square meters for one hundred students intake capacity, four hundred square meters for one hundred fifty students intake capacity and five hundred square meters for two hundred students intake capacity as per the Schedule-I. There should be separate allocated chamber for common modes of Ilaj bit Tadabeer like Hijama (Cupping), Fasd (Bloodletting) and Irsale Alaq (Leech application), Dalk (Massage) and Takmeed Bukhari (Steam Fomentation), Hammam (Steam bath), Nutool (Irrigation), Nushooq, Suoot, Shumoom, and Bukhoor, Huqna (Enema), Abzan (Sitz bath) and Qai (Emesis), or other important procedures as per requirement and the instruments, equipment and other facility shall be as per the Schedule-XVIII and the manpower shall be as per the Schedule- IV;

(iii) this section shall provide the treatment or procedural management such as Hijama (Cupping), Fasd (Venesection), Irsale Alaq (Leech application), Dalk (Massage), Hammam (Steam bath), Nutool (Irrigation), Huqna (Enema), Abzan (Sitz bath), Qai (Emesis) etc.;

(iv) this section shall comprise of reception, patients waiting room with adequate seating arrangement, consultation room, preparation room, therapy or procedure room separately for males and females, storeroom, record room, toilets separately for male and female, drinking water facility (hot and cold) and provision for waste management;

(v) this section is common facility for both Out-Patient Departments and In-Patient Department patients;

(vi) this unit or section shall be under the department of Ilaj bit Tadabeer and under the administrative control of the head of the department of Ilaj bit Tadabeer or designated faculty of the department or exclusively appointed specialist with post-graduation in the concerned subject;

(vii) the reception counter preferably be computerised with hospital management system or hospital information management system and shall keep the schedule of therapies of the day, and details of consultant, nurses and therapists on duty;

(viii) the consultation room in this section shall be provided with adequate seating for consultant and interns, equipped with examination table, diagnostic instruments such as stethoscope, Blood Pressure apparatus, thermometer, weighing machine, knee hammer, torch light etc., Every patient or client or subject must undergo consultation to ensure fitness before and after undergoing external therapy procedures;

(ix) Ilaj bit Tadabeer procedural management section shall have medicine preparation room with proper exhaust facility and electric chimney and storage facilities including refrigerator etc. there shall be arrangements for the supply of fresh drugs;

(x) there shall be a specified area for clean and dirty utility, washing area with hot water facility, for cleaning used items, and a designated area and mechanism for biomedical management;

(xi) all the procedure or therapy sections shall provide adequate space and privacy for dress change and attached toilets wherever necessary according to the treatment procedure;

(xii) the therapists shall have been trained properly and shall undergo periodical health check-up to rule out any contagious diseases to avoid cross infection; There shall be room for therapists, male and female separately with adequate seating arrangement, personal lockers and attached baths and toilets;

(xiii) store to be maintained in this section for the storage of equipment, medicines, consumables etc;

- (xiv) an emergency kit shall also be made available at prominent place and drugs are to be periodically replaced to avoid expiry of medicines as specified under Schedule-XVIII; and
- (xv) Ilaj bit Tadabeer procedural management section shall contain therapist rooms separately for male and female with attached toilet and bathroom.
- (b) Masrah Amaliya (Operation Theatre and Minor Operation Theatre) (i) masrah amaliya (Operation Theatre) section shall come under the Department of Jarahat (Surgery) and
- (ii) this section provides general surgical, Unani Surgical and para-surgical procedural treatment facilities for Jarahat (Surgery) and Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry);
- (iii) the head of the Department of Jarahat (Surgery) or the designated faculty of the department shall be the administrative head of this section;
- (iv) the minimum total constructed area shall be one hundred seventy-five square meters for sixty students intake capacity, two hundred twenty-five square meters for one hundred students intake capacity, two hundred seventy-five square meters for one hundred fifty students intake capacity and three hundred twenty-five square meters for two hundred students intake capacity as per the Schedule-I and instruments, equipment and other facility as per the Schedule-XVI;
- (v) this Section shall have reception, waiting room for patients, preparation room, operation theatre with all instruments or equipment, aseptic measures, post-operative recovery room, scrub room, an instrument room, a surgeon and anaesthetist room, a nurse's room, an assistant's room etc.;
- (vi) there shall be a sterilisation and autoclave facilities; and
- (vii) there shall be an adequately equipped Minor Operation Theatre (Jarahat Procedure Room) attached to the operation theatre for providing Unani surgical and para-surgical treatments as specified in Schedule-XVI for Jarahat and XVII for Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry).
- (c) Ghurfatul Wilada (Labour room and Maternity Operation Theatre).- (i) the labour room and Maternity Operation Theatre shall come under the Department of Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) and shall have the minimum space i.e. one hundred fifty square meters for sixty and one hundred students intake capacity, two hundred square meters for one hundred fifty and two hundred students intake capacity as specified in Schedule-I and instruments or equipment and facility as per Schedule-XV;
- (ii) there shall be a reception, patient waiting room, patient preparation room, labour room, maternity operation theatre, post-partum recovery room, neonatal care room, procedure room, instrument room, sterilisation facility, storeroom, toilets, drinking water facility and bathroom; and
- (iii) the head of the department of Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) shall be the administrative head of this section and the designated faculty of the department shall be the in-charge of the Ghurfatul Wilada (Labour room and Maternity Operation Theatre) and Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) Procedural room.
- (d) Physiotherapy Unit.- (i) this unit shall function under the Department of Ilaj bit Tadabeer;
- (ii) the head of the Department of Ilaj bit Tadabeer shall be the administrative head of this unit and Physiotherapist shall be in-charge of this unit;
- (iii) there shall be adequate space i.e. seventy-five square meter for sixty students intake capacity, one hundred square meters for one hundred students intake capacity, one hundred twenty-five square meters for one hundred fifty students intake capacity and one hundred fifty square meters for two hundred students intake capacity as per the Schedule-I and equipment or instrument for administering physiotherapies as per the Schedule-XVIII; and
- (iv) this section shall have waiting area, physiotherapy room, in-charge room, toilets, drinking water facility etc.;
- (e) yoga and riyazat Section.- (i) yoga teacher or instructor shall be the in-charge of this section or unit and the head of the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) or the designated faculty of the department shall be the administrative head of this section or unit;
- (ii) this section shall function under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine);
- (iii) yoga and riyazat therapy section shall have the space as prescribed in the Schedule-I i.e. fifty square meters for sixty and one hundred students intake capacity, seventy-five squares for one hundred fifty

students intake capacity and one hundred square meters for two hundred students intake capacity and the instruments or equipment or facility as specified in the Schedule-XX;

(iv) this section shall have waiting area, yoga and riyazat therapy room, in-charge room, toilets, drinking water facility etc.;

(v) this section shall offer yoga and riyazat demonstration and training to patients and healthy individuals;

(vi) the consultants of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) or any other Out-patient or In-patient department prescribe Yoga and Riyazat Therapy and the yoga teacher or instructor will demonstrate yoga therapy as per the prescription of the consultants

(7) Administrative Zone.- (a) the administrative zone shall have the space as specified in the Schedule-I i.e. Four hundred square meters for sixty students intake capacity, Four hundred fifty square meters for one hundred students intake capacity, five hundred square meters for one hundred fifty students intake capacity, five hundred fifty square meters for two hundred students intake capacity and shall accommodate office of Medical Director, Medical Superintendent, Personal Assistant to the Medical Superintendent, Deputy Medical Superintendent, Resident Medical Officers, Resident Surgical Officer, Emergency Medical Officer, Matron, Assistant Matron, Office Superintendent, Accountant and other office staff, biometric attendance system, doctor's lounge, intern's room, staff room, waiting lounge, meeting hall, store, toilet, pantry etc;

(b) a doctor's lounge with adequate seating arrangements, attached toilets along with recreational facilities such as television, newspapers, magazines and refreshment facilities like coffee vending machines, etc. shall be provided with toilets;

(c) adequate privacy for female consultants in doctor's lounge shall be available;

(d) interns room with adequate storage of personal belongings, furniture, recreational facilities such as television, newspapers, magazines etc. shall be provided with attached toilets;

(e) a Staff room shall be provided for the hospital staff with adequate seating facilities and individual lockers or pigeon almirah compartments; the room shall be attached with toilets;

(f) a meeting hall with well-equipped audio-visual facilities, online and offline conferencing systems, to accommodate at least thirty members to participate in meetings shall be made available for the conduction of hospital related meetings and routine clinical meetings of hospital consultants;

(g) a store with adequate storage facilities for maintaining hospital-related items shall be made available and the store must have been computerised;

(h) the hospital shall have established biometric attendance system as specified by the National Commission for Indian System of Medicine;

(i) all hospital staff and interns should mark their daily attendance in the specified biometric attendance system.

(8) Service Zone.- (a) the service zone shall contain adequate space as specified in the Schedule-I i.e. a minimum of fifty square meters for sixty students intake capacity, seventy five square meters for one hundred students intake capacity, one hundred square meters for one hundred fifty students intake capacity and one hundred twenty five square meters for two hundred students intake capacity;

(b) Ghiza Makhsoosa (Specific diet) including Instant Medicine Preparation Section: (i) the Head of the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine) or designated faculty member of Tahaffuzi wa Samaji Tib department, as in-charge of Ghiza Makhsoosa (Specific diet) section;

(ii) there shall be trained cooks and multi-tasking workers;

(iii) the section shall contain adequate space and necessary arrangement for washing, cleaning, cooking, packing, supplying etc;

(iv) indent for Ghiza Makhsoosa (Specific diet) including instant medicines like Mā' al-Sha'īr, Mā' al-'Asl, Joshānda, Khīsānda etc. raised by respective wards on suggestion or prescription by respective consultants shall be prepared and supplied by Ghiza Makhsoosa (Specific diet) section;

(v) there shall be arrangements for supply of raw materials and fresh herbs for the preparation of Mā' al-Sha'īr, Mā' al-'Asl, Joshānda, Khīsānda etc.;

(vi) cooks and other working staff shall undergo periodical health check-up.

(c) Mortuary: the hospital may have a mortuary with cold storage or may have Memorandum of Understanding with the medical establishments having mortuary facility, and the staff for mortuary may be outsourced;

- (d) Ambulance: the hospital may have their own ambulance service for twenty-four hours a day or may have Memorandum of Understanding with authorised ambulance services;
- (e) Biomedical Waste Management: (i) the hospital shall have an adequate system of biomedical waste management, as per the Biomedical Waste Management Rules, 2016;
- (ii) the institution can have its own biomedical waste disposal system or may have a memorandum of understanding with the authorised biomedical waste management agencies.
- (f) Laundry: The hospital shall have laundry with facilities for washing, drying, and pressing; storage of soiled and cleaned linens;
- (g) Housekeeping: housekeeping services for college, hospital and other units shall be provided with adequate housekeeping staff. The housekeeping staff may be on a contract basis or outsourced through registered outsourcing agencies.
- (h) Centralised Sterilisation Services: (i) there shall be an independent centralised sterilisation unit capable of taking the total working load of operation theatres, Ilaj Bit Tadabeer, Out-Patient Department minor procedure rooms, In-Patient Department ward procedure rooms, casualty room, labour room, laboratories, etc.;
- (ii) it shall have adequate equipment with separate ends for loading and unloading, sterile racks, packaging machine, instruments cleaning machine, steriliser, autoclave, pass box and tray etc. as required.
- (i) Security services: (i) security services for the campus, college, hospital, and other units of the institution shall be provided with trained security personnel in adequate numbers;
- (ii) security services may be outsourced through registered security agencies.
- (j) Maintenance Cell: (i) if the college and hospital are on the same campus, then a common maintenance cell as mentioned in sub-regulation (8) of regulation 7 shall be adequate; if not on the same campus, then a separate maintenance cell is required for the hospital;
- (ii) the maintenance cell shall take care of maintenance works related to civil, electrical, plumbing, carpentry, mechanical, sanitary, water supply, waste management, drainage, air conditioning, refrigeration equipment, etc.; and
- (iii) there shall be adequate space, equipment for maintenance, and suitable manpower, either appointed or outsourced.
- (k) Medical Gases: (i) for medical gases fixed cylinders for pipe gas supply as well as portable cylinders shall be appropriately placed;
- (ii) all gas pipelines shall be periodically maintained with proper record; there shall be a proper refilling and replacement system to ensure safety and uninterrupted supply.
- (l) Photography and Videography Section: (i) photography and audio-visual recording facilities to document clinical presentations and clinical success stories shall be made available for academic and research purposes;
- (ii) this section shall be equipped with a green backdrop, a suitable lighting system, a camera, a video camera, an audio recording system, and an audio-video editing facility; and
- (iii) the staff for this section may be outsourced.
- (9) Human Resources for the Hospital.- (a) the minimum essential requirement of hospital staff shall be sixty five, seventy eight, one hundred seven and one hundred twenty seven for the students intake capacity of sixty, one hundred, one hundred fifty and two hundred respectively as per the Schedule-IV and the qualifications for the hospital staff as under,-
- (b) the attached teaching hospital of the college or institution shall be under the academic, administrative, and disciplinary control of the Dean or Principal or Director as a Medical Director;
- (c) (i) the medical Superintendent shall be a postgraduate with qualifications not less than those of a professor in anyone of the following subject viz. Moalajat, Ilaj bit Tadabeer, Amraze Jild wa Tazeeniyat, Ilmul Atfal, Qabalat wa Niswan, Jarahat, Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan, Tahaffuzi wa Samaji Tib recognised by the National Commission for Indian System of Medicine or the erstwhile Central Council for Indian Medicine with minimum three years of administrative experience as Head of the Department (or)
- A postgraduate in anyone of the following subjects viz. Moalajat(Medicine), Ilaj bit Tadabeer(Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Ilmul Atfal (Padiatrics), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Jarahat, Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan(Ophthalmology, Ear, Nose,Throat and Dentistry), Tahaffuzi wa Samaji Tib(Preventive and Social Medicine) recognised by the

National Commission for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council of Indian Medicine with ten years of experience as Deputy Medical Superintendent in Unani hospital (or)

A Bachelor of Unani Medicine and Surgery graduate with a Master degree or Master of Business Administration in Hospital Administration or Hospital Management or Hospital and Healthcare Management with ten years of experience as Deputy Medical Superintendent in Unani hospitals (or) as Hospital Administrator or Human Resource Manager in National Accreditation Board for Hospitals accredited Multi-speciality Hospital;

(ii) the Medical Superintendent shall be a full-time regular incumbent and shall not be a teaching staff of any Department concurrently;

(iii) a medical superintendent with postgraduation degree in Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Jarahat, Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) or Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) appointed or deputed from health services shall report and discharge duties under the Medical Director.

(d)(i) Deputy Medical Superintendent shall be a Post-graduate in any of the following subjects viz. Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Jarahat (Surgery), Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) recognised by the National Commission for Indian system of Medicine or the erstwhile Central Council for Indian system of Medicine; or

Bachelor of Unani Medicine and Surgery with Master degree or Master of Business Administration in Hospital Administration or Hospital Management or Hospital and Healthcare Management with ten years of clinical or professional experience shall be appointed as Deputy Medical Superintendent;

(ii) The Deputy Medical Superintendent shall be a full-time regular incumbent and shall not be concurrently on the teaching staff of any Department, i.e., other than a teaching staff.

(iii) A deputy medical superintendent with postgraduation degree in Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Jarahat (Surgery), Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine), appointed or deputed from health services shall report to the Medical Superintendent.

(e) a candidate with Master of Business Administration in Human Resource Management or Operations Management or Health Care Management shall be appointed as administrator for the general administration of the hospital, and the administrator shall discharge duties under the Medical Superintendent;

(f) an Unani graduate (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) with five years of clinical or professional experience shall be appointed as Resident Medical Officer or Resident Surgical Officer or Emergency Medical Officer;

(g) physiotherapist shall have the qualification of bachelor degree in Physiotherapy;

(h) matron shall have Bachelor of Science in Nursing with ten years of experience or General Nursing and Midwifery with twelve years of experience, registered with the Nursing Council, or nursing in Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) or Indian System of Medicine or Unani of duration not less than three years awarded by a recognised university or institution with ten years of experience in Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) or Indian System of Medicine or Unani Hospital;

(i) assistant matron shall have Bachelor of Science in Nursing with five years of experience or General Nursing and Midwifery with seven years of experience, registered with the nursing council, or nursing in Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) or Indian System of Medicine or Unani Nursing of duration not less than three years awarded by a recognised university or institution with five years of experience in Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) or Indian System of Medicine or Unani hospital;

(j) a candidate with bachelor of Science in Nursing or General Nursing and Midwifery registered with the Nursing Council or nursing in Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) or Indian System of Medicine or Unani nursing of a duration of three years awarded by a recognised university or institution shall be appointed as nursing staff;

- (k) a candidate with a diploma or degree in Medical Laboratory Technician shall be appointed as Lab Technician;
- (l) pharmacist: Diploma or Certificate in Unani Pharmacy from recognised institution. In case of non-availability of candidates with Diploma or Certificate in Unani Pharmacy, candidates with 12<sup>th</sup> standard having minimum five-year experience in Unani pharmacy under qualified registered Unani Medical Practitioner may be considered;
- (m) modern medical staff with a Postgraduate degree or specialists in the concerned speciality or subject shall be engaged on a full-time or part-time or contract basis to extend their services in the concerned area or section or unit of the hospital as mentioned in Schedule-IV;
- (n) X-Ray Technician: with minimum Diploma in X-Ray technician course from any recognised Institution;
- (o) therapist: Minimum 10<sup>th</sup> standard with 2 years experience in Ilaj bit Tadabeer procedures. Preference shall be given to candidates with diploma or certificate course in Ilaj bit Tadabeer;
- (p) operation theatre Technician- Bachelor or Diploma course in Operation theatre technician;
- (q) operation theatre Assistant- One-year certificate course in operation theatre technician.
- (r) the qualification of hospital staff other than those on the above list shall be as per the Schedule-IV.

## CHAPTER-II

### TIMELINES TO FULFILL THE ADDITIONAL MINIMUM ESSENTIAL STANDARD REQUIREMENTS SPECIFIED IN THIS REGULATION BY UNANI MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTES ESTABLISHED BEFORE COMMENCEMENT OF THESE REGULATIONS

15.(1) The Unani Medical Colleges or institutions established before the commencement of this regulation shall fulfil the additional minimum essential standards as mentioned in these regulations with required staff in a phase-wise manner within the specific timeline, except building infrastructure; all such additional standards can be accommodated in the existing building itself.

(2) The timeline mentioned in Table-9 to fulfil additional standards or requirements is the maximum, and no relaxation shall be given thereafter.

(3) The new construction to accommodate such additional units or sections or facilities or standards as per the minimum build-up area specified in these regulations shall be mandatory when the institution is applying for an increase in the number of seats in an existing course or starts any postgraduate or new courses recognised by the commission.

Table-9

Timelines to Comply the Additional Minimum Essential Standards by Unani Medical Colleges or Institutes Established Before the Commencement of these Regulations.

Serial No.	Standard or Unit or Section or Facility	Timeline for Fulfilling Minimum Standard Requirements (From the date of official Notification of this Regulation)
(1)	(2)	(3)
<b>Campus in General</b>		
1	Central Workshop or Maintenance cell	18 months
2	Closed-Circuit Television	06 months
<b>College</b>		
3	Information Technology Cell and Information Technology Infrastructure	06 months
4	Digital Library	18 months
5	Clinical Skill or Simulation Lab	24 months
6	Human Resource Development Cell	18 months
7	Research and Innovation Cell	18 months

8	College Council Room	18 months
9	Students Council Room	18 months
10	Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell	18 months
11	Pharmacovigilance Cell room	18 months
12	Kulliyat Umoore Tabiya Practical Lab cum Tutorial Room and Language laboratory	18 months
13	Nutrition Laboratory, Tahaffuzi wa Samaji Tib Practical Lab and Museum cum Tutorial Room and Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) Practical Lab and Museum cum Tutorial Room	18 months
14	Equipment and Instruments for Quality Testing Laboratory	18 months
<b>Hospital</b>		
15	Screening Outpatient Department	Immediate
16	Medical Record Room	18 months
17	Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) Out-Patient Department	Immediate
18	Minor Procedure Room (Ilaj bit Tadabeer Out-Patient Department)	06 Months
19	Minor Procedure Room (Jarajat Outpatient Department)	06 Months
20	Minor Procedure Room (Qabalat wa Amraze Niswan Out-Patient Department)	06 Months
21	Minor Procedure Room (Amraze Jild wa Tazeeniyat Out-Patient Department)	06 Months
22	Minor Procedure Room (Ain, Uzn , Anaf, Halaq wa Asnan Outpatient Department)	06 Months
23	Clinical Classrooms	24 months
24	In-Patient Department ward attached procedural rooms under Medical In-Patient Department section and Surgical In-Patient Department section	24 months
25	Ilaj bit Tadabeer Procedure Section, Physiotherapy Unit (Equipment and Instruments)	24 months
26	Yoga and Riyazat Therapy Section	24 months
27	Ghiza Makhsoosa (Specific Diet) Centre	18 months
28	Maternity Operation Theatre	24 months
29	Minor Operation Theatre for Unani surgical and parasurgical procedures	24 months
30	Doctors Lounge	24 months
31	Interns Room	24 months
32	Hospital Staff Room	24 months
33	Hospital Meeting Hall in Administrative Zone	24 months



## CHAPTER-III

## INSPECTION OR VISITATION OR ASSESSMENT OF FULLY ESTABLISHED EXISTING UNANI MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS

**16. Inspection or Visitation or Assessment.-** After commencement of this regulation, the fully established existing Unani medical institution under Section 28 of the Act shall be categorised under the following two categories: i.e., college or institution under 'Extended Permission' category and college or institution under 'Yearly Permission' for inspection or visitation or assessment, permission and admission purposes.

(1) (a) a fully established college or institution under Section 28 that have been permitted by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine consecutively for the previous three years before the commencement of these regulations shall be considered as the college or institution under the extended permission category by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(b) the provision of extended permission shall not be applicable under the following conditions:

(i) if the college or institution acted upon by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine within the provisions as mentioned in clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020;

(ii) if any pending legal issues or disciplinary actions against the college or institution;

(iii) if the college or institution violated the provisions of regulations on admission of students as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022 as well as counselling and admission guidelines issued by the National Commission for Indian System of Medicine;

(iv) if the college or institution that have applied to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to increase number of seats or students intake capacity in undergraduate programme or course; and

(v) if the institution that have not deposited the annual inspection fee including digitisation fee for the year of extended permission in the bank account of the National Commission for Indian System of Medicine through the procedure specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(c) medical institutions under the category of extended permission are entitled to participate in counselling process to admit students every year as per the sanctioned intake capacity without seeking or obtaining permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine unless otherwise denied or specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as a result of annual inspection or visitation or assessment.

(2) (a) fully established medical institution under Section 28 that are not fulfilling the criteria as specified in clause (a), sub-regulation (1) of regulation 16 shall be categorised under the "Yearly Permission" category by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(b) the medical institution under the "yearly permission category shall participate in counselling process to admit students every year, only after obtaining permission for admission from Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(3)(a) suo-moto inspection or visitation or assessment carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine every year shall be for continuation of extended permission or granting of yearly permission for admitting students or for taking such measures under the provisions mentioned in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act;

(b) all the medical institution, irrespective of category either extended permission or yearly permission, shall keep uploading (self-disclosure) data (real time or periodical) or information or documents on National Commission for Indian System of Medicine online portal in the format and timeline specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(c) all the medical institution, irrespective of category (extended permission or yearly permission), shall deposit the annual inspection or visitation fee (visitation fee plus digitization fee) as given below within the time period and mode specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(i) Visitation fee: two lakh rupees for sixty students intake capacity; three lakh rupees for one hundred students intake capacity; four lakh rupees for one hundred fifty students intake capacity and five lakh rupees for two hundred students intake capacity;

- (ii) Digitisation fee: fifty thousand rupees
- (iii) Annual visitation fee in total shall be (visitation fee plus digitization fee): two lakh fifty thousand rupees, three lakh fifty thousand rupees, four lakh fifty thousand rupees and five lakh fifty thousand rupees for sixty, one hundred, one hundred fifty and two hundred students intake capacity respectively along with applicable taxes;
- (d) the medical institution categorised under 'Extended Permission' category by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall submit an affidavit (as per the format and period of submission specified by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time) stating full compliance with the all minimum essential standards mentioned in these regulations;
- (e) Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct inspection or visitation or assessment (in the manner and mode as specified in the manual developed by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time as required) every year at any time during the academic year to assess the fulfilment of minimum essential standards requirements mentioned in these regulations by the college or institution;
- (f) the period of assessment shall be twelve months preceding the month of visitation or inspection or assessment;
- (g) *Explanation:* If an institution is being assessed or inspected or visited in the month of August 2024, then the period of assessment shall be from August 1<sup>st</sup>, 2023, to July 31<sup>st</sup>, 2024;
- (h) after assessment, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall communicate the decision of the assessment or inspection or visitation to the institution under "Yearly Permission Category," ordinarily sixty days before the date of commencement of central counselling process by All-India AYUSH Central Counseling Committee for admission every year;
- (i) if a college under extended permission category, did not receive any communication ordinarily sixty days before the central counselling by All-India AYUSH Central Counselling Committee for admission every year, then it is presumed that the college holds its status of extended permission and shall be allowed to participate in counseling and admission process as per the provision of the relevant regulations;
- (j) during the process of assessment or visitation or inspection, any, deficiency is found either in the documents, in the data, or in the fulfilment of minimum essential standards or in the functionality of the institution or college under Extended Permission category, and based on this, if the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine initiates any action due to non-fulfilment of minimum essential standards as per clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020, in such case, the extended permission status shall be withdrawn for such institutes, and shall be categorised under 'yearly permission' category and all rules and regulations related to the yearly permission category shall be applicable; such institutes may again attain 'Extended Permission' status only after fulfilling the conditions specified in clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 16 in these regulations;
- (k) Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall have the power to re-visit the institutions for assessment or inspection or visitation at any time and any number of times in the year;
- (l) the colleges seeking permission to not admit students or the college or institution has denied permission to admit students consecutively for five academic sessions by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall be treated as deemed to be closed; If such college would like to restart, it shall undergo the process of new establishment under Section 29 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020.
- (m) the provision to 'rectify the defects' specified under Section 29 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020, for new medical institutions shall not be applicable to the existing fully established institutions under section 28; as these are the minimum essential standards, no chance to "rectify the defects" shall be given to the fully established existing medical institutions under section 28; however, before issuing the order of denial of permission or reduction of seats, etc., an opportunity for preferring an appeal and hearing shall be given to the such medical institution;
- (n) (i) if a college or institution is aggrieved by the decision of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, may prefer an appeal to the Commission against such decision within thirty days of the communication of such decision by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per the sub-section (3) of the Section 24 of the Act;
- (ii) if an institution is aggrieved by any decision of the commission, may prefer an appeal to the Central Government against such decision within fifteen days of the communication of such decision by the Commission as per the sub-section (6) of the Section 9 of the Act.

**CHAPTER-IV****RATING OF FULLY ESTABLISHED UNANI MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION**

17.(1) After the commencement of this regulation, every fully established existing Unani Medical College or institution possessing extended permission status, shall be rated every year.

(2) the rating process shall be carried out by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine or any agency designated by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under Section 28 of the Act, through the procedure based on the key areas and standards determined by the Board of Unani Siddha and Sowa-Rigpa qualitatively and quantitatively.

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Indian system of Medicine shall identify independent rating agencies through a committee constituted for this cause by the Medical Assessment and Rating Board for Indian system of Medicine and make the list of rating agencies.

(4) The list of the independent rating agencies identified by the Committee shall be placed before the National Commission for Indian System of Medicine from time to time by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for the approval of the Commission to finalize the list and draw up the "Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine-Empanelled Rating Agencies" and also for related financial implications.

(5) It shall be obligatory on such medical institutions eligible for rating as per the criteria mentioned in Sub-regulation (1) to provide access to such rating agency.

(6) The Unani Medical College or institution shall be rated based on the criteria or standards over and above the minimum essential standards.

(7) The data uploaded by the institutions on the National Commission for Indian System of Medicine online platform shall be considered for rating purposes.

(8) The proportion of weightage between online data submitted by the institution and physical verification or assessment for rating shall be 70:30 (Seventy per cent. online data verification and thirty per cent. physical verification).

(9) (a) After the assessment for rating, the Unani Medical College or institution under extended permission category shall be graded into Grade 'A', Grade 'B', Grade 'C' or Grade 'D' based on the assessment score obtained by the college or institution and the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall make available on the Commission's web site or in public domain, the assessment and ratings of medical colleges or institutions before the commencement of counselling for admissions by All-India AYUSH Central Counselling Committee; the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall frame the format and procedure for uploading such data of assessment and rating on the National Commission for Indian System of Medicine website.

(b) Unani Medical Colleges or institutions that are not eligible for rating are,-

(i) undergoing establishment under the provisions of section 29 of the Act;

(ii) categorised under yearly permission category;

(iii) denied permission by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(iv) measures taken by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per the provisions specified in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act.

(10) The institution awarded Grade 'A' are entitled to charge a five percent development fee over and above the prescribed fee by the concerned fee fixation authority of Central Government or State Government or Union territory Administration as the case may be, from the students admitted during the years of possessing Grade 'A'.

(11) In the event that a deemed university or an autonomous institution is awarded Grade 'A' such medical institution are eligible for curricular freedom, i.e., modification of the "nice to know category mentioned in the course curriculum and syllabus by the National Commission for Indian System of Medicine.

(12) The Unani Medical Colleges or institutes graded 'A' and 'B' shall only be eligible for applying increase in student intake capacity in existing programmes or starting any new or postgraduate programmes recognised by the National Commission for Indian System of Medicine under the Act.

(13) The Unani Medical College or institution of any grade, if acted upon by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for the provisions in clause (f), sub-section (1) of Section 28 of the act, the grade shall be deemed to have been withdrawn, and no communication will be sent for the withdrawal of the

grade. If such a college or institutes continues to use grade, such institution shall be subjected to disciplinary action by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine.

(14) Medical institutions shall be graded based on the rating score obtained by the institution as mentioned in the following Table-10.

**Table-10**  
**Rating Score and Grades**

Rating Score (1)	Grade (2)
75 and above	A
50-74	B
25-49	C
Up to 24	D

(15) Annual rating fee shall be paid along with applicable taxes through online (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to the National Commission for Indian System of Medicine account in favour of National Commission Fund for Indian System of Medicine within the period specified by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine and the fee details are as under.

- (i) undergraduate college with sixty students intake capacity: two lakh and fifty thousand rupees;
- (ii) one hundred students intake capacity: three lakh rupees;
- (iii) one hundred and fifty students intake capacity: three lakh and fifty thousand rupees;
- (iv) two hundred students intake capacity: four lakh rupees.

#### CHAPTER-V

#### ESTABLISHMENT OF NEW UNANI UNDERGRADUATE MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION

**18 .** Establishment of new Unani Undergraduate College or Institution shall be as per Section 29 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020.

(1) **General instructions.-** (a) the last date for receipt of application for new schemes shall be as displayed on the NCISM website every year;

(b) application submitted by a person (a university, society, trust, or any other body, but does not include the Central Government) shall be in the prescribed format annexed to this regulation, along with the applicable non-refundable application fee and processing fee as mentioned in sub-regulation (5) of regulation 18;

(c) incomplete application shall not be entertained in any case;

(d) there is no provision for withdrawal of application after the last date and in such a case of withdrawal before the last date, the processing fee shall not be refunded;

(e) any document in the local language shall be submitted with a transcript in Hindi and English;

(f) No person shall establish a new Unani Medical College or institution without obtaining permission from Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(g) it is understood that, before submission of the application, the applicant should have gone through and understood the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020, and the concerned regulations.

(2) **Pre-Requisite.-** (a) the application for establishment of the new Unani undergraduate medical college shall be for a student intake capacity of sixty, one hundred, one hundred fifty and two hundred seats per year;

(b) at the time of submission of the application or proposal or scheme, the functional Unani Medicine Hospital shall have been completed for a minimum of twenty-four months (i.e., not less than two years) after establishment with proper registration;

(c) it is mandatory for the hospital to have the appropriate registration from the local authorities;

(d) the following shall be considered for the two years of functionality of the hospital;

- (i) bank transactions depicting the salary of consultants and other hospital staff in a nationalised bank in an independent account in the name of the hospital;
  - (ii) the bank transactions indicating the functionality of the hospital, such as periodic purchases of medicines and hospital consumables, payment of relevant taxes, hospital income etc.;
  - (iii) well documented (physical or electronic) hospital records, including patient attendance in Out-patient Department or In-patient Department, documents showing maintenance of the hospital, and renewal of the necessary permissions from local or concerned authorities;
  - (iv) the hospital shall have at least entry-level National Accreditation Board for Hospitals certification at the time of application.
  - (v) a certificate from the local authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per Schedule-I and Schedule-II which shall be accommodated in the specified land, must be provided at the time of application.
- (e) the distance between any two Unani Medical Colleges run by the same trust or society or university shall not be less than twenty-five kilometres.

**(3) Requirements of hospital with a minimum of two years of functionality:** The society or university or trust or any other body intended to establish an Unani Medical undergraduate college may start the hospital in a phase-wise manner:

- (a) the hospital shall start with Out-Patient Department of Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Jarahat (Surgery), Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose and Throat and Dentistry), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine); Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine); and Isabat (Emergency or Casualty);
- (b) with a minimum of thirty In-Patient Department beds with forty per cent. bed occupancy attached with an operation theatre, a minor operation theatre, a labour room, a clinical laboratory, an imaging section, a drug store, an Ilaj bit Tadabeer procedure section, a physiotherapy unit, and a Yoga and Riyazat section;
- (c) during the second year of the establishment of the hospital, the hospital shall enhance the In-Patient Department capacity gradually so that at the time of application, the hospital shall have sixty beds for sixty students intake capacity, one hundred beds for one hundred students intake capacity, one hundred fifty beds for one hundred fifty capacity, and two hundred beds for two hundred students intake capacity;
- (d) the gradual increase in the infrastructure and human resources shall be in not more than four stages, which shall be supported by appropriate documents such as land, construction, purchase of equipment, appointment of human resources, salary, and other hospital expenditures;
- (e) at the time of submission of the application or proposal or scheme, the hospital shall be fully functional with all Out-Patient Departments, In-Patient Departments, and other units or sections with all the minimum essential standards mentioned for hospital in these regulations;
- (f) the Out-Patient Department attendance, number of In-Patient Department beds and bed occupancy: At the time of application the hospital shall have the average Out-Patient Department attendance per day specified for each intake capacity as per the clause (j), sub-regulation (3) under the regulation 14 (i.e., one hundred twenty patients per day for sixty students intake capacity, two hundred patients for one hundred students intake capacity; three hundred patients for one hundred fifty students intake capacity and four hundred patients for two hundred students intake capacity), with minimum number of In-Patient Department beds i.e. sixty beds for sixty intake capacity, one hundred beds for one hundred students intake capacity; one hundred fifty beds for one hundred fifty students intake capacity and two hundred beds for two hundred students intake capacity as per the clause (p), sub-regulation (5) regulation 14 in these regulations and minimum average bed occupancy of forty per cent. as per the clause (q), sub-regulation (5) under the regulation 14 of these regulations;
- (g) two years of functionality shall be considered by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for the preceding twenty-four months from the month of submission of the application or proposal or scheme.

*Explanation:* if submission of the application is in the month of October 2024, then two years of existence of the hospital and its functionality are calculated from October 1st, 2022, to September 30th, 2024.

(4) **Eligibility for making an application.**- For making an application for establishment of new Unani medical undergraduate college or institution under these regulations, a person or applicant (society or trust or university or any other body) shall be eligible if,

- (a) the applicant's one of the objectives shall be to impart education in the Indian System of Medicine;
- (b) the applicant shall possess minimum requirement of land according to student intake capacity as per regulation-5 under Chapter-I;
- (c) the applicant shall either own or possess the land on lease for not less than thirty years in the name of the applicant body, and the same shall be renewed before expiry of the lease;
- (d) in the case of institution having lease agreement for land, the institution shall not be granted permission for admission in the last five years of the lease period unless the institution submits a notarised affidavit every year mentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submits the renewed lease agreement before the expiry of the lease period;
- (e) the distance between any two Unani Medical Colleges run by the same trust or society or university or any other body shall not be less than twenty-five kilo-meters;
- (f) Obtained a "No Objection Certificate or Essentiality Certificate" in Form-C (Annexure-III) from the respective state government or Union Territory Administration, which shall be submitted at the time of application;
- (g) obtained a "Consent of Affiliation" in Form-E (Annexure-V) from the respective university established under Central or State or Union territory Administration statute for establishing a new Unani Medical College, clearly mentioning the academic year(s) for affiliation, which shall be submitted at the time of application; If the university itself is an applicant, consent of affiliation may not be required;
- (h) fulfilled all minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified in the clause (a), of sub-regulation (11) of regulation 18 for the first phase of establishment at the time of application; further, the institution shall establish infrastructure, facilities, and manpower for the second third and fourth phases in time as specified clause (b), (c) and (d) in the sub-regulation (11) of regulation 18;
- (i) furnishes an affidavit that the admission of students shall be made strictly on the basis of merit for National Eligibility-cum-Entrance Test qualified students through Central or State or Union territory Administration counselling as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022;
- (j) furnishes an affidavit that the land and buildings designated for Unani Medical College and attached teaching hospital are exclusively for Unani Medical College and attached teaching hospital and no other courses, programmes, or colleges except the National Commission for Indian System of Medicine-approved programmes shall be conducted;
- (k) Furnishes an affidavit that the nomenclature of courses and teacher-student ratio will be kept as laid down in the concerned regulations;
- (l) furnishes as an undertaking that the applicant has not already admitted students in any class, course, programme, or training of the proposed Unani Medical College;
- (m) the applicant shall be in a position to deposit a security deposit valid for five years in favour of the " the National Commission Fund for Indian System of Medicine" as shown in Table-11;

**Table-11**

**Details of Security Deposit as per Student Intake Capacity**

Sl.No.	Student Intake Capacity	Security Deposit Amount (in Rupees)	Mode of Payment
(1)	(2)	(3)	(4)
1	60	1.0 crore	Online transfer (NEFT/RTGS) in favour of "the National Commission Fund for Indian System of Medicine"
2	100	2.0 crore	
3	150	3.0 crore	
4	200	4.0 crore	

(n) the applicant understand that the security amount shall be refunded to the institution only after the completion of five years since the establishment of the college.

(o) the security amount shall be returned to the college account without interest after five years; provided, there shall not be any financial grievance pending against the college or a pending penalty amount due to disciplinary action by the National Commission for Indian System of Medicine.

Provided further that, a security deposit shall not be applicable to the colleges governed by the Central or State Governments or Union territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per the time-bound programme indicated by them.

**(5) Method of Application and Fee Details.-** (a) any person or applicant intending to establish a new Unani Medical College shall submit the application in **Form-A (Annexure-I)** online or offline or both within the time frame as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine along with all necessary documents and a non-refundable application fee (two lakh rupees) and processing fee (ten lakh rupees, fifteen lakh rupees, twenty lakh rupees and twenty-five lakh rupees for sixty, one hundred, one hundred fifty and two hundred student intake capacity respectively), shall be paid online (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) in favour of “the National Commission Fund for Indian System of Medicine” along with applicable taxes.

(b) the applicant shall provide an official e-mail Identity Document and contact number, which shall be used for all official communication by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine. These contact details are valid until the application or proposal or scheme is approved or disapproved;

(c) once the scheme is approved, the college shall create an official mail Identity Document as specified in regulation 13 of Chapter-I and intimate it to Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine along with an official mobile number, which shall be used for all official communications.

**(6) Processing of the Application.-** (a) all the received applications shall be provided with a temporary Identity Document (year of application followed by "T" (Temporary), "U" (Unani), followed by the serial number of applications received in that particular year).

*Explanation:* The first application received in 2023 for the establishment of Unani Medical College shall be numbered as 2023TU001; the second application as 2023TU002; and so on.

(b) the same temporary Identity Document shall be quoted by the applicant in all official correspondence, and this temporary Identity Document shall be valid up to the issue of a Letter of Permission or disapproval of the application by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(c) all the received applications shall be subjected to scrutiny by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per the following criteria:

(i) applicant eligibility;

(ii) pre-requisites;

(iii) fulfilment of Minimum Essential Standards specified for the first phase of establishment;

(iv) application fee and processing fee;

(v) supportive documents;

(vi) hospital data;

(vii) transactions in official bank accounts (separate account for hospital and college);

(viii) any other as specified by the or Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

**(7) Issue of Letter of Intent.-**

(a) after the scrutiny, the applications shall be processed under the two categories i.e. application fulfilling minimum essential standards and other requisites as per submitted data and applications with shortcomings:

(i) applications fulfilling all the minimum essential standards and other requisites as per submitted data: (A) The applicant institution fulfilling all the minimum essential standards and other requisite criteria as specified in this regulation shall be inspected or visited by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(B) the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall verify the data and documents submitted by the applicant institution along with the application and the observations made by the visitors during visitation, and if found fulfilled the applicant institution shall be issued a Letter of Intent by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under section 29 of the Act;

(C) in case any shortcomings are noticed by the visitors during inspection or visitation, the same shall be communicated to the applicant institution and an opportunity shall be given for rectification of defects, except for the shortcomings mentioned in item (D), sub-clause (ii), clause (a), sub-regulation (7) of regulations 18;

(D) the compliance report, along with necessary supporting documents submitted by the institution that have been given an opportunity for rectification of the defects, shall be subjected for scrutiny for the shortcomings specified, and if found fulfilled, the application is approved and a Letter of Intent shall be issued by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine; if not found fulfilled or the compliance report is not received within the time period as specified by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, the application shall be disapproved and rejected.

(ii) applications with shortcomings: (A) the applications found to have shortcomings shall be communicated to the applicant institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for rectification and submission of compliance report;

(B) the compliance report, along with supporting documents submitted after rectification of shortcomings by the applicant institution within the specified timeline, the application and attached documents shall be scrutinised again by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine; if found fulfilled, the applicant institution shall be inspected or visited;

(C) after visitation, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors during inspection or visitation; if found fulfilled, the applicant institution shall be issued a Letter of Intent by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine; if found not fulfilled, the application shall be disapproved and rejected;

(D) shortcomings of serious nature, like deficiencies in minimum essential standards as specified in these regulations, such as non- functionality of the hospital, inadequacy of land availability or land dispute, insufficient period of existence of the functioning hospital, non-availability of essentiality certificate or no objection certificate from the State or Union Territory government, non-availability of consent of affiliation from the university, a deficiency in the constructed area of the college or hospital, etc. an opportunity to rectify the defects shall not be given and such applications shall stand disapproved.

(b) no relaxation policy shall be applicable for new application;

(c) the letter of intent shall be valid for that particular year only; If the applicant fails to obtain Letter of Permission, the issued Letter of Intent shall not be applicable for consecutive years, and in such a case, the applicant has to submit a fresh application for the establishment of a new college; and

(d) The visitation fee and digitisation fee for visitation and for the issuance of a letter of intent shall be as per clause (c) of sub-regulation (3) of regulation 16 .

**(8) Issue of a Letter of Permission.-** (a) the institution that received the Letter of Intent shall submit the compliance report by fulfilling all the minimum essential standards, the details of teaching, non-teaching, and hospital staff appointed as specified for the first phase of establishment of the institution, and the security deposit as mentioned in clause (m) sub-regulation (4) of regulation 18 (as detailed in Table-11) to the commission within sixty days of the communication of the Letter of Intent;

(b) upon receipt of the compliance report along with all necessary supporting documents, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct an inspection or visitation;

(c) after inspection or visitation, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall examine the compliance report and the observations made by the visitors during visitation, and if it is found that the applicant institution is fulfilling all the requisite minimum essential standards, the institution shall be issued a letter of permission along with National Commission for Indian System of Medicine unique institutional Identity Document (year of issue followed by 'UNI' followed by a 5-digit serial number; for example, the Identity Document for the first college received permission during the year 2024 shall be 2024UNI00001; the second college 2024UNI00002 and so on) including institutional login credentials for the National Commission for Indian System of Medicine online portal; if found not fulfilled the minimum essential standards, the application shall be disapproved and rejected.

(d) the applicant shall be communicated either approval or disapproval of the application or proposal or scheme by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine within six months from the last date for submission of the application or proposal or scheme;



(e) the institution received Letter of Permission shall intimate the official mobile number as well as the official e-mail Identity Document created as specified in this regulation 8 of Chapter-I within ten working days to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine ([president.marbism@ncismindia.org](mailto:president.marbism@ncismindia.org)) by quoting the National Commission for Indian System of Medicine unique institutional Identity Document, and thereafter all official correspondence shall be through these official mobile number and official email Identity Document only; and

(f) The visitation fee and digitisation fee for visitation for issuing a letter of permission shall be as per clause (c) of sub-regulation (3) of regulation 16.

(9) **Appeal.-** as per Section 29 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020, the aggrieved applicant may prefer an appeal in the following situations in the manner specified below:

(a) in case of disapproval of the scheme or application or proposal by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, or no order is passed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine within six months of submitting scheme or application or proposal for establishing new Unani medical institution, the aggrieved applicant may prefer appeal to the Commission within fifteen days of such communication of disapproval or denial; or after the lapse of six months period from the period of submission of the scheme.

(b) the appeal may be submitted online, offline, or as specified by the National Commission for Indian System of Medicine;

(c) upon receipt of the appeal, the commission shall examine the appeal, and the aggrieved applicant shall be given an opportunity for a hearing within fifteen days; If the commission finds that the applicant is fulfilling all the minimum essential standard, the commission shall direct the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to consider the application. If the applicant is not fulfilling the minimum essential standards, the commission shall disapprove and reject the application; In any case, the commission shall communicate such a decision to the applicant within fifteen days of receipt of the appeal;

(d) in case of disapproval or denial by the commission or no order has been passed by the commission, within fifteen days from the date of the preferring appeal, the aggrieved applicant may prefer a second appeal to the Central Government (Ministry of Ayush) within seven days of such disapproval or the lapse period of fifteen days from the date of preferring an appeal.

(10) **Issue of Renewal of Permission.-** (a) once a Letter of Permission is issued by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to start a new Unani Medical College and admit first batch of students, that letter of permission shall be valid for one year only and permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall be renewed on a yearly basis under Section 29 of the Act for admitting students until the institution attains the status of a fully established institution under section 28 of the Act as shown in the Table-12;

(b) the institution issued Letter of Permission shall submit compliance on fulfilment of the minimum essential standards as specified in these regulations for the second phase of the establishment of the institution.

(c) the compliance report shall be submitted to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine by the institution prior to six months from the expiry of the Letter of Permission;

(d) Upon the receipt of compliance report, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct inspection or visitation.

(e) after visitation the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors, and on fulfilment of the minimum essential standards, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall issue the first renewal of permission to admit the second batch of students as shown in Table-12;

(f) the same procedure shall be followed for second and third renewal of permission to admit third and fourth batch of students.

(g) the institution shall be considered and treated as a fully established institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under Section 28 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 during the subsequent years after the third renewal as shown in Table-12 unless otherwise denied permission by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

Table-12

## Letter of Intent, Letter of Permission and Renewal of Permission

Serial No. (1)	Section 28 and Section 29 (2)	Permission or Renewal (3)	Category (4)	Batch (5)
1	29	Letter of Intent	Institution under consideration	No admission
2		Letter of Permission	Institution under establishment	First batch
3		First renewal		Second batch
4		Second renewal		Third batch
5		Third renewal		Fourth batch
6	28	Fully Established Institution- Entitled for Rating		Fifth batch onwards

(h) in case of non-fulfilment of minimum essential standards and not attaining annual targets at any phase of establishment of the institution, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall deny permission for admission for the next academic session.

**(11) Phase-wise Requirements of Minimum Essential Standards for New Unani Undergraduate Colleges or Institutions Under Establishment.-** As a new college or institution under establishment category, shall fulfil or establish all four phase-wise requirements mentioned in these regulations to become a fully established institution i.e. fulfilment of Phase-I, Phase-II, Phase-III and Phase-IV requirements to obtain letter of permission, first renewal of permission, second renewal of permission, and third renewal of permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to admit first batch, second batch, third batch and fourth batch of students respectively and to become a fully established institution; the details are as under:

(a) **Phase-I:** Before the admission of the first batch of students, the college or institution shall have.-

(i) a fully established National Accreditation Board for Hospitals and health care provider -accredited (at least entry-level) hospital with all minimum essential standards as mentioned for the hospital in these regulations (regulation 14, Schedule-I, XV to XXIII);

(ii) hospital staff as specified in Schedule-IV; as far as consultants are concerned, a minimum of one qualified consultant or specialist doctor or clinical teacher shall be available in each of Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Jarahat (Surgery), Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose and Throat and Dentistry), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Ilmul Atfal (Paediatrics), and Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine) and Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) out-patient department;

(iii) the Departments of first professional Bachelor of Unani Medicine and Surgery viz. Kulliyat (Basic principles of Unani Medicine) including Language Lab, Practical Lab and Museum cum Tutorial room, Tashreehul Badan (Anatomy) including Dissection Hall, Practical Lab and Museum cum Tutorial room, Manafeul Aza (Physiology) including Practical Lab, and Tutorial room and attached facilities or sections, as specified in the Schedule-II and instruments or equipment as specified in Schedule VII, VIII and IX;

(iv) teaching staff with the requisite qualifications as specified in Schedule-V that are required for the first professional departments shall be appointed;

(v) all non-teaching staff (except the staff required for second and third professional departments) with the requisite qualifications as specified in Schedule-VI shall be appointed;

(vi) a minimum of two lecture halls with infrastructure and facilities as specified in sub-regulation (2) of regulation 13;

(vii) a well-developed herbal garden having a minimum of two hundred species of common medicinal plants and endangered species as per Schedule-III;

(viii) an updated dynamic institutional website as per regulation 12;

(ix) attendance system as specified in regulation 11;

(x) other sections or units or cells or facilities as specified in Table-13 with qualified human resources and fulfil other related minimum essential standards as specified in these regulations.

**Table-13**

**Mandatory Requirements of Sections or Units or Cells in the Phase-I establishment**

Serial No. (1)	Sections or Units or Cells (2)
1	Administrative section
2	Central library with minimum of four thousand, five thousand, six thousand and seven thousand books and journals for students intake capacity of sixty, one hundred, one hundred fifty and two hundred respectively
3	Digital Library
4	Clinical Skill or Simulation Laboratory (twenty-five percentage of simulators/manikins)
5	Human Resource Development Cell
6	Information Technology cell and Information Technology infrastructure
7	Research and Innovation cell
8	Co-Curricular or Extra-Curricular facilities
9	Student Amenities
10	Staff Amenities
11	Common rooms for boys and girls
12	Common room for teaching faculty
13	Examination or Multipurpose or Yoga and Riyazat or Conference Hall
14	College Council Room
15	Student Council Room
16	Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell
17	Pharmacovigilance Cell
18	Central workshop
19	Closed-circuit television
20	Hostels
21	Canteen

(b) **Phase-II:** Before the admission of the second batch of students, the college or institution shall have-

(i) the departments of second professional Bachelor of Unani Medicine and Surgery viz. Ilmul Advia(Pharmacology) including Ilmul Advia Practical Lab, Wasful Aqaqir (Pharmacognosy) Practical Lab, Herbarium and Museum cum Tutorial room, Ilmul Saidla (Unani Pharmacy) including Teaching Pharmacy (Ilmul Saidla Pharmaceutical Practical lab), Quality Testing Laboratory, Museum cum Tutorial room, Tahaffuzi wa Samaji Tib(Preventive medicine and Social Medicine) including Tahaffuzi wa Samaji Tib Nutrition Lab, Practical Lab, Museum cum Tutorial room and Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) Practical Lab and Museum, Mahiyatul Amraz (Pathology) including Mahiyatul Amraz Practical Lab and Museum cum Tutorial room, Moalajat (Medicine) with Museum cum Tutorial room and other facilities or sections as specified in the Schedule-II and instruments or equipment as specified in Schedule X, XI, XII, and XIII;

(ii) teaching staff with the requisite qualifications as specified in Schedule-V that are required for second professional Departments shall be appointed;

- (iii) non-teaching staff required for second professional Departments with the requisite qualification as specified in Schedule-VI shall be appointed;
- (iv) minimum three lecture halls (addition of minimum one lecture hall with facilities as specified in sub-regulation (2) of regulation 13;
- (v) increase in Central Library books up to a minimum of six thousand, seven thousand five hundred, nine thousand, and ten thousand five hundred for student intake capacities of sixty, one hundred, one hundred fifty, and two hundred, respectively;
- (vi) the clinical skill lab shall be expanded with at least fifty per cent. of the manikins or simulators or devices as specified in Schedule-XIV.
- (c) **Phase-III:** Before the admission of the third batch of students, the college or institution shall have-
- (i) increase in Central Library books up to a minimum of seven thousand, eight thousand five hundred, ten thousand five hundred, and twelve thousand for student intake capacities of sixty, one hundred, one hundred fifty, and two hundred, respectively;
- (ii) the clinical skill lab shall be expanded with at least seventy-five percent of the manikins or simulators or devices as specified in Schedule-XIV.
- (d) **Phase-IV:** Before the admission of the fourth batch of students, the college or institution shall have-
- (i) the departments of the third professional Bachelor of Unani Medicine and Surgery, viz., Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Jarahat (Surgery), Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose and Throat and Dentistry) Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Ilmul Atfal (Paediatrics) with Museum cum Tutorial room and other facilities or sections as specified in the Schedule-II;
- (ii) teaching staff with the requisite qualifications as specified in Schedule-V that are required for third professional departments shall be appointed;
- (iii) non-teaching staff for third professional departments with the requisite qualification as specified in Schedule-VI of this regulation shall be appointed;
- (iv) minimum five lecture halls (addition of minimum two lecture halls to the existing three in Phase I and Phase II) with facilities as specified sub-regulation (2) of regulation 13;
- (v) increase in Central Library books up to a minimum of eight thousand, ten thousand, twelve thousand, and fourteen thousand for student intake capacities of sixty, one hundred, one hundred fifty, and two hundred, respectively;
- (vi) a fully established clinical skill lab with all manikins or simulators or special devices as specified in Schedule-XIV.
- (12) **Condition.-** Institution received Letter of Permission shall adhere to the following conditions namely:-
- (a) in case the parent society or trust or body that established the college wants to transfer the college to another society or trust or body, a prior No Objection Certificate from the National Commission for Indian System of Medicine shall be obtained;
- (b) if the college wants to change the affiliating university or would like to apply for deemed university status, it shall obtain a No Objection Certificate from the National Commission for Indian System of Medicine before applying for the same.

#### CHAPTER-VI

#### INCREASE IN NUMBER OF SEATS OR STUDENTS INTAKE CAPACITY OR ADMISSION CAPACITY IN EXISTING UNDERGRADUATE PROGRAMMES OR COURSES IN FULLY ESTABLISHED UNANI MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS

**19. Increase Student Intake Capacity.-**Fully established institutions, under Section 28 of the Act, conducting undergraduate program (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) with students intake capacities of sixty, one hundred, and one hundred fifty, shall be eligible to apply to increase intake capacity in existing undergraduate programme under Section 29 of the Act and the pre-requisites are as under: -

- (a) it shall be a fully established Unani Medical College under Section 28 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 with students intake capacity of sixty, one hundred, or one hundred fifty;

(b) the college or institution shall have completed at least four years and six months of undergraduate course or programme; however, the college owned or managed by the Central or State or Union territory Administration government is exempted from fulfilling this pre-requisite criteria of completion of four years and six months of undergraduate course or programme;

(c) the college shall be under the category of 'extended permission', and have not been denied permission for admission or subjected to the provisions under clause (f), Sub-section (1) of Section 28 of the Act by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for the preceding five years, including the year of application;

(d) the college shall be rated with a grade of "A" or "B" by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine during the year of application;

(e) the college established building infrastructure and facilities for the additional standards mentioned in Chapter-II and Table-9 of this regulation; and

(f) No person shall increase number of seats in Unani Medical College or institution without obtaining permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(2) **Eligibility:** For making an application under Section 29 of the Act, the college shall be eligible if,

(a) the applicant institution has obtained the essentiality certificate or No Objection Certificate for the proposed increase in student intake capacity Form-D (Annexure-IV) from the state or union territory government;

(b) the applicant institution has obtained the 'consent of affiliation' Form-E (Annexure-V) from the affiliated university (not applicable for deemed universities);

(c) the applicant institution has fulfilled all minimum essential standards, including the minimum number of teaching staff specified in these regulations for the proposed student intake capacity (fulfilment may be in phases as specified in this regulation);

(d) admission of students for undergraduate programmes or courses is made strictly on the basis of the merit of National Eligibility-cum-Entrance Test qualified students through Central or State Government or Union territory counselling as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations 2022;

(e) the maximum number of admissions shall not exceed the sanctioned student intake capacity specified by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(3) **Method of Application:** (a) the college shall submit the application to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for increasing number of seats or student intake capacity or admission capacity in Form-B (Annexure-II) within the prescribed period, along with the non-refundable application fee (two lakh rupees) and processing fee (five lakh rupees, ten lakh rupees, fifteen lakh rupees and twenty lakh rupees for 60, 100, 150 and 200 student intake capacity respectively), a security deposit, and the documents specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(b) incomplete applications and applications received after the last date shall not be considered;

(c) there is no provision for withdrawal of an application after the last date, and in such a case of withdrawal before the last date, the processing fee shall not be refunded;

(d) it is understood that before submission of the application, the applicant should have gone through and understood the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 and the concerned regulations;

(e) application fee and security deposit details are as follows (Table-14):

**Table-14**

**Application Fee and Processing Fee for Increase in Number of Seats**

Existing Student Intake Capacity (1)	Application Fee (2)	Processing Fee for the Proposed Student Intake Capacity			
		Sixty students intake capacity (3)	One hundred students intake capacity (4)	One hundred fifty students intake capacity (5)	Two hundred students intake capacity (6)
Sixty	two Lakhs	-	five Lakhs	ten Lakhs	fifteen Lakhs
One hundred		-	-	five Lakhs	Ten Lakhs

One hundred fifty		-	-	-	Five Lakhs
Two hundred		-	-	-	-

Table-15

**Security Deposit for Increase in Number of Seats**

Existing Student Intake Capacity	Security Deposit for the Proposed Intake Capacity (in Rupees)			
	sixty students intake capacity	One hundred students intake capacity	One hundred fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sixty	-	One Crore	Two Crores	Three Crores
One hundred	-	-	One Crore	Two Crores
One hundred fifty	-	-	-	One Crore
Two hundred	-	-	-	-

(f) the security deposit shall be refunded after five years to the institutional official bank account without interest; provided, there shall not be any financial grievance pending against the college or a pending penalty amount due to disciplinary action by the National Commission for Indian System of Medicine.

Provided that a security deposit shall not apply to the colleges governed by the state or union territory government, if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time-bound programme indicated by them;

(g) the non-refundable application fee, processing fee and security deposit shall be paid to the National Commission for Indian System of Medicine account through National Electronic Funds Transfer or Real Time Gross Settlement in favour of "the National Commission Fund for Indian System of Medicine";

(h) the process of applications as well as the issue of Letter of Intent, Letter of Permission, first renewal, second renewal, and third renewal shall be as per Chapter-V of these regulations.

(i) The visitation fee and digitization fee for visitation for issuing a letter of intent and letter of permission for an increase in student intake capacity shall be as per clause (c) of sub-regulation (3) of regulation 16 .

**CHAPTER-VII****PENALTY AND DISCIPLINARY ACTIONS**

**20.** (1) compliance with the regulations, directions, instructions and adherence to the timeline issued by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine shall be the responsibility of the institutions.

(2) Non-compliance action includes following, namely:-

(a) non-compliance with regulations;

(b) any activities of the institutions, that are not in accordance with the objectives of undergraduate Unani medical education and practices, exploitation of students on fees, mal practices of attendance etc;

(c) failure to maintain minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, clinical material, practical material, research facilities and other institutional functionality etc in accordance with these regulations;

(d) non-cooperation or any sort of disturbance to inspection or visitation process for assessment and rating or any other activities of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine;

(e) providing falsified information or fabricated data or information or evidence to Autonomous boards or to the National Commission for Indian System of Medicine;

(f) any attempt to influence, pressurise, bribe or threaten assessors or officials of the National Commission for Indian System of Medicine or officials designated by the National Commission for Indian System of Medicine;

(3) For any of the non-compliance as mentioned in sub-regulation (2) or intentional attempt of non-compliance act or omission by the medical institution, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall either penalise the medical institution or take such measures as mentioned in the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act and/or conduct further enquiry in to such incidence namely, -

(a) impose monetary penalty not exceeding rupees one crore;

(b) issue warning;

(c) withhold process of application for any new scheme for that academic year or for a such number of years;

(d) reduce the number of seats to be admitted by the medical institution in the next academic year;

(e) stop the admission to one or more of the courses in the next or subsequent academic year(s);

(f) recommending the National Commission for Indian System of Medicine for the withdrawal of recognition;

(g) withhold or withdrawal of rating of the medical institutions for a period up to five academic years; and

(h) if any attempt from the institution side to pressurise the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine through individuals or agency shall lead to immediate halt of the processing the application or request by the medical institution or withdrawal of permission, reduction in student intake capacity or monetary penalty.

#### SCHEDULE-I

(see regulation 6, 14 and 18)

#### MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF AN ATTACHED TEACHING HOSPITAL OF AN UNANI MEDICAL COLLEGE

Serial No.	Particulars	Constructed or Built up area (in Square Meter)			
		Sixty students intake capacity	One Hundred students intake capacity	One hundred fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Reception and Registration Zone</b>					
Entrance lobby and circulation area includes					
1	Reception and Enquiry counter or with Public Relation Officers	100	150	200	250
2	Registration and Billing counter				
3	Waiting area				
4	Medical record room and space for medical record technician				
<b>Out-Patient Zone</b>		<b>440</b>	<b>650</b>	<b>860</b>	<b>1070</b>
5	Screening Out-Patient Department	15	20	30	40
6	Moalajat Out-Patient Department	25	40	50	60
7	Ilaj bit Tadabeer Out-Patient Department (with attached minor therapy or procedure room)	40	50	60	70
8	Amraze Jild wa Tazeeniyat Out-Patient Department (with attached minor therapy or procedure room)	25	40	50	60
9	Ilmul Atfal Out-Patient Department	25	40	50	60
10	Jarahat Out-patient Department (with attached procedure room for surgical and para-surgical procedures)	40	50	60	70

11	Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan Out-Patient Department (with attached procedure room for surgical and para-surgical procedures)	40	50	60	70
12	Qabalat wa Niswan Out-Patient Department (with attached minor procedure room)	40	50	60	70
13	Tahaffuzi wa Samaji Tib Out-Patient Department	25	40	50	60
14	Isabat (Emergency or Casualty)	25	25	30	35
15	Drug store or Dispensary or Pharmacy	40	50	60	80
16	Online consultation facility	100	195	300	395
17	Out-Patient Department zone in-charge office				
18	Waiting lounge for patients with drinking water facility, and area for breast feeding.				
19	Area for wheelchair and stretcher, janitor room				
20	Separate male and female toilets for patients, staff and students or interns				
21	Store				
22	Speciality Out-patient Departments	twenty square meters per speciality Out-Patient Department (Space mentioned for speciality Out-Patient Department is over and above the minimum requirement, hence will not be counted under minimum required area)			
<b>Diagnostic Zone</b>					
23	Clinical laboratory	150	175	200	225
24	Radiology or Imaging section				
25	Other Diagnostics such as Electrocardiogram etc.,				
26	Waiting area for patients				
27	Diagnostic zone in-charge office				
28	Counter for issuing reports				
29	Toilets separately for male and female				
<b>In-Patient Zone</b>		<b>1350</b>	<b>2150</b>	<b>2950</b>	<b>3750</b>
<b>A. Medical In-Patient Section</b>					
30	Area required to accommodate allotted In-Patient department beds under Moalajat, Ilaj bit Tadabeer, Amraze Jild wa Tazeeniyat, Ilmul Atfal	750	1250	1750	2250
31	Ward procedure rooms (four) with kitchen				
32	Nursing counter and store				
33	Area for seating interns				
34	Room for night duty doctors or consultants				
35	Room for night duty nursing staff				
36	Room for night duty interns				
37	Clinical classrooms (two)				
38	Circulation area and corridors				
39	Toilets attached to wards (separately for male, female and physically challenged)				
40	Area for potable water facility, trolleys or stretchers, clean and dirty utility, housekeeping material or janitor room, biomedical waste management facility, laundry etc.,				



<b>B. Surgical In-Patient Section</b>					
41	Area required to accommodate allotted In-Patient department beds under Jarahat, Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan, and Qabalat wa Niswan	600	900	1200	1500
42	Ward procedure rooms (three) with kitchen				
43	Nursing counter and store				
44	Area for seating interns				
45	Room for night duty doctors or consultants				
46	Room for night duty nursing staff				
47	Room for night duty interns				
48	Clinical classrooms (two)				
49	Circulation area and corridors				
50	Toilets attached to wards (separately for male, female and physically challenged)				
51	Area for potable water facility, trolleys or stretchers, clean and dirty utility, housekeeping material or janitor room, biomedical waste management facility, laundry etc.,				
<b>Procedural Management Zone</b>					
52	Masrah Amaliya (Operation Theatre) attached with Minor Operation Theatre: for Surgical and Para surgical treatment	175	225	275	325
53	Ghurfatul Wilada (Labour room with Maternity Operation Theatre)	150	150	200	200
54	Ilaj bit Tadabeer Procedure Section	200	300	400	500
55	Physiotherapy Section	75	100	125	150
56	Yoga and Riyazat Section	50	50	75	100
<b>Administrative Zone</b>					
57	Medical Director room	400	450	500	550
58	Medical Superintendent room				
59	Personal Assistant to Medical Director or Medical Superintendent room				
60	Deputy Medical Superintendent room				
61	Resident Medical Officer or Resident Surgical Officer room				
62	Matron room				
63	Assistant Matron room				
64	Office space for Superintendent				
65	Office space for Accountant and other staff				
66	Waiting lounge for the visitors				
67	Doctor's lounge				
68	Intern's room				
69	Staff room				
70	Meeting hall				
71	Pantry				
72	Store				
73	Toilets				

Service Zone					
74	Ghiza Makhsoosa (Specific diet) including instant medicine preparation section	50	75	100	125
75	The other provisions in the service zone				
	<b>Total</b>	<b>3140</b>	<b>4475</b>	<b>5885</b>	<b>7245</b>

### SCHEDULE-II

(see regulation 6,13 and 18)

#### MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF AN UNANI MEDICAL COLLEGE

Serial No.	Section or Units	Minimum required area (square meters)			
		Sixty students intake capacity	One hundred students intake capacity	One hundred fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Administrative section				
	Head of the Institution (Director or Dean or Principal) room including anteroom and attached toilet				
	Personal Assistant to head of the institution (Director or Dean or Principal)				
	Visitors lounge for visitors to head of the institution (Director or Dean or Principal)				
	Staff committee room				
	Vice Principal or Deputy Dean or Deputy Director (If any)	200	250	300	350
	Office superintendent				
	Office- Establishment and Administration, Account Section and Cash Counter				
	Waiting area for office visitors				
	Record room				
	Central store				
	Toilets for office staff				
Pantry					
2	Lecture hall or Classrooms				
	Five lecture halls or Classrooms	500 (5×100)	750 (5×150)	1000 (5×200)	1250 (5×250)
3	Seminar or Conference or Examination or Yoga and Riyazat Hall (Multipurpose hall)	150	300	450	600
4	Library				
	Central library	150	250	350	450
	Digital library	40	50	60	70
5	Teaching departments	1475	2525	3625	4800
	(1) Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine) Department with a. Kulliyat Umoore Tabiya Practical Laboratory cum Tutorial Room b. Museum cum Tutorial Room for Tareekh-E Tib c. Language Laboratory	100	125	150	175
	(2) Tashreehul Badan (Anatomy) Department with a. Dissection Hall b. Practical lab c. Museum cum Tutorial room	150	300	450	600

	(3) Manafeul Aza (Physiology) Department with a. Practical Laboratory b. Tutorial room	100	200	300	400
	(4) Ilmul Advia (Pharmacology) Department with a. Ilmul Advia (Pharmacology) Practical Lab b. Wasful Aqaqir (Pharmacognosy) Practical Lab c. Herbarium and Museum cum Tutorial room	175	275	400	550
	(5) Ilmul Saidla (Unani Pharmacy) Department with a. Ilmul Saidla Practical Laboratory (Teaching Pharmacy) b. Quality Testing Laboratory c. Museum cum Tutorial room	175	275	400	550
	(6) Mahiyatul Amraz (Pathology) Department with a. Mahiyatul Amraz (Pathology) Practical Lab b. Museum cum Tutorial room	100	200	300	400
	(7) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) Department with 1. Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) a. Nutrition lab b. Practical lab c. Museum cum Tutorial room. 2. Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) a. Practical Lab b. Museum cum Tutorial room	150	275	400	550
	(8) Moalajat (Medicine) Department with Museum cum Tutorial room	75	125	175	225
	(9) Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) Department with Museum cum Tutorial room	75	125	175	225
	(10) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) Department with Museum cum Tutorial room	75	125	175	225
	(11) Ilmul Atfal (Paediatrics) Department with Museum cum Tutorial room	75	125	175	225
	(12) Jarahat (Surgery) including Department with Museum cum Tutorial room	75	125	175	225
	(13) Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose and Throat, Dentistry) Department with Museum cum Tutorial room	75	125	175	225
	(14) Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) Department with Museum cum Tutorial room	75	125	175	225
6	Clinical skill or Simulation Laboratory (Common area + demo or practice room)	125 (75+50X1)	200 (100+50X2)	275 (125+50X3)	350 (150+50X4)
7	Human Resources and Development Cell (Workshop area + office, store, circulation area, toilet)	130 (80+50)	150 (100+50)	170 (120+50)	190 (140+50)
8	Research and Innovation Cell	30	30	30	30
9	College Council Room	50	100	150	150
10	Student Council Room	20	20	20	20
11	Student Support and Guidance Cell including Career Guidance and Placement Cell room	25	25	25	25
12	Pharmacovigilance Cell- Room	20	20	20	20
13	Common rooms for students (Boys and Girls separately)	100 (50+50)	200 (100+100)	300 (150+150)	400 (200+200)
14	Common rooms for teaching faculty (Male and Female separately)	50 (25+25)	60 (30+30)	70 (35+35)	80 (40+40)
15	College Canteen	100	150	200	250

	<b>Total</b>	<b>3165</b>	<b>5080</b>	<b>7045</b>	<b>9035</b>
<b>Note:</b> 1. For Central workshop (see regulation 7), Information Technology cell (see regulation 10) and Internal Quality Assurance cell (see regulation 13), an adequate space separately for each shall be provided by the college or institution as per their requirement.					
2. The Student Support and Guidance Cell including Career Guidance and Placement room may be a common facility for Grievance Redressal Cell (see regulation 13) and Committee Against Sexual Harassment (see regulation 13) for their meetings and keeping related records and documents.					

**SCHEDULE-III**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF HERBAL GARDEN**

Serial No.	Particulars	Minimum required area (square meter)			
		sixty students intake capacity	one hundred students intake capacity	one hundred fifty students intake capacity	two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Herbal garden (a well-developed herbal garden with minimum two hundred species of medicinal plants with demonstration room of twenty-five to fifty square meters)	2500	4000	4000	4000

**SCHEDULE-IV**

(see regulation 14 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF HOSPITAL STAFF IN THE ATTACHED TEACHING HOSPITAL**

Serial No.	Department/Section/Unit	Minimum Requirement of Hospital Staff (Intake capacity wise)			
		sixty students intake capacity	one hundred students intake capacity	one hundred fifty students intake capacity	two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Administrative Zone</b>					
1	Medical Director	Principal or Dean or Director as per the clause (b), sub regulation (9) of regulation 14.			
2	Medical Superintendent	1	1	1	1
		Full-time regular incumbent other than the teaching staff. Qualification as per the clause (c), sub regulation (9) of regulation 14.			
3	Deputy Medical Superintendent	1	1	1	2
		Full-time regular incumbent other than the teaching staff. Qualification as per the sub-clause (i), clause (d), sub regulation (9) of regulation 14.			
4	Administrator	1	1	1	2
		Qualification as per the clause (e), sub regulation (9) of regulation 14.			
5	Consultants	Teachers of Moalajat, Ilaj bit Tadabeer, Amraze Jild wa Tazeeniyat, Ilmul Atfal, Jarahat, Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan, Qabalat wa Niswan and Tahaffuzi wa Samaji Tib departments			
6	Resident Medical Officer-Admin	Resident Medical Officer -Admin shall be one among the Resident Medical Officer or Resident Surgical Officer in the hospital.			
7	Matron or Nursing Superintendent	1	1	1	1

		Qualification as per the clause (h), sub regulation (9) of regulation 14.			
8	Assistant Matron	1	1	2	3
		Qualification as per the clause (i), sub regulation (9) of regulation 14.			
9	Office Superintendent (Graduation with five-year administrative experience)	1	1	1	1
10	Clerical staff (Graduation with computer knowledge) or Account staff (B. Com or M. Com with computer knowledge)	1	2	3	4
11	Storekeeper (Minimum 12 <sup>th</sup> Standard)	1	1	1	1
<b>Modern Medical Staff (physical presence of modern medical staff is not mandatory for inspection or visitation)</b>					
12	Medical specialist	One (full time or part time or on contract basis)			
13	Surgical specialist	One (full time or part time or on contract basis)			
14	Obstetrician or Gynaecologist	One (full time or part time or on contract basis)			
15	Pathologist	One (full time or part time or on contract basis)			
16	Radiologist	One (full time or part time or on contract basis)			
17	Anaesthesiologist	One (full time or part time or on contract basis)			
18	Ophthalmologist	One (full time or part time or on contract basis)			
19	ENT specialist	One (full time or part time or on contract basis)			
<b>Reception and Registration Zone</b>					
20	Receptionist cum Telephone Operator (Graduate with computer knowledge and communication skill)	1	2	3	4
21	Registration cum Billing Clerk (Graduate with computer knowledge and communication skill)	1	2	3	4
22	Medical Record Technician (with graduate degree) (Medical Record Technician-not required in case of fully computerised hospital)	1	1	1	1
<b>Out-Patient Department Zone</b>					
23	Emergency Medical Officer	2	2	2	2
		Qualification as per the clause (f), sub regulation (9) of regulation 14.			
24	Resident Medical Officer	1	1	1	1
		Qualification as per the clause (f), sub regulation (9) of regulation 14.			
25	Nursing staff (01 for Qabalat wa Niswan Out-Patient Department and 01 for Isabat)	2	2	2	2
		Qualification as per the clause (j), sub regulation (9) of regulation 14.			
26	Pharmacist (Dispensary or Pharmacy or Drug Store)	2	2	3	4
		Qualification as per the clause (l), sub regulation (9) of regulation 14.			
27	Out-Patient Department Attendant (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	2	2
<b>Diagnostic Zone</b>					
28	Lab Technician	2	2	3	4
		Qualification as per the clause (k), sub regulation (9) of regulation 14.			
29	Lab Attendant (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	2	2
30	X-Ray Technician	1	1	1	1
		Qualification as per the clause (n), sub regulation (9) of regulation 14.			
31	Dark room Assistant	1	1	1	1

	(with minimum 12 <sup>th</sup> standard. Preference should be given to candidate having Certificate course of Dark Room assistant) (In case of non-digital x-ray unit)				
32	Nursing staff for Ultrasonogram (USG) and Electrocardiogram (ECG)	1	1	1	1
		Qualification as per the clause (j), sub regulation (9) of regulation 14.			
<b>In-Patient department Zone</b>					
<b>Medical In-Patient department Section</b>					
33	Resident Medical Officers (RMO)	2	2	2	2
		Qualification as per the clause (f), sub regulation (9) of regulation 14.			
34	Nursing staff (one for every ten beds)	4	6	9	12
		Qualification as per the clause (j), sub regulation (9) of regulation 14.			
35	Ward boy or Ayah (one for every 20 beds)	2	3	4	6
<b>Surgical In-Patient department Section</b>					
36	Resident Surgical Officer (RSO)	2	2	2	2
		Qualification as per the clause (f), sub regulation (9) of regulation 10.			
37	Nursing staff (one for every ten beds)	2	4	6	8
		Qualification as per the clause (j), sub regulation (9) of regulation 10.			
38	Ward boy/Ayah (one for every 20 beds)	1	2	3	4
<b>Procedural Management Zone</b>					
<b>Ilaj bit Tadabeer Procedure Section</b>					
39	IBT Specialists	Teachers of Ilaj bit Tadabeer Department			
40	Nursing staff	1 (female)	1 (female)	2 (1 male + 1 female)	2 (1 male + 1 female)
		Qualification as per the clause (j), sub regulation (9) of regulation 10.			
41	Therapist	4 (2 male+ 2 female)	8 (4 male + 4 female)	12 (6 male + 6 female)	16 (8 male + 8 female)
		Qualification as per the clause (o), sub regulation (9) of regulation 14.			
42	Attendant (minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	2	2
43	Receptionist cum clerk	1	1	1	1
44	House Officer or Clinical registrar or Senior Resident (with Bachelor of Unani Medicine and Surgery Degree)	1	1	1	1
<b>Masrah Amaliya (Operation Theatre and Minor Operation Theatre)</b>					
45	Jarahat and Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan Specialists	Teachers of Jarahat and Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan Departments			
46	Nursing staff (Female)	1	1	2	2
		Qualification as per the clause (j), sub regulation (9) of regulation 14.			
47	Operation theatre Technician	1	1	2	2
		Qualification as per the clause (p), sub regulation (9) of regulation 14.			
48	Operation theatre Assistant	1	1	2	2
		Qualification as per the clause (q), sub regulation (9) of regulation 14.			
49	Operation theatre Attendant (minimum 10 <sup>th</sup> standard and trained)	1	1	2	2
50	Dresser (minimum 10 <sup>th</sup> standard and trained)	1	1	2	2
<b>Ghurfatul Wilada (Labour room and Maternity Operation Theatre)</b>					

51	Qabalat wa Niswan Specialists	Teachers of Qabalat wa Niswan Department			
52	Nursing staff	1	1	2	2
		Qualification as per the clause (j), sub regulation (9) of regulation 14.			
53	Ayah	1	1	2	2
<b>Physiotherapy Unit</b>					
54	Physiotherapist (Minimum BPT)	1	1	1	1
		Qualification as per the clause (g), sub regulation (9) of regulation 14.			
55	Attendant (Minimum 10 <sup>th</sup> standard and trained)	1	1	1	1
<b>Service Zone</b>					
56	Ghiza Makhsoosa (Specific diet)-cook	1	1	2	3
57	Multitasking worker (Minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	1	1
<b>Total</b>		<b>65</b>	<b>78</b>	<b>107</b>	<b>127</b>
<b>Note:</b> Security guards, electrician, plumber, sanitary workers, washer man, gardener, driver, housekeeping staff, attendant/peon, cook, gardener, maintenance staff, central sterile services department technician, information technology technician etc. may be obtained by outsourcing.					

**SCHEDULE-V**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF TEACHING STAFF IN AN UNANI MEDICAL COLLEGE**

Teaching Department (1)	Minimum Requirement of Teaching Staff											
	sixty students intake capacity (2)			one hundred students intake capacity (3)			one hundred fifty students intake capacity (4)			two hundred students intake capacity (5)		
	Prof	Asso.P	Asst.P	Prof	Asso.P	Asst.P	Prof	Asso.P	Asst.P	Prof	Asso.P	Asst.P
1. Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine)	1 or 1		1 Kulliyat + 1 Arabic or Urdu or Mantiq	1	1	1 Kulliyat + 1 Arabic or Urdu or Mantiq	1	1	2 Kulliyat + 2 Arabic or Urdu or Mantiq	1	2	2 Kulliyat + 2 Arabic or Urdu or Mantiq
2. Tashreehul Badan (Anatomy)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
3. Manafeul Aza (Physiology)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
4. Ilmul Advia (Pharmacology)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
5. Ilmul Saidla (Unani Pharmacy)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
6. Mahiyatul Amraz (Pathology)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
7. Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)	1 or 1		2	1	1	2	1	2	3	2	2	4
8. Moalajat (Medicine)	1 or 1		3	1	1	3	1	2	4	2	2	5

9. Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
10. Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
11. Jarahat (Surgery)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
12. Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, ENT and Dentistry)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
13. Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)	1 or 1	1	1	1	2	1	2	3	2	2	4
14. Ilmul Atfal (Paediatrics)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Sub total	14	18	14	14	19	14	22	34	22	28	42
<b>Total</b>	<b>32</b>		<b>47</b>			<b>70</b>			<b>92</b>		
<b>Note:</b>											
1. Apart from the above, one yoga teacher or instructor on full time basis (one for sixty, one hundred, one hundred fifty student intake capacity and two i.e. one male and one female for two hundred student intake capacity), one Biostatistician including Research Methodology and Medical Statistics on part time basis in the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib, and one Physical Education Director on full time basis shall be engaged in the college;											
2. Wherever additional Professors or Associate Professor are available in the department, the additional Professor may be considered against the requirement of Associate Professor or Assistant Professor and additional Associate Professor may be considered against the requirement of Assistant Professor. For example- in a college with students intake capacity from sixty one to Hundred student intake capacity, if there are three Professors or one Professor and two Associate Professor or one Professor, one Associate Professor and one Assistant Professor against the requirement of One Professor, One Associate Professor and One Assistant Professor in the Department of Manafeul Aza the college is fulfilling the requirement of faculty in this department and there is no shortcoming of faculty in this department.											
3. Additional Professor or Associate Professor (Reader) or Assistant Professor (Lecturer) available in any other Department, shall not be counted or considered in the department where there is a shortage of faculty.											

**SCHEDULE-VI**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF NON-TEACHING STAFF (TECHNICAL AND OTHER STAFF) IN AN UNANI MEDICAL COLLEGE**

Serial No.	Department or Section or Unit	Minimum Requirement of non-teaching staff (Students Intake capacity wise)			
		sixty students intake capacity (3)	one hundred students intake capacity (4)	one hundred fifty students intake capacity (5)	two hundred students intake capacity (6)
(1)	(2)				
<b>Administrative section</b>					
1	Personal Assistant or Personal Secretary to Principal or Dean or Director (Graduation with Secretarial Training)	1	1	1	1
2	Office Superintendent (Graduation with five year of administrative experience)	1	1	1	1



3	Clerical Staff for administrative and account services (Clerical staff-Graduation with computer knowledge and Accounts staff-B.Com or M.Com with computer knowledge)	3	4	6	9
<b>Central Library</b>					
4	Librarian (with Bachelor in Library Science or Masters in Library Science with five years of Library experience)	1	1	1	1
5	Assistant Librarian (with with Bachelor in Library Science or Masters in Library Science)	1	1	2	2
6	Library Attendant (minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	2	2
<b>Teaching Departments</b>					
<b>(1) Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine)</b>					
7	Attendant (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	1	1
<b>(2) Tashreehul Badan (Anatomy)</b>					
8	Cadaver lifter	1	1	1	1
9	Lab Assistant (with minimum 12 <sup>th</sup> standard)	1	1	2	2
10	Attendant cum Museum Keeper (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	2	2
<b>(3) Manafeul Aza (Physiology)</b>					
11	Lab Technician (with Diploma or Bachelor degree in Medical Lab Technology)	1	1	2	2
12	Multitasking worker (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	2	2
<b>(4) Ilmul Advia (Pharmacology)</b>					
13	Lab Technician or Pharmacognosist Ilmul Advia (Pharmacology) Practical Lab and Wasful Aqaqir (Pharmacognosy) Practical Lab (with MSc Botany); and  Lab Assistant (minimum 12 <sup>th</sup> standard with Chemistry and Biology)	1+1	1+1	2+2	2+2
14	Attendant cum Museum Keeper (Herbarium and Museum cum Tutorial room) (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	4	4
<b>(5) Ilmul Saidla (Unani Pharmacy)</b>					
15	Lab Technician for Quality	1	1	1	1

	testing Laboratory (B Pharm or M Pharm)				
16	Attendant cum Museum Keeper (Teaching Pharmacy and Museum or Quality Testing Lab) (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	4	4
<b>(6) Mahiyatul Amraz (Pathology)</b>					
17	Lab Technician (with Diploma or Bachelor degree in Medical Lab Technology)	1	1	2	2
18	Attendant cum Museum Keeper (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	2	2
<b>(7) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)</b>					
19	Nutritionist or Lab Technician (Nutrition Lab) (with BSc or Nutrition and Dietetics)	1	1	2	2
20	Attendant cum Museum Keeper (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	1	1	2	2
<b>(8) Moalajat (Medicine), (9) Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) (10) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) (11) Ilmul Atfal (Paediatrics) (12) Jarahat (Surgery) (13) Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose and Throat and Dentistry) (14) Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology).</b>					
21	Attendant cum museum keeper or multitasking worker (with minimum 10 <sup>th</sup> standard)	7	7	7	7
<b>Clinical Skill or Simulation Laboratory</b>					
22	Coordinator (Bachelor of Unani Medicine and Surgery graduate preferably with training or orientation on handling of manikins and simulators)	1	1	1	1
23	Office Assistant (graduation with computer knowledge)	1	1	1	1
<b>Human Resource Development Cell</b>					
24	Coordinator (Bachelor of Unani Medicine and Surgery preferred with Post Graduation or Postgraduate Diploma Management)	1	1	1	1
25	Office Assistant (graduation with computer knowledge)	1	1	1	1
<b>IT Cell including Digital Library</b>					
26	IT Officer (Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology Computer Science or Master in Computer Application)	1	1	1	1
27	IT Assistant (Bachelor of Science Computer Science, Bachelor in Computer Application)	1	1	2	3
28	Multi-Tasking Staff	1	1	1	1
<b>Central Workshop/ Maintenance Cell</b>					

29	Site Engineer (with Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology preferably civil)	1	1	1	1
<b>Herbal garden</b>					
30	Gardener	1	1	2	2
31	Multi-purpose worker	1	1	2	2
	<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>68</b>
<b>Note:</b> Additional Staff like Sweeper, attendant, lifter, data entry operator, security guards, electrician, plumber, carpenter, driver, multi-purpose worker etc. may be obtained by outsourcing.					

**SCHEDULE-VII**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF MODELS, EQUIPMENT AND INSTRUMENTS ETC., FOR KULLIYAT UMOORE TABIYA PRACTICAL LABORATORY CUM TUTORIAL ROOM, MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM FOR TAREEKH-E TIBB AND LANGUAGE LABORATORY UNDER THE DEPARTMENT OF KULLIYAT**

Serial No.	Instruments and Equipment	sixty students intake capacity	one hundred students intake capacity	one hundred fifty students intake capacity	two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. Kulliyat Umoore Tabiya Practical Lab cum Tutorial Room</b>					
<b>A. Charts for Demonstration</b>					
1	Flow Chart of 'Ilme Tibb and its Classifications			Assorted	
2	Flow Chart of the Tabiat			Assorted	
3	Graphical representation of Kaifiyat-e Arba			Assorted	
4	Tabular representation of Arkan-e Arba with reference to Kaifiyat-e Arba			Assorted	
5	Demonstration of 'Anāšir Insāniyya in the Periodic Table			Assorted	
6	Flow Chart of the Mizaj			Assorted	
7	Tabular description of Ajnas-e Ashra to identify Human Temperament			Assorted	
8	Flow Charts for Akhlat-e Arba			Assorted	
9	Flow Charts for A'za			Assorted	
10	Flow Charts for Quwa			Assorted	
11	Flow Charts for Arwah			Assorted	
12	Flow Charts for Af'al			Assorted	
<b>B. Models for Demonstration and Spotting</b>					
13	Models for Aaza-e Raeesa			Assorted	
14	Models for Azae- Adna			Assorted	
15	Models for Aaza-e Muhaiyya			Assorted	
16	Models for Aaza-e Muaddia			Assorted	
17	Models for Quwwat-e Nafsaniah			Assorted	
18	Models for Quwwat-e Haiwaniyah			Assorted	
19	Models for Quwwat-e Tabiyah			Assorted	
20	Models for Quwwat-e Tansauliyah			Assorted	
21	Models for Aaza-e Harrah			Assorted	
22	Models for Aaza-e Baridah			Assorted	
23	Models for Aaza-e Rataba			Assorted	
24	Models for Aaza-e Yabisa			Assorted	

25	Models for Aalat-e-Hawas-e Khamsa Zahirah	Assorted			
26	Models for Aaza-e Murakkaba	Assorted			
27	Models for Aaza-e Mufradah	Assorted			
28	Models for Aaza-e Manwiya	Assorted			
29	Models for Aaza-e Damwia	Assorted			
<b>C. Practical Lab Equipments</b>					
30	Blood Pressure Apparatus	One	Two	Three	Four
31	Microscope with oil immersion	Two	Four	Six	Eight
32	Stethoscope	Five	Ten	Fifteen	Twenty
33	Weighing Scale	One	One	One	One
34	Height Scale	One	One	One	One
35	Stopwatch	One	One	One	One
36	Thermometer	One	One	One	One
37	Barometer	One	One	One	One
38	Glucometer	One	One	One	One
39	Pulse Oximeter	One	One	One	One
40	Globe	Three	Four	Five	Six
41	World Maps Large	Two	Two	Two	Two
42	Glassware	One	One	One	One
43	Surgical gloves	As required			
44	Gloves powder	As required			
45	Surgical blade	Assorted			
46	Soap	As required			
47	Disposable syringe and needle	Assorted			
48	Wash Basin	As required			
49	Glass jars	Assorted			
50	Refrigerator	One			
51	Prepared slides of Tissues	Assorted			
52	Spirit Lamp	As required			
53	Dropper	Assorted			
54	Test Tube	Assorted			
55	Test Tube Stand	Assorted			
56	Test Tube Holder	Assorted			
57	Yellow Top Tube or SST	Assorted			
58	Centrifuge Machine	As required			
59	Laboratory Thermometer	As required			
60	Hemocytometer	As required			
61	Cotton Bolls	Assorted			
62	Air Quality Monitor	As required			
63	Wintrobe Tube	As required			
64	Potential of Hydrogen (pH) Pen	As required			
65	A wire Loop	As required			
66	Incinerating Dish	As required			
67	Muffle Furnace	One			
68	Thermocouple	As required			
69	Newton's Color Disc	As required			
70	Wrist Arm Strength Gripper	As required			
71	Colorimeter	As required			
72	Lancets	As required			
73	Temperature Humidity Air Pressure Meter	As required			
74	Syringe	Assorted			

75	Ethylenediaminetetraacetic acid Tube	Assorted
76	Fluoride Tube	Assorted
77	Scissors	Assorted
78	Treadmill	One
79	Pole Climbing Apparatus	As required
<b>II. Museum Cum Tutorial Room for Tareekh-E Tib (History of Medicine)</b>		
<b>A. Pictures or Text or Historical description of the following:</b>		
1	Babylonian Medicine: Hammurabi	Assorted
2	Egyptian Medicine: Imhotep, Medical papyri	Assorted
3	Chinese Medicine: Fu Hsi, Shen Nong, Huangdi	Assorted
4	Ayurveda: Charaka, Sushruta	Assorted
5	Unani Medicine: Asclepius I, Hygeia, Panacea, Telesphorus	Assorted
6	Buqrat (Hippocrates): The Father of Medicine	Assorted
7	Siddha Medicine: eighteen Siddhars and Agasthiyar, the father of Siddha	Assorted
8	Sowa-Rigpa system of Medicine	Assorted
9	Greco-Roman: Galen (Jalinoos), Dioscorides	Assorted
10	Greco-Arab: Rabban Tabri, Abu Sahl Masihi, Avicena (Ibn-e-Sina), Abuclasis (Abul Qasim Zahrawi), Hazen (Ibn-e-Haitham), Abu Rehan Al Al Barooni, Avenzoar (Ibn-e-Zuhr), Averroes (Ibn-e-Rushd), Maimonides (Moosa Bin Maimon), Ismail Jurjani, Ibn-e-Baytar, Najeebuddin Samaqandi, Ibn-e-Nafees, Nafees Bin 'Iwad Kirmani	Assorted
11	Indian Unani Physicians: Zia Mohammad Massod Rashid Zangi, Shahab Abdul Karim Nagori, Ali Gilani, Akbar Arzani, Alvi Khan, Sharif Khan, Ahmad Gilani, Azam Khan, Ajmal Khan, Syed Ghulam Husnain Kantoori, Mohammad Kabiruddin	Assorted
12	Distinguished Unani Institutions: Madarsae Iskandria, Madarsae Jundishahpur, Baitul Hikmat	Assorted
13	Medical Code of Conduct: Hippocratic Oath, Hummurabi's Medical code of ethics, Code of Ethics of Chinese medicine, Code of Ethics of Ayurveda, Code of Ethics of Tibb-e-Nabvi, Ethical Code for the Physicians as Constituted by the National Commission for Indian System of Medicine	Assorted
14	Unani Medical Text: Kitab al-Tabiyatul Insan, Fusool-e Buqratia (Hippocratic Corpus), Mu'aedah- e Buqratia, Jawame al-Iskandreeneen (Alexandrine Collection), Kitab al-Masail, 'Ashr Maqalat fil-'Ain, Firdaus-ul Hikmat, Kitab al-Hawi, Kitab al- Mansuri, Kamil Us-Sana'at, Kitab al-Mi'at, Al- Qanoon fi-Tib, Kitab al-Tasreef, Kitab al-Kulliyat, Zakheera-e Khwarzam Shahi, Kitab al-Asbab wa al-Alamat, Mo'jaz al-Qanoon, Sharah-e Asbab wa al- Alamat, Sharah-e Nafeesi,	Assorted

	Majmua-e Ziyai Tibb-e Shahabi, Sharah-e Qanoon, Tibb-e Akbar, Qarabadeen Quadri, Talkhees Tibb-e Nabwi, Mufarreh-ul Quloob, Jame-ul Jawame Ahmad Shahi, 'Ilaj-ul Amraz	
<b>B. Models</b>		
15	Stone Plates (Khishti Takhtiyani)	Assorted
16	Liver and Skull Model of Babylonian Medicine	Assorted
17	Classical Model and Equipment used in Chinese Medicine	Assorted
18	Classical Model and equipment used in Ayurveda, Siddha and Sowa-Rigpa	Assorted
19	Classical Model and equipment used in Unani Medicine	Assorted
<b>III. Language Laboratory</b>		
<b>Note:</b> The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide all facilities including equipment, instruments, specimens etc., for conducting practical listed in the syllabus and for demonstrative teaching.		

**SCHEDULE-VIII**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR DISSECTION HALL, PRACTICAL LABORATORY AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF TASHREEHUL BADAN (ANATOMY)**

Serial No. (1)	Instruments and Equipment (2)	sixty students intake capacity (3)	one hundred students intake capacity (4)	one hundred fifty students intake capacity (5)	two hundred students intake capacity (6)
<b>A. Dissection Hall</b>					
1	Tank with a capacity to preserve 2-4 bodies	Essential			
2	Dissection Sets	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
3	Dissecting Table				
	a. Full size with stainless steel top or marble top	Three	Five	Eight	Ten
	b. Half size with stainless steel top or marble top	Three	Five	Seven	Ten
4	X-ray viewing box	Three	Four	Five	Six
5	Bone cutter of the numbers $\frac{3}{4}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{4}$ , $\frac{1}{8}$ – fine pointed Chisel bone dissector	As required			
6	Surgical gloves	As required			
7	Surgical blade	As required			
8	Disposable syringe and needle	As required			
9	Wash Basin	As required			
10	Preservative Chemicals	As required			
11	Glass jars	Assorted			

12	Embalming Machine (optional)	One			
13	Band saw (optional)	One			
14	Hand saw	One			
15	Histology slides	Assorted			
16	Binocular Microscope	Four	Six	Eight	Ten
17	Stools for students (preferably revolving)	Assorted			
18	Furniture and other equipment	Assorted			
<b>Note:</b> The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide all facilities including equipment, instruments, specimens etc., according to student intake capacity for smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.					
<b>B. Museum cum Tutorial Room</b>					
1	Specimens such as skeleton, bones, joints, preserved organs etc.,	As required			
2	Models or charts				

**SCHEDULE-IX**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR MANAFEUL AZA (PHYSIOLOGY) PRACTICAL LABORATORY AND TUTORIAL ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF MANAFEUL AZA (PHYSIOLOGY)**

Serial No. (1)	Equipment and Instruments (2)	sixty students intake capacity (3)	One hundred students intake capacity (4)	One hundred Fifty students intake capacity (5)	Two hundred students intake capacity (6)
1	Microscope with oil immersion	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
2	Westergren's pipette for Erythrocyte Sedimentation Rate	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
3	Westergren's stand	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
4	Haematocrit Tube	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
5	Packed Cell Volume (PCV) Pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
6	Sahli's Haemoglobinometer	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
7	Haemocytometer	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
8	Stethoscope	Ten	Twenty	Thirty	Forty
9	Clinical Thermometer	Ten	Twenty	Thirty	Forty
10	Knee Hammer	Ten	Twenty	Thirty	Forty
11	BP Apparatus	Ten	Twenty	Thirty	Forty
12	Tuning forks	Ten	Twenty	Thirty	Forty
13	Electrocardiograph Machine	One	One	Two	Two
14	Stop watches	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
15	Water Distillation Unit	One	One	One	One
16	Weighing machine	One	Two	Three	Four
17	Height measuring stand	One	Two	Three	Four
18	Balance-Electronic	One	Two	Three	Four
19	Snellen chart	Two	Two	Four	Four
20	Centrifuge with speed control	One	Two	Three	Four
21	Colorimeter (Photoelectric)	One	Two	Three	Four
22	pH Meter (Electric)	One	Two	Three	Four
23	pH Comparator with disc	One	Two	Three	Four
24	Newton's colour wheel	One	Two	Three	Four
25	Sterilizer	One	One	Two	Two

26	Peak expiratory flow meter	One	Two	Three	Four
27	Spirometer	One	Two	Three	Four
28	Urinometer	One	Two	Three	Four
29	Compass aesthesiometer	One	One	Two	Two
30	Thermal aesthesiometer	One	One	Two	Two
31	Hand grip dynamometer	One	One	Two	Two
32	Harvard step	One	One	Two	Two
33	Lancet pen	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
34	Disposable syringe and needles	As required			
35	Needle destroyer	As required			
36	Refrigerator	One	One	One	One
37	Bunsen burner	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
38	Spirit lamp	Six	Six	Ten	Ten
39	Tripod stand	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
40	Cover slips	As required			
41	Glassware	As required			
42	Microslides	As required			
43	Reagents	As required			
44	Torch	As required			
45	Measuring tape	As required			
46	Blotting paper	As required			
47	Stools for students (preferably revolving)	As required			

**Note:** The listed items in the table are minimum essential standard requirements. The department shall maintain and provide all facilities including equipment, instruments, chemicals/reagents, chart, models etc., according to student intake capacity for smooth conduct of the practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.

**SCHEDULE-X**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR  
ILMUL ADVIA (PHARMACOLOGY) PRACTICAL LABORATORY, WASFUL AQAQIR  
(PHARMACOGNOSY) PRACTICAL LABORATORY, HERBARIUM AND MUSEUM CUM TUTORIAL  
ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF ILMUL ADVIA**

Serial No.	Equipment and Instruments	sixty students intake capacity	One hundred students intake capacity	One hundred Fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Ilmul Advia Practical Laboratory</b>					
1	Silbatta				
	a. Small	Two	Four	Eight	Ten
	b. Medium	Two	Four	Eight	Ten
	c. Large	Two	Four	Eight	Ten
2	Kharal (Pestle and mortar)				
	a. Sange Marmar	Two	Four	Eight	Ten
	b. Sange Siyah	Two	Four	Eight	Ten
	c. Sange Sumaaq	Two	Four	Eight	Ten
3	Distillation apparatus	One	One	One	One



4	Soxhlet apparatus with heating unit	One	One	Two	Two
5	Havan Dasta (for Pounding)	Two	Four	Eight	Ten
6	Centrifuge	Two	Four	Six	Eight
7	Clevenger Apparatus	Two	Two	Four	Four
8	Centrifuge tube	As required			
9	Test tube	Assorted			
10	Test tube holder	Assorted			
11	Test tube rack	Assorted			
12	Conical flask	Assorted			
13	Glass rod size 8	As required			
14	Dropper	As required			
15	Beaker (100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml)	As required			
16	Measuring jars (Glass) (10 ml, 25 ml, 100 ml, 500 ml)	As required			
17	Measuring jars (Plastic or Fiber) (10 ml, 25 ml, 100 ml, 500 ml)	As required			
18	Heating device				
	a. Gas stove	As required			
	b. Bunsen burner	As required			
	c. Induction stove	As required			
19	Balance				
	a. Physical	One	One	Two	Two
	b. Electronic	One	Two	Three	Four
20	Refrigerator	One	One	One	One
21	Vessels				
	a. Copper	Assorted			
	b. Steel	Assorted			
	c. Iron	Assorted			
	d. Earthen	Assorted			
22	Ladle, Spatula, Spoon etc.,	Assorted			
23	Juice extractor	As required			
24	Glass jars	As required			
25	Pasteur pipette 1 ml	As required			
26	Pipette	As required			
27	Funnel	As required			
28	Round bottom flask with iron mesh	As required			
29	Watch glass 80 mm	As required			
30	Platinum wire	As required			
31	Brush	As required			
32	Blotting or Filter paper	As required			
33	pH indicator paper	As required			
34	Knives	Assorted			

35	Steel plates	Assorted			
36	Enamel tray	Assorted			
37	Areca nut cutter	As required			
38	Chopping pad	Assorted			
39	Surgical gloves	As required			
40	Water bath	One	One	Two	Two
41	Spirit lamp	As required			
42	Chemicals and reagents	As required			
43	Almirahs and racks for storage	As required			
44	Test tubes and test tube racks	As required			
45	Fire extinguisher	One			
46	Muffle Furnace	One			

**Note:** 1. The listed items in the table are minimum essential standard requirements. The department shall maintain and provide all facilities including equipment, instruments, chemicals or reagents etc., according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.

2. Fire safety measures should be available.

### **B. Wasful Aqaqir (Pharmacognosy) Practical Laboratory**

<b>Plant Anatomy</b>					
1	Field magnifier	Six	Ten	Fifteen	Twenty
2	Trinocular microscope with digital camera	One	One	Two	Two
3	Compound microscope	Fifteen	Twenty	Twenty-five	Thirty
4	Watch glass	Fifteen	Twenty	Forty	Fifty
5	Microslides (boxes)	Five	Ten	Fifteen	Twenty
6	Cover glass (boxes)	Five	Ten	Fifteen	Twenty
7	Wash bottles	Five	Ten	Fifteen	Twenty
8	Slide box with permanent slides	Required as per the syllabus			
9	Plastic dropper bottle-10 ml	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
10	Petri dishes-set	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
11	Chemicals and reagents	As required			
<b>Plant Taxonomy</b>					
12	Dissecting Microscope	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
13	Enamel trays	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
14	Hand magnifier	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
15	Specimen bottles (500 ml)	As required			
16	Dissection box with brushes, needles, and razor/blades	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
17	Formaldehyde (Preservation)	As required			
<b>Chromatography</b>					
18	Thin Layer Chromatography Chamber	Fifteen	Twenty	Twenty-five	Fifty
19	Thin layer chromatography pre-coated plates (in boxes)	One	Two	Three	Four
20	Thin layer chromatography glass	Fifteen	Twenty	Twenty-five	Fifty

	plates				
21	Mortar and Pestle	Five	Ten	Fifteen	Twenty
22	Reagent bottle	Ten	Twenty	Thirty	Forty
23	Beaker-250 ml	Ten	Twenty	Thirty	Forty
24	Beaker-100 ml	Ten	Twenty	Thirty	Forty
25	Conical flask	Five	Ten	Fifteen	Twenty
26	Glass funnel	Ten	Twenty	Thirty	Forty
27	Micro pipette	Fifteen	Twenty	Twenty-five	Fifty
28	Measuring cylinder-10ml	Ten	Twenty	Thirty	Forty
29	Measuring cylinder-25 ml	Ten	Twenty	Thirty	Forty
30	Measuring cylinder- 100 ml	Ten	Twenty	Thirty	Forty
31	Whatsman filter paper roll	One	Two	Three	Four
32	Filter paper round-box	Five	Ten	Fifteen	Twenty
33	Capillary tube (Box)	One	Two	Three	Four
34	Chemicals and reagents	As required			
<b>Miscellaneous</b>					
35	Electronic balance	One	Two	Three	Four
36	Chemical balance	One	One	One	One
37	Ocular micrometer	One	Two	Three	Four
38	Stage micrometer	One	Two	Three	Four
39	Camera Lucida prism type and mirror type (optional)	One	Two	Three	Four
40	Hot plates	One	Two	Three	Four
41	Liquified Petroleum Gas cylinder with burner	As required			
42	Stools for students (preferably revolving)	As required			
43	Refrigerator	One			
<b>Herbarium</b>					
44	Plant press	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty -five
45	Wooden Field press	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty -five
46	Vasculum/Botanical box	Five	Ten	Fifteen	Twenty
47	Herbarium cabinet	One	One	One	One
48	Gardening tools for herbal garden (Spade, hand hoes, rake, crowbar, garden scissors, secateurs, water hose, hand sprinkler, sand bond etc.,	As required			
<b>Note:</b> The listed items in the table are minimum essential standard requirements. The department shall maintain and provide all facilities including equipment, instruments, chemicals or reagents etc., according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.					
<b>C. Museum Cum Tutorial Room</b>					
1	Advia Nabatiya (Herbs)	Specimens of concerned categories (Poisonous substances should be preserved safely in locked display shelf cabinet)			
2	Advia Madaniya (Metals and Minerals)				
3	Advia Haywaniya (Animal				

	derivatives)				
4	Herbarium cabinet with Urdu alphabetical cases	one hundred specimens	one hundred fifty specimens	two hundred specimens	two hundred fifty specimens
5	Permanent microslide specimens	Twenty			

**SCHEDULE-XI**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS ETC., FOR ILMUL SAIDLA (UNANI PHARMACY) TEACHING PHARMACY OR PRACTICAL LABORATORY, QUALITY TESTING LABORATORY AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM**

UNDER THE DEPARTMENT OF ILMUL SAIDLA (UNANI PHARMACY)

Serial No.	Equipment and Instruments	sixty students intake capacity	One hundred students intake capacity	One hundred Fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. IImul Saidla Practical Laboratory (Teaching Pharmacy)</b>					
1	Silbatta				
	a. Small	Ten	Twenty	Thirty	Forty
	b. Medium	Ten	Twenty	Thirty	Forty
	c. Large	Ten	Twenty	Thirty	Forty
2	Kharal (Pestle and mortar)				
	a. Sange Marmar	Two	Three	Four	Five
	b. Sange Siyah	Two	Three	Four	Five
	c. Sange Summaq	Two	Three	Four	Five
	d. Porcelain	Ten	Twenty	Thirty	Forty
	e. Iron	Two	Four	Six	Eight
3	Distillation apparatus including traditional apparatus such as Qara Ambiq, Nal Bhabka, Patal Jantar, Jal Jantar, Damru Jantar, Tareeqe Lolabi, Tareeqe habli, Hammame mayiya etc.	One each	Two each	Three each	Four each
4	Havan Dasta (for Pounding)	Ten	fifteen	Twenty	twenty-five
5	Boota (Crucibles)	Ten	Twenty	Thirty	Forty
6	Putt (bhatti) (Different kinds)	Ten	Ten	Ten	Ten
7	Phunkni (Blower)	Two	Four	Six	Eight
8	Heating device				
	a. Gas stove	Fifteen	Twenty	Twenty-five	Thirty
	b. Induction stove	As required			
	c. Choolha or Angeethi (Charcoal or wooden block)	As required			
	d. Hot plate	As required			
9	Balance different capacities				

	a. Physical	One	Two	Three	Four
	b. Electronic	One	Two	Three	Four
	c. Chemical	One	One	Two	Two
10	Vessels, jars, plates, tray etc.				
	a. Brass vessels and containers	Assorted			
	b. Copper vessels and containers	Assorted			
	c. Steel vessels and containers	Assorted			
	d. Iron vessels and containers	Assorted			
	e. Mud or Earthen vessels and containers	Assorted			
	f. Frying pan	Assorted			
	g. Spatula	Assorted			
	h. Ladle and spoon	Assorted			
	i. Steel plates	Assorted			
	j. Enamel tray	Assorted			
	k. Plastic tray	Assorted			
	l. Jars and Containers	Assorted			
11	Grinding machines				
	a. Mixer grinder	One	Two	Three	Four
	b. Wet grinder	One	One	Two	Two
12	Pyrometer	Assorted			
13	Refrigerator	One	One	One	One
14	Thermometer	As required			
15	Knives	Assorted			
16	Scrappers	Assorted			
17	Chopping pad	Assorted			
18	Measuring equipment of different sizes (glass)	Assorted			
19	Porcelain jars for fermentation purpose	Assorted			
20	Sieves (Different size and numbers)	Assorted			
21	Juice extractor	Assorted			
22	Pressure cooker	Assorted			
23	Fire extinguisher	One			
24	Spirit lamp	Assorted			
25	Almirahs and Racks for storage	Assorted			
<p><b>Note:</b> 1. Putt (Bhatti) shall be maintained in the suitable area in the college premises to demonstrate different process.</p> <p>2. The listed items in the table are the minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain facilities including equipment, instruments, etc., for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.</p> <p>3. Fire safety measures should be available.</p>					
<b>B. Quality Testing Laboratory</b>					
1	Tablet Disintegration apparatus				
2	Muffle furnace				
3	Soxhlet apparatus with heating unit				
4	Magnetic stirrer				
5	Water bath (Temperature controlled)				
6	Centrifuge				
7	Centrifuge tube				

8	Titration tube
9	Glass or steel distillation apparatus
10	Digital pH meter
11	Tablet hardness tester
12	Tablet friability tester
13	Tablet dissolution tester
14	Hydrometer
15	Alcohol determination apparatus
16	Vernier caliper
17	Hot plate
18	Heating mantles
19	Bulk density tester
20	Rotary shaker
21	Ultraviolet spectro-photometer (Optional)
22	Refractometer
23	Hot air oven (different range of temperature)
24	Microwave oven
25	Pyrometer
26	Pycnometer or Specific gravity bottle
27	Microscope (Simple)
28	Microscope with software (Motic or Carlzeis) (Optional)
29	Compound microscope
30	Microtome
31	Microslide cabinet
32	Dissection box
33	Aluminum side trays
34	Ocular micrometer
35	Stage micrometer
36	Camera Lucida Prism type and mirror type (Optional)
37	Boiling point and Melting point determination apparatus
38	Volatile oil determination apparatus (Clevenger apparatus)
39	Viscometer (Ostwald's, Redwood)
40	Glassware (beakers, funnel, test tubes, measuring cylinders, conical flasks, glass rod, dropper etc)
41	Pipette
42	Chemicals and reagents
43	Electronic balance
44	Sieve shaker (sieves 10 to 120)
45	Flask shaker
46	Slide with cover slip
47	Pestle and mortar
48	Litmus paper (blue and red)
49	Hydrion pH paper
50	Test tube rack
51	Spatula, Spoon etc.,
52	Filter paper

53	Spirit lamp	
54	Round bottom glass with iron mesh	
55	Platinum wire	
56	Watch glass	
57	Bunsen burner	
58	Refrigerator	
59	Dehumidifier	
60	Liquified Petroleum Gas cylinder with burners	
61	Silica crucible	
62	Moisture determination apparatus	
63	Conductivity meter (Hand operated and bench top model)	
64	Nephelometer and Turbidimeter	
65	Thin layer chromatography apparatus and all accessories	
<b>Note:</b> 1. Department shall provide facilities to demonstrate or practice traditional methods of quality assessments 2. The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide all facilities including equipment, instruments, chemicals or reagents etc., for practical training and demonstrative teaching.		
<b>C. Museum Cum Tutorial room</b>		
1	Advia Nabatiya (Herbs)	Specimens (Poisonous substances should be preserved safely in locked display shelf cabinet)
2	Advia Madaniya (Metals and Minerals)	
3	Advia Haywaniya (Animal derivatives)	
4	Kushtajat, Khar, Rubb, Satt etc.	Samples in glass jars
5	Qara Ambiq	Each one
6	Nal Bhabka	
7	Patal Jantar	
8	Jal Jantar	
9	Damru Jantar	
10	Tareeqe Lolabi	
11	Tareeqe habli	
12	Hammame mayiya	
13	Jar Alaqi	

**SCHEDULE-XII**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS ETC., FOR MAHIYATUL AMRAZ (PATHOLOGY) PRACTICAL LABORATORY AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF MAHIYATUL AMRAZ (PATHOLOGY)**

Serial No.	Equipment and Instruments	sixty students intake capacity	One hundred students intake capacity	One hundred Fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Mahiyatul Amraz (Pathology) Practical Laboratory</b>					
1	Binocular microscope with oil immersion	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
2	Microscope with oil immersion	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
3	Monocular microscope with lens 20 (e)	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
4	X-ray view box	One	One	Two	Two
5	Sahli's Square tube (Haemoglobinometer)	Thirty	Fifty	Fifty	Fifty
6	Hb pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
7	White Blood Cell pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred

8	Dropper	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
9	Red Cell pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
10	Improved Neubauer counting chamber	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
11	Incubator	One	Two	Three	Four
12	Wintrobe's tube	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
13	Pasteur's pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
14	Centrifuge Graduated Machine	One	Two	Three	Four
15	Westergren's pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
16	Westergren's stand or Wintrobe stand	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
17	Urinometer	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
18	Autoclave	One	One	One	One
19	Cell counter (haemo-auto analyzer)	One	One	One	One
20	Blood pressure Apparatus	Five	Ten	Fifteen	Twenty
21	Stethoscope	Five	Ten	Fifteen	Twenty
22	Thermometer	Ten	Twenty	Thirty	Forty
23	Thermal Scanner	One	Two	Three	Four
24	Tongue depressor	Five	Ten	Fifteen	Twenty
25	Stop watch	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
26	Physical Balance	One	One	Two	Two
27	Electronic balance	One	One	Two	Two
28	Hot air oven	One	One	Two	Two
29	Bunsen Burner	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
30	Refrigerator	One	One	One	One
31	Sterile vessels or bottle to collect samples	As required			
32	Torch	As required			
33	Measuring Tape	As required			
34	Weighing machine	One	One	One	One
35	Tuning Forks	Assorted			
36	Nasal speculum	As required			
37	Laryngoscope	As required			
38	Catheters	As required			
39	Probes	Assorted			
40	Kit (HBs Ag kit, HIV kit, CT-BT kit, Renal profile kit, Lipid profile kit, Blood sugar kit etc.,)	Assorted			
41	Sterile disposable lancet or needle	Assorted			
42	Glass rod	Assorted			
43	Syringe needle destroyer	As required			
44	Cover slip	As required			
45	Cleaned slides	As required			
46	Litmus paper	As required			
47	pH indicator paper strips	As required			
48	Test-tube, Test-tube holder, Test tube rack	Assorted			
49	Funnel	As required			
50	Conical flask	Assorted			
51	Glass Jars with lid of different sizes	Assorted			
52	Capillary Tubes	Assorted			
53	Magnifying lens	As required			
54	Rubber teat	Assorted			



55	Multi sticks	Assorted			
56	Colorimeter	Two	Four	Six	Eight
57	pH meter	Two	Four	Six	Eight
58	Water bath	One	Two	Three	Four
59	Albuminometer	Ten	Twenty	Thirty	Forty
60	Drawing Rack	Two	Three	Four	Five
61	Micro pipette	Assorted			
62	Lancet	Assorted			
63	Forceps	Assorted			
64	Petri dish	Assorted			
65	Transparent Urine container	Assorted			
66	Graduated Cylinder	Assorted			
67	Tourniquet	As required			
68	Revolving Stool for students	As required			
<b>B. Museum cum Tutorial Room</b>					
1	Pathological specimens	Models or films or photographs or visuals or charts or Specimen displaying pathological conditions			
2	Typical X-Ray or Computed Tomography or Magnetic Resonance Imaging				
3	Diagnostic devices or instrument or equipment etc.,				
<p><b>Note:</b> 1. The listed items in the table are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain facilities including equipment, instruments, chemicals/reagents etc., according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.</p> <p>2. Safety measures shall be ensured against microbial contaminations.</p>					

### SCHEDULE-XIII

(see regulation 13 and 18)

#### MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS ETC., FOR NUTRITION LABORATORY, TAHAFUZI WA SAMAJI TIB PRACTICAL LABORATORY AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM AND

#### TIBBUL QANOON WA ILMUL SAMOOM (FORENSIC MEDICINE AND CLINICAL TOXICOLOGY) PRACTICAL LABORATORY AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF TAHAFUZI WA SAMAJI TIB (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)

Serial No.	Equipment and Instruments	sixty students intake capacity	One hundred students intake capacity	One hundred Fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Tahaffuzi Wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)</b>					
<b>I. Nutrition Laboratory</b>					
1	Digital weighing Scale	One	One	One	One
2	Kjheldahl system (Digestion unit + distillation unit)	One	One	One	One
3	Digital Muffle Furnaces	One	One	One	One
4	Soxhlet Fat Extraction System	One	One	One	One
5	Abbe's Digital Refractometer	One	One	One	One
6	Flame Photometer	One	One	One	One
7	Hot Air oven	One	One	One	One
8	Refrigerator	One	One	One	One

9	Water bath	Two	Two	Four	Four
10	Grinder	Two	Two	Four	Four
11	Magnetic stirrer	Two	Two	Four	Four
12	Hot Plate	Two	Two	Four	Four
13	Digital pH meter	Two	Two	Four	Four
14	Vacuum filter system	One	One	One	One
15	Sonicator	One	One	One	One
16	Fume hood	One	One	One	One
17	Desiccator	One	One	One	One
18	Vortex mixer	One	One	One	One
19	Viscometer	One	One	One	One
20	Refrigerated centrifuge	One	One	One	One
21	Digital Polarimeter	One	One	One	One
22	Burette	Twenty	Thirty	Forty	Fifty
23	Glass pipette	Twenty	Thirty	Forty	Fifty
24	Micropipette (Different Capacities)	Five each	Five each	Five each	Five each
25	Heating mantle (Different Capacities)	Five each	Five each	Five each	Five each
26	TDS meter	Two	Four	Six	Eight
27	Lactometer	Two	Four	Six	Eight
28	Body Fat Analyser	One	One	One	One
29	Anthropometric measuring tool (set)	One	One	One	One

**Note:** 1. The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide facilities including equipment, instruments, etc. according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching for conducting practical and for demonstrative teaching;

2. For conducting practical on culinary medicines as per concept of Unani Tib “Ghiza Dawai” if any, the facilities of either Ilmul Advia or Ilmul Saidla Practical Lab may be used, or department may establish such facilities in the department itself.

<b>II. Tahaffuzi Wa Samaji Tib Practical laboratory</b>					
1	Horrock's Apparatus	Six	Ten	Fifteen	Twenty
2	TDS meter	Six	Ten	Fifteen	Twenty
3	Turbidity meter	One	Two	Three	Four
4	Psychomotor	Six	Ten	Fifteen	Twenty
5	Air quality monitoring device	Six	Ten	Fifteen	Twenty
6	Male Condom	Six	Ten	Fifteen	Twenty
7	Female Condom	Six	Ten	Fifteen	Twenty
8	Cervical Cap	Six	Ten	Fifteen	Twenty
9	Sponge	Six	Ten	Fifteen	Twenty
10	Cervical rings	Six	Ten	Fifteen	Twenty
11	Oral Contraceptive pill	Six	Ten	Fifteen	Twenty
12	Progesterone only pill	Six	Ten	Fifteen	Twenty
13	Depot Medroxy Progesterone Acetate (DMPA)	Six	Ten	Fifteen	Twenty
14	NET EN	Six	Ten	Fifteen	Twenty
15	Gossypol	Six	Ten	Fifteen	Twenty
16	Yasmine	Six	Ten	Fifteen	Twenty

17	Lippies Loop	Six	Ten	Fifteen	Twenty
18	Copper T	Six	Ten	Fifteen	Twenty
19	Multiload	Six	Ten	Fifteen	Twenty
20	Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane (DDT)	Assorted	Assorted	Assorted	Assorted
21	Malathion	Assorted	Assorted	Assorted	Assorted
22	Pyrethrum	Assorted	Assorted	Assorted	Assorted
23	Various specimen of Vaccines	Assorted	Assorted	Assorted	Assorted
24	Various specimen of Pearls or Millet or Cereals	Assorted	Assorted	Assorted	Assorted
25	Digital glucometer	Six	Ten	Fifteen	Twenty
26	Chloroscope	Six	Ten	Fifteen	Twenty
27	Autoclave (Single Drum)	Two	Three	Five	Ten
28	Sound level meter	Six	Ten	Fifteen	Twenty
29	Digital Weighting Machine	Six	Ten	Fifteen	Twenty
30	Height scale	Six	Ten	Fifteen	Twenty
31	Shakir's tape	Six	Ten	Fifteen	Twenty
32	Harependen's Skinfold	Six	Ten	Fifteen	Twenty
33	Measuring tape (five feet)	Six	Ten	Fifteen	Twenty
<b>III. Museum cum tutorial room</b>					
1	Information on Asbab Sitta Zarooriya				
2	Information on public health according to concepts of Unani medicine				
3	Information on Ghiza Dawai				
4	Information on Unani preventive medicines				
5	Information on Riyazat, Dalk etc.				
6	Information on Unani Rejuvenators				
7	Information on Unani diet regimen as per Mizaj and Akhlat				
8	Information on Nutritious and balanced diet				
9	Information on Nuzj o Tanqiya (Bio-cleansing and detoxification measures) in Unani System of Medicine				
10	Information on National Health Programmes				
11	Information on vector borne diseases				
12	Information on communicable diseases				
13	Information on non-communicable diseases				
14	Information on medicinal plants, uses and importance in preventive and promotive healthcare perspective				
15	Specimens- Unani preventive medicines				
16	Specimens under different tastes and its influences over the body				
17	Specimens- Medicines nourishing body constituents				
18	Specimens- Fumigation drugs Unani				
19	Specimens of Ajza e Ghizai (foods) influencing akhlat e Arba				
20	Specimens- Unani Rejuvenators				
21	Specimens- Aqsam e Ghiza				
22	Models on Tahaffuzi wa Samaji Tib (community medicine)				
23	Charts on Tahaffuzi wa Samaji Tib				
24	Specimen of different types of Mosquitoes				

25	Models/charts/specimen of Mosquitoes' Life cycle				
<b>B. Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology)</b>					
<b>I. Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) Practical Laboratory</b>					
1	Test tubes	As required			
2	Test tube stands and holders	As required			
3	Glass Jar 200ml	As required			
4	Silver Stainless steel spoon	As required			
5	Glass Plate (Small)	Assorted			
6	Spirit lamp	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty- five
7	Glass bowl	As required			
8	Plastic Spotter Container	Fifty	Fifty	Hundred	Hundred
9	Stomach Wash Tube	Two	Two	Four	Four
10	Ryle's tube	Two	Two	Four	Four
11	Glass Beaker 200ml	Five	Five	Ten	Ten
12	Specimen Jar (Medium)	Five	Five	Ten	Ten
13	X-ray view box	One	One	Two	Two
14	Monocular Microscope with oil emersion lens Compound microscope	Five	Eight	Twelve	Sixteen
15	Dropper	As required			
16	Physical balance	One	One	One	One
17	Digital weighing scale	One	One	One	One
18	Refrigerator	One	One	One	One
19	Spatula	Assorted			
20	Enamel Trays	Assorted			
21	Almirahs and Racks for Storage	Assorted			
22	Artery Forceps (Big)	Four	Four	Four	Four
23	Conical Flask	As required			
24	Magnet Pieces	As required			
25	Glass rod	As required			
<b>Note:</b> The listed items in the table are minimum essential standard requirements. The department shall maintain and provide facilities including equipment, instruments, chemicals or reagents etc., according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.					
<b>II. Museum cum Tutorial Room</b>					
1	Skeleton Model	Male-one, Female-one			
2	Weapons (Pistol, Revolver, Rifle, Short gun, Hammer, Iron rod, Chopper Knife, Sickle, Spear, Sword, Razor and Axe etc.)	Specimens and Models (Poisonous substances or harmful weapons should be preserved safely in locked display shelf cabinet)			
3	Injury types (Models or Photos)				
4	Asphyxial death-models set or manikins				
5	Toxic substances (Specimens: Plants, Metals, Minerals, Animals and its derivatives)				
6	Poisonous snakes' model				
7	Human organs-specimens (Lung, Heart, Kidney, Liver, Uterus etc.)				
8	Magnifying lens to visualize fingerprints				

9	Inkpad for fingerprints	Assorted
10	X-Ray view box	One
11	Specimen of Unani and Modern Tiryāq	Assorted

**SCHEDULE-XIV**

(see regulation 13 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF MANIKINS OR SIMULATORS OR SPECIAL DEVICES FOR CLINICAL SKILL LABORATORY IN THE COLLEGE**

Sl. No (1)	Name of the Manikins or Simulator (2)	60 students intake capacity (3)	100 students intake capacity (4)	150 students intake capacity (5)	200 students intake capacity (6)
<b>A. Moalajat (Medicine) Section</b>					
1	Chest auscultation trainer	One	One	Two	Two
2	Abdominal examination trainer	One	One	Two	Two
3	Injections and IV trainer	Two	Four	Six	Eight
4	IV infusion and calculation of drip rate	One	Two	Three	Four
5	CPR Training	Two	Three	Four	Five
6	Oxygen therapy	One	One	Two	Two
7	Aerosol therapy or nebulization	One	One	Two	Two
<b>B. Ilaj Bit Tadbeer (Regimenal Therapy) Section</b>					
1	Full body manikins-Multipurpose	One	One	Two	Two
2	Enema trainer	Two	Two	Three	Four
<b>C. Jarahat (Surgery) &amp; Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) Section</b>					
1	Ryle's tube insertion	One	One	Two	Two
2	Early management of trauma and trauma life support	One	One	One	One
3	Pleural and Ascitic fluid aspiration	One	One	Two	Two
4	Urinary catheterization – Male	One	Two	Three	Four
5	Urinary catheterization – Female	One	Two	Three	Four
6	Basic Incision and Suture Trainer	Two	Three	Four	Five
7	Basic Wound Care	One	One	Two	Two
8	Basic Bandaging	One	One	Two	Two
9	Incision and Drainage trainer	Two	Three	Four	Five
10	Basic fracture and dislocation management trainer	One	One	Two	Two
11	Prostate examination trainer	One	One	Two	Two
12	Per-rectal examination trainer	One	One	Two	Two
13	Special devices				
	a. Ophthalmoscope	One	Two	Three	Four
	b. Fundoscope	One	Two	Three	Four
	c. Dermo scope	One	Two	Three	Four
	d. ENT examination set	One	Two	Three	Four
<b>D. Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) Section</b>					
1	Per speculum and per vaginal examination trainer	One	One	Two	Two
2	Visual inspection of cervix	One	One	Two	Two
3	Intra uterine contraceptive device insertion & removal trainer	One	One	Two	Two
4	Obstetric examination trainer	One	One	Two	Two
5	Episiotomy trainer	Two	Three	Four	Five
6	Normal labour	One	One	One	One

7	Intra uterine insemination (IUI) trainer	One	One	Two	Two
8	Examination of breast lump	One	Two	Three	Four
<b>E. Ilmul Atfal (Paediatrics) Section</b>					
1	Paediatric IV infusion and calculating drip rate	One	One	Two	Three
2	Neonatal resuscitation	One	One	Two	Three
<b>F. Mahiyatul Amaraz (Pathology) Section</b>					
1	Nursing trainer for decubitus	One	One	Two	Two
2	Blood sampling	One	One	Two	Two
<b>G. Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) Section</b>					
1	Documentation and certification of trauma	Two	Three	Four	Five
2	Diagnosis and certification of death	Two	Three	Four	Five
3	Legal documentation related to emergency cases	Two	Three	Four	Five
4	Certification of medico-legal cases	Two	Three	Four	Five
5	Establishing communication in medico-legal cases with police, public health authorities, and other concerned departments	Two	Three	Four	Five
<b>Note:</b> The listed items in the table are the minimum essential standard requirements. However, as per the requirement, the college may increase number of manikins / simulators for providing clinical skill to the students.					

**SCHEDULE-XV**

(see regulation 14 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS., FOR  
GHURFATUL WILADA (LABOUR ROOM AND MATERNITY OT) UNDER THE DEPARTMENT OF  
QABALAT WA NISWAN (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) IN THE ATTACHED TEACHING  
HOSPITAL**

Serial No. (1)	Equipment and Instruments (2)	Minimum Required Quantity (3)
1	Operation Theatre Light single dome, Mobile or ceiling	One
2	Suction Machine (Neonatal)	One
3	Oxygen Cylinder and Mask	One
4	Foetal Toco Cardiograph	One
5	Radiant Warmer	One
6	Photo therapy Unit	One
7	Weighing Machine (Paediatric)	One
8	Patient trolley	Two
9	Anaesthesia trolley	One
10	Infantometer	One
11	Vacuum extractor	One
12	Foetal Doppler	One
13	Low cavity forceps	Two
14	Steriliser	Two
15	Mackintosh rubber sheet	Assorted

16	Instruments for Labour and Episiotomy. (Scissors, forceps, needle holders etc.)	Assorted
17	Baby tray	Two
18	Nebuliser	One
19	Foetoscope	Five
20	Double Drum Auto Clave	One
21	Drums	Assorted
22	Instrumental Trolley	Assorted
23	Operation Theatre tables and head Up and head Low facility	One
24	Pulse Oximeter	One
25	Resuscitation kit	One
26	Boyle's Apparatus	One
27	Electrocautery	One
28	Medical Termination of Pregnancy (MTP) Suction Machine	One
29	Anaesthesia Kit	One
30	Blunt and Sharp Curettes	Ten
31	Dilators set (Hegar's, Hawkins)	Five
32	Sims's Speculum	Five
33	Cusco's Speculum	Five
34	Anterior Vaginal Wall retractor	Five
35	Uterine sound	Five
36	Volsellum	Five
37	Medical Termination of Pregnancy Suction Curate	Five
38	Retractors abdominal (Doyle's etc.)	Five
39	Sponge holding forceps	Five
40	Green Armitage forceps	Five
41	Uterus holding forceps	Five
42	Kocher's forceps	Six
43	Artery forceps (Long, short, Mosquito) Each	Assorted
44	Scissors- different sizes	Assorted
45	Forceps obstetrics	Five
46	Endotracheal tubes	Five
47	Cord Cutting appliances	Five
48	Intra-Uterine Contraceptive Device removing hook	Five
49	Bladder Sound	Five
50	B.P. apparatus	Two
51	Human Immunodeficiency Virus kit for emergency patients	Assorted
52	Plain and Hole towels	Assorted
53	Towel Clips	Assorted
54	Suturing Material (Different Numbers)	Assorted
55	Needles	Assorted
56	Needles Holders	Assorted
57	Wheelchair	One

58	Formalin Chamber	One
59	Fogging Machine	One
60	Allis Forceps (9", 12")	Four each
61	Dressing Drum	Three

**Note:** 1. The listed items in the table are minimum essential standard requirements. The department shall maintain and provide facilities including equipment, instruments, chemicals, medicines etc., for conducting labour, and for providing clinical training.  
2. Aseptic procedures/practices shall be followed in Labour room

**SCHEDULE-XVI**

(see regulation 14)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR MASRAH AMALIYA (OPERATION THEATRE WITH ATTACHED MINOR OPERATION THEATRE UNDER THE DEPARTMENT OF JARAHAT (SURGERY) IN THE ATTACHED TEACHING HOSPITAL**

Serial No. (1)	Equipment and Instruments (2)	Required Quantity (3)
1	Operation Theatre light Double Dome (Shadow less ceiling fitted)	One
2	Examination Light and Single Dome Mobile Operation Theatre light	One each
3	Needle holding Forceps (big- medium-small)	four each
4	Dressing drums of Assorted size	two each
5	Drum stand	two each
6	Intravenous infusion Stand	two
7	Cheatles Forceps	Four
8	Mosquito Forceps	Twenty
9	Scissors straight (Tailor)	Four
10	Scissors curved of different sizes	Five each
11	Stitch removal scissors	Five each
12	Tissue Dissecting forceps (Tooth and Non-Tooth)	Four each
13	Sinus Forceps	Four
14	Probes - Assorted size	Five each
15	Pointed scissors	Four
16	Abdominal Self Retaining Retractors	Five
17	Laparoscope with instruments	One set
18	Bob Kock's Forceps	Five
19	Kocher's Forceps	Five
20	Metallic Urethral Dilators (clutton and lister Bougie)	two each
21	Sponge holding forceps	Four
22	Right Angle cholecystectomy Forceps (Assorted)	Two each
23	Stone holding forceps (Urethral and common bile duct stone holding forceps)	Two each
24	Allis Forceps (6", 9", 12")	Six each
25	Electro cautery (400 watt)	One
26	Artery Forceps Curved (6", 9", 12")	Six each
27	Artery Forceps Straight (6", 9", 12")	Six each



28	Formalin Chamber (Small and Large)	Two each
29	Sigmoidoscope Rigid or flexible (Fiber-optic)	One
30	Barron's Banding Set	Two
31	Laryngoscope Pediatric and Adult	One each
32	Boyles Apparatus or Anesthesia workstation	One
33	Multi-parameter Monitor (7 parameters)	One
34	Ambu Bag (Silicon)	Two
35	Suction machine (Electrical or Manual)	One
36	Skin grafting knife with handle	Assorted
37	Surgical blades of different size	Assorted
38	Retractor (Single Hook, Czerney's, Langenbeck, Devers, Eyelid)	Two each
39	Bone cutter	Two
40	Gigli Saw	Two
41	Scoop (Bone and Muscle)	One each
42	Periosteum elevator	Two
43	Maggles Forceps	Assorted
44	Double Drum Horizontal Autoclave fitted with large Drum	One
45	Nitrous Oxide Cylinder	Two
46	Operation Table or Hydraulic Operation Table or Motorized Operation Table	Two
47	Instrument Trolley	Two
48	Proctoscope with or without illumination or Digital Proctoscope	Two
49	Rib Shear	One
50	Stretcher with trolley	Two
51	Myo's trolley	One
52	Emergency power back up facility (online UPS)	As required
53	Emergency light	Four
54	Bone Nebular	One
55	BP Apparatus with stand	Two
56	Fogging Machine	One
57	Refrigerator	One
58	X-ray View Box (double)	Two
59	Surgeon Hydraulic Stool	Two
60	Fistula Curette and fistula Director	One each
61	Rubber catheters of Assorted size	As required
62	Corrugated rubber drain	Assorted
63	Suturing Needle (straight or curved) of Assorted size	Assorted
64	Surgical Thread	Assorted
65	Wheelchair	Assorted
66	Needle holder (4", 6", 9")	Two each
67	Weighing machine	One
68	Electric sterilizers	Two
69	BP Handle of different size	Two each

70	Nebulizer	Two
71	SS containers (Dressing Drum) Assorted Size	As required
72	Surgical blades	Assorted
73	Kidney trays	Assorted
74	Anesthesia trolley	One
75	Instrument Cabinet	Two

**Note:** 1. The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide facilities including equipment, instruments, chemicals, medicines etc., for conducting surgical procedures, and for providing clinical teaching and training as per syllabus.

2. Jarahat procedure room (Minor Operation Theatre) for providing Unani surgical and para- surgical treatments and procedures.

### SCHEDULE-XVII

(see regulation 14)

#### MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS UNDER THE DEPARTMENT OF AIN UZN ANAF HALAQ WA ASNAN (OPHTHALMOLOGY, EAR, NOSE, THROAT AND DENTISTRY) FOR MASRAH AMALIYA (OPERATION THEATRE) IN THE ATTACHED TEACHING HOSPITAL

Serial No. (1)	Equipment and Instruments (2)	Required Quantity (3)
<b>I. Ain (Eye): Ophthalmic Equipment or Instruments for Operative Surgery</b>		
1	Ophthalmic Operation Table with head rest (hydraulic)	One
2	Sterilizing box or case with matts	Assorted
3	Lens insertion Forceps	Assorted
4	Keratome	Assorted
5	Desmarres lid retractors	Assorted
6	Cat-paw lacrimal retractor	Assorted
7	Mueller lacrimal sac retractor	Assorted
8	Dastoor iris retractor	Assorted
9	Meyrhoefer Chalazion currete	Assorted
10	Sinsky lens manipulating hook	Assorted
11	Intraocular Lens Manipulator	Assorted
12	Foreign body spud	Assorted
13	Lewis lens loop (vectis)	Assorted
14	Cystotome and spoon	Assorted
15	Mule Evisceration spoon	Assorted
16	Iris repository (double-ended)	Assorted
17	Jameson muscle hook	Assorted
18	Wills cautery with copper ball-point	Assorted
19	Langs lacrimal sac dissector	Assorted
20	Kelly Glaucoma punch	Assorted
21	Elevator (double ended)	Assorted
22	Nasal speculum adult or child	Assorted
23	Wilder punctum Dilator	Assorted
24	Bowman lacrimal probes	Assorted

25	Hartman mosquito forceps	Assorted
26	Colibri forceps 1*2 teeth	Assorted
27	Mcperson corneal forceps with tying platform	Assorted
28	Dressing forceps, serrated	Assorted
29	Moorfield conjunctival forceps	Assorted
30	Fixation forceps	Assorted
31	Beer cilea (epilation) forceps	Assorted
32	Arruga capsular forceps	Assorted
33	Snellen Entropion clamp	Assorted
34	Chalazion clamps	Assorted
35	Vannas straight scissors	Assorted
36	Barraquer needle holder	Assorted
37	Air injection cannula	Assorted
38	Healon aspirating cannula	Assorted
39	AC washout cannula	Assorted
40	Lacrimal cannula	Assorted
41	Hydrodialysis cannula	Assorted
42	J-loop cannula (Right or Left With silicon tubing)	Assorted
43	Simcok direct Irrigating and Aspiration cannula with silicon tubing	Assorted
44	Irrigating aspirating handle	Assorted
45	Lens dialer	Assorted
46	Superior Rectus forceps	Assorted
47	Eye wash glasses	Assorted
48	Swimming Goggles	Assorted
49	Ophthalmic Chair	One
<b>II. ENT-Surgical or Operative Procedural Instruments</b>		
1	Aural Syringe	Assorted
2	Jobson's Aural Probe	Assorted
3	Eustachian Catheter	Assorted
4	Mastoid Retractor	Two
5	Mastoid Gouge	Assorted
6	Mallet	Assorted
7	Nasal Foreign Body hook	Four
8	Nasal packing forceps	Assorted
9	Nasal Snare	Assorted
10	Bayonet Shaped gouge	Assorted
11	Walsham forceps	Assorted
12	Laryngeal forceps	Assorted
13	Tongue plate with throat suction	Assorted
14	Tonsil holding forceps	Assorted
15	Tonsillar suction	Assorted
16	Adenoid curette with cage	Assorted

17	Peritonsillar abscess draining forceps	Assorted
18	Fuller's Tracheostomy Tube	Assorted
19	Cheatel's Forceps	Assorted
20	Nasal endoscope	One
21	Ear, Nose and throat Set (Manual and digital)	One each
22	Other consumable articles like gloves, syringes, bandages, sutras, etc.	Assorted

**Note:** The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide facilities including equipment, instruments, chemicals, medicines etc., for conducting surgical procedures, and for providing clinical teaching and training as per syllabus.

### SCHEDULE-XVIII

(see regulation 14)

#### MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR ILAJ BIT TADABEER PROCEDURE SECTION AND PHYSIOTHERAPY UNIT UNDER THE DEPARTMENT OF ILAJ BIT TADABEER IN THE ATTACHED TEACHING HOSPITAL.

Serial No.	Equipment/Instrument	Student Intake capacity			
		Sixty students intake capacity	One hundred students intake capacity	One hundred fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Huqna (Enema), Abzan (Sitz Bath) and Qai (Emesis) Room</b>					
1	Procedure table (Male+Female)	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
2	Footstep stool	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
3	Ishal chair for elders	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
4	Medicines for Huqna (Enema), Abzan (sitz bath) and Qai (Emesis)	As required			
5	Medicine trolley	As required			
6	Enema kit	As required			
7	Enema stand	As required			
8	Intravenous fluids	As required			
9	Intravenous fluid stand	2	2	4	4
10	Working table	As required			
11	Vessels and bowls	As required			
12	Abzan and Qai Tub	As required			
13	Blood Pressure apparatus	2	2	2	2
14	Stethoscope	2	2	2	2
15	Towel	As required			
16	Waterproof rubber sheet (Macintosh)				
17	Waste bin	Assorted			
18	Cupboard	As required			
<b>B. Nushooq, Suoot and Shumoom.</b>					
19	Procedure table	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
20	Nasal applicator	As required			
21	Medicines for therapy	As required			
22	Cupboards	As required			

23	Vessels and bowls	As required			
24	Medicine trolley	As required			
25	Waterproof rubber sheet (Macantosh)_	As required			
26	Waste bin	Assorted			
<b>C. Hijama Therapy Section</b>					
27	Hijama bed and chair (Male+Female)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)	10 (5+5)
28	Footstep stool	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)	10 (5+5)
29	Hijama Chair	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
30	Procedure stool	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
31	Medicine trolley	As required			
32	Hijama cups (Disposable)	As required			
33	Cupboard	As required			
34	Hijama set	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)	10 (5+5)
35	Lancet or Scalpel	As required			
36	Vessels and bowls	As required			
37	Instrument tray	As required			
38	Kidney tray	As required			
39	Betadine lotion	As required			
40	BP apparatus	2	2	2	2
41	Stethoscope	2	2	2	2
42	Towel	As required			
43	Waterproof rubber sheet	As required			
44	Normal saline	As required			
45	Sterile cotton	As required			
46	Sterile Gauze swab	As required			
47	Cotton	As required			
48	Adhesive tape	As required			
49	Disposable Personal Protective Equipment Kits or Linen Surgical dress	As required			
50	Medicines for procedures (Applicable Roghaniyat or Safoof Zaj Abiyaz)	As required			
51	Surgical Gloves	As required			
52	Bandage	As required			
53	Waste bin	Assorted			
<b>D. Hammam Section</b>					
54	Steam bath chamber (Lying type)	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
55	Footstep stool	2	4	6	8
56	Stem bath Chamber (Sitting type)	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
57	Steam generator or boiler	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
58	Medicine trolley	As required			
59	Working table	As required			
60	Cupboard	As required			
61	Gas or Induction stove	As required			
62	Cooker	As required			
63	Towel	As required			
64	Medicines and raw drugs for procedures	As required			

65	Waste bin	Assorted			
<b>E. Irsale Alaq (Leech Therapy) and Fasd (Bloodletting) Section</b>					
66	Aquarium for storage of Leeches	2	2	2	2
67	Roller Bandage (four inch)	As required			
68	Lukewarm water	As required			
69	Gauze Pad	As required			
70	Blood Pressure apparatus	1	1	1	1
71	Stethoscope	1	1	1	1
72	Bandage cutting scissor	2	2	2	2
73	Kidney tray	As required			
74	Hole towel	As required			
75	Chob Zard Powder	As required			
76	Sang Jarahat Powder	As required			
77	Zaj Abiyaz Powder	As required			
78	Gile Armani Powder	As required			
79	Micro pore plaster	As required			
80	Surgical Gloves	As required			
81	23-gauge needle	As required			
82	18-gauge needle	As required			
83	Transparent Jars	As required			
84	Spirit	As required			
85	Povidone iodine solution	As required			
86	Tourniquet	As required			
87	Surgical Blade or Scalpel or Scarificator	As required			
88	Sponge holding forceps	As required			
89	Medicine trolley	As required			
90	Mackintosh Sheet	As required			
91	Fasd Table or Irsale Alaq Bed	2 (1+1)	4 (2+2)	6 (3+3)	8 (4+4)
92	Waste bin	Assorted			
<b>F. Dalk and Takmeed Bukhari Section</b>					
93	Procedure table	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
94	Footstep stool	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
95	Procedure stool	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
96	Steam generator set or Pressure Cooker with pipe	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
97	Procedure Apron	As required			
98	Cloth to make bundle	As required			
99	Towel	As required			
100	Scissors	As required			
101	Knife	As required			
102	Surgical gloves	As required			
103	Tray	As required			
104	Gas or Induction stove	As required			
105	Medicines and Raw drugs for Dalk or Takmeed Bukhari	As required			
106	Medicine preparation table	As required			

107	Medicine trolley	As required			
108	Cupboards	As required			
109	Waste bin	Assorted			
<b>G. Nutool Section</b>					
110	Procedure Set (Including Table and Stand)	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
111	Chair	2 (1+1)	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
112	Stool	2	4	6	8
113	Medicine trolley	As required			
114	Cupboard	As required			
115	Enamel Tray	As required			
116	Containers	As required			
117	Towel	As required			
118	Cloth	As required			
119	Scissors	As required			
120	Required medicines	As required			
121	Waste bin	Assorted			
<b>H. Physiotherapy Unit</b>					
122	Treatment table -wooden plinths	As required			
123	Treatment table-high-low adjustable	As required			
124	Mat table	As required			
125	Treatment room cabinets and chairs	As required			
126	Large mirror for visual feed back	As required			
127	Adjustable height exercise steps	As required			
128	Linens including towels	As required			
129	Step stools	As required			
130	Therapist stools on wheels	As required			
131	Variety of bolsters, wedges, supports	As required			
132	Mobilization of belt and devices	As required			
133	Gait belt	As required			
134	Various assistive devices	As required			
135	Tapping supplies	As required			
136	Orthotics and splining materials	As required			
137	Office equipment	As required			
138	Devices for test and measurements	As required			
139	First Aid	As required			
140	Basic modalities	As required			
141	Fitness and exercise equipment	As required			
142	Emergency Kit (Oxygen cylinder with trolley and regulator, Face Mask, Ambu Bag)	One			
143	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	One			
144	Interferential Therapy Machine (IFT)	One			
145	Electrical stimulator	One			
146	Quadriceps table	One			
147	Ankle exerciser	As required			
148	Finger exerciser	As required			

149	Ultrasound machine	One
150	Infrared lamp	Two
151	Shoulder pulley	As required
152	Shoulder wheel	As required
153	Parallel bar	One
154	Staircase trainer	One
155	Walking aids	As required
156	Activities Daily Living Kit	As required
157	Wax bath	One
158	Swiss ball	As required
159	Thera band	As required
160	Peg boards	As required
161	Wobble boards	As required
162	Dumbbells of different weights	Assorted
163	Static cycle	One
164	Wheelchair	One
165	Weight cuffs of different weights	Assorted

**SCHEDULE-XIX**

(see regulation 14)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS ETC.,  
AMRAZE JILD WA TAZEENIYAT OUT-PATIENT DEPARTMENT WITH ATTACHED PROCEDURE  
ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF AMRAZE JILD WA TAZEENIYAT IN THE ATTACHED  
TEACHING HOSPITAL**

Serial No.	Equipment and Instruments	Sixty students intake capacity	One hundred students intake capacity	One hundred fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wood's Lamp	One	One	Two	Two
2	Spot Narrow band ultraviolet B (NBUVB) therapy or comb	One	One	Two	Two
3	Wart Remover	One	One	Two	Two
4	Byfricator (Electrodessicator)	One	One	Two	Two
5	Dermatoscope (Digital Microscope)	One	One	Two	Two
6	Derma Chair	One	One	Two	Two
7	Derma Stool	One	One	Two	Two
8	Magnifying Glasses	Two	Two	Four	Four
9	Instrument Trolley	One	One	Two	Two
10	Autoclave	One	One	Two	Two
11	Scalpel Handle	One	One	Two	Two
12	BP apparatus	One	One	Two	Two
13	Stethoscope	One	One	Two	Two
14	Bandage or Cotton or Gauze or Betadine or Sprit	As per requirement			



15	Torch	As per requirement
16	Towel	As per requirement
17	Waterproof rubber sheet	As per requirement
18	Normal Saline	As per requirement

**Note:** The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide all facilities including equipment, instruments for Amraze Jild Wa Tazeeniyat and for providing clinical teaching and training.

**SCHEDULE-XX**

(see regulation 14)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS ETC.,  
FOR YOGA AND RIYAZAT UNDER THE DEPARTMENT OF TAHAFFUZI WA SAMAJI TIB IN THE  
ATTACHED TEACHING HOSPITAL**

Serial No.	Equipment and Instruments	Sixty students intake capacity	One hundred students intake capacity	One hundred fifty students intake capacity	Two hundred students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Yoga mat	Five	Ten	Fifteen	Twenty
2	Yoga folded blanket	Five	Ten	Fifteen	Twenty
3	Yoga foam rollers	As required			
4	Yoga exercise ball	As required			
5	Yoga wheel	As required			
6	Yoga wedge	As required			
7	Yoga wooden block	As required			
8	Yoga bolster	As required			
9	Yoga sandbag	As required			
10	Yoga belt or straps	As required			
11	Yoga -Resistance band	As required			
12	Meditation cushion	As required			
13	Meditation chair or Backless chair	As required			
14	Yoga anti-gravity wall rope full set	As required			
15	Yoga head stand bench	One	One	Two	Two

**Note:** The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide all facilities including equipment, instruments for Yoga and Riyazat and for providing clinical teaching and training.

**SCHEDULE-XXI**

(see regulation 14)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS FOR CLINICAL LABORATORY UNDER THE  
DEPARTMENT OF MAHIYATUL AMRAZ (PATHOLOGY) IN THE TEACHING HOSPITAL**

Serial No. (1)	Equipment and Instruments (2)
<b>Haematology or Pathology Section</b>	
1	Fully or semi-automated haematology analyser
2	Binocular microscope
3	Colorimeter
4	Other necessary equipment/instruments
<b>Biochemistry Section</b>	
1	Fully or semi-automated biochemistry analyser
2	Electrolyte analyser
3	Centrifuge
4	Hot air oven
5	Chemiluminescence or Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELIZA)
6	Glycated Haemoglobin (HbA1C) analyser or Card based
7	Other necessary equipment or instruments
<b>Microbiology Section</b>	
1	Binocular microscope
2	Incubator
3	Autoclave (vertical)
4	Hot air oven
5	Automated blood culture system
6	Bio-safety cabinet
7	Other necessary equipment and instruments
<p><b>Note:</b> 1. The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain all facilities including equipment, instruments, medicines etc., for conducting routine haematological, pathological, biochemical and microbiological diagnostic tests.</p> <p>2. The requirement of equipment and instruments mentioned for clinical laboratory in Schedule-XXI is applicable only for the new colleges to be established after notification of this regulation; All existing colleges (before notification) are permitted to continue with the existing facilities in clinical laboratories; however, they are allowed to upgrade the facilities as per their requirements in the future.</p> <p>3. For higher diagnostic tests, the college may have a tie-up with the nearest National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories -accredited diagnostic laboratory.</p>	

**SCHEDULE-XXII**

(see regulation 14)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF RADIOLOGY SECTION/IMAGING SECTION UNDER THE DEPARTMENT OF MAHIYATUL AMRAZ (PATHOLOGY) IN THE TEACHING HOSPITAL**

Serial No. (1)	Equipment or Instrument (2)	Requirements (3)
1	X-Ray unit with machine and accessories	Essential
2	Ultrasound scan	
3	Electrocardiogram Machine	
4	Digital X-ray	Desirable
<p><b>Note:</b> For higher imaging studies such as Computed tomography, Magnetic Resonance Imaging, Positron Emission Tomography, Doppler etc., college may have tie-up with nearest National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited diagnostic center.</p>		

**SCHEDULE-XXIII**

(see regulation 14 and 18)

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENTS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR OUT-PATIENT DEPARTMENTS IN THE TEACHING HOSPITAL**

Serial No. (1)	Out-Patient Department (2)	Equipment and Instrument (3)	Required Quantity (4)
1	<b>Moalajat (Medicine)</b>	Stethoscope	Four
		Blood Pressure Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal Scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Tuning forks	Assorted
		Face Mask	As required
Surgical gloves	As required		
2	<b>Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)</b>	Stethoscope	Four
		Blood Pressure Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal Scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Tuning forks	Assorted
		Surgical gloves	Assorted
		Face Mask	As required
		Instruments and equipment for the therapy section (male and female) attached to Out-Patient Department to perform Ilaj bit Tadabeer Out-Patient Department based procedures	As required
3	<b>Jarahat (Surgery)</b>	Stethoscope	Four
		Blood Pressure Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal Scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Proctoscope (Assorted sizes)	As required

		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Tuning forks	Assorted
		Surgical gloves	Assorted
		Cheetle's forceps	Four
		Face Mask	As required
		Instruments and equipment for the minor surgical therapy section (male and female) attached to Out-Patient Department to perform Out-Patient Department based surgical procedures.	Assorted
4	<b>Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)</b>	Stethoscope	Four
		Blood Pressure Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal Scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Surgical gloves	Assorted
		Face Mask	As required
		Magnifying Lens	One
5	<b>Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose and Throat and Dentistry)</b>	Stethoscope	Four
		Blood pressure Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal Scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Autorefractometer (refractometry or optometry)	One
		Ophthalmoscope or Fundoscope	One
		Slit eye lamp	One
		Otoscope	One
		Audiometry	One
		Bulls lamp	One
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Tuning fork	Assorted
		Surgical gloves	Assorted

		Face mask	Assorted
		Cheatele's forceps	Four
		Instruments and equipment for the minor surgical therapy section (male and female) attached to Out-Patient Department to perform Out-Patient Department based procedures under Ain Uzn Anaf Halaq wa Asnan	Assorted
6	<b>Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)</b>	Stethoscope	Four
		Blood pressure Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal Scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Gynaecological Examination table	One
		Lamp stand	One
		Surgical gloves	Assorted
		Sim's speculum	Two
		Face mask	Assorted
		Cusco's speculum	Two
7	<b>Ilmul Atfal (Paediatrics)</b>	Stethoscope	Four
		Paediatric stethoscope	Four
		Blood pressure Apparatus with different cuff	Two
		Blood pressure Apparatus with Paediatric cuff	Four
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal Scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Examination table	One
		Neonatal weighing scale	One
		Paediatric weighing scale	One
		Infantometer	One
		Scale (Baby weighing)	One
		Face mask	Assorted
		Surgical gloves	Assorted
8	<b>Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)</b>	Stethoscope	Two
		Blood pressure Apparatus	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One

		Thermometer	Two
		Thermal Scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Three
		Measuring tape	One
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Surgical gloves	As required
		Body temperament assessment chart	One
		Body Mass Index machine	One
		Face mask	Assorted
		Information, Education and Communication Material	As required
		TST (Tahaffuzi wa Samaji Tib) Health card	As required
9	<b>Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)</b>	Stethoscope	Two
		Blood pressure Apparatus	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal Scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Three
		Measuring tape	One
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Surgical gloves	As required
		Body temperament assessment chart	One
		Body Mass Index machine	One
		Face mask	Assorted
		Information, Education and Communication Material	As required
10	<b>Isabat (Casualty)</b>	Equipment, Instrument and Furniture	As required
		Motorised bed 4 section with mattress	As per requirement (see - regulation 14 sub-(3) clause(xi) (C)
		Footstep	As per number of beds
		Intravenous (IV) stand with stainless steel rod and castor base	As per number of beds
		Wheelchair	As required
		Patient transfer stretcher trolley	As required
		Drug trolley	As required
		Portable X-Ray Machine	One
		Suturing set	As required
		Multi para monitor	One
		Suction Machine	One
		Suction catheter	As required
		Resuscitation kit	As required
		Oxygen Unit with Nasal Hood/Mask	As required

		Laryngoscope	One
		Endotracheal tube	As required
		Ambu bag with different mask	As required
		Defibrillator	One
		Electrocardiogram and Monitor	Two
		Blood pressure Apparatus	Two
		Neonatal/Paediatric Blood pressure cuff	One
		Stethoscope	Two
		Torch	Two
		Examination Table	One
		ICU-Thermometer	Two
		Neonatal Intensive Care Unit Thermometer	Two
		Tongue depressor	Two
		Weight and height measuring stand	One
		Measuring tape	Two
		Knee hammer	Two
		Wheelchair	Two
		Diagnostic Electrocardiogram Machine Twelve Channel	One
		Stretcher cum Trolley	Two
		Intravenous Stand	Two
		Emergency Drugs	As required
11	<b>Screening Out-Patient Department</b>	Stethoscope	Three
		Blood Pressure Apparatus	Three
		Clinical thermometer	Three
		Thermal scanner	Three
		Height measurement stand	Two
		Weighing machine	Two
		Mizaj assessment chart	As required
<p><b>Note:</b> The listed items in the table are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide facilities including equipment, instruments, medicines etc., for conducting Out-Patient Department clinical activities and for providing clinical teaching and training.</p>			

Dr. B. L. MEHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./654/2023-24]

**ANNEXURES****Annexure-I****FORM-A****APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH NEW UNANI MEDICAL COLLEGE  
(UNDERGRADUATE)**

(See regulation18)

Sl.No.	Particulars	Details
<b>Part-I: Applicants Details</b>		
1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete Address with Pin code	
3	Official Telephone Number and Mobile Number	
4	Official E-mail ID	
5	Status of applicant whether State Government or Union Territory or University or Trust or Society	
6	Composition of the Trust or Society	

7	Registration or incorporation of the trust or society of the applicant body (Number and date, if any)	
8	Type of institution (Govt or Govt Aided or Private or Deemed University)	
9	Is there any other Unani Medical College run by the same trust or society or university	Yes/ No
	If yes, mention the distance between two colleges	
	Provide Global Positioning System link of the college along with print copy of the same	
10	Financial Capability: Balance Sheet for the last three years to be provided if the applicant is a Trust or Society. Details of the financial resources to be furnished.	
11	Annual Audit Report (Enclose copy of audit report of last three years)	
12	Means of financing the project:	
	Contribution of the Applicant (attach proof)	
	Grants (Attach Proof)	
	Donations (Attach Proof)	
	Equity (Attach Proof)	
	Term Loans (Attach Proof)	
	Other Sources, if any (Attach Proof)	
<b>Part-II: Fee Details</b>		
13	Application Fee Transaction ID	
	Processing Fee Transaction ID	
	Any other fee specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine/National Commission for Indian System of Medicine from time to time	
<b>Part-III: Essential Requirement Details</b>		
14	Date of 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration.	
15	Validity of Essentiality Certificate or No Objection Certificate	From ----- To -----
16	Name and address of affiliating University	
	Date of Consent of Affiliation for the scheme	
	Years of Consent of Affiliation for the scheme	From ----- To -----
<b>Part-IV: Details of the proposed College</b>		
17	Name of the proposed Unani Medical College	
18	Complete address with pin code	
19	Name of the Principal of the proposed college	
20	Proposed annual student intake capacity (60 or 100 or 150 or 200)	
21	Official telephone number and mobile number	
22	Official e-mail ID	
23	Provide Global Positioning System (GPS) link of the College and Hospital along with print copy of the same	
24	Total area of the land	
25	Land is on lease or own	
	If it is on lease, Duration of lease period.	
	Tax paid receipt of land, prior to two years from the last date of submission of application	



	Non-encumbrance certificate	
26	Category of Land (Tier I and Tier II)- attach proof from the local authority	
27	Relevant building permissions from the concerned authorities	
28	Attach the true copy of building plan approved by local authority and endorsed by the architect	
<b>Part-V: Establishment of the College (Phase-I) Details</b>		
29	Administrative section	
30	Central library	
31	Digital library	
32	Teaching Departments:-	
	Kuliyat ( Basic Principles of Unani Medicine ) Department with a.Kuliyat Umoore Tabiya Practical Laboratory cum Tutorial Room b.Museum cum Tutorial Room for Tareekh-e- Tib c.Language Laboratory	
	Tashreehul Badan(Anatomy) Department with a.Dissection Hall b.Practical lab c.Museum cum Tutorial room	
	Manafeul Aza (Physiology) Department with a.Practical Lab b.Tutorial room	
33	Lecture halls	
34	Herbal garden	
35	College website	
36	Biometric Attendance System (as specified by the commission)	
37	Hostels (Boys and Girls separately)	
38	Canteen	
	Other requirements:	
39	Examination/Multipurpose/Yoga and Riyazat /Conference Hall	
40	Clinical Skill or Simulation Laboratory with twenty-five per cent simulators or manikins	
41	Information Technology infrastructure	
42	Human Resource Development Cell Room	
43	Research and Innovation Cell Room	
44	Student amenities	
45	Staff amenities	
46	Common room for Boys and Girls separately	
47	Common room for Teaching faculty members	
48	College Council room	
49	Student Council room	
50	Student Support and Guidance Cell room	
51	Internal Quality Assurance Cell room	
52	Pharmacovigilance Cell room	
53	Central workshop	

54	Closed-circuit television facility	
55	Human resources of the college:-	
	Teaching staff (as per Phase-I requirement)	
	Non-teaching staff	
<b>Part-VI: Banking Details of the College</b>		
56	Name of the account	
	Account number in college name	
	Name of the Bank	
	Name of the branch of the bank with IFSC code	
<b>Part-VII: Details of the Hospital</b>		
57	Name of the attached hospital of the proposed college	
58	Date of establishment of the hospital	
59	Registration certificate of the hospital (attach the copy)	
60	Proof of ownership of existing hospital (attach the copy)	
61	Panchayat License	
62	Hospital building occupancy certificate	
63	Hospital building completion certificate	
64	Pollution control certificate	
65	Fire safety certificate	
66	Bio-medical waste management agreement	
67	Renewal of the necessary permission from local or concerned authorities and validity period (attach proof)	
68	National Accreditation Board for Hospitals Certificate (level, validity, and date)	
69	Permission for X-Ray unit	
70	<b>Bed strength in In-Patient Departments (IPD):-</b>	
	Moalajat (Medicine) including the bed strength of Ilmul Samoom(Clinical Toxicology)	
	Ilaj Bit Tadabeer(Regimenal Therapy)	
	Amraze Jild Wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)	
	Ilmul Atfal (Paediatrics)	
	Jarahat (Surgery)	
	Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Denistry)	
	Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)	
71	<b>Out-Patient Department:</b>	
	Screening Out-Patient Department	
	Moalajat (Medicine)	
	Ilaj Bit Tadabeer (Regimenal Therapy) including therapy or minor procedure room	
	Jarahat Surgery including minor procedure room	
	Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Denistry) including minor procedure room	
	Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) including procedure room	
	Ilmul Atfal (Paediatrics)	
	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)	
	Ilmul Samoom (Clinical Toxicology)	

	Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) including minor procedure room	
	Isabat (Emergency or Casualty)	
	Specialty Out-Patient Department (if any, specify)	
72	Total number of Out-Patient Department attendance in the last two years from the date of application	
73	Average number of Out-Patient Department per day in the last two years from the date of application	
74	Average bed occupancy in the last two years from the date of the application	
75	Clinical laboratory	
76	Radiology or Imaging Section	
77	Pharmacy or Drug store or Dispensary	
78	Ilaj Bit Tadabeer (Regimenal Therapy) Therapy or Procedure section	
79	Jarahat (Surgery) including Operation theatre and Minor operation theatre	
80	Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Denistry)	
81	Ghurfatul Wilada ( Labour Room and Maternity Operation Theatre)	
82	Physiotherapy unit	
83	Yoga and Riyazat section	
84	Human resources in the hospital	
	A. Hospital staff existing and relieved for two years before submission of application (with details of name, designation, section or unit, qualification, experience, appointment order, joining letter and date, relieving letter and date, state registration certificate or teachers code in applicable cases), Zone-wise, -	
	Administration zone	
	Reception and Registration Zone	
	Out-Patient Department Zone	
	In-Patient Department Zone	
	Diagnostic Zone	
	Procedural Management Zone	
	Services Zone	
	B. Modern Medical Staff Details	
85	Hospital Record (tick whichever is applicable)	Computerized or Manual
<b>Part-VIII: Banking Details of the Hospital</b>		
86	Name of the Account	
	Account number in hospital name	
	Name of the Bank	
	Name of the branch of the Bank and IFSC code	
	Following details are required for two years or 24 months prior to the date of submission of application:-	
	a. Bank details of salary paid to hospital staff (month-wise)	
	b. Details of purchase of medicines (attach indents and payment proof)	
	c. Details of purchase of hospital consumables (attach indents and payment proof)	
	d. Details of payment of relevant taxes (attach copy)	
	e. Details of hospital income (attach copy)	
	f. Employees Provident Fund (EPF) and Employees State Insurance (ESI) details	

87	Whether Hospital established or developed phase-wise		Yes/No		
	If yes, provide details phase-wise details				
	Phase or Stage	Period		Details of Establishment of Development	Performance or Functionality
		From	To		
	First				
	Second				
	Third				
Fourth (Final)					

**Signature of applicant**

**Full Name**

**Place:**

**Date:**

**List of enclosures:**

1. Certified copy of Bye Laws/Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees.
2. Certified copy of certificate of registration/incorporation of trust or society.
3. Annual reports and audited balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership or lease agreement deed.
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of existing hospital with Hospital Registration Certificate and its validity period.
7. Certified copy of the 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration at the proposed site for the applied academic session.
8. Certified copy of the 'Consent of Affiliation' issued by recognised University established under any Central/State/Union Territory statute for establishing a new Unani Medical College for the applied academic session.
9. Accreditation certificate issued by National Accreditation Board for Hospitals.
10. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine/National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
11. Furnish affidavit stating that the land and buildings designated for Unani Medical College and attached teaching hospital are exclusively for conducting Unani courses recognised by Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa/National Commission for Indian System of Medicine.
12. Furnish affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on National Eligibility-cum-Entrance Test merit and only through counselling (Central/State/ Union Territory as the case may be) and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
13. Furnish affidavit stating that the curriculum and syllabus, nomenclature of the course or programme, infrastructure, facilities, and human resources including student-teacher ratio shall be maintained as per the specifications of the Commission specified in the concerned regulations.
14. Furnish affidavit that has not already admitted student in any class or standard or course or training of the proposed Unani Medical College.
15. Furnish an undertaking that the institution is in a position to credit the fixed security deposit valid for a period of five years in favour of National Commission for Indian System of Medicine.
16. Proof of application fee and Processing fee remitted.
17. Copy of bank transaction for the last two year of official bank account: College and Hospital
18. Copy of biometric attendance of hospital staff for the last two years

19. Other enclosures as per the various parts of application form (please indicate details):-

- a. Distribution of land with survey number.
- b. Proof for category of land such as Tier I and Tier II cities (X and Y categories), North-Eastern States, hilly areas and notified tribal areas, a certificate obtained from local authorities.
- c. Non-encumbrance certificate.
- d. Tax paid receipt for land and hospital building.
- e. Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.
- f. Area statement certificate authorised by architect.
- g. Panchayat license for establishment of hospital.
- h. Hospital Building Occupancy Certificate.
- i. Hospital Building Completion Certificate
- j. Fire safety certificate.
- k. Disaster management certificate (if any).
- l. Pollution control certificate.
- m. Permission for Radiology unit in the hospital.
- n. Biomedical waste management agreement.
- o. College and hospital building occupancy certificate.
- p. College and hospital building completion certificate.

20. Any other documents as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

(Note: All copies shall be self-attested/by the applicant)

**Annexure-II**

**Form-B**

(See regulation 19)

**APPLICATION FOR PERMISSION TO INCREASE NUMBER OF SEATS OR ADMISSION CAPACITY OR STUDENT INTAKE CAPACITY IN EXISTING UNDERGRADUATE PROGRAMME IN A UNANI MEDICAL COLLEGE**

1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete address with PIN code	
	Official Telephone number and Official Mobile number	
	Official e-mail ID	
3	Status of applicant whether State Government or Union territory or University or Trust or Society	
4	Registration or Incorporation of Trust or Society (number and date etc)	
5	Name and address of the Unani Medical College	
6	Category of permission status: Extended Permission or Yearly Permission at the time of submitting application or scheme or proposal	
7	Institution has rated as Grade 'A' or Grade 'B' at the time of submitting application or scheme or proposal	
8	Date of 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration.	
9	Name and address of Affiliating University	
	Date of first affiliation	
	Date of first affiliation for the new scheme or proposal	

10	Year of admission of first batch for undergraduate course	
11	Month and year of course completion of first batch of admitted students	
12	Number of seats approved and date of recognition or permission by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council of Indian Medicine for existing undergraduate course	
13	Name of the course of study applied for the increase in seats or student intake capacity or admission capacity	
14	Number of seats applied for an increase in seats or student intake capacity or admission capacity (60 or 100 or 150 or 200), specify	
15	Details of: a. Additional financial allocation b. Additional space, equipment, and other infrastructural facilities in respect of increase in student intake capacity c. Recruitment of additional staff (teaching staff, non-teaching staff and hospital staff) in respect of increase in student intake capacity	
16	Fee details:-	
	Application fee Transaction ID	
	Processing fee Transaction ID	
17	Any other relevant information	

**Signature of Applicant**

**Full Name**

**Designation**

**Place:**

**Date:**

**List of Enclosures:**

1. Attested copy of the 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration in the prescribed format.
2. Attested copy of the 'Consent of Affiliation' from the recognised University to which the college or institution is affiliated in the prescribed format.
3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, National Commission for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council for Indian System of Medicine approving recognition of the college or institution, if already permitted to conduct undergraduate degree course.
5. Affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on National Eligibility-cum-Entrance Test merit and only through counselling (Central Government or State Government or Union territory Administration as the case may be) and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
6. Affidavit stating that the human resources as per student-teacher ratio shall be maintained in respect of increase in student intake capacity as mentioned in concerned regulations.
7. Proof of application fee and processing fee remitted.
8. Other enclosures,-
  - a. Certified copy of Bye laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees and renewed copy of trust or society registration or incorporation.
  - b. Certified copy of the land documents as a proof of ownership or lease agreement deed.

- c. First hospital registration certificate or renewed as a proof of ownership of existing hospital.
  - d. Fire safety certificate.
  - e. Disaster management certificate (if any).
  - f. Pollution Control certificate.
  - g. Biomedical waste management agreement.
  - h. College and hospital building occupancy certificate.
  - i. College and hospital building completion certificate.
  - j. Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.
  - k. Area statement certificate authorised by architect.
  - l. Purchase bills of equipment, instruments etc for the increase in intake capacity in existing undergraduate programme.
  - m. List of medicines prepared or purchased with bills for the last one year.
  - n. List of raw drugs purchased with bills for the last one year.
  - o. Intent register for the last one year (college and hospital).
  - p. Stock register for the last one year (college and hospital).
  - q. Consolidated data of hospital: Patient data (out-patient departments, in-patient departments and bed occupancy) for the last one year
  - r. Tax paid receipt for land, building including hospital building.
  - s. Furnish an undertaking stating that the institution is able to credit the fixed security deposit valid for a period of five years in favour of the National Commission for Indian System of Medicine.
  - t. Furnish an undertaking stating that the institution has fulfilled all minimum essential standards mentioned in these regulations including new minimum essential standards with building infrastructure specified in the timeline under chapter-V in accordance with the proposed intake capacity.
9. Other enclosures of the documents as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

**Note:** All the copies shall be self-attested.

**Annexure-III**

**FORM-C**

(See regulation 18)

**(To be issued by State Government/UT)**

**ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE TO ESTABLISH**

**A NEW UNDERGRADUATE UNANI MEDICAL COLLEGE**

Ref. No.....

Dated.....

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant (with address)	
2	Type of institution (Government or Aided or Private or Deemed University)	
3	Name of the proposed Unani Medical College or Institution	
	Address of the proposed College or Institution	
	Proposed student intake capacity (60 or 100 or 150 or 200)	
4	Whether the applicant is already running Unani Medical College (s)	Yes or No
5	If yes, what is the distance between the nearest college and the proposed college (if the distance is twenty five or less than twenty five Kilo meters No Objection Certificate or Essentiality certificate shall not be issued)	

Other details		
6	Number of Unani institutions already existing in the State	
7	Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State or Union Territory	
8	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of new Unani Medical college	Poor or Adequate
9	Registration number of the hospital	
10	Restrictions imposed by the State government, if any, on students who are not domiciled in the state from obtaining admissions in the state, have to be specified.	

**ESSENTIALITY CERTIFICATE/ NO OBJECTION CERTIFICATE**

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ----- (name of the applicant) for the establishment of ----- (name of the proposed college or institution) at ----- (address of the proposed college or institution) with student intake capacity of ----- (60 or 100 or 150 or 200). This certificate is issued in consideration of above details or facts or conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

**The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following term and conditions:**

1. College shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine of National Commission for Indian System of Medicine.
2. College shall not have any-other colleges or conduct any other courses or programs in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
3. College shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in accordance with student intake capacity.
4. College shall admit National Eligibility-cum-Entrance Test eligible students the students as per the regulation or guidelines or policy framed by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.
5. The institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards or National Commission for Indian System of Medicine or Government of India or University.
6. In case of change over the college to other society or trust, prior no objection certificate shall obtain from the State Government or Union territory Administration, as the case may be.
7. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Unani Medical College as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine/National Commission for Indian System of Medicine.
8. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the college with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

**(Signature of the Competent Authority)**

**Office Seal**

**Date:**

**Place:**



**FORM-D**

(See regulation 19)

(To be issued by State Government or Union Territory Administration)

**ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE TO INCREASE THE NUMBER OF SEATS OR ADMISSION CAPACITY OR STUDENT INTAKE CAPACITY IN AN EXISTING UNDERGRADUATE PROGRAMME IN AN UNANI MEDICAL COLLEGE**

Ref. No.....

Dated.....

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant	
2	Address	
3	Subject of application	To Increase the Student Intake Capacity From--- To--- -
4	Name and address of the college or institution in which the applicant intended to increase the student intake capacity in existing undergraduate program	
5	Year of establishment of the institution	
Other Details		
6	Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State	
7	Doctors (registered Unani medical practitioners) to Population ratio in the State or Union Territory	
8	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of Unani Medical College	Poor or Adequate

**ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE**

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to -----(name of the applicant) for increase in number of seats or student intake capacity or admission capacity from -----to ----- in the existing Undergraduate Programme conducted by ----- (name of the college or institution) at -----(address of the college or institution). This certificate is issued in consideration of the above details or facts or conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue.

**The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following terms and conditions:**

1. College shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
2. College shall not have any-other colleges or conduct any other courses or programs in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
3. College shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in accordance with student intake capacity.
4. College shall admit the students as per the regulation or guidelines or policy framed by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.
5. The institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards or National Commission for Indian System of Medicine or Government of India or University.
6. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Unani Medical College as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian

System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine.

7. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the college with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

**Signature of the Competent Authority**

**Office Seal**

**Date:**

**Place:**

**Annexure-V**

**FORM-E**

(See regulation 18)

**CONSENT OF AFFILIATION**

(To be issued by Affiliating University)

(Pre-requisite for submission of application to establish a new Unani Medical College or to increase student intake capacity in existing undergraduate programme in a Unani Medical College)

Sl.No.	University Details	
1	Name of the University	
2	Address	
3	Type of University	Central Government or State Government or Deemed-Government or Deemed-Private or Private State
4	Contact Details	
5	Contact Person (Name and Designation)	
	Mobile number	
	e-mail ID	
6	Year of Establishment	
7	Existing Faculties	
8	Accreditation if any	
9	Number of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa colleges affiliated to the University till date.	

**CONSENT OF AFFILIATION**

The university on the basis of local enquiry committee report, is agreed upon in principle to issue consent of affiliation to..... (name of the college) ..... with student intake capacity of ..... (60 or 100 or 150 or 200) undergraduate seats of the proposed college or increase in number of seats or student intake capacity or admission capacity from ..... to..... in already existing undergraduate programme.

The consent of affiliation is issued for the academic year(s).....

**Consent of affiliation is issued on the following conditions:**

1. The college shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.
2. The college shall admit National Eligibility-cum-Entrance Test eligible students only through counselling process (Central Government or State Government or Union territory Administration) as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in concerned regulations and guidelines.
3. The college shall ensure the conduction of stipulated hours of teaching and training as per the curriculum and syllabus specified by the National Commission for Indian System of Medicine.
4. The colleges shall obtain continuation of affiliation every year at least three months before the commencement of counseling and admission process.
5. Prior 'No Objection Certificate' shall be obtained from the present affiliating university in case of change of affiliation to other university or applying for Deemed status.
6. In case of disaffiliation with the present university, the existing batches shall continue with the present University till award of degree for the last student.

**Registrar****(Signature with seal)****Place:****Date:**

**[Note:** If any discrepancy is found between Hindi and English version of the “National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Unani Medical Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2023”, the English version will be treated as final]